लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 12—गुरुवार, 5 मार्च, 1970/14 फाल्गुन, 1891 (शक)
No. 12—Thursday, March 5, 1970/Phalguna, 14, 1891 (Saka)

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	MEMBER SWORN	
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता०प्र० संख्या S.Q. No.			
241.	जन शक्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय जन शक्ति सेवा	All India Man Power Service to Assess Man Power Situation	1
242.	खाद्य तेलों का आयात	Import of Edible Oils ..	2
243.	उर्वरकों की बिक्री में कमी	Fall in the off-take of fertilizers ..	8
245.	गेहूं की औसत उपज में कमी	Fall in the Average Yield of Wheat	13
246.	कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना	Implementation of Recommendations of Coal Wage Board	16
	अल्प-सूचना प्रश्न		
2.	गुड़ का निर्यात	Export of Gur	15
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS*	
	तारांकित प्रश्न संख्या		
244.	पंजाब में सघन खेती वाले क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता की समस्या के बारे में अनुसंधान	Research on Soil Fertility Problems in intensively Cropped Areas in Punjab ..	20

* किसी नाम पर अंकित यह+ इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्रा० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
247.	खाद्यान्नों का उत्पादन, समाहार तथा आयात	Production, Procurement and Import of Foodgrains	20
248.	कानपुर के टेनरी मालिकों द्वारा चमड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करना	Implementation of Recommendations of Leather Wage Board by Tennery Owners in Kanpur	21
249.	केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद की अक्तूबर 1969 में हुई बैठक।	Meeting of Central Apprenticeship Council in October, 1969	22
250.	सहकारी समितियों सम्बन्धी वर्तमान कानूनों में सुझाए गए परिवर्तन	Changes suggested in the Existing Laws on Cooperatives ..	23
251.	पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of Central Wage Board for Port and Dock Workers	23
252.	आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर द्वारा सरकारी रूप से रिकार्ड की गई सामग्री का निजी प्रयोजनों हेतु प्रयोग	Official Recorded Material used by AIR Chief Producer for Private Purposes ..	24
253.	नेफा के उस पार से विषैले चीनी रेडियो प्रचार का मुकाबिला करने के लिए कार्यवाही	Steps to Counteract Chinese Radio propaganda Across NEFA ..	24
254.	अन्दमान में विकास निगम की स्थापना	Setting up of Development Corporation in Andamans ..	25
255.	दण्डकारण्य में सघन खेती कार्यक्रम के लिए जापान की ओर से सहयोग की पेशकश	Japanese Offer of Collaboration for Intensive Agriculture Programme in Dandakaranya	25
256.	अतिरिक्त अखबारी कागज की व्यवस्था	Provision of Additional Newsprint	26
257.	रूसी ट्रैक्टरों की बिक्री में चोर बाजारी	Black marketing in the Sale of Russian Tractors	26
258.	रासायनिक उर्वरकों की बिक्री की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना	Streamlining of Procedure for Sale of Chemical Fertilizers	27
259.	आकाशवाणी के कार्य संचालन की जांच के लिए संसदीय समिति	Parliamentary Committee to go into A.I.R's Functioning	27
260.	भारतीय पत्रकार महासंघ की शिकायतें	Grievances of Indian Journalists' Federation	27

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
261.	मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड रूरकेला बनाम ए०के० राय तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Decision in the Case of M/s Hindustan Steel Ltd., Rourkela *Vs.* A.K. Roy and others	28
262.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के थोक व्यापार को नियंत्रण में लिया जाना	Taking over of Wholesale trade in Food-grains by Food Corporation of India ..	28
263.	दिल्ली दुग्ध योजना का कार्य संचालन	Working of Delhi Milk Scheme ..	29
264.	समकालिक उपग्रह व्यवस्था के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम का विस्तार	Television Coverage *via* Synchronous Satellite System ..	30
265.	कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि	Increase in the price of Agricultural Products ..	30
266.	डाक विभाग में कुप्रबन्ध	Mismanagement in Postal Department ..	30
267.	भूमि अर्जन पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन	Report of the Land Acquisition Review Committee..	31
268.	कृषि उत्पादन कार्यक्रम तेज करने के लिए राज्यों को सहायता	Aid to States Accelerating Agricultural Production programme	31
269.	किसानों को किराये पर ट्रैक्टर सप्लाई करने की योजना	Scheme to supply tractors on Hire Basis to Farmers	31
270.	ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर	Post Offices in Rural Areas	32

अतारांकित प्रश्न संख्या

1601.	हरियाणा में डाक घर	Post Offices in Haryana	33
1602.	खाद के रूप में गोबर का उपयोग	Use of Cow Dung as manure	33
1603.	अलमाडी (तमिल नाडु) में केन्द्रीय ढोर प्रजनन प्रक्षेत्र	Central Cattle Breeding Farm at Almmadi, Tamil Nadu	34
1604.	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का महाराष्ट्र के चांदा जिले में पुनर्वास	Rehabilitation of East Pakistan refugees in Chanda District of Maharashtra	35
1605.	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का गुण-प्रकार	Quality of Milk supplied by Delhi Milk Scheme	36
1606.	दिल्ली दुग्ध योजना के टौंड दूध अनुभाग की क्षमता	Capacity of Toned Milk Section of Delhi Milk Scheme ..	36

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1607.	टेलेक्स सेवा का विकास	Development of Telex Service	37
1608.	भारत में बेरोजगारी के बारे में ब्रिटिश सर्वेक्षण	British Survey of Unemployment in India ..	38
1609.	महाराष्ट्र में जलगांव में केला चूर्ण उत्पादक संयंत्र की स्थापना	Setting up of Banana Powder Production plant in Jalgaon (Maharashtra)	38
1610.	भारत का चौथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	Fourth international Film Festival of India	39
1611.	जमशेदपुर में इंजीनियरिंग उद्योग में हड़ताल के कारण हानि	Losses due to strike in Engineering Industry in Jamshedpur	40
1612.	उर्वरक के उत्पादन में कमी	Fall in Fertilizer Output ..	40
1613.	विदेशों में रह रहे सम्बन्धियों से ट्रैक्टरों का उपहार	Gift of Tractors from Relations abroad	41
1614.	रांची जिले में ईसाइयों को कृषि विकास के लिए स्वीकृत ऋण	Agricultural Development loans sanctioned to Christians in Ranchi District ..	42
1615.	सरसों और सोयाबीन का आयात	Import of Mustard and Soyabean..	42
1616.	बिहार में सिंचाई कार्यों के लिए पम्पिंग सेट लगाना	Installation of Pumping Sets for Irrigation purposes in Bihar ..	42
1617.	नलकूपों की स्थापना	Installation of Tube Wells ..	43
1618.	अमरीका द्वारा ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Tractors by USA	44
1619	भूमिहीन लोगों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to landless persons ..	44
1620.	पंजाब में कृषि विश्वविद्यालय	Punjab Agricultural University	46
1621.	मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के प्रशिक्षण की सुविधाएं	Training Facilities for Journalism in Madhya Pradesh	46
1622.	अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारीय संघ द्वारा प्रस्तुत की गई गोदी कर्मचारियों की मांगें।	Demands of Dock Workers Submitted by All India Port and Dock Workers Federation ..	47
1623.	संसद् सदस्यों के अपने स्थायी निवास स्थानों तथा गांवों में टेलीफोन लगाना	Installation of Telephones in M.Ps' Home Towns/Villages	47
1624.	डाकुओं वाले क्षेत्रों में भू-सुधार कार्य	Reclamation of Dacoit infested Land	47
1625.	सहकारी समितियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against co-operative Societies ..	48

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1626.	युवकों की बेरोजगारी की समस्या	Unemployment problem amongst the Youth	48
1627.	आकाशावाणी से वार्ता के लिए संसद सदस्यों का चुनाव	Selection of M.Ps. for Radio Talks..	49
1628.	उर्वरकों का संचित भंडार	Accumulated Stock of Fertilizer ..	49
1629.	तमिल नाडु में प्रत्यावर्तित लोगों को बसाने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid for settlement of repatriates in Tamilnadu	50
1630.	औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य आवास योजना	Compulsory Housing Plan for Industrial Employees	51
1632.	अन्तर्राष्ट्रीय समाचार अभिकरण की स्थापना	Setting up of an International News Agency	52
1633.	भारत सेवक समाज के सम्बन्ध में कपूर आयोग की रिपोर्ट	Report by Kapur Commission on Bharat Sewak Samaj	52
1634.	गंगा नदी क्षेत्रों में नलकूपों के लगाने के लिए राज्यों को धन देना	Allocation of Tubewells to States of Ganga Basin Areas ..	52
1636.	भारत में अमरीकी दाल सुधार परियोजना की समाप्ति	Winding up of US pulse improvement Project in India ..	53
1637.	अकालग्रस्त राज्यों को दी गई राशि तथा सूखा राहत समितियां बनाना	Amount given to Famine stricken states and formation of State Drought Relief Committees ..	54
1638.	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के लिए राशि का नियतन	Allotment of Funds to Agricultural Re-finance Corporation and Food Corporation under Fourth Plan	54
1639.	चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की समूची क्षमता	Total Irrigated Capacity during Fourth Plan	55
1640.	देश में असिंचित क्षेत्र तथा उनके विकास निमित्त अनुदान	Unirrigated areas in the country and Grants for their development ..	55
1641.	वनस्पति घी, चीनी, मैदा आदि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से छूट	Delicensing of industries set up for manufacturing vegetable Ghee, Sugar and Maida	56
1642.	आकाशवाणी के हिन्दी कार्यक्रमों के स्तर में गिरावट	Falling standard of Hindi Programmes over AIR	56
1643.	बिहार में सहकारी क्षेत्र में मिश्रित खाद कारखाने की स्थापना	Setting up of a Composite Fertiliser Factory in Cooperative Sector in Bihar	57

अता० प्र० संख्या US.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1644.	जम्मू तथा काश्मीर की खाद्य नीति में भेद भाव	Anomalies to Jammu and Kashmir Food Policy	57
1645.	गेहूं का उत्पादन	Wheat Production ..	58
1646.	छोटे समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता	Financial aid to small Newspapers	59
1647.	अनाज की वसूली	Procurement of Foodgrains	59
1648.	आकाशवाणी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए काम के अधिक घंटे	Longer Working Hours for AIR Class IV Employees	60
1649.	धनुषकोड़ी पत्तन में सीमा शुल्क विभाग के भवन के निर्माण के लिए तमिल नाडु को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Tamilnadu to construct Customs Building at Dhanushkodi Port	60
1650.	आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार	Alleged misbehaviour of A.I.R. Officers	61
1651.	कृषि पदार्थों की उपज बढ़ाने के लिए उपयुक्त पौधों और बीजों का चयन	Selection of proper plant and seeds for increased yield of Agricultural Commodities	61
1652.	कीड़ों तथा रोगजनक कीड़ों की वृद्धि को रोकना	Check on multiplication and spread of pests and Pathogens	62
1653.	चावल की उपज में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही	Steps for increase in the yield of Rice	62
1654.	अनाज का निर्यात	Export of cereals ..	63
1655.	असिंचित क्षेत्रों की उत्पादिता	Productivity of unirrigated Areas	63
1656.	मंत्रालय, अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम	Service Rules for Ministerial, Subordinate and attached Officers Staff	64
1657.	आकाशवाणी के पुनर्गठन सम्बन्धी अध्ययन दल के सदस्यों की शैक्षिक अर्हताएं	Academic Qualifications of Members of the study team on Staff Reorganisation of A.I.R. ..	64
1658.	पश्चिम बंगाल में चीनी मिट्टी तथा खानों के मजदूरों की मजूरी की दर	Wage of Workers in China Clay and Mines in West Bengal ..	65
1659.	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में लोअर डिवीजन क्लर्कों तथा अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या	Staff position of L.D.Cs, and UDCs in the Ministry of Food and Agriculture, Community Development and Co-operation	65

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1660.	आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित होने वाली वार्ताओं में संसत्सदस्यों को आमंत्रित किया जाना	M.Ps. invited for AIR Talks from different Stations	66
1661.	अधिक उपज वाली किस्म की फसल के अन्तर्गत क्षेत्र	Cropped Area under High Yielding Variety of Crop	66
1662.	डायमंड हार्बर, पश्चिम बंगाल में शाखा डाक घर	Branch Post Offices in Diamond Harbour, West Bengal ..	67
1663.	लघु सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति के लिए राज्यों को सहायता	Aid to States for Implementation of Small Irrigation Schemes	68
1664.	उर्वरक की प्रति हैक्टेयर औसतन खपत	Average Consumption of Fertiliser per Hectare	68
1665.	टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन शुल्क	Application fee for telephone connection	69
1666.	महिला प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए कलाकार परिचायक (काम्पेयर) के रूप में विदेशी प्रशिक्षण	Foreign Training for a lady production Assistant as a Compere..	70
1667.	साझेदारी आधार पर टेलीफोन देने की योजना	Scheme for giving Telephones on Partnership basis	70
1668.	1969-70 की खरीफ सीजन में उर्वरक की खपत	Consumption of fertilisers during 1969-70 Khariff	71
1669.	चीनी उद्योग निगम की स्थापना	Setting up of a Sugar Industries Corporation	72
1670.	इम्फाल में टेलीफोन विभाग का भर्ती केन्द्र खोलना	Recruitment centre at Imphal for Telephone Department	72
1671.	इम्फाल में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchange at Imphal	72
1672.	मणिपुर में शरणार्थी परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugee Families in Manipur	73
1673.	मनीपुर में सिंचाई की सुविधाएं	Irrigation Facilities in Manipur ..	73
1674.	मनीपुर में शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed in Manipur	74
1675.	वनस्पति घी के मूल्य में उतार चढ़ाव	Frequent Fluctuation in Price of Vanaspati Ghee	74

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1676.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इंजीनियरों के लिए रोजगार और प्रशिक्षण अधिनियम 1967 में संशोधन	Employment of Engineers in Fifth Year Plan and Amendment of Apprenticeship Act, 1967	75
1677.	राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति तथा उन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई	Conditions of Famine Affected Areas of Rajasthan and Water Supply in that area	75
1678.	सुपर बाजार, नई दिल्ली को हुई हानि	Loss suffered by Super Bazar, New Delhi	76
1679.	सुपर बाजार, नई दिल्ली के लेखे तथा प्रतिवेदन	Accounts and Reports of Super Bazar, New Delhi	77
1680.	सुपर बाजार, नई दिल्ली की प्रबन्ध समिति	Managing Committee, Super Bazar, New Delhi	77
1681.	उद्योगों के अंशों तथा लाभ में श्रमिकों को भागिता की योजना	Scheme for Workers participation in share and profit of industries	77
1682.	दिल्ली में आकाशवाणी के मिस्त्रियों को बिजली के झटके लगने से चोटें	Injuries due to Electric shock to AIR Mechanics at Delhi	77
1683.	बिहार में संग्रामपुर में डाकघर के लिए नई इमारत	New Building for post office at Sangrampur, Bihar	78
1684.	बिहार में संग्रामपुर तथा आसरगंज में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges at Sangrampur and Asarganj, Bihar ..	78
1685.	जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोको मोटिव कम्पनी में हड़ताल	Telco Strike in Jamshedpur	79
1686.	बिहार में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना	Opening of Public Call Offices in post offices on Indo-Nepalese Border areas of Bihar ..	79
1687.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मांगें	Demands of AIR Staff Artistes	80
1688.	उद्योगों के लिए एक समान न्यूनतम मजूरी	Uniform minimum wages for industries	80
1689.	आकाशवाणी के मुख्य प्रस्तुतकर्ता को अतिरिक्त धन का भुगतान	Payment of extra money for Chief producer of AIR	80
1690.	ब्रिटेन तथा अमरीका को चीनी का निर्यात	Export of Sugar to U.K. and USA	81

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1691.	केन्द्रीय मछलीपालन निगम के माध्यम से कलकत्ता में मछली की बिक्री	Sale of fish in Calcutta through Central Fisheries Corporation ..	81
1692.	चौथी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी दूर करना	Removal of unemployment in Fourth Five Year Plan ..	82
1693.	संगीत की सहायता से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान केन्द्र	Research Centre for increasing agricultural production by music	82
1694.	धान की खेती के लिए भारतीय कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षण	Expenditure under Indian Agricultural District Programme for Paddy cultivation	83
1695.	धोबियों, रेहड़ी वालों आदि की सहकारी समितियां बनाना	Formation of Cooperative societies of 'Dhobis', 'Rehriwalas'	83
1696.	ग्रामीण श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा अध्ययन	Study made by Labour Bureau on Rural Labour	83
1698.	गोरखपुर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchange at Gorakhpur	84
1699.	खाद्यान्नों के बारे में आत्म निर्भरता	Self sufficiency in foodgrains	84
1700.	दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Delhi Milk Scheme Employees	84
1701.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षु	I T I Trainees	85
1702.	आकाशवाणी से जातिवाद का प्रचार	Propagation of Casteism over AIR ..	85
1703.	अंगूर का निर्यात	Export of Grapes ..	86
1704.	गरम जल द्वारा आम को पकाना	Ripening of Mango through Hot Water Treatment	86
1705.	दालें निकालने का तरीका	Technique for Extraction of Pulses	87
1706.	अनाज के व्यापार में बिचौलियों की सेवाएं प्राप्त न करना	Elimination of Intermediaries in Food Trade ..	87
1709.	मध्य प्रदेश के नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	Grant to Nehru Agricultural University of Madhya Pradesh	87
1710.	कनाडा तथा अन्य देशों से गेहूं का आयात	Import of Wheat from Canada and other countries	88
1711.	खाने के तेलों की कीमत में वृद्धि	Increase in price of Edible Oils ..	88
1712.	विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to various States and Union Territories	89

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1714.	देहाती क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Call Offices in Rural Areas	89
1715.	आसाम से चावल उठाने में भारतीय खाद्य निगम की विफलता तथा उसका प्रभाव	Failure of Food Corporation of India to clear Rice from Assam and its effect ..	90
1716.	चण्डीगढ़ आन्दोलन के कारण पंजाब तथा हरियाणा में हुई हानि	Loss due to Chandigarh agitation in Punjab and Haryana	90
1717.	शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए योजना	Scheme for development of dry areas	91
1718.	दिल्ली दुग्ध योजना के पास दूध दिये जाने के लिए लम्बित आवेदन पत्र	Applications pending with DMS for Issue of Milk	91
1719.	कालीकट जिले में डाक तथा तार कर्मचारियों को पुन: नौकरी में लेना	Reinstatement of P&T Employees in Calicut Distt.	92
1720.	स्वामी श्रद्धानन्द शहीद दिवस के समारोह का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण न किया जाना	Non-Broadcast by AIR of Functions held on Swami Shardhanand's Martyrdom Day	92
1721.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का कार्यकरण	Working of the Indian Council of Agricultural Research..	93
1722.	चीनी का रक्षित भण्डार	Buffer Stock of Sugar	93
1723.	डाक घरों का घाटे में चलना	Post Offices working at loss	93
1724.	सूखे क्षेत्रों में वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए मिट्टी क्षेत्र चुनने तथा मैंड बनाने सम्बन्धी मार्गदर्शी निदेश	Guidelines for selection of soil areas and terracing for storing rain water in dry regions	94
1725.	विदेशों के साथ सीधे टेलीफोन व्यवस्था	Direct dialling system with Foreign countries	94
1726.	बरानी खेती पर विचार गोष्ठी	Seminar on Dry Farming	95
1727.	अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड की मांग	Demand for a Wage Board for extra Departmental Postal Employees	95
1729.	चौथी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास के लिए योजनायें	Schemes for community development during Fourth Five Year Plan	95
1730.	भारत और मलेशिया के बीच कृषि विशेषज्ञों का विनियम	Exchange of Agricultural experts between India and Malayasia ..	96

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1731.	चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में खाद्य समस्या का हल	Solution of Food Problem during Fourth Five Year Plan period ..	97
1732.	चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन	Foodgrains production during Fourth Five Year Plan	98
1733.	सेवा मुक्त एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अफसरों को काम दिलाउ कार्यालयों के माध्यम से रोजगार	Employment of Released Emergency Commissioned Officers through Employment Exchanges ..	98
1734.	समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन	Government Advertisement to News-Papers	98
1735.	वर्ष 1968-69 में सुपर बाजार, नई दिल्ली को हुई हानि	Loss to Super Bazar, New Delhi during 1968-69	99
1736.	आसाम में पोस्टल सर्किल को पेपर टैग्स की सप्लाई	Supply of Paper Tags to Assam Postal Circle	99
1737.	भूमिहीन मजदूरों तथा अनुसूचित जातियों में फालतू भूमि का वितरण	Distribution of Surplus Land to Landless Labourers and Scheduled Castes	100
1738.	केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी सिफारिशों को बिहार सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Recommendations of Central Wage Board for Engineering Industry by Bihar Government	100
1739.	मार्डन ब्रेड की कीमत	Price of Modern bread ..	101
1740.	देश में अकालग्रस्त जनता	Population affected due to Famine in the country	101
1741.	डाक-तार कालौनी किदवईपुर, पटना में दुकान तथा स्कूल की इमारत की व्यवस्था	Provision of Shop and School Building in P & T Colony, Kidwaipur, Patna ..	102
1742.	दिल्ली में दूध की सप्लाई में वृद्धि	Inerease in Milk Supply to Delhi ..	102
1744.	बारानी खेती क्षेत्रों में लघु किसान विकास अभिकरणों की स्थापना	Establishment of Small Farmers Development Agencies in Dry Farming Areas	104
1745.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात को बन्द करना	Stoppage of Imports under PL-480	105
1746.	हिमाचल प्रदेश के डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ते तथा पर्वतीय भत्ते का दिया जाना	Payment of Compensatory and Hill Allowance to P & T Staff in Himachal Pradesh	105
1747.	आकाशवाणी से प्रसारण के लिए राजनीतिक दलों में से व्यक्तियों का चयन	Selection of persons belonging to political parties for AIR Broadcasts ..	106

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1748.	केन्द्रीय सूचना सेवा में ग्रेड चार के रिक्त पद	Central Information Services Grade IV Vacancies ..	106
1749.	मध्यम आकार के ट्रैक्टरों की कमी	Shortage of Medium Size Tractors	107
1750.	महत्वपूर्ण नगरों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन	Constitution of Telephone Advisory Committees for Important Cities	108
1751.	भारतीय डेयरी निगम का गठन	Constitution of Indian Dairy Corporation	108
1752.	राज्य सरकारों के कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ की मांगें	Demands of All India State Government Employees Federation ..	109
1753.	रेडियो लाइसेंसों के नवीकरण के लिए कार्यवाही	Steps for Renewal of Radio licences.	109
1754.	राज्यों में खेतिहर औद्योगिक तथा हथकरघा श्रमिकों की मजूरी	Wages of Agricultural, Industrial and Handloom labour in States	109
1755.	1969 के दौरान आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवाओं से हुई आय	Revenue from AIR Commercial Services during 1969	110
1756.	पश्चिम बंगाल में अनधिवासी बस्तियों को नियमित करने की योजना	Scheme for Regularisation of Squaters Colonies in West Bengal ..	111
1757.	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का दण्डकारण्य के कौंडा गांव क्षेत्र में बसाया जाना	Rehabilitation of East Pakistan Refugees in Kondagaon Zone of Dandakaranya	111
1758.	कृमिनाशी औषधियों के प्रभावित रहने की अवधि सम्बन्धी अनुसंधान और कृमिनाशी औषधियों का पशुओं आदि पर बुरा प्रभाव	Research in the duration of effectiveness of Pesticides and their ill effects on lives	111
1759.	मंगलौर में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वाटरों का निर्माण	Construction of quarters for P & T Staff at Mangalore	112
1760.	बीजों का वितरण	Seed Distribution	113
1761.	राशन वाले क्षेत्रों में कर्मचारियों तथा राशन व्यवस्था पर व्यय	Expenditure of Staff and Rationing Machinery in Rationed areas	114
1762.	फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Film Industry ..	115

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1763.	इण्डो-केयर करार तथा भारत अमरीका करार के अन्तर्गत प्राप्त अनाज की तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश को सप्लाई	Supply of Foodgrains to Tamil Nadu and U.P., received under Indo-Care Agreement and Indo-US Agreement	115
1764.	विविध भारतीय कार्यक्रमों से फिल्म कलाकारों का बदला जाना	Replacement of Film Artistes on Vividh Bharati Programmes	115
1765.	उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में डाक तथा तार की सुविधाएं	Post and Telegraph facilities in Uttar Pradesh and Harayna ..	116
1766.	उत्तर प्रदेश और तमिल नाडु में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange in U.P. and Tamil Nadu	116
1767.	प्रेस ट्रस्ट आफ इंण्डिया के भ्रामक समाचार	Misleading Press Trust of India News	117
1768.	चलचित्र कलाकारों द्वारा प्रस्तुत विविध भारती के कार्यक्रम	Film Artists on AIR Vividh Bharati Programmes	117
1769.	केन्द्रीय फिल्म सैंसर बोर्ड द्वारा पास की गई फिल्में	Films passed by the Central Board of Film Censors	118
1770.	बेरोजगार कृषि स्नातकों को भूमि का आबंटन	Land to Unemployed Agricultural Graduates ..	119
1771.	बेरोजगारी के बारे में योजना आयोग की समिति	Planning Commission Committee on Unemployment	119
1772.	प्रेस सलाहकार परिषद	Press Advisory Council	120
1773.	देश भर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन	Applications Pending for Telephone Connections in the country	120
1774.	आकाशवाणी से हिन्दुस्तानी तथा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं का कम प्रयोग किया जाना	Decreasing use of Hindustani and other National Languages of AIR	120
1775.	उत्तर प्रदेश के नैनीताल तथा कालागढ़ क्षेत्रों में शरणार्थियों को अलाट की गई भूमि	Land Allotted to Refugees in Nainital and Kalagarh Areas of U.P.	121
1776.	राजस्थान में अधिक उपज वाली फसलों के अन्तर्गत भूमि	Land under High Yielding Crops in Rajasthan	121
1777.	अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष में तीन चार फ़सलें उगाने सम्बन्धी कार्यक्रम	Three or Four Crops a Year Programme for increasing food production	122

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1778.	राजस्थान में आलू की खेती	Potato Cultivation in Rajasthan ..	122
1779.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म के गेहूं की सप्लाई	Supply of Sub-standard Quality of Wheat by FCI	123
1780.	गांवों में डाकघरों के भवनों पर होने वाले खर्च का डाक तथा तार विभाग और पंचायतों द्वारा मिलकर वहन किया जाना।	Sharing of Building Expenditure of Post Office in Rural Areas between P & T Department and Panchayats ..	123
1782.	कृषि सहकारी फारम	Agricultural Co-operative Farms	124
1783.	चौथी पंचवर्षीय योजना में अल्पावधि कृषि ऋण	Short Term Agricultural Credit during Fourth Five Year Plan ..	125
1784.	भूतपूर्व सैनिकों को ट्रैक्टर नियत किये जाने के लिए निर्धारित की गई भूमि की सीमा	Acreage of Land holding as basis for allotment of Tractors to ex-servicemen	126
1785.	उत्तर काशी के बड़े डाकघर में गोलमाल	Bungling in General Post Office of Uttar Pradesh	126
1786.	भारत में सहकारी समितियों का समाप्त किया जाना	Winding up of Cooperative Societies in India	126
1787.	राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा औद्योगिक सम्बन्धों में अनुशासन संहिता का अध्ययन	Study made by National Labour Commission of Code of Discipline in Industrial Relations ..	127
1788.	उद्योगों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें तथा कर्मचारियों का प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेना	Joint Management Councils in Industries and Workers' Participation in Management	127
1789.	बेरोजगार कृषि इंजीनियरी स्नातक	Unemployment Agricultural Engineering Graduates	128
1790.	वन संसाधनों में वृद्धि करने की योजना	Scheme for Increasing Forest Potential	128
1791.	भूमि सुधारों की शीघ्र कार्यान्विति और मैसूर के राजस्व मन्त्री का वक्तव्य	Speedy implementation of Land Reforms *vis-a-vis* statement of Revenue Minister, Mysore	129
1792.	संयुक्त मोर्चा सरकार के शासनकाल में पश्चिमी बंगाल में गैर-सरकारी राज्य के तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में हड़ताल	Strikes in Private, State and Public Sector industries in West Bengal under United Front Government	129

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1793.	इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन से असिसटैन्ट तथा महिला टेलीफोन आपरेटर की सेवा मुक्ति	Dismissal of Assistant and Lady Telephone Operator from Institute of Mass-Communications	130
1794.	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा की बन विकास योजना	Forest development scheme of Tripura under Fourth Plan	130
1795.	त्रिपुरा के वन विभाग के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में जांच	Enquiry into grievances of the employees of Forest Department of Tripura ..	131
1796.	गांवों में कृषि उद्योगों की स्थापना	Setting up of Agro-Industries in Villages	131
1797.	पूर्वी उत्तर प्रदेश में कीड़े लगे गेहूं की फसल वाले किसानों को सहायता	Aid to Farmers of insect infested wheat crop in Eastern U.P.	131
1798.	चुकन्दर की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र	Area under Cultivation of Beet Roots	132
1799.	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के दैनिक पत्रों का प्रकाशन	Publication of Hindi Dailies in Non-Hindi States	132
1800.	वैगन निर्माण उद्योग में छंटनी	Retrenchment in Wagon Building Industry	
14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4078 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण		Correcting statement to USQ 4078 dated 14-3-68	133
तारांकित प्रश्न तथा ध्यान दिलाने के बारे में (प्रश्न)		Re. Starred Question and Calling Attention (Query)	134
6 मार्च, 1970 की बैठक रद्ध किया जाना		Cancellation of Sitting on the 6th March, 1970	134
सभा पटल पर रखे गए पत्र		Papers Laid on the Table..	134
राज्य सभा से संदेश		Message from Rajya Sabha	136
लोक लेखा समिति 87वां तथा 93वां प्रतिवेदन		Public Accounts Committee Eighty-seventh and Ninety-third Reports	136
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण		Personal Explanation by Member	137
(श्री जी० भा० कृपलानी)		(Shri J.B. Kripalani)	137
रेलवे बजट—सामान्य चर्चा		Railway Budget—General Discussion	138
श्री चे० मु० पुनाचा		Shri C.M. Ponacha ..	138
श्री द्वा० ना० तिवारी		Shri D.N. Tiwary	142
श्री लोबो० प्रभु		Shri Lobo Prabhu ..	143

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री अमृत नहाटा	Shri Amrit Nahata	145
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	146
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhury	147
श्री मुरासौली मारन	Shri Murasoli Maran	148
श्री अवधेश चन्द्र सिंह	Shri Awadesh Chandra Singh	151
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	152
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	154
श्री वि०प्र० मण्डल	Shri B.P. Mandal ..	155
श्री विद्याधर वाजपेयी	Shri Vidya Dhar Bajpai ..	156
श्री शिवचरण लाल	Shri Shiv Charan Lal	157
श्री बसवन्त	Shri Baswant	157
कार्य मंत्रणा समिति— 45वां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee— Forty-fifth Report	157
पूर्वी नदियों के बारे में भारत पाकिस्तान वार्ता के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement Regarding Indo-Pak. Talks on Eastern Rivers. ..	157

लोक-सभा

LOK-SABHA

गुरुवार, 5 मार्च 1970/14 फाल्गुन 1891 (शक)

Thursday March 5, 1970/Phalguna, 14, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री सरदार अमजद अली (बसीरहाट-पश्चिम बंगाल)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जनशक्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय जनशक्ति सेवा

*241. **श्री बाल्मीकि चौधरी:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जनशक्ति की स्थिति का निरन्तर अनुमान लगाते रहने और जनशक्ति की मांग तथा पूर्ति में कारगर सामंजस्य स्थापित करते रहने के लिए एक अखिल भारतीय जनशक्ति सेवा बनाने का है, और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में अपेक्षित आंकड़े किस प्रकार एकत्र किये जा रहे हैं और इस बारे में कारगर सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा रहा है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जनशक्ति की मांग तथा पूर्ति सम्बन्धी आंकड़े राष्ट्रीय नियोजन सेवा के द्वारा एकत्र किए जा रहे हैं। नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा सम्बन्धित एजेन्सियों में आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाता है।

Shri Valmiki Choudhary : Keeping in view the growing unemployment I regret to say that the machinery to utilize manpower is not effective. It appears from the growing discontentment among the youth that Government have failed to utilize manpower in right direction. I want to know why a separate service is not being created keeping in view growing unemployment in the country ? I also want to know the steps being taken to utilize manpower in rural areas during the Fourth Five Year Plan ?

श्री डी० संजीवैया: इस मामले पर श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग द्वारा विचार किया गया था और उनके विचार में ऐसा करना संभव नहीं है। मैं उनका विचार उद्धत करता हूं :

"अखिल भारतीय सेवा बनाने में जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं हमें उन पर विचार करना है और नए राजनीतिक ढांचे के संदर्भ में, जिसके भविष्य में जारी रहने की सम्भावना है, इससे अनेक जटिलतायें उत्पन्न हो सकती हैं। सभी बातों पर विचार करने के पश्चात् हम अलग सेवा बनाने के पक्ष में नहीं हैं।"

अत: ऐसी सेवा बनाने का हमारा विचार नहीं है।

खाद्य तेलों का आयात

+

*242. **श्री मयाबन:**
श्री नारायणन:
श्री दडंपाणि:
श्री चेंगलराया नायडू:
श्री सामिनाथन:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष तिलहन की मध्यमान फसल से बेहतर फसल होने के बावजूद भी भारत द्वारा खाद्य तेलों का आयात पहले की अपेक्षा सर्वाधिक किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका से 172,000 मीट्रिक टन सोयाबीन तेल का आयात किया जायेगा जब कि पहले 1967-68 में सभी खाद्य तेलों का 112,000 मीट्रिक टन सर्वाधिक आयात किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि कनाडा तथा रूस से 25,000 मीट्रिक टन तोरिये का बीज प्राप्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो 1970 में खाद्य तेलों के आयात पर कुल कितना धन व्यय किया जायेगा; और

(ङ) देश में सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) वर्ष के दौरान देश में खाने योग्य तेल के उत्पादन तथा प्रत्याशित मांग को ध्यान में रख कर खाने योग्य तेलों के आयात की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) अब तक 1970 में लगभग 52,000 मीटरी टन सोयाबीन के तेल का आयात करने के प्रबन्ध किये गए हैं। अतिरिक्त मात्रा में तेल प्राप्त करने की व्यवहारिकता का पता लगाया जा रहा है।

(ग) कनाडा से 25,000 मीटरी टन तोरिया आयात करने की व्यवस्था की गयी है। 1970 के दौरान सोवियत रूस से लगभग 5,000 मीटरी टन सूरजमुखी का तेल आयात किया गया है।

(घ) 1970 के दौरान अब तक जितनी मात्रा में तेलों के आयात की व्यवस्था की गई है, उसकी अनुमानित लागत, लागत भाड़ा सहित 15.2 करोड़ रुपए है।

(ङ) अब तक विकसित उत्पादन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र आ चुका है और 1969-70 के दौरान कुल 2,065 मीटरी टन सोयाबीन की पैदावार हुई जिसमें से 500 मीटरी टन बीज गुणन के लिए अरक्षित रखा गया है। इस योजना में भाग लेने वाली राज्य सरकारों के परामर्श से बीज गुणन और वाणिज्यिक प्रयोग के लिए 1970-71 हेतु कार्यक्रम तैयार किया गया है।

श्री मयाबन: भारत द्वारा 1968-69 के दौरान 2559 लाख पौण्ड सोयाबीन का तेल अमरीका से आयात किया गया। अमरीका द्वारा निर्यात किये गए सोयाबीन के तेल का यह लगभग 40 प्रतिशत भाग है। क्या हमें इतना अधिक तेल आयात करना चाहिए जबकि यह भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके आयात के लिए हमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: 1969 में 1,12,000 मीटरी टन सोयाबीन का तेल आयात किया गया। देश में खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ रहे थे और उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था अतः तेल का आयात करना पड़ा। जैसा कि सर्वविदित है मूंगफली उगाने वाले कुछ क्षेत्रों में वर्षा न होने, के कारण गत वर्ष मूंगफली की फसल तथा तेल के बीजों की अन्य फसलों के उत्पादन को धक्का लगा था और चूंकि तेल के बीजों और मूंगफली का उत्पादन कम हुआ था अतः देश में खाद्य तिलहनों की उपलब्धता भी कम थी। इस कारण सरकार को आयात द्वारा इस कमी को पूरा करना पड़ा।

श्री मयाबन: क्या सोयाबीन के तेल का आयात पी०एल० 480 योजना के अन्तर्गत किया गया था ? दूसरे, इंण्डियन प्लान्ट इन्ट्रोडक्शन सर्विस के कृत्य क्या हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: अमरीका से सोयाबीन के तेल का आयात पी०एल० 480 करार के अन्तर्गत ही किया गया था। दूसरे प्रश्न के बारे में नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री दण्डपाणि: सोयाबीन को प्रोटीन के नए खाद्य के रूप में विकसित करने हेतु इलीनोस विश्वविद्यालय, अमरीका, जवाहर लाल नेहरू एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था में एक करार पर 1967 में हस्ताक्षर हुए थे। फसल की खेती और भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन में सुधार करने हेतु क्या प्रयास किये गए हैं ? इस फसल की खेती के लिये कौन से क्षेत्र उपयुक्त हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: देश में सोयाबीन की फसल पहली बार बड़े पैमाने पर उगाई गई है और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है, पहले सोयाबीन की फसल हिमालय के क्षेत्र में उगाई जाती थी। अब यह पता लगा है कि हमारे देश के एक बड़े भाग में इसकी खेती की जा सकती है। अतः हम अधिक से अधिक बीज उपलब्ध करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि अधिक भूमि पर सोयाबीन की खेती की जा सके।

श्री दण्डपाणि: मेरे माननीय मित्र श्री मयाबन ने इण्डियन प्लान्ट इन्ट्रोडक्शन सर्विस का उल्लेख किया था। सोयाबीन की खेती के सम्बन्ध में इसके कृत्य क्या हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: इस के लिये मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री सामिनाथन: भारत में कितनी भूमि पर सोयाबीन की खेती की जाती है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: गत वर्ष लगभग 10,000 एकड़ भूमि पर इसकी खेती की गई थी।

श्री रंगा: विदेशों से खाद्य तेलों के इतने बड़े पैमाने पर आयात किये जाने की आवश्यकता से क्या देश में खाद्य तेलों के उत्पादन सम्बन्धी सरकार की नीति तथा योजनाओं की विफलता का पता नहीं लगता ? इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले 3 से 4 वर्षों मे मूंगफली के मूल्यों में कमी हो जाने के बारे में शिकायत न केवल अधिक उत्पादन के कारण थी बल्कि नियंत्रण के बारे में सरकार की गलत नीति के कारण भी थी। देश में तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए और न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए तथा मूंगफली के बीजों के उत्पादकों को जहां कहीं संभव हो सोयाबीन उगाने में सहायता देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता को समझता हूं क्योंकि यह सच है कि तिलहन और मूंगफली का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है जितनी हम आशा करते थे। अतः इस ओर अनुसन्धान संगठनों, विस्तार विभागों और राज्य सरकारों द्वारा निरन्तर ध्यान दिया जाना आवश्यक है और इसीलिए सरकार ने कुछ ठोस कार्यवाही की है। तिलहन की नई तथा अधिक उपज वाली किस्मों के विकास के लिए समन्वित अनुसंधान कार्य आरम्भ किया गया है। फिर, इसके अतिरिक्त हम इस देश में सोयाबीन और सूर्यमुखी जैसे नई प्रकार के तिलहनों को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि सूर्यमुखी इस देश में परम्परागत रूप से उगाया जाता था और शायद नई किस्मों के आने से हमारे देश में समन्वित उत्पादन हो सकता था। जहां तक मूल्य के पहलू का सम्बन्ध है मेरे मंत्रालय की राय थी कि निम्नतम मूल्य निश्चित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए, हम ने इस प्रश्न को कृषि मूल्य आयोग को भेज दिया था। विशेषज्ञ निकाय ने केन्द्रीय सरकार को सलाह दी है कि मूंगफली का निम्नतम मल्य निश्चित करना वांछनीय नहीं होगा।

श्री रंगा: इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: अधिक से अधिक मैं यह कह सकता हूं कि हम इस मामले की पुनः जांच कर सकते हैं। जहां तक विपणन का सम्बन्ध है सट्टे बाजी को समाप्त करना होगा। इस दिशा में सरकार कुछ कार्यवाही कर रही है।

श्री अमृत नाहाटा: मन्त्री महोदय ने बताया है कि मूंगफली पैदा करने वाले कुछ क्षेत्रों में वर्षा न होने के कारण फसल अपेक्षाकृत कम हुई थी। फिर भी क्या कारण है कि फसल की कटाई के समय किसानों के अहित में मूल्य बहुत गिर गये थे ? क्या कारण है कि खाद्य तेलों के भारी आयात के बावजूद भी खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं। वनस्पति तेलों के मूल्य में कमी लाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इसमें सट्टेबाजी का बड़ा भाग होता है। अतः सरकार कुछ ठोस कार्यवाही करने पर विचार कर रही है। सरकार इस पहलू पर निरन्तर रूप से ध्यान दे रही है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या रक्षित भंडार बनाया जाना चाहिए ताकि कीमतों को स्थिर रखा जा सके। जहां तक तिलहन के आयात का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से सरकार कई उपाय कर रही है। जहां तक वनस्पति के मूल्यों का सम्बन्ध है, हमने मामले की जांच की है और हमने इसे प्रशुल्क आयोग को भेज दिया है। किन्तु चूंकि सरकार के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है, इसलिए यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इस समय मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता।

श्री मनुभाई पटेल: यह आश्चर्य की बात है कि हम खाद्य तेलों और तिलहनों का आयात कर रहे हैं। गत वर्ष हमने 300 टन मूंगफली के तेल का निर्यात किया था। इस वर्ष कुल कितनी मात्रा है।

हमने निर्यात किया है अथवा नहीं ? क्या इसका कोई निर्यात किया गया है ? जहां तक सोयाबीन के आयात का सम्बन्ध है, क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अफ्रीकी देश, विशेष रूप से उगांडा ने सस्ती दरों पर और अच्छी शर्तों पर सोयाबीन सप्लाई करने की पेशकश की है ? अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम उगांडा से सोयाबीन आयात कर रहे हैं और भारत से हम कितना तेल निर्यात कर रहे हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: भारत सरकार की नीति खाद्य तेलों के बीजों को निर्यात करने की नहीं है । केवल कुछ नमूनों का ही निर्यात किया गया है । सरकार की सामान्य नीति यह है कि जब तक देश में कमी रहती है हमें खाद्य तेलों का निर्यात नहीं करना चाहिए । जहां तक सोयाबीन के आयात का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं ने बताया, हम अमरीका, कनाडा और रूस से विभिन्न तेलों के आयात की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं । किन्तु इनमें से बहुत सारी चीजें ऋण करारों आदि के अन्तर्गत हैं । जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है यह पी० एल० 480 के अन्तर्गत है । जहां तक कनाडा का सम्बन्ध है यह दीर्घकालीन ऋण करार के अन्तर्गत है । माननीय सदस्य विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों से अवगत हैं और यदि हमें दुर्लभ विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, तो स्वभावत: सरकार को देखना होगा कि क्या किसी देश विशेष से आयात करना वांछनीय होगा अथवा नहीं । जहां तक उगांडा की पेशकश का सम्बन्ध है, हम इसकी जांच करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister just now stated that rise in the price of edible oils is partly attributable to the forward trading in this commodity. May I know the steps taken by the Government to check this practice during the last six years? Secondly, what measures have been taken to boost the production of edible oilseeds and what price incentives have been given to the cultivators ? Are Government in a position to give an assurance that unless requirements are met, export will not be permitted ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: अन्य माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैं पहले ही इन सब प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति: रूस तथा अन्य देशों से सोयाबीन और सूर्यमुखी के तेल का बड़ी मात्रा में आयात किये जाने के कारण इस देश में तिलहन का उत्पादन कम हो गया है और केवल इतना ही नहीं किसानों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन भी कम हो गया है । हाल ही में कनाडा सरकार ने किसानों को, उत्पादन बनाये रखने के लिए मूल्यों को गिरने से रोकने के लिए 75 करोड़ रुपए की सहायता दी थी । जब तक अन्य देशों से सोयाबीन और सूर्यमुखी के तेल का आयात बन्द नहीं किया जाता तिलहन का उत्पादन बढ़ नहीं सकेगा । क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: जहां तक आयात को तुरन्त बन्द करने का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि ऐसा करना वांछनीय होगा क्योंकि हमारे देश में तेल की कीमतों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा । जहां तक किसानों के हितों के संरक्षण का सम्बन्ध है मैं श्री रंगा के प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि सरकार इस प्रश्न की पुन: जांच करेगी ।

Shri Shri Gopal Saboo : May I know whether in view of the rising prices of the vanaspati ghee, Government propose to import Soyabean under P.L. 480 from U.S.A. and if no agreement has so far been concluded, the time by which it will be concluded and the quantity of soyabean proposed to be imported ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: तुरन्त आयात कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैं आंकड़े पहले ही दे चुका हूं ।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether our imports of edible oils especially from America have been mounting progressively over the years, if so, the defects if any in over agricultural programmes relating to essential commodities and the steps taken to remove those defects ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: पिछले कुछ वर्षों के आयात के आंकड़े इस प्रकार हैं:--

1965	58,000 मीटरी टन
1966	31,000 ,,
1967	87,000 ,,
1968	68,000 ,,

1969 के आंकड़े मैं पहले ही दे चुका हूं। 1970 में अब तक 52,000 मीटरी टन का आयात किया जा चुका है। देश में तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। स्थिति के बारे में मैं पहले बता चुका हूं।

श्री क० लकप्पा: यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे देश में तिलहन का आयात काफी समय से किया जा रहा है और इससे हमारे देश का सम्मान घटा है। हाल ही में मुझे बैंगकाक में काम करने वाले "ईकेफ" के लोगों से मिलने और वहां एक सभा में बोलने का अवसर मिला था और वहां के अनुसन्धान विभाग से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई थी।

अध्यक्ष महोदय: उन बैठकों का इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री क० लकप्पा: एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग का एक अनुसंधान विभाग है। मैसूर के एक सदस्य ने जिसका उक्त संगठन से सम्बन्ध है और जो सब अविकसित देशों में तिलहन के विकास की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं, मुझे बताया था कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में तिलहन के उत्पादन में विकास करने की अधिक गुंजायश है। अनुसंधान शाखा ने भारत सरकार को उक्त स्थिति से अवगत करा दिया है लेकिन इस में भारत सरकार की उचित प्रतिक्रिया नहीं हुई है और यहां तक कि योजना आयोग की भी इस सम्बन्ध में अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार अनुसंधान शाखा की सलाह से देश में तिलहन के उत्पादन के विकास की सम्भावनाओं का पता लगायेगी। और तदनुसार योजना आयोग को इसकी सूचना देगी।?'

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: देश में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के बारे में दिये गए रचनात्मक सुझावों का हम स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया इस बारे में कार्यवाही की जा रही है और सरकार इस मामले में सभी के सहयोग का आदर करेगी। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि मेरा मंत्रालय वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से तिलहन के अनुसंधान और उत्पादन के लिए अधिक धनराशि प्राप्त करेगी।

Shri Tulshidas Jadhav : The price of edible oil has increased by 5 to 6 rupees. People are prepared to produce ground-nuts. But people will take to produce more, only if the prices of ground-nut and cotton are fixed according to the assurance given by the Hon. Minister in Congress Session held at Bombay. I want to know when the hon. Minister is going to fix the price so that more oil may be produced in the country and the common man may be able to get it ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: श्री रंगा के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने बताया था कि हम इस प्रश्न पर पुन: विचार करेंगे।

श्री तुलशीदास जाधव : न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में क्या हुआ ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: कृषि मूल्य आयोग ने हमें न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के विरुद्ध सलाह दी है लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने उन्हें इस मामले पर और विचार करने के लिये कहा है।

Shri Maharaj Singh Bharti : I want to know whether it is a fact that the cultivation of Soyabean in other countries is done because oil cake contains five percent more protein as compared to wheat and it gives oil in the form of by-products. If it is so, I want to know why the guarantee for purchasing soyabean is not being given by Food Corporation and why the Government is not establishing factories for manufacturing protein ? Cultivating of Soyabean is not profitable for the farmers. You have not given any reply in this matter.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: भारत सरकार देश में सोयाबीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के महत्त्व को भलीभांति जानती है, हाल ही में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की प्रेरणा तथा मेरे मन्त्रालय के सहयोग से सोयाबीन पर आधारित उद्योगों के प्रक्रमिक विकास पर एक विचार-गोष्ठी का आयोजन हुआ, हमें मालूम है कि सोयाबीन तेल में प्रोटीन गेहूं की तुलना में कहीं अधिक होता है, यह पांच गुना नहीं है लेकिन गेहूं की तुलना में यह तीनगुना अधिक है।

Shri Maharaj Singh Bharti : Please tell me something about the guarantee. In case guarantee is not given no body will produce Soyabean.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: हम देश में सोयाबीन को लोकप्रिय बनाने और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ठोस कार्यवाही कर रहे हैं और हमें आशा है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी।

Shri Meetha Lal Meena : The Hon. Minister has stated that we do not import edible oils. But we export Sindhana in large quantity every year. I want to know the quantity of 'Sindhana' being imported every year ? Levy on oil seeds has been imposed more as compared to other crops in Rajasthan. I want to know whether Government have given instructions to the State Government to impose equal levy on other Crops also.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत सरकार खाने का तेल या मूंगफली का निर्यात नहीं कर रही है। मुझे उस विशेष वस्तु के निर्यात के प्रश्न के बारे में नोटिस की आवश्यकता है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

किसानों को तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने के बारे में मैं स्थिति को विस्तार से स्पष्ट कर चुका हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या यह सच है कि सरकार सोयाबीन के आयात को रोकने के लिए इसलिए हिचकिचाती है कि वह पी०एल० 480 के अन्तर्गत इस मामले में बंधी हुई है और वह देश के किसानों और सामान्य लोगों के हित को छोड़ उद्योगपतियों का हित करना चाहती है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: मैं यह उल्लेख कर चुका हूं कि सोयाबीन का आयात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश में खाने के तेल की कुछ कमी है। तेल की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है।

पहले प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका आयात पी०एल० 480 के अन्तर्गत किया जा रहा है। हम इसका आयात न केवल अमरीका से कर रहे हैं बल्कि कनाडा और रूस से भी कर रहे हैं। ऐसे देशों की संख्या बहुत नहीं है जो फालतू खाने के तेल का निर्यात करने में समर्थ हैं।

उर्वरकों की बिक्री में कमी

*243. **श्रीमती शारदा मुखर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम से उर्वरकों की बिक्री बहुत कम हो रही है और उसके पास उर्वरकों के स्टाक जमा होते जा रहे हैं ?

(ख) कम बिक्री होने के क्या कारण हैं? और

(ग) जमा हुए स्टाक का निबटारा करने तथा पहले किये गए समझौते के अनुसार भविष्य में इनके आयात के बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ग). राज्य व्यापार निगम (अब भारतीय खनिज तथा धात व्यापार निगम) कृषि मंत्रालय की ओर से रुपये में भुगतान वाले देशों जैसे, रूस, पोलैण्ड, पूर्वी जर्मनी तथा अन्य देशों से उर्वरकों का आयात करता है। जहां तक नाइट्रोजीनी उर्वरकों का सम्बन्ध है, वे केवल क्रय अभिकर्ताओं के रूप में काम करते हैं और ये राज्यों में वितरण के लिए केन्द्रीय उर्वरक 'पूल' को दे दिए जाते हैं। जहां तक पोटाश वाले उर्वरकों का सम्बन्ध है, वे उनका केवल क्रय ही नहीं करते अपितु अपने अभिकर्ताओं भारतीय पोटाश संभरण अभिकरण के माध्यम से उनका वितरण भी करते हैं। राज्य व्यापार निगम से खरीदे गए पोटाश म्यूरिएट की मात्रा अप्रैल 1968 से जनवरी 1969 की अवधि में 1.49 लाख मीटरी टन से बढ़ कर 1969-70 की इसी अवधि में 1.67 लाख मीटरी टन हो गई है हालांकि 1969-70 में इससे अधिक मात्रा के क्रय का अनुमान लगाया गया था, यह सच नहीं है कि भण्डार बढ़ता जा रहा है। भण्डार वास्तव में कम होता जा रहा है।

कम खरीदारी का मुख्य कारण सिफारिश की गई मात्रा में पोटाश के प्रयोग के प्रति किसानों की रुचि का न होना है, क्योंकि इसके प्रयोग से तुरन्त परिणाम नहीं निकलते केवल अनाज की किस्म में सुधार होता है और उस पर रोगों का आसानी से प्रभाव नहीं पड़ सकता है। चूंकि किसानों को इसकी उपयोगिता के बारे में संतुष्ट करने के लिए अधिक प्रयत्नों की जरूरत है, इसलिए संवर्द्धक उपायों में राज्य व्यापार निगम का विनियोजन 1969-70 में बढ़ा दिया गया है। कम खरीदारी का एक अन्य कारण यह भी है कि राज्य व्यापार निगम तथा केन्द्रीय उर्वरक 'पूल' द्वारा बेचे गए पोटाश युक्त उर्वरकों के दाम भिन्न भिन्न रहे हैं। पोटाश संभरण के इन दोनों स्रोतों का एकीकरण करके तथा सारे, देश के लिए समान मूल्य निर्धारित करके इस अन्तर को अब समाप्त कर दिया गया है।

राज्य व्यापार निगम के पास 31 जनवरी 1970 को 4.54 करोड़ रुपए के मूल्य का 1.28 लाख मीटरी टन पोटाश म्यूरिएट था। इस समय, सभी किस्मों के उर्वरकों की आवश्यकता का राज्यों तथा निर्माताओं से पता लगाया जा रहा है। फिर भी 1970-71 के लिए पोटाश की आवश्यकता अस्थायी रूप से 4,80,000 मीटरी टन पोटाश म्यूरिएट आंकी गई है। इसमें से लगभग आधा 1970 की खरीफ में काम में आ जायेगा। खरीफ की आवश्यकता का $\frac{2}{3}$ भाग, अर्थात् 1,60,000 मीटरी टन, 1 अप्रैल 1970 तक स्टाक में होना चाहिए। इसे दृष्टि में रखते हुए राज्य व्यापार निगम के पास जो भण्डार है उसे अधिक नहीं समझा जा सकता।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि राज्य सरकारों को वितरण के लिए नाइट्रोजनीय उर्वरक दिये गए हैं। मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि उर्वरकों का वितरण राजनीतिक आखाड़ा बन गया है क्योंकि यदि सरकार उर्वरकों और बीजों के उधार

देने पर नियंत्रण रखती है तो समस्त ग्रामीण क्षेत्र पर नियंत्रण किया जा सकता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसान अपमिश्रित उर्वरकों या उर्वरकों सम्बन्धी अन्य सेवाओं के प्राप्त न होने के कारण भारी कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं क्या मंत्री महोदय इस बारे में जांच करेंगे और राजनीतिक हितों से अलग प्रोत्साहन देने की कार्यवाही करेंगे ? जहां कहीं भी अपमिश्रित उर्वरकों का वितरण या बिक्री काले बाजार में की जाती है राज्य व्यापार निगम और केन्द्रीय सरकार अपने सिर दोष नहीं लेती और कहती है कि ऐसा वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। मंत्री महोदय का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इस सम्बन्ध में किसानों को कोई कठिनाई न हो ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: मैं माननीय सदस्य का आदर करता हूं। लेकिन उनका अवलोकन ठीक नहीं है क्योंकि देश में उर्वरक इतनी आसानी से उपलब्ध हैं कि इन्हें कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, वास्तव में सहकारी समितियों से तथा अन्य संस्थाओं से स्टाक के जमा होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हाल ही में माल की बिक्री निस्संदेह अच्छी हुई है।

श्री रंगा: उत्पादन शुल्क के बारे में कमी हुआ ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: भारत सरकार और विशेषकर मेरे मंत्रालय ने उर्वरकों पर लगे प्रतिबन्धों को उठाकर उनके वितरण के बारें में ठोस कार्यवाही की है। अब कोई भी व्यक्ति उर्वरकों का व्यापार कर सकता है। उसे इस बारे में केवल राज्य सरकार के पास पंजीकरण करवाना पड़ता है। ऐसा प्रतिबन्ध उर्वरकों में अपमिश्रण को रोकने के लिये किया गया है. जैसा कि श्री रंगा ने उल्लेख किया है।

इसके प्राप्त न होने के बारे में हमें देश के किसी भी भाग से एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा कहना गलत होगा कि.....

श्रीमती शारदा मुकर्जी: अनुपलब्धता नहीं है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: ऐसा कहना गलत है कि उर्वरकों के वितरण के मामले में राजनीति का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध हैं और सरकार का ऐसा कोई विचार भी नहीं है। उर्वरकों के वितरण के लिए न केवल सरकारी एजेंसी है बल्कि गैर सरकारी व्यापारी और सहकारी समितियों को भी इसके वितरण की अनुमति दी गई है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी: यहां प्रश्न न मिलने का नहीं है वरन् समस्या यह है कि लोग उर्वरक को पर्याप्त मात्रा में ले नहीं रहे हैं और इसका कारण है, पहले तो आपके यहां उधार उर्वरक देने की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरे उर्वरक ठीक प्रकार का होना चाहिए, तीसरे किसान को उर्वरक मिट्टी की जांच आदि करने के बाद दिया जाना चाहिए। इन सब बातों की व्यवस्था नहीं है। वास्तविकता यह है कि उर्वरक बेचने वाले राजनीतिज्ञों के अहसानमन्द हैं। इसी कारण मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस प्रक्रिया को बदला जायेगा जिससे कि इस प्रक्रिया का आधार राजनीति न हो कर व्यापार और तकनीकी हो। यदि आप शासक वर्ग की ओर हैं तो आप को उर्वरक के वितरण समेत अन्य सब सेवाएं उपलब्ध होंगी।

श्री वासुदेवन नायर: यह उनका अपना अनुभव है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी: जी हां, मेरी अपनी खेती है। मैं इस बात को जानती हूं क्योंकि मेरे अपने जिले रत्नगिरी में हम लोगों को सही किस्म का उर्वरक नहीं मिलता है। क्या आप मंत्री महोदय से मुझे यह बताने के लिए कहेंगे कि क्या वे वितरण की इस सारी प्रक्रिया की और उर्वरक के उपयोग की जांच करेंगे जिससे कि किसानों को फायदा हो। भारतीय उर्वरक निगम के अध्यक्ष.....

अध्यक्ष महोदय: कृपया बाकायदा भाषण न दीजिए।

श्रीमती शारदा मुकर्जी: पर वे सही उत्तर देने से क्यों कतराते हैं ? इस विवरण में उन्होंने बताया है कि राज्य व्यापार निगम के पास बहुत अधिक स्टाक नहीं है जबकि भारतीय उर्वरक निगम के अध्यक्ष का कहना है कि स्टाक इक्ट्ठा होता जा रहा है। कौन सी बात सही है ? मैं जानना चाहती हूं कि सही उत्तर क्या है, और लोग अधिक मात्रा में उर्वरक क्यों नहीं ले जा रहे हैं। दूसरे, स्टाक के बढ़ते चले जाने को देखते हुए क्या आप उस प्रक्रिया को बदलेंगे जिसके अनुसार आप वह उर्वरक किसानों को देते चले जा रहें जिसे किसान इस्तेमाल नहीं करना चाहते अथवा जिसे वे इस्तेमाल नहीं कर सकते? मेरा कहना है कि यह राजनीतिक प्रश्न बन गया है और किसानों का प्रश्न नहीं रह गया है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): माननीय सदस्य की सूचना पुरानी हो चुकी है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी: यह सूचना पिछले मास ही दी गई थी।

श्री जगजीवन राम: यह आशंका तब तक हो सकती थी जब तक कि उर्वरकों के वितरण का एकाधिकार सहकारी समितियों का था, पर मैंने कहा है कि उनकी सूचना पुरानी है क्योंकि हमने अभी-अभी यह आदेश निकाले हैं कि उर्वरक उत्पादक अपने क्षेत्रों में अपने एजेन्ट नियुक्त कर सकते हैं। पहले वे ऐसा नहीं कर सकते थे, और अब लाइसेंस लेना भी आवश्यक नहीं है, उन्हें केवल राज्य व्यापार निगम में पंजीकरण कराना होगा और उसके बाद उर्वरक कारखाने अपने-अपने क्षेत्रों में संवर्धन कार्य करने के लिए स्वतन्त्र हैं—वास्तविकता तो यह है कि मैंने उन्हें स्वतन्त्र होने के लिए बाध्य किया। अतः इसमें राजनीति के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि उर्वरक वितरण का एकाधिकार सहकारी समितियों का ही होता तो ऐसा हो सकता था। अब सारी एजेन्सियां उर्वरकों का वितरण कर रही हैं।

पिछले साल जब मानसून देर से आई तो उर्वरकों को उठाने में थोड़ी ढिलाई रही तथा मेरे माननीय मित्र श्री रंगा यह जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश या मद्रास अथवा मैसूर में भी जहां अपर्याप्त वर्षा हुई थी किसान खेतों में डालने के लिए उर्वरक नहीं ले जा सके थे। इस साल सर्दियों में हुई वर्षा के बाद किसानों ने पर्याप्त मात्रा में उर्वरक लिए हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने अभी-अभी बताया कि पिछले साल किसानों ने कम उर्वरक लिया, क्या सरकार अधिक उर्वरकों के आयात के ठेके करने से पहले उर्वरकों की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रख रही है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि 1970-71 में कितने उर्वरकों की आवश्यकता है तथा वे विभिन्न देशों से कितना उर्वरक आयात करने वाले हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है माननीय मन्त्री ने इसका हवाला पहले ही दे दिया है कि पिछले साल किसानों ने वर्षा की कमी के कारण कुछ कम उर्वरक लिया परन्तु फिर भी उसमें उससे पहले साल की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस साल सर्दियों में पर्याप्त वर्षा होने के कारण किसानों ने काफी मात्रा में उर्वरक लिये हैं और अकेले इस साल में नाइट्रोजन की खपत में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है पी०टी०ओ० 5 की 13 प्रतिशत और पी०टी०ओ० की 16 प्रतिशत की वद्धि हुई है। इस प्रकार चालू साल में उर्वरकों की खपत में वृद्धि हुई है। हम चाहते थे कि खपत और अधिक होती। पर यह कहना सही नहीं है कि इस साल पिछले साल की तुलना में उर्वरकों की खपत में सन्तोषजनक वृद्धि नहीं हुई है।

अपना कार्यक्रम बनाने से पहले सरकार स्टाक की उपलब्धता को ध्यान में रखती है तथा इसी कारण पिछले साल कम से कम कार्यक्रम बनाया गया था तथा आयात में काफी कटौती कर दी गई थी। अगले साल 19 लाख टन नाइट्रोजन की खपत का अन्दाज है।

श्री रंगा: क्या सरकार को इस बात का पता है कि उर्वरकों में मिलावट दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, जिसमें बड़े-बड़े उत्पादक भी शामिल हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में छानबीन करेगी ?

क्या सरकार ने इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि उत्पादन शुल्क के बढ़ने से पिछले साल उर्वरकों की कीमतों में किस सीमा तक वृद्धि हुई है और जिसके परिणाम स्वरुप पिछले साल किसानों की उर्वरकों की मांग कम हो गई।

श्री जगजीवन राम: किसी भी वस्तु की में मिलावट के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि किसी वस्तु की कमी होने पर बहुत से गलत तरीकों के अपनाये जाने की सम्भावना रहती है।

श्री रंगा: फिर भी चाक और चूना मिलाया जाता है--यह आप अपने सहयोगी से पूछ सकते हैं।

श्री जगजीवन राम: जब भी किसी वस्तु की कमी होती है गलत तरीके अपनाये जाने और मिलावट की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। जब उर्वरक की स्थिति ठीक हो जायेगी तब मैं समझता हूं गलत तरीके अपनाये जाने की सम्भावना नहीं रहेगी। इस सबके बावजूद यदि माननीय सदस्य मेरी जानकारी में कोई मामले लायेंगे उनके सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की जायेगी। मैं उर्वरकों में मिलावट करने को एक दाण्डिक अपराध मानता हूं। जहां तक किसानों द्वारा उर्वरकों का लिया जाना है मैं माननीय सदस्य के मन में जो बात इसके सम्बन्ध में है उसे निकाल देना चाहता हूं। पिछले साल वह लक्ष्य के अनुसार नहीं था पर इसका यह अर्थ नहीं वह पहले साल की तुलना में गिर गया है। जैसी कि हमें आशा थी उसमें उसके अनुरूप बढ़ोत्तरी नहीं हुई। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं और वही एक इसका कारण था।

श्री रंगा: उत्पादन शुल्क ?

श्री जगजीवन राम: यह कारण नहीं था।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, just now the hon. Minister has stated that the offtake of fertilizers was not according to target. One of the main reasons for that is that only big farmers use fertilizers, not more than 25 per cent farmers use it and the small farmers do not at all use it, with the result that monopoly is coming up in agriculture also. In this country I want that small farmers should also use fertilizers fully so that socialism, as you claim, may spread upto the lowest level. 90 percent farmers are able to take only 10 percent benefit out of the total expenditure incurred by the Central Government in the agricultural sector. Ten percent farmers enjoy the benefit of the remaining 90 percent expenditure. I want to know whether Government have any such scheme before them by which the small farmers could also have the benefit of using fertilizer ? If the Government have any such scheme before them, how much will be the benefit and whether the Government is going to reduce the excise duty, which was increased by Morarjibhai, so that demand of fertilizer may increase ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की इस चिन्ता को समझता हूं कि छोटे किसानों को भी उर्वरकों तथा अन्य संसाधनों को लाभ पहुंचे। सरकार की यह कोशिश कि किसानों को ऋण और उर्वरक समय पर मिले तथा वितरण आदि का उचित प्रबन्ध हो। यदि यह सब व्यवस्था भली प्रकार हो जाती है तो आशा है छोटे किसान काफी संख्या में इससे लाभ उठा सकेंगे।

ऋण देने वाली संस्थाओं और कारखानों के सामने सभी छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने में कुछ कठिनाइयां हैं।

जहां तक भारत सरकार की नीति सम्बन्धी निर्णय का सम्बन्ध है हमने ऋण की उपलब्धि का सम्बन्ध फसल के साथ रखा है प्रतिभूति के साथ नहीं। इसलिए छोटे किसान भी इससे लाभ उठा

सकते हैं। वर्तमान वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमने कई ठोस उपाय किये हैं। अतः सभी स्थानों पर विशेषकर नगरीय क्षेत्रों से दूरस्थ क्षेत्रों में उर्वरकों के भण्डार जमा हैं और वे सुगमता के साथ उपलब्ध हो सकते हैं। इनमें से कुछ उपाय छोटे किसानों के हित में किये जा रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : I had asked whether Government had formulated any scheme ? These measures are old ones and as they have proved ineffective whether Government have formulated any scheme, if so, the details thereof ?

श्री जगजीवन राम : मैं माननीय सदस्य का ध्यान बजट के उपबन्धों और वित्त मन्त्री के बजट सम्बन्धी भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों का उल्लेख किया गया है और उस योजना का भी उल्लेख है जो सरकार ने बनाई है। अगर वह उसको पढ़ लें तो उन्हें पता चल जायेगा कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I had asked for reduction in duty. I seek your protection.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि प्रश्न काल भी वाद-विवाद का रूप ले लेता है मैं प्रश्न करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : I wanted to know about the duty imposed on fertilizers last year. It is upto you to get an answer from the hon'ble Minister.

श्री विश्वनाथ राय: क्या सरकार का विचार उत्पादकों को उर्वरक बांटने का काम कृषि उद्योग निगम और जिला कृषि विभागों को सौंपने का है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वर्तमान नीति के अनुसार भी कृषि उद्योग निगम अथवा जिला कृषि विभागों द्वारा उर्वरकों के वितरण का काम किये जाने पर कोई रोक नहीं है।

श्री प० गोपालन : वर्ष 1969-70 में योजना से कम उर्वरक खरीदने के बारे में विवरण में उल्लेख करते हुए सरकार ने उर्वरकों की खपत में कमी के बारे में निराधार कारण बताने की कोशिश की है जैसा कि उन्होंने कहा है कि सिफारिश की गई मात्रा के अनुसार किसान पोटाशियम मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। इसका एक दूसरा कारण यह बताया गया है कि राज्य व्यापार निगम और सेंट्रल फर्टीलाइज़र पूल द्वारा जमा किये गए पोटासिक उर्वरक के मूल्य अलग अलग हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि खेती सम्बन्धी नई नीति के अनुसार उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुबद्ध उर्वरकों की खपत में 30 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के स्थान पर योजना के पहले वर्ष में वास्तव में उपर्युक्त वृद्धि 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई है ? उर्वरकों की खपत में अत्यधिक कमी के कारण मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि उर्वरकों की खपत में कमी का कारण उन छोटे किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध न होना है जो ये उर्वरक खरीदने और प्रयोग करने में असमर्थ हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के पहले भाग में उस विवरण का उल्लेख किया है जो सभा-पटल पर रखा गया है। परन्तु यदि माननीय सदस्य प्रश्न के भाग (ग) को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि उसका सम्बन्ध केवल राज्य व्यापार निगम के पास जमा भण्डार के साथ है राज्य व्यापार निगम केवल पोटाश का वितरण करता है और मेरे विवरण में पोटाश का ही उल्लेख है और इसमें नाइट्रोजनस तथा अन्य फ़ासफ़ेटिक उर्वरकों का उल्लेख नहीं है क्योंकि यह प्रश्न राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध भण्डार के बारे में है। जहां तक अन्य उर्वरकों की खपत का सम्बन्ध है, एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Is it a fact that the production of seeds of high yielding varieties is declining and whether the reason of less production is that the farmers are not utilising the fertilisers to the extent they should utilise them and if so, the steps proposed to be taken in the matter ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उपज की कमी का प्रश्न अलग है। तथ्य यह है कि उपज में कोई कमी नहीं है। यह विचार ठीक नहीं है।

Shri M. A. Khan : May I know from the hon'ble Minister whether he is contemplating to reduce the excise duty imposed on fertilisers last year, so that small cultivators may also utilise them ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ऋण सम्बन्धी नीति आदि के बारे में हमने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है।

Shri Ishaq Sambhali : Is it a fact that the reason for less consumption of fertilizers is that the prices of fertilisers were increased in the open market, and fertilisers were not available according to requirements ? Whether it is also a fact that Government have received complaints to the effect that fertilisers have not been made available to the farmers especially to small cultivators? I would also like to know the efforts being made to see that the farmers are not charged higher prices for fertilisers in the open market ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमें कोई शिकायत नहीं मिली है परन्तु यदि माननीय सदस्य मुझे कोई विशेष घटना बतायें तो मैं उसकी जांच कर सकता हूं। जहां तक उपलब्धता का सम्बन्ध है हमने सभी राज्य सरकारों को लिखा है कि उनको उर्वरकों की जितनी आवश्यकता है, हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, यद्यपि इसके साथ एक तथ्य यह है कि गैर सरकारी अभिकरण भी उर्वरकों का वितरण करते हैं। हमें मल्यों में वृद्धि के बारे में भी कोई शिकायत नहीं मिली है। समस्त देश में आसानी से उर्वरक उपलब्ध होने के कारण सरकार द्वारा मोटे रूप से निश्चित किये गए दामों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकते हैं।

Shri Ishaq Sambhali : Thanks. I shall furnish necessary information.

गेहूं की औसत उपज में कमी

*245 **श्री सीताराम केसरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पहले वर्षों की तुलना में 1968-69 में गेहूं की औसत उपज कम हुई थी?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) गेहूं तथा अन्य कृषि जन्य वस्तुओं की अधिक उपज वाली किस्मों में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) अनुसंधान और नव विकसित गेहूं के बीजों के उपयोग के अतिरिक्त सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(1) सामयिक कार्य कलापों और विशेषकर उर्वरकों तथा सिंचाई के अनुकूलत्तम उपयोग पर अधिक बल देना। (2) कृषकों के खेतों में प्रभावी और उपयोगी प्रदर्शनों की व्यवस्था करना (3) राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रमों के साथ ही साथ कृषक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

Shri Sitaram Kesri : The production of wheat in the package areas is according to our expectations but in other areas average yield of wheat has been low, keeping in view the production of wheat in 1968-69. In view of this I want to know whether Government provide same facilities to other areas which are given to package areas and if not, whether Government have formulated any scheme to provide those facilities to other areas so that yield in other areas may also be equal to that of package areas ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अनुसंधान संस्था (सांख्यिकी) ने भी इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया था और पता चला था कि मुख्यत: मौसमी कारणों से शीत ऋतु में नमी की कमी और शीतऋतु में वर्षा न होने के कारण उत्पादन कम हुआ है। परन्तु देश के लगभग सभी राज्यों में जहां पानी उपलब्ध था उत्पादन में वृद्धि हुई है।

Shri Sitaram Kesri : I want to know whether Programme Evaluation Organisation of Planning Commission has invited the attention of hon'ble Minister to their report in which they have mentioned the causes of low production ? Whether the causes of low production is failure of rains or the crop having been eaten away by pests. ? I also want to know whether any scheme has been formulated to see that production does not fall ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जिस संगठन का मैंने पहले उल्लेख किया है उसने निश्चय ही कुछ ठोस उपाय बताये थे। उदाहरणार्थ, जहां तक अधिक उपज वाली किस्मों का सम्बन्ध है नाइट्रोजीनस फ़ोसफ़ेटिक और पोटाशियम उर्वरकों की तरह के पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। यदि पौधों को पूरा आहार न दिया जाये और यदि पोषक तत्व पर्याप्त न हों तो फिर रोग और कृमि अधिक होते हैं।

अत: उन्होंने सुझाव दिया है कि सिंचाई के अतिरिक्त कई प्रकार की मिट्टी में उर्वरक और अणुपोष की पर्याप्त उपलब्धता की आवश्यकता है।

श्री लोबो प्रभु : उपजाऊपन में कमी नमी में कमी के कारण होती है। इसको रोकने का एक उपाय खेतों में समोच्य कृषि करना है। मैं इस बारे में माननीय मंत्री से विशेष उत्तर चाहता हूं कि क्या वे छोटे कृषकों को, जिनकी दो एकड़ से कम भूमि है, समोच्य कृषि के लिए राजसहायता देने के लिए तैयार हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस सम्बन्ध में देश के सामने बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। माननीय सदस्य के राज्य में भी उक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है।

श्री लोबो प्रभु : क्या वह उक्त कार्यक्रम के लिए राज सहायता देने के लिए तैयार हैं ? इस बारे में 'हां' या 'ना' में उत्तर दें।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : भूमि के कटाव के लिए, चाहे किसी किसान के पास अधिक भूमि हो अथवा कम, कुछ राज सहायता दी जाती है। मैं इस बारे में पड़ताल करूंगा।

श्री लोबो प्रभु : बड़ी और छोटी जोतों के लिये कोई राजसहायता नहीं दी गई है।

श्री जगजीवन राम : मैं बता चुका हूं कि छोटी जोतों के लिए भी राजसहायता दी जाती है।

Shri Balraj Madhok : In view of the reply given to Shri Virendra Kumar Shah's Question, want to know whether it is not a fact that the way in which the distribution of fertilizers is being done and the way it is being used without testing the proper soil and without making the proper arrangements for water, the soil is being spoiled and the production of wheat will decline in the coming two or three years ? U.S.A. have the same experience like ours. I want to know whether he would give the same attention to the use of fertilizers, soil testing and the arrangement of water as in the case of production of fertilizer ? If the Government will not pay any attention to it, its production is bound to fall. I want to know what action Government will take to avoid wastage of land for want of fertilizers ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार की भी यही राय है। हम भूमि परीक्षण कार्यक्रम और बड़ी, माध्यमिक, और छोटी सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने को पर्याप्त महत्त्व दे रहे हैं। लेकिन मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि विशेषकर भारत में अधिक उपज वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम से और बहुफसली खेती से भूमि की उपज कम हो जाती है उर्वरकों के अतिरिक्त अणुपोषों जैसे जस्ते, सुहागे, और लोहे की कमी हो जाती है। अत : हमने राज्य सरकार से इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। हमारे देश में अणुपोष उपलब्ध हैं और हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे किसानों को इन अणपोषों को उपलब्ध करायें ताकि भूमि में किन्हीं तत्वों की कमी न हो और भूमि खराब न हो।

Shri Randhir Singh : Besides better inputs and the purchase of wheat on reasonable basis, the increase in the production of wheat depends upon remunerative price or returns also. Perhaps the hon. Minister will not agree regarding subsidy to give incentive. But I wish that the production may increase and the wheat of good quality may be available at appropriate rates and the farmers may get concession in the matter of electricity and water. The return on wheat may be according to investment. I want to know whether he will consider this factor also, so that the farmers may get incentive and the country may flourish ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: माननीय सदस्य को यह विदित है कि गेहूं के मूल्यों और अधिक प्राप्ति के बारे में भारत सरकार और विशेषकर मेरे मंत्रालय की ठोस नीति के परिणाम स्वरूप किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिला है।

श्री जगजीवन राम : हमने गेहूं का मूल्य काफी ऊंचा निर्धारित किया है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होने का एक कारण यह भी है। हमने किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया है।

Shri Gurcharan Singh : I want to know whether the figures regarding yield given by the Hon. Minister relate to private farms or State-owned farms. ? The Hon. Minister is well aware that all the state-owned farms are running in loss and their yield is less than the Private farms.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : प्रश्न यह था कि कुछ राज्यों में उपज में कमी हुई है और इस सम्बन्ध में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Minister has just explained that the arrangements for demonstrations have been made. But the fact is that farmers are not aware of the methods of sowing the seeds and the quantity of water and fertilizer to be used. They use these things according to their own, discretion as a result of which there are sick crops. There have been cases to which efforts to raise better crops with new seeds have proved infructuous. I want to know whether Government have arranged such type of demonstration to give training to the farmers in the matter of using new seeds. If it is so, the number of farmers given demonstration in this respect ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता को समझता हूं लेकिन मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य मुझे ध्यान से नहीं सुन रहे थे। मुख्य प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने इस विशेष प्रश्न का उत्तर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री साल्वे

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : राज्य मन्त्री प्रगतिशील और वैज्ञानिक कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं और इसीलिए उन्होंने इन प्रश्नों को बहुत महत्वपूर्ण होने की संज्ञा दी है और वे सुझाव सिद्धान्तवादियों के नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश में उतने ही उपजाऊ क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन कम हुआ है और यदि हां तो यदि सरकार मध्य प्रदेश राज्य को भारत का भाग समझती है तो वहां राज्य सरकार को प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करने के लिए स्वयं या सरकार के निदेश पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमारे देश में मध्यप्रदेश राज्य ऐसा राज्य है जहां प्रति एकड़ उपज कम है। लेकिन देश में मैसूर और महाराष्ट्र दो और राज्य ऐसे हैं जहां प्रति एकड़ उत्पादन मध्यप्रदेश राज्य से भी कम हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : अन्य राज्यों में उपज मध्य प्रदेश की तुलना में कम है ऐसा कहने से हमें संतुष्ट नहीं किया जा सकता।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य की भांति हम भी इस बारे में चिन्तित हैं। मध्यप्रदेश सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए और हमने राज्य सरकार को उक्त त्रुटि को दूर करने के लिये कुछ ठोस सुझाव दिये हैं।

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना

+

*246. **श्री भगवानदास** :

श्री बि०कु० मोडक :

श्री गणेश घोष :

श्री अ०कु० गोपालन :

(क) श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या ऐसे कोयला खान मालिकों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्ण रूप से अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) उन्हें क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के लिए कोयला खान मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 473 कोयला खानों ने, जिनमें लगभग, 27.5 प्रतिशत श्रमिक काम करते हैं सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है अथवा उन्हें आंशिक रूप में क्रियान्वित किया है ;

(ख) प्रबन्धकों ने सिफारिशों को क्रियान्वित न करने का कारण वित्तीय कठिनाइयां बताया है, और

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता; सिफारिशें संविहित रूप से लागू नहीं की जा सकती हैं।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Export of Gur

S. N. Q. 2. SHRI PRAKASH VIR SHASTRI: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh have urged upon the Central Government to remove all kinds of restrictions imposed upon the export of gur outside the State;

(b) if so, the main reasons advanced by them; and

(c) the reaction of Government thereto ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) उत्तर प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि उत्तर प्रदेश से गुड़ का निर्यात करने सहित गुड़ के अन्तर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Prakash Vir Shastri : You just look into the Gur production position of Uttar Pradesh and in the rest of the country. According to Food Ministry's figures the production of Gur in the year 1967-68 in the country was 97 lakhs 86 thousand tons. In 1968-69 it was 1 crore 20 lakh tons. The production of gur is estimated to be 1 crore 40 lakh tons according to this year's trade figures. The price of Gur in Uttar Pradesh was Rs. 150 per maund two years back. At the start of Gur season this year the price of Gur was Rs. 40 per maund. Now its price has come down to Rs. 20 per maund. As a result of it the farmer is not getting even rupees one and a half per maund for sugar cane. When the production of the Gur is increasing, the crops of sugarcane is standing, I want to know whether the Food Ministry has prepared any scheme so that the farmers may get better price for their sugarcane and gur. If so, the details thereof.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्य प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों को गुड़ भेजने पर कोई प्रतिबन्ध है। सरकार की यह नीति रही है कि गुड़ के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाये। कठिनाई के समय भी जब इस विषय पर चर्चा की गई थी, सरकार ने यह निर्णय किया था कि जहां तक सम्भव हो इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध न लगाये जायें यद्यपि कुछ राज्य गुड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर रोक लगाना चाहते थे।

कृषि वस्तुओं के घटते मूल्य के बारे में सरकार भी समानरूप से चिन्तित है। गन्ने की खेती में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप गन्ने की उपज में वृद्धि हुई है और उसके मूल्य में कमी हुई है। हम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि क्या कुछ उद्योगपतियों को गुड़ के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं गुड़ बहुत शीघ्र ही बिगड़ने वाली वस्तु है और यदि किसी व्यक्ति को उसको खरीदना हो तो उसे गोदाम में अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। अतः सरकारी उपक्रम के सामने बड़ी मात्रा में गुड़ को खरीदने सम्बन्धी कठिनाई है। सरकार इस बात की सम्भावना का पता लगा रही है कि क्या गुड़ का औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है और क्या उक्त उद्योग को बचाने के उद्देश्य से विदेशों को गुड़ का निर्यात करना सम्भव है।

Shri Prakash Vir Shastri : In reply to the original Question the hon. Minister has stated that there are no restrictions on the export of jaggery from U.P. I have asked in my question to remove all sorts of restrictions. I want to know whether such a demand has been made by the U.P. Government. One of the restrictions is on forward trading. The fact is this that Government has not imposed restrictions on the forward trading in a number of edible Commodities.

For example, there are oils, alsi oil and groundnut oil. There is no restriction on their forward trading. These oils are imported too. There is no restriction on forward trading in Haldi, but there is restriction on forward trading in Gur because it is produced by the farmer. If this forward trading in Gur is allowed, then the Gur will be brought in market and the farmer will get its cost. There will be increase in the price of sugarcane. On the one hand, Government sympathises with the farmers and on the other hand their distressed condition is being ignored. Gur cannot be stored for long by the farmers. The only way to increase the price of Sugarcane and Gur is to remove restriction on forward trading in Gur. There was shortage of Sugar in the country at the time of imposing this restriction. The prices of sugarcane and 'Gur' were high, at that time. At present the production of 'Gur' has increased and the area of the

land under sugarcane cultivation has also increased. At present when the prices are coming down, the only way to avoid it is that the restriction on forward trading should be abolished. By adopting such steps, the farmer can get more benefit. When there is no such restriction on oil, Haldi, Cotton etc. why it is in case of Gur and why decision is not being taken to remove it ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : सब अत्यावश्यक वस्तुओं के वायदा बाजार पर रोक लगी है। जहां तक गुड़ के वायदा बाजार का सम्बन्ध है मेरा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इस विषय में जांच कर रहे हैं और आशा है इस बारे में हम शीघ्र निर्णय कर लेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : My second question was that there is no restriction on the forward trading of some essential commodities like 'haldi', oil and cotton and in case there is no restriction on the forward trading of gur the farmer can get better price for his produce. Government should take an early decision in this matter because sugarcane crops are standing in the farms.

श्री जगजीवन राम : कठिनाई यह है कि बहुत सी अत्यावश्यक वस्तुओं के वायदा बाजार पर प्रतिबन्ध है। अतः इस मामले में ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया हम इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं और इस बारे में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : जैसा कि मेरे सहयोगी श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने उल्लेख किया गुड़ का मूल्य इतना कम हो गया है कि किसान के परिवार के बजट की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और गुड़ के मूल्य में कमी होने के कारण उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य तथ्य यह है कि गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक है। सरकार ने इस बात के लिए क्या तरीके अपनाये हैं कि पूरी गन्ने की फसल के उत्पादन का उपभोग किया जा सके और प्रतिकूल आर्थिक स्थिति में किसान को गन्ने का उत्पादन करने के लिए बाध्य न किया जाये ?

सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि चीनी मिलें अधिक गन्ना उठाएं और यदि आवश्यक हो तो गन्ने की अधिक उपज का लाभ उठाने के लिए अधिक चीनी मिलों की स्थापना की जाए ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य को सम्भवतया जानकारी नहीं है कि चीनी की मिलें सम्पूर्ण क्षमता से काम करने पर भी देश में गन्ने की कुल पैदावार के केवल एक-तिहाई भाग का ही उपभोग कर सकती हैं और गन्ना पेरने की क्षमता में चाहे कितनी भी वद्धि क्यों न की जाये पैदावार के एक-तिहाई भाग से अधिक गन्ने को पेरना सम्भव नहीं है। इसलिए इस वर्ष ही नहीं बल्कि सदा ही गुड़ तथा खंड-सारी के निर्माता दो-तिहाई भाग का उपयोग करते हैं। यह सम्भव नहीं कि गन्ना पेरने के कार्य को मिलों द्वारा कराया जाये।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं दीर्घ अवधि के लिए किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में कह रहा हूं।

श्री जगजीवन राम : आप और मिलें लगाइए, मैं आप को लाइसेंस दूंगा।

श्री स०मो० बनर्जी : हाल ही में बजट की घोषणा के साथ ही खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में वद्धि हुई है। गुड़ का मूल्य गन्ने तथा चीनी के मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने गुड़ निर्माताओं तथा ईख उगाने वालों को कोई नुकसान न होने देने के लिए कुछ उपाय किये हैं। यदि कोई योजना बनाई गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने जो उपाय किये हैं उनमें से कुछ के सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री जगजीवन राम : सभा को यह जानने में रुचि होगी कि हमने जो निर्णय किया है उससे चीनी मिलें भी गुड़ बना सकेंगी। इस सम्बन्ध में आदेश दे दिया गया है जिससे गुड़ निर्माताओं को कुछ सहायता प्राप्त हो सके।

Shri Randhir Singh : Sudden fall in the prices of Gur has raised a hue and cry in the villages. The farmer heavily invests on *Gur and Shakkar*. Therefore it is in the interest of not only the farmer but the whole country that he gets the fair price. Also Gur is a perishable commodity, as such the Government must take some steps like permitting forward trading etc. I know the Food Minister realises the difficulties of the farmers. Therefore, I request him to decide the matter within 48 hours. Godowns should be constructed for the collection of Gur. The farmer must get a good remuneration otherwise he would hesitate to grow sugarcane and it would be harmful for the country.

Mr. Speaker : What is the question which has been put by the Hon. Member ?

Shri Randhir Singh : I have asked whether the matter would be decided within 48 hours.

श्री जगजीवन राम : यह कार्यवाही के लिए अनुरोध है। इस पर विचार किया जायेगा।

Shri Ram Charan : In the present conditions, the farmer is not getting fair price of his produce. Will the Government consider taking some steps to purchase it through Food Corporation or giving some subsidy which may enable the farmer to get the marginal cost ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : महोदय, मेरा विचार है कि यह व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है।

श्री स० कुन्दू : क्या सरकार को जानकारी है कि हाल ही में श्री चरण सिंह ने एक वक्तव्य में कहा है कि चीनी-मिल-मालिक असाधारण रुप से लाभ कमा रहे हैं किन्तु उन्होंने चीनी मिलों का आधनिकीकरण नहीं किया है और राज्य सरकार को दिया जाने वाला उपकर भी नहीं दिया है। करोड़ों रुपयों के गन्ने का हिसाब नहीं किया है, इसलिए भी किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाते।

श्री जगजीवन राम : इस बात का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि जहां तक मिलों से पैसा वसूल करने का प्रश्न है, मैं राज्य सरकार से कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि वह पैसा वसूल करने के लिए कार्यवाही करें और यदि आवश्यक हो तो कानून का सहारा भी लिया जाये। अब यह उत्तर प्रदेश सरकार पर निर्भर करता है कि वह अशोधी चीनी मिलों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करे।

Shri Shinkre : Just now the Hon. State Minister has said that he had approached the industrialists to enquire if Gur could be used in other industries also. I wanted to know whether wine or alcohol is also included in other industries.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समय सरकार गुड़ से शराब बनाने के सम्बन्ध में विचार नहीं कर रही है।

Shri Shinkre : I had put that question because in Goa there is a tremendous increase in the production of Gur and people are using jaggery for making wine.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ऐसा करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पंजाब में सघन खेती वाले क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता की समस्या के बारे में अनुसंधान

*244. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री कृषि वैज्ञानिक डा० एम०एस० स्वामिनाथन द्वारा 31 जनवरी 1970 को "इकनामिक टाइम्स" में लिखे एक लेख में व्यक्त विचारों के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब जैसे सघन खेती वाले क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता सम्बन्धी गम्भीर समस्या, विशेषकर अणुपोष तत्वों की समस्या बढ़ रही है;

(ख) यदि इस समस्या को हल न किया गया तो क्या कृषि शीघ्र नष्ट हो जायेगी, अत: इस समस्या के समाधान के लिए मार्गोपाय ढूंढने के लिए शीघ्र ही विस्तृत एवं व्यापक अनुसंधान कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अपेक्षित अनुसंधान कार्य करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । पंजाब दिल्ली और हरियाणा में समन्वित सूक्ष्म पोषकतत्व योजना के अन्तर्गत किये गए कार्य से सूक्ष्मपोषक तत्वों, विशेषकर जिंक की व्यापक रूप से कमी और ऐसे असन्तुलन को ठीक करने के लिए सूक्ष्मपोषक तत्वों सहित सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग की ओर ध्यान केन्द्रित हुआ है।

(ख) जी हां। किसी भी उर्वरताहरक कृषि पद्धति में सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी से फसल उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अत: अनुसन्धान पर जोर दिया गया है।

(ग) विभिन्न कृषि-जलवायु तथा मृदा स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के आठ केन्द्रों में सूक्ष्मपोषक तत्वों से सम्बन्धित कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम को गतिमान किया जा रहा है। इनमें महत्वपूर्ण कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान विशेषकर उन क्षेत्रों के जहां पिछले कार्य से कुछ सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी की समस्याओं का पता चला था--शामिल हैं।

खाद्यान्नों का उत्पादन, समाहार तथा आयात

*247. **श्री बदरुद्दुजा :**
श्री राम किशन गुप्त :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री अब्दुल गनी डार :
श्री आत्म दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में भारत में राज्यवार खाद्यान्नों के उत्पादन के नवीनतम अनुमान क्या थे ;

(ख) वर्ष 1969-70 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के खाद्यान्नों का आयात किया गया;

(ग) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा समाहार किये गए खाद्यान्न की मात्रा तथा मूल्य सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(घ) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान सामान्य तौर से खाद्यान्नों के बारे में तथा विशिष्ट रूप से अनाज के बारे में बाहुल्य अथवा कमी वाले राज्यों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान केन्द्रीय भण्डार से प्रत्येक राज्य को अनाज की कितनी-कितनी सप्लाई की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि वर्ष 1968-69 (जुलाई 1968 से जून 1969 तक) में प्रत्येक राज्य के खाद्यान्नों के उत्पादन के अद्यतन अनुमानों को बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2712/70]** कृषि वर्ष 1969-70 के उत्पादन सम्बन्धी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 1969-70 में जनवरी 1970 तक खाद्यान्नों की आयात की गई मात्रा लगभग 31.29 लाख मीटरी टन थी और उसका अस्थायी मूल्य 204.24 करोड़ रुपए था।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2712/70]**

(घ) प्रत्येक राज्य अथवा देश भर की भी खाद्यान्नों की खपत आवश्यकताओं का कोई भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण न होने के कारण खाद्यान्नों या अनाजों के मामले में प्रत्येक राज्य के अधिशेष या कमी का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

(ङ) वित्तीय वर्ष 1968-69 और 1969-70, (जनवरी 1970 तक) में केन्द्रीय भंडार से प्रत्येक राज्य को दी गई अथवा भेजी गई अनाजों की मात्रा बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

कानपुर के "टैनरी" मालिकों द्वारा चमड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करना

***248. श्री स०मो० बनर्जी**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के "टैनरी" मालिकों द्वारा चमड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) और (ख) इन सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; ये कानूनन लागू नहीं की जा सकतीं।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जनवरी 1970 को लखनऊ में एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई और इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का सर्वसम्मत निश्चय किया गया। राज्य सरकार का विचार उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत एक आदेश द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने का है। आशा है कि यह आदेश शीघ्र ही जारी हो जाएगा।

केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् की अक्तूबर, 1969 में हुई बैठक

*249. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् की एक बैठक अक्तूबर, 1969 में नई दिल्ली में हुई थी और यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गए थे ;

(ख) क्या देश में लघु उद्योगों की प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्याओं को कार्यसूची में रखा गया था तथा क्या सरकार की नीति में हाल में हुए परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए उन पर विचार किया गया था ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के रेलवे, प्रतिरक्षा, इस्पात कारखाने जैसे उपक्रम प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की नीति का पालन कर रहे हैं जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो अधिनियम के लागू होने के बाद उन की संख्या कितनी हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां। सभा पटल पर निर्णयों के विषय में एक विवरण रखा गया है।

विवरण

केन्द्रीय शिक्षुता परिषद की 17 अक्टूबर, 1969 को प्रात: 10.00 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुई सातवीं बैठक में किए गए निर्णयों का संक्षिप्त अभिलेख।

1. प्रशिक्षण प्रणाली आवश्यकता पर आधारित बनाने के लिए उसे पुन:निर्धारित करने की आवश्यकता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से स्व-नियोजन के अवसरों के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठाया जाना चाहिए,
2. निर्धारित किये जाने वाले नए व्यवसायों में कृषि क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाना चाहिए,
3. शिक्षुओं के लिए वजीफे में संशोधन करने के प्रश्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिए,
4. त्रुटिकर्ता स्थापनाओं से सम्बन्ध स्थापित करने व उन्हें समझाने-बुझाने की जिम्मेवारी नियोजकों के संगठनों द्वारा स्वयं निभाई जानी चाहिए। कानूनी कार्यवाही करने का व्यक्तिगत मामला सम्बन्धित सरकार द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा,
5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षु प्रशिक्षण योजना में शामिल करने में और सुधार नियोजकों से निकट सम्बन्ध और अधिकाधिक प्रचार की तुरन्त आवश्यकता है,
6. पिछले अनुभव और सभी प्रकार के उद्योगों की भविष्य में पैदा होने वाली आवश्यकताओं को देखते हुए कर्मचारियों से शिक्षुओं के अनुपात पर यथाशीघ्र पुनर्विचार किया जाना चाहिए,
7. त्रुटिकर्ता स्थापनाओं की संख्या को देखते हुए यह सुझाव दिया गया है कि—ऐसी सभी स्थापनाओं विशेषकर उनकी जिनके जहां 500 से अधिक कामगार नियुक्त हैं और जो शिक्षुओं को रख ही नहीं रही, एक सूची भविष्य में कार्यसूची पत्रों के साथ परिचालित की जानी चाहिए। इस सुझाव को सभी राज्यों सरकारों के शिक्षता सलाहकारों को उनकी टीका के लिए भेजने का निर्णय किया गया,
8. शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फैलाने की आवश्यकता पर विचार किया गया, ताकि इन्हें अधिनियम के अधीन आई सभी स्थापनाओं तक जिनमें प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं, फैलाया जाए। यह भी अनुभव किया गया कि अधिनियम के अधीन आई छोटी स्थापनाओं तक शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रशिक्षण स्तर में कमी न आने पाये,

9. शिक्षुता कार्यक्रम को सभी प्रकार के उद्योगों और प्रत्येक प्रकार के उद्योग के लिए विशिष्ट व्यवसायों की आवश्यकतानुसार ढालने के सुझावों को मंजूर कर लिया गया। प्रशिक्षण स्तरों और स्व-नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

10. अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में बैठने योग्य बनने के लिए शिक्षु प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम हाजिरी स्थापना जहां वे नियुक्त है के कार्यकारी दिनों की 80 प्रतिशत होनी चाहिए जो कि $5\frac{1}{2}$ या 6 दिन प्रति सप्ताह काम करने वाली स्थापना में 240 दिन प्रतिवर्ष के बराबर होती है। जहां प्रति सप्ताह 5 दिन कार्य होता है वहां 200 दिन के बराबर होती है। आजकल ये कार्यकारी दिन क्रमशः 264 और 222 दिन प्रतिवर्ष हैं।

11. नियम 5 (2) में उल्लिखित प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने का विचार स्वेच्छा पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि अधिदेशात्मक होना चाहिए। प्रशिक्षण अवधि में यह विस्तार यदि अगली परीक्षा के आयोजन तक नहीं हो तो जब तक शिक्षु कम से कम निर्धारित हाजिरी के दिन पूरे नहीं कर लेता तब तक किया जाना चाहिए बशर्ते कि शिक्षु की हाजिरी में कमी ऐसी छुट्टी के कारण हो जिसे मंजूर किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकारी क्षेत्र के रेलवे, प्रतिरक्षा, इस्पात कारखाने जैसे उपक्रम प्रायः अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की नीति का पालन कर रहे हैं यद्यपि उनमें से कुछ को अभी शिक्षुओं का पूर्ण कोटा नियुक्त करना है।

(घ) सरकारी क्षेत्र की 218 स्थापनाओं में 30-9-1969 को शिक्षुता प्रशिक्षण पा रहे शिक्षुओं की संख्या 14,925 थी।

सहकारी समितियों संबंधी वर्तमान कानूनों में सुझाए गए परिवर्तन

*250. **श्री रवि रायः** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि सहकारी समितियों सम्बन्धी वर्तमान कानूनों में परिवर्तन करें जिससे इन समितियों पर से बिचौलियों के प्रभाव को दूर किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस सुझाव का कितने राज्यों ने उत्तर दिया है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक सिफारिश को कार्यरूप देने के लिए केवल महाराष्ट्र सरकार सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया गया है। दूसरे राज्यों में यह मामला अभी तक विचाराधीन है।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

*251. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैशनल लैबल ट्रिपार्टाइट कांफ्रेंस ने जिसकी 3 फरवरी, 1970 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी बड़े पत्तनों में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकार की गई सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं अथवा किये जाने का विचार है?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख): 3 फरवरी 1970 का सम्मेलन मजूरी बोर्ड की मुख्य सिफारिशों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करने तथा सम्बन्धित पक्षों के दृष्टिकोण जानने के लिए बुलाया गया था। इन विचार-विमर्शों के प्रकाश में सरकार का निर्णय शीघ्र ही घोषित किये जाने की आशा है।

(ग) बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय की घोषणा किये जाने के बाद उनकी क्रियान्विति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर द्वारा सरकारी रूप से रिकार्ड की गई सामग्री का निजी प्रयोजनों हेतु प्रयोग

***252. श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री क० अनिरुद्धन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में देश की उत्तर-पश्चिम सीमा पर हुए पाकिस्तान के आक्रमण के पश्चात् सैनिक अधिकारियों तथा जवानों से किये गए इन्टरव्यू सहित हिन्दी/हिन्दुस्तानी में रिकार्ड की गई सामग्री को अग्रीम क्षेत्रों से लाया गया था;

(ख) क्या हिन्दी के किसी चीफ प्रोड्यूसर द्वारा उसी विषय पर निजी रूप से लिखी गई पुस्तक में उस सामग्री का प्रयोग किया गया है;

(ग) रिकार्ड की गयी सामग्री के वास्तव में कितने शब्दों का पुस्तक में प्रयोग किया गया है; और

(घ) क्या आकाशवाणी द्वारा सामग्री की निजी रूप से प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां।

(ख) से (घ) . मामले की जांच की जा रही है।

नेफा के उस पार से विषैले चीनी रेडियो प्रचार का मुकाबला करने के लिए कार्यवाही

***253. श्री हेम बरुआ** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन नेफा की सीमा के उस पार से अपने पच्चीस ट्रांसमीटरों से विषैला प्रचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रचार का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) तथा (ख) . नेफा की सीमा के उस पार कितने चीनी ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं इस बारे में ठीक जानकारी नहीं है। तथापि, रेडियो पीकिंग से भारत विरोधी प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। चीनी प्रचार का खण्डन करने के लिए आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा उचित कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है।

अन्दमान में विकास निगम की स्थापना

*254. **श्री नम्बियार :**
श्री के० एम० अब्राहम:
श्री ई० के० नायनार :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री समर गुह :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास बोर्ड ने अन्दमान में एक विकास निगम स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस बोर्ड को स्थापित करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) यदि सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) जी हां ।

(ख) से (घ) . बोर्ड की सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है ।

दण्डकारण्य में सघन खेती कार्यक्रम के लिए जापान की ओर से सहयोग की पेशकश

*255. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नि० रें० लास्कर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने दण्डकारण्य क्षेत्र में सघन खेती कार्यक्रम में सहायता/सहयोग देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने जापान के सहयोग-प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जापान सरकार ने दण्डकारण्य के परलकोट जोन में, कृषि विकास की संयुक्त सहयोग परियोजना में शामिल होने की पेशकश की है जिस की रूपरेखा नीचे दी गई है:—

(1) पंखजोर सिंचाई योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में सघन कृषि तथा सामुदायिक विकास के लिए एक आदर्श ब्लाक की स्थापना और उस क्षेत्र में उच्चतर भूमि की उत्थाप कसिंचाई सुविधा को लागू करना;

(2) करार की अवधि के बीच आगामी अवस्था में दो अन्य आदर्श परियोजना ब्लाकों की स्थापना जो कि परलकोट बांध क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ होगी;

(3) पखनजोर की मुख्य नहर का सुधार, जिसमें प्रवाह को नियमित करना शामिल है।

(4) परलकोट बांध की नहरों की प्रणाली के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन;

(5) मिश्रित फार्म का जोकि कृषि प्रविधियों के लिए आदर्श केन्द्र के रूप में कार्य करेगा, सुधार;

(6) समस्त परलकोट जोन में कृषि तथा सिंचाई विकास कार्यक्रम के बारे में तकनीकी सलाह।

2. उपरोक्त रूपरेखा के आधार पर हुई चर्चा के रिकार्ड पर जापानी कृषि सर्वेक्षण मिशन के नेता तथा कृषि विभाग, भारत सरकार, के अपर सचिव ने हस्ताक्षर कर दिये हैं। दोनों सरकारें चर्चा के इस रिकार्ड की समीक्षा करेंगी और उस समीक्षा के आधार पर अपने अपने बजट में आवश्यक व्यवस्था करेंगी तथा संयुक्त सहयोग परियोजना की क्रियान्विति के लिए आवश्यक करार को अन्तिम रूप देने का औपचारिक निर्णय लेंगी। समीक्षा के परिणामस्वरूप आवश्यक प्रतीत होने वाले संशोधनों के अधीन रहते हुए, चर्चा का वर्तमान रिकार्ड दोनों सरकारों द्वारा परियोजना की क्रियान्विति के करार को अन्तिम रूप देने का आधार होगा।

अतिरिक्त अखबारी कागज की व्यवस्था

*256. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दैनिक समाचार पत्रों को अतिरिक्त अखबारी कागज देने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज़ के नियतन का आधार क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) तथा (ख). 1969-70 के उत्तरार्द्ध (अक्तूबर 1969—मार्च, 1970) के लिए दैनिक समाचारपत्रों के लिए खपत संख्या बढ़ाने के लिए अखबारी कागज का अतिरिक्त कोटा देने के सरकार के निर्णय की घोषणा 24 जनवरी, 1970 को की गई थी। वृद्धि की निम्नलिखित आधारों पर अनुमति दी गई है:—

वे समाचारपत्र जिनकी—

(1) खपत संख्या 15,000 प्रतियों तक हो	10 प्रतिशत
(2) खपत संख्या 15,000 प्रतियों से ऊपर तथा 50,000 प्रतियों तक हो	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
(3) खपत संख्या 50,000 प्रतियों से ऊपर तथा 1,00,000 प्रतियों तक हो	5 प्रतिशत
(4) खपत संख्या 1,00,000 प्रतियों से ऊपर हो	$2\frac{1}{2}$ प्रतिशत

Black-Marketing in the Sale of Russian Tractors

*257. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi:
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some private agencies are indulging in the black-marketing of the tractors imported from Russia ; and

(b) if so, the action taken by Government to check the same ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) . No such reports have been received. However with a view to eliminating possible black-marketing in Russian tractors, Government is making available a substantially large number of imported tractors through State-owned Agro-Industries Corporations and intensifying indigenous production of other makes. Import of tractors as gift from Indian relations living abroad has also been allowed with a view to easing the supply position.

Streamlining of Procedure for Sale of Chemical Fertilisers

***258. Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Fertiliser Corporation of India has taken upon itself the responsibility of streamlining the procedure for sale of chemical fertilisers ; and

(b) if so, the measures proposed to be taken to streamline the sale procedure so as to encourage farmers to use chemical fertilizers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. For the chemical fertilisers manufactured by the Corporation.

(b) Efforts are being made to appoint more dealers, specially at the block level and also give preference to agricultural graduates. The dealers are being trained in agronomy of fertiliser use so that they can also advise farmers. Cooperative agencies are also being utilised for distribution of fertilisers. Buffer godowns have been arranged at important locations. Credit facilities are being allowed, where necessary, and dealers are also put in touch with the Banks for getting credit. Intensive demonstration schemes have been introduced. Leaflets are being distributed and audio-visual propaganda is being done. Free soil-testing facilities are also being provided.

Parliamentary Committee to go into A.I.R's Functioning

***259. Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether some improvement has been made in the biased attitude in regard to the news bulletins and other broadcasts on All India Radio;

(b) whether it is a fact that there was a wide-spread reaction in the country to the biased attitude of All India Radio; and

(c) whether Government propose to set up a high-level Committee of Parliament to maintain the balanced attitude of the All India Radio in future ?

The Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) and (b). There is no biased attitude in AIR broadcasts. Items for inclusion in news bulletins are judged primarily by their news value and AIR constantly endeavours to aim at maximum objectivity.

(c) Does not arise. However, the Consultative Committee of members of Parliament attached to this Ministry has discussed it in details.

भारतीय पत्रकार महासंघ की शिकायतें

***260. श्री मधु लिमये** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय पत्रकार महासंघ द्वारा नवम्बर, 1969 में पारित संकल्पों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन संकल्पों में निहित मांगों तथा प्रस्तावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उन पत्रकारों की शिकायतों के बारे में जांच की गई है जिनके विरुद्ध "समाचार भारती" द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) से (घ): प्रस्ताव में मुख्य मांगें तथा प्रस्ताव निम्नलिखित थे:—

(1) पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों को तंग करना,

(2) स्टाफ का अनुचित तथा अन्यायपूर्ण स्थानान्तरण,

(3) स्टाफ को वेतन तथा वार्षिक वृद्धि के भुगतान में भेदभाव,

(4) मजदूरी के बारे में पंच फैसले का उचित रूप से क्रियान्वित न किया जाना, तथा,

(5) समाचार भारती के मामलों की पूरी जांच ।

समाचार भारती एक स्वतन्त्र समाचार एजेन्सी है तथा सरकार का इसके संचालन पर कोई नियन्त्रण नहीं है ।

मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला बनाम ए० के० राय तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*261. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रूरकेला बनाम ए० के० राय तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में 18 दिसम्बर, 1969 को उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय का असर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) उच्चत्तम न्यायालय के सामने जो मामला था वह इस प्रश्न तक सीमित था कि क्या सुस्थापित पद्धति के अनुसार श्रमिक के पूर्ववृत्त की जांच करने के बाद पुलिस की गोपनीय प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर प्रबन्धकों द्वारा उसकी नौकरी समाप्त करने पर उसके लिए परिहार उसकी बहाली या मुआवजा होना चाहिए था ? न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पेश किये गए तथ्यों और इस बात को देखते हुए कि इस मामले में कोई सताये जाने की बात नहीं हुई है, यह मामला बहाली के सामान्य नियम से अपवाद स्वरूप है और मुआवजा देने से न्याय का उद्देश्य पूरा हो जायेगा ।

(ग) निर्धारित कानून का पालन करना होगा ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के थोक व्यापार को नियंत्रण में लिया जाना

*262. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने अनाज का थोक व्यापार भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया है ;

(ख) भारत में किन अन्य राज्यों ने ऐसी कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार शीघ्र ही कोई ऐसे उपाय करेगी जिनसे खाद्य निगम अनाज के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में ले सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केरल सरकार ने 29-11-1969 से 18 केन्द्रों पर खाद्यान्नों के थोक वितरण का काम भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया है।

(ख) उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों ने सीमित परिमाण में एक अथवा अधिक खाद्यान्नों के थोक व्यापार/वितरण का काम भारतीय खाद्य निगम को सौंपा है।

(ग) सरकार की नीति धीरे-धीरे प्राइवेट एजेंसियों के थोक व्यापार को भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार की एजेंसियों तथा सहकारी समितियों से कराने की है।

दिल्ली दुग्ध योजना का कार्य-संचालन

*263. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में दिल्ली दुग्ध योजना प्रारम्भ से ही घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना को अब तक वर्ष-वार कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य को सुधारने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, ताकि यह लाभ कमाने लगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना को शुरू से अब तक जो हानि हुई है वह निम्न प्रकार है:—

वर्ष	हानि लाख रुपयों में
1959-61	5.02
1961-62	4.16
1962-63	10.64
1963-64	23.09
1964-65	97.77
1965-66	39.21
1966-67	14.66
1967-68	146.71
1968-69	76.42 (लेखा परीक्षा हो रहे लेखे)
जोड़	417.68

(ग) घाटा होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

1. दूध के अधिप्राप्ति मूल्य में क्रमिक वृद्धि।
2. सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा अन्य ऋतुओं के अधिप्राप्ति मूल्यों में सामान्य वृद्धि।
3. उत्पादन की बढ़ी लागत के कारण दूध के बिक्री मूल्य को संशोधित करने में समय का अन्तराल।
4. दूध के बिक्री मूल्यों को उत्पादन की लागत से कम पर निर्धारित करना।

(घ) दूध के बिक्री मूल्य वास्तविक आधार पर 22 फरवरी, 1969 से निश्चित किये गए हैं और आशा है 1969-70 की अवधि में दिल्ली दुग्ध योजना को लाभ रहेगा। दिल्ली दुग्ध योजना को स्वायत्त निगम में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव है, ताकि वह अधिक वाणिज्यिक रूप ग्रहण कर सके।

समकालिक उपग्रह व्यवस्था के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम का विस्तार

*264. **श्री मुहम्मद शरीफ:** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष डा० विक्रम साराभाई, ने देश में समकालिक उपग्रह व्यवस्था के माध्यम से भारत के 5 लाख गांवों में टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने की एक दस वर्षीय महत्वकांक्षी योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) ऐसी कोई योजना इस मन्त्रालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

*265. **श्री शिव चन्द्र झा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 की तुलना में जनवरी, 1970 में कृषि उत्पादों के थोक मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं और तथाकथित 'कृषि क्रांन्ति' के संदर्भ में इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जनवरी, 1969 की तुलना में जनवरी, 1970 में सामान्य कृषि उत्पादों और विशेषकर खाद्य पदार्थों के थोक मूल्य कितने हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां । जनवरी, 1970 में पटसन को छोड़कर मुख्य कृषि उत्पादों के मूल्य पिछले एक वर्ष की तुलना में सामान्यतया अधिक थे ।

(ख) 1968-69 के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों तथा मांग के और अधिक बढ़ जाने के कारण कुछ कृषि उत्पादों के उत्पादन में कमी होने से सामान्यतया मूल्य अधिक रह हैं । इस वर्ष देश के कुछ भागों में सर्दी की वर्षा भी देरी से हुई है जिसके कारण 1969-70 की प्रत्याशित रबी फसल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ग) पटसन के मामले में, इस वर्ष जनवरी के अन्त में कलकत्ता मूल किस्म का मूल्य 136.64 रुपए प्रति क्विन्टल था जब कि गत वर्ष यह मूल्य 203.62 रुपए था ।

Mismanagement in Postal Department

*266. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4489 on the 18th December, 1969 and regarding mismanagement in Postal Department and state :

(a) whether the inquiry into the specific cases has since been completed ;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor and details of the further action taken in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . In all five instances susceptible of verification relating to delayed delivery and loss of letters were specified in the article in 'Aaj' of 15th September 1969. One of them

relating to the non-delivery of postal articles for three days in 1969 in an area of Allahabad was found to be not based on facts. Two instances are stated to have happened some years ago. The writer had no complaint in regard to them at present. The two remaining items of complaints relate to loss and alleged burning of letters and are based on hearsay; efforts are still being made to find out the truth about them.

Report of the Land Acquisition Review Committee

*267. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of the Land Acquisition Review Committee appointed under the Chairmanship of Shri A.N. Mulla;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of the various State Governments in regard thereto and the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The report has not been submitted. The last date for the submission of the Report has since been extended upto 31st March, 1970.

(b) and (c) . Do not arise.

कृषि उत्पादन कार्यक्रम तेज करने के लिए राज्यों को सहायता

*268. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों ने कृषि उत्पादन कार्यक्रम को तेज करने के लिए केन्द्र से और अधिक धन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के क्या नाम हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं होते।

किसानों को किराए पर ट्रैक्टर सप्लाई करने की योजना

*269. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम और संख्या क्या है जिन्होंने किसानों को किराये पर ट्रैक्टर सप्लाई करने की योजना लागू कर दी है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह योजना वर्ष 1970-71 में आरम्भ कर दी जायेगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने प्रयोजनार्थ राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) चतुर्थ योजना के दौरान, भिन्न राज्यों में कृषि यंत्र किराये पर देने वाले केन्द्रों की स्थापना के लिए एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और असम, मैसूर, बिहार, हरियाणा, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर और गोवा प्रशासन में ऐसे केन्द्र पहले ही प्रारम्भ कर दिये हैं।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा, अन्य शेष राज्यों में 1970-71 के दौरान इस योजना के शुरू होने की आशा है।

(ग) योजना को 50 प्रतिशत एक्विटी और 50 प्रतिशत ऋण के आधार पर चलाया जायेगा। कृषि-उद्योग निगमों के जिनके अधीन इन केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। एक्विटी शेयर मूलधन में केन्द्रीय और राज्य सरकारें बराबर अनुपात में अंशपान करेंगी। राज्य निगम की ऋण सहायता की आवश्यकता को देखते हुए, भारत सरकार सम्बन्धित राज्य को ऋण प्रदान करेगी। इस प्रकार भारत सरकार, राज्य निगमों द्वारा वांछित अतिरिक्त निधियों की 75 प्रतिशत तक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

***270. श्री प्रेमचन्द वर्मा:** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने से पूर्व इस बात पर विचार किया जाता है कि वे लाभकारी सिद्ध होंगे और कम से कम उन पर व्यय होने वाली राशि की प्रारम्भिक अवस्था में वसूली हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या दूर-दूर स्थित और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरवर्ती स्थानों में डाकघरों का खोलना सम्भव होगा और क्या इसी कारण से हजारों डाकघरों के मामले कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए नियमों और विनियमों/शर्तों में ढील देने की सम्भावना पर विचार करेगी; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर 500 रुपए से 2500 रुपए तक घाटा होने पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोले जाते हैं बशर्ते कि वे जनसंख्या, निकटतम डाकघर से दूरी आदि सम्बन्धी कुछ शर्तों पर पूरे उतरते हों।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी दूरस्थ और दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या और निकटतम डाकघर से दूरी की शर्त पूरी न होने पर भी डाकघर खोले जा रहे हैं बशर्ते कि उन पर वार्षिक घाटा 1,000 रुपए और खास मामलों में 2,500 रुपए से अधिक न हो। किन्तु ऐसे क्षेत्रों में खोले जाने वाले कुछ प्रस्ताव जो निर्धारित मानदण्डों पर पूरे नहीं उतरते, कभी-कभी इस कारण अनिर्णित पड़े रहते हैं, क्योंकि उनमें दिलचस्पी रखने वाली किसी पार्टी द्वारा घाटा पूरा करने की संभावना रहती है।

(ग) डाक विभाग की वित्तीय स्थिति को देखते हुए नए डाकघर खोलने की शर्तें पहले ही काफी उदार हैं। वास्तव में शुल्कदर जांच समिति ने इन शर्तों को और कड़ा करने का सुझाव दिया था।

हरियाणा में डाकघर

1601. श्री राम किशन गुप्त: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में जिलावार वर्ष 1969-70 में कितने नए डाकघर खोले गए; और

(ख) हरियाणा में जिलावार वर्ष 1970-71 में कितने तथा किन-किन स्थानों पर नए डाकघर खोले जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क)

जिले का नाम	1969-70 के दौरान हरियाणा में खोले गए नए डाकघरों की संख्या
(1) अम्बाला	3
(2) करनाल	4
(3) रोहतक	22
(4) हिसार	7
(5) गुड़गांव	1
(6) महेन्द्रगढ़	2
(7) जींद	कोई नहीं
कुल	39

(ख) जिले का नाम	1970-71 के दौरान जो नए डाकघर खोले जाने की संभावना है
(1) अम्बाला	3
(2) करनाल	8
(3) रोहतक	9

खाद के रूप में गोबर का उपयोग

1602. श्री बाबू राव पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद के रूप में गोबर का उपयोग करने पर जोर देने तथा इसका ईंधन के रूप में उपयोग करने से किसानों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) प्रति वर्ष कितने मीट्री टन गोबर की आवश्यकता है देश में कुल कितने मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है और इन दोनों के उपयोग का मध्यान अनुपात क्या है; और

(ग) गोबर के ईंधन के स्थान पर ईंधन बढ़ाने के प्रयोजन के लिए राज्य-वार किस प्रकार के पेड़ उगाये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गोबर को ईंधन के स्थान पर प्रयोग करने की अपेक्षा वैज्ञानिक आधार पर अच्छी खाद के उत्पादन के लिए उपयोग में लाना स्थानीय खाद संसाधनों की विकास योजना कार्यक्रम का एक भाग है। कृषि विभाग और पंचायतों की सहायता से राज्य सरकारें कृषकों को विशेष अभियान प्रदर्शन,

प्रगतिशील किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी पत्रकों के वितरण और अन्य सम्बन्धित साहित्य, फिल्म शो की व्यवस्था, अन्य श्रव्य दृश्य सहायताओं, व्यक्ति और समूह द्वारा विकास एजेन्सियों के माध्यम से कृषि जानकारी के प्रसार तथा जन सम्पर्क और विषय या रेडियो वार्ताओं द्वारा शिक्षित करने का प्रयत्न कर रही है। इसके अतिरिक्त गोबर जलाने के रिवाज को रोकने के लिए और खाद के रूप में इसके अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए अधोलिखित उपायों को प्रयोग में लाया जा रहा है:--

(1) गोबर गैस प्लान्ट को जो किसानों की ईंधन और खाद सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं लोक प्रिय बनाया जा रहा है।

(2) शीघ्र बढ़ने वाले वृक्ष-पौधों को उगाकर और सांझी भूमि पर वन विकसित कर गांवों में पड़ती भूमियों और खेतों की बाउन्ड्रियों को उन्नत किया जा रहा है जिस से कि ग्रामीण गृहस्थों को जलाने के लिए लकड़ी मिल सके और उन्हें गोबर को ईंधन के रूप में जलाने से हटाया जा सके।

(3) लकड़ी और लकड़ी के कोयले का स्थान लेने के लिए शहरी क्षेत्रों में सोफ्ट कोक के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलाने की लकड़ी की उपलब्धि की अवस्था सुधर सके और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर को ईंधन के रूप में जलाने की आवश्यकता कम हो जाये और गोबर को खाद के रूप में प्रयोग के लिए बचाया जाये।

(ख) पशु गोबर खाद के निम्न पोषक तत्वों के कारण पौध पोषण के रूप में उसका प्रत्यक्ष अंशदान सापेक्षतया थोड़ा है। परन्तु इसकी महत्ता मुख्यत: इस बात में है कि यह भूमि की उर्वरता को मजबूत, नमी धारण करने की क्षमता में सुधार और फसल की बढोत्तरी के लिए आवश्यक भूमि के आदर्श विन्यास को स्थापित किये रहता है। अत: गोबर खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग एक आदर्श खाद क्रिया समझी जाती है।

प्राय: यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक मीट्रिक सलफेट आफ एमोनिया के लिए 40 मीट्री टन गोबर खाद को प्रयोग में लाना चाहिए जो नाइट्रोजन आधार पर 1 : 1 का अनुपात प्रदान करता है। देश में गोबर के खाद की कुल आवश्यकता 1000 मिलियन मीटरी टन की है। इसके विपरीत आज कल जो मात्रा प्रयोग में लायी जाती है वह 350 मिलियन मीट्रिक टन आंकी गई है। जहां तक नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों का सम्बन्ध है उनकी खपत देश में चालू वर्ष में नाइट्रोजन के रूप में 1.45 मिलियन मीट्रिक टन आंकी गई है जोकि सल्फेट आफ एमोनिया के 7.25 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। यह संकेत करता है कि सल्फेट आफ एमोनिया के प्रत्येक मीट्रिक टन के लिए 48 मीट्रिक टन गोबर खाद प्रयोग की जाती है। तुलनात्मक रूप से यह सिफारिश किये हुए अनुपात के अनुकूल है।

(ग) अनेक राज्यों में किए हुए परीक्षण प्रदर्शित करते हैं कि फोसोपिस जुलिफ्लोरा (विलायती कीकर) एक्केसिया एरेबिका (बबूल) ल्यूकानीया ग्लोका (विलायती बराल) कुसोरिना (जंगली सस) ने तीव्र बढ़ोत्तरी और ईंधन की सप्लाई की दृष्टि के विचार से सफल परिणाम दिए हैं।

विभिन्न राज्यों में उगाए जाने वाले ईंधन वृक्षों की किस्मों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अलमाडी (तामिल नाडु) में केन्द्रीय ढोर प्रजनन प्रक्षेत्र

1603. श्री बाबू राव पटेल: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विपरीत सिफारिशें किये जाने के बावजूद भी तमिलनाडु में अलमाडी में एक केन्द्रीय ढोर प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित करने का सरकार का विचार है; यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस प्रक्षेत्र के लिए विशेषज्ञ समिति ने किस स्थान का सुझाव दिया था और सरकार ने अपना निर्णय क्यों बदल लिया है; और

(ग) इस प्रक्षेत्र की स्थापना पर कुल कितना धन व्यय होगा, इसमें केन्द्रीय सरकार का कितना भाग होगा और यह कब चालू हो जाएगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) सरकार ने तमिलनाडु के अलमाडी नामक स्थान पर केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म के स्थान के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

(ख) विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि उन्होंने जिन दो स्थानों का निरीक्षण किया है उनमें से आन्ध्र प्रदेश का वनवासी स्थान तमिल नाडु के अलमाडी की तुलना में अधिक उपयुक्त था। सरकार समिति की सिफारिशों और अन्य सुसम्बद्ध विचारों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम निर्णय करेगी।

(ख) फार्म की स्थापना की कुल लागत और फार्म प्रारम्भ करने की तारीख के विषय में अभी जानकारी प्राप्त नहीं है। परन्तु, फार्म की स्थापना का समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। फार्म को प्रारम्भ करने की तारीख के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का महाराष्ट्र के चांदा जिला में पुनर्वास

1604. श्री बाबू राव पटेल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये 10,000 शरणार्थियों का विदर्भ के चांदा जिले में पुनर्वास करने के लिए केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को 15 करोड़ रुपए दिये थे;

(ख) प्रत्येक शरणार्थी को नकदी में तथा अन्य रूप में कितनी सहायता दी जानी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ से काम करने वाले जालसाजों ने इन शरणार्थियों को बुरी तरह धोका दिया है जिसके फलस्वरूप इनका सारा धन जालसाजों ने हथिया लिया है ;

(घ) इन शरणार्थियों को 750 रुपए में ऐसे दुर्बल तथा बेकार बैलों की एक एक जोड़ी देने के क्या कारण थे जो एक दो महीनों में ही मर गए थे; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक शरणार्थी से 16'–16' के स्थायी मकानों के लिए 1250 रुपए लिये गए थे और क्या सरकार का विचार इस जालसाजी की जांच करने का है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या): (क) जी नहीं। पूर्वी पाकिस्तान से आये 6000 नए प्रवासी कृषक परिवारों को चान्दा जिले में लगभग 33,000 एकड़ बन भूमि पर पुनर्व्यवस्थापन देने के लिए एक योजना क्रियान्विति के लिए 1965 में हाथ में ली गई थी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार चान्दा परियोजना को प्रारम्भ करने के समय से लेकर वित्तीय वर्ष 1968-69 के अन्त तक पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों पर राज्य सरकार लगभग 5.25 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2713/70]**

(ग) जी नहीं।

(घ) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह ज्ञात हो कि प्रवासियों को "दुर्बल तथा बेकार बैल" दिय गए थे। दो मामलों में सांप के काटने से बैलों की मृत्यु को छोड़ कर, ऐसे किसी

मामले की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिसमें प्रवासियों को दिये जाने के बाद शीघ्र ही बैलों की मृत्यु हो गई हो। इसके अतिरिक्त प्रवासियों को प्रति बैल के 750 रुपए नहीं लगाये गाए हैं ।

(ङ) गांवों में मकान 1250 रुपये की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत निर्मित किये गए थे और सम्बन्धित प्रवासियों के खाते में निर्माण का केवल वास्तविक मूल्य ही ऋण के रूप में डाला गया था।

चूंकि कोई 'जालसाजी' नहीं हुई है, इसलिए जांच का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का गुण-प्रकार

1605. श्री म० ला० सोंधी: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के गुण-प्रकार को कायम रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में दूध संग्रह तथा अवशीतन केन्द्रों में प्राप्त हुए दूध का एम० बी० आर० समय क्या था; और

(ग) गत वर्ष जो हिमांक परीक्षण किये गए थे, उसके क्या परिणाम निकले हैं और उन ठेकेदारों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जो दूध में पानी मिलाने के अभ्यस्त हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय डेरी और देहाती क्षेत्रों में इसके दुग्ध संग्रह और प्रशीतन केन्द्रों में गुण नियंत्रण की सुसज्जित प्रयोगशालायें हैं। दूध की कोटि का प्रशीतन केन्द्रों में दूध प्राप्त करते समय व केन्द्रीय डेरी में इसके परिसंस्करण के समय जब तक कि वह वितरित नहीं हो जाता परीक्षण किया जाता है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा केवल वही दूध वितरित किया जाता है जो कि निर्धारित मानक स्तरों के अनुरूप हो।

(ख) ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में एम० बी० आर० के समय की अवधि 10 मिनट तथा 30 मिनट के बीच रहती है जबकि शीतकाल में दूध की विभिन्न मात्राओं के लिए यह अवधि 10 मिनट से $1\frac{1}{8}$ घंटे तक रहती है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना में हिमांक विन्दु परीक्षण नहीं किये जाते। पानी की मिलावट का लैक्टोमीटर के प्रयोग और रिचमौन्ड फारमूला के द्वारा पता लगाया जाता है। यदि दूध में चिकनाई और सौलिड की मात्रा, चिकनाई की नहीं, निर्धारित स्तर से कम हो तो मूल्य में यथानुपात कमी कर दी जाती है।

दिल्ली दुग्ध योजना के टोंड दूध अनुभाग की क्षमता

1606. श्री म० ला० सोंधी: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के टोंड दूध अनुभाग की क्षमता क्या है;

(ख) क्या इसका पूर्ण उपयोग हो रहा है और क्या इस क्षमता को बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ग) क्या यह सच है कि यदि उत्पादन में वृद्धि की जाये और कार्य क्षमता बढ़ाई जाये तो टोन्ड दूध का मूल्य काफी कम किया जा सकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) सिकम दुग्ध चूर्ण तथा चर्बी को पुनः मिलाकर दिल्ली दुग्ध योजना की दोनों पारी में प्रतिदिन 80,000 लिटर टोंड दूध की क्षमता है। तथापि ताजे दूध से टोंड दूध बनाने के लिए दुग्ध प्लान्ट की अधिष्ठतित पूरी क्षमता को उपयोग में लाया जा सकता है।

(ख) टोंड दूध का पुनर्मिलाप अधिकतर, केवल गर्मियों के महीनों में किया जाता है। इसी की पुनः मिलाने की क्षमता प्रतिदिन लगभग 2,00,000 लिटर तक बढ़ाई जा रही है। इस समय इसी से प्रतिदिन लगभग 54,000 लिटर टोंड दूध निर्मुक्त किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। क्योंकि दूध तथा दूध से बने पदार्थ बाहर से प्राप्त करने पड़ते हैं, जिनका मूल्य टोंड दूध के मूल्य के 81 प्रतिशत के बराबर होता है, इसलिए टोंड दूध के विक्रय मूल्य को न तो टोंड दूध के परिमाण को बढ़ाकर और न दक्षता में कोई सम्भव सीमांत सुधार कर ही कोई खास कमी की जा सकती है।

'टैलेक्स' सेवा का विकास

1607. श्री न० रा० देवघरे: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन -किन शहरों में टैलेक्स सेवा की व्यवस्था है;

(ख) भारत की 'टैलेक्स' सेवा किन-किन देशों के साथ है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के और अधिक शहरों को 'टैलेक्स' संचार सेवा के अन्तर्गत लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) देश भर में इन 27 शहरों में टैलेक्स एक्सचेंज उपलब्ध हैं:—

बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, कोयम्बटूर, नागपुर, कानपुर, हैदराबाद, बंगलौर, मदुरै, अहमदाबाद, पटना, पूना, गौहाटी, तिरुची, रांची, लखनऊ, श्रीनगर, विजयवाड़ा, जयपुर, एर्नाकुलम, बड़ौदा, सूरत, अमृतसर, जमशेदपुर, राजकोट और वास्को-डी-गामा।

(ख) इन देशों के लिए सीधे सेवा उपलब्ध है—आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पश्चिम जर्मनी, हांगकांग, जापान, फिलीपीन्स, यू० के० और संयुक्त राज्य अमरीका। उपरोक्त देशों में से किसी एक या एक से अधिक देश के जरिये, स्विच द्वारा सेवा इन देशों के लिए उपलब्ध हैं:—अदन, अल्जेरिया, अंडोरा, अर्जेन्टाइना, आस्ट्रीया, बहरेन, बेल्जियम, बरमूदा, बोलिविया, ब्राजील, बलगेरिया, बुरुण्डी, कनाडा, कैमन, चिली, कोलम्बिया, कांगो, (किनहासा), साइप्रस, चैकोस्लोवाकिया, डेन्मार्क, दौहा, दुबाई, इथोपिया, फारोए द्वीपसमूह, फिजी द्वीपसमूह, फिनलैण्ड, फ्रांस, पूर्वी जर्मनी, घाना, ग्रीस, गआम, हवाई, ब्रिटिश होण्डुरस, हंगरी, इंडोनेशिया, आइसलैण्ड, ईरान, आईरश गणराज्य, इसराइल, इटली, जोर्डन, केन्या, कुवैत, लेबनान, लक्सम्बर्ग, मलेशिया, माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, मस्कत, नीदरलैण्ड, न्यूगिनी न्यूजीलैण्ड, नाइजीरिया, नार्वे, पानामा, पापुआ, पेरू, पोलैण्ड, रूमानिया, सऊदी अरब, सिचीलीस, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी वियतनाम, स्पेन, सूडान, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, ताइवान, तंजानिया थाइलैण्ड, टर्की, यूगाण्डा, संयुक्त अरब गणराज्य युरुग्वे, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, वेनेजुएला, इंडीजवेस्ट, यूगोस्लाविया और जाम्बिया।

(ग) जी हां ।

(घ) जिन नए शहरों के लिए टैलेक्स एक्सचेंजों की स्वीकृति दी गई है, उनके नाम हैं-- लुधियाना, शिलांग, चण्डीगढ़, कटक, जालन्धर, भोपाल, त्रिवेन्द्रम, इंदौर, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, दुर्गापुर, इलाहाबाद, कालीकट, मंगलौर, सलेम, भावनगर, कोटा और कोल्हापुर ।

भारत में बेरोजगारी के बारे में ब्रिटिश सर्वेक्षण

1608. **श्री नारायणन :**
श्री मयावन :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडु :
श्री सामिनाथन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ब्रिटिश सर्वेक्षण (बारक्लेस द्वारा) से पता लगता है कि भारत में एक करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षण में बताया गया है कि बेरोजगारी राजनैतिक स्थिरता के लिए एक लम्बी अवधि तक के लिए अभिशाप है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने विकासशील विश्व में कार्य कर रहे ब्रिटेन के बड़े बैंक के इस सर्वेक्षण प्रतिवेदन का अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया): (क) सरकार को इस प्रकार के किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ). सवाल ही पैदा नहीं होता।

महाराष्ट्र में जलगांव में केला चूर्ण उत्पादक संयन्त्र की स्थापना

1609. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में जलगांव में एक केलाचूर्ण उत्पादक संयंत्र लगाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयन्त्र की कुल कितनी क्षमता होगी और इसे कब तक लगाया जायेगा;

(ग) क्या यह सच है कि संयंत्र की सप्लाई डेनमार्क के एक व्यक्ति ने की है;

(घ) क्या यह भी सच है कि केले के चूर्ण के उत्पादन के परिणाम स्वरूप देश में केलों की कमी नहीं रहेगी; और

(ङ) चूर्ण का उत्पादन करने से केलों के निर्यात पर कितना असर पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जलगांव जिला केला चूर्ण उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने 1965 में केला चूर्ण बनाने के लिए एक संयंत्र लगाया था ।

(ख) यह संयंत्र लगा दिया गया है और उसकी स्थापित उत्पादन क्षमता प्रति दिन 1 मीटरी टन है।

(ग) केला चूर्ण बनाने के लिए डेमनमार्क से स्प्रे-ड्रायर आयात किया गया है।

(घ) भारत में केले का उत्पादन 35 लाख मीटरी टन से अधिक है जब कि इस संयंत्र में कुछ उत्पादन के केवल नाम मात्र अंश का ही उपयोग किया जायेगा।

(ङ) अल्प मात्रा में केला चूर्ण का उत्पादन करने से ताजे केलों के निर्यात पर प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

भारत का चौथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

1610. श्री बाबू राव पटेल :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1969 में नई दिल्ली में हुए भारत के चौथे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कितने देशों ने भाग लिया और समारोह के दौरान कितनी फिल्में दिखाई गई;

(ख) उन फिल्म अभिनेताओं, निर्माताओं, निर्देशकों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो समारोह के दौरान सरकार के अतिथि थे;

(ग) सरकार ने इस फिल्म समारोह पर कुल कितना धन व्यय किया;

(घ) इस फिल्म समारोह से भारतीय फिल्म उद्योग और हमारे देश को क्या वास्तविक लाभ हुआ; और

(ङ) क्या यह सच है कि नग्न दृश्यों वाली विदेशी फिल्में बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई थीं और थियेटरों में उनसे काफी धन राशि प्राप्त हुई थी और यदि हां, तो दिल्ली में ऐसी दस फिल्मों से कुल कितनी धन राशि प्राप्त हुई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) (1) भाग लेने वाले देशों की संख्या — 33

(2) दिखाई गई फिल्मों की संख्या

प्रतियोगिता विभाग		गैर-प्रतियोगिता विभाग	
फीचर	छोटी	फीचर	छोटी
20	18	31	21

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2714/70]**

(ग) लगभग 7 लाख रुपए।

(घ) समारोह सांस्कृतिक महत्व तथा राष्ट्रीय सम्मान की एक घटना थी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पर्क के लिए मंच प्रदान किया। प्रमुख निर्देशकों की कृतियों पर पर्याप्त टिप्पणियां और चर्चा हुई जिससे भारतीय फिल्म उद्योग को निस्संदेह ही लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, आलोचकों समेत बड़ी संख्या में प्रसिद्ध फिल्मी व्यक्तियों को इस देश की यात्रा भारतीय सिनेमा का विदेशों में और अच्छी तरह मूल्यांकन में सहायक होगी।

(ङ) यद्यपि अन्य फिल्मों ने भी काफी लोगों को आकर्षित किया किन्तु वयस्कों के लिए फिल्में आम तौर पर ज्यादा लोकप्रिय थीं। समारोह के दौरान केवल दिल्ली में तमाम फिल्मों को दिखाने से सरकार के हिस्से में लगभग 4 लाख 58 हजार रुपए आये।

जमशेदपुर में इंजीनियरिंग उद्योग में हड़ताल के कारण हानि

1611. श्री बाबू राव पटेल : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमशेदपुर में हाल ही में कितने इंजीनियरिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की, हड़ताल कितने दिन तक चली, और हड़ताल के वास्तविक कारण क्या थे ;

(ख) हड़ताल के परिणामस्वरूप कुल कितने श्रम घंटों, मजदूरी, उत्पादन, सरकारी राजस्व तथा निर्यात की हानि हुई; और

(ग) इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार राजनीतिक दलों के क्या नाम हैं तथा प्रत्येक दल का कितने श्रमिकों पर नियंत्रण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) यह हड़ताल शीघ्र मजूरी वृद्धि करने के सम्बन्ध में थी। एक विवरण जिसमें ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह हड़ताल चार राजनैतिक दलों, अर्थात् संयुक्त सोशलिस्ट दल, प्रजा सोशलिस्ट दल, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) की एक शाखा की समन्वय समिति द्वारा आयोजित की गई थी। उपर्युक्त प्रत्येक दल द्वारा कितने कितने श्रमिक नियंत्रित किये गए इस, सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्रमांक	प्रभावित हुए प्रतिष्ठान	भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या	वह तारीख जब हड़ताल समाप्त की गई
1.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव वर्क्स	19,911	5-1-70
2.	टिन प्लेट कं० आफ इंडिया लि०	5,170	7-1-70
3.	इंडियन ट्यूब कं० लि०	2,935	5-1-70
4.	टाटा रोविन्स फ्रेसर	284	5-1-70
5.	इंडियन केबुल कं० लि०	2,512	2-1-70
6.	इंडियन स्टील एण्ड वायर प्रोडक्टस लि०	1,711	5-1-70
7.	जमशेदपुर इंजीनियरिंग एण्ड मैकेनिकल मैन्यूफैक्चरिंग कं०	434	5-1-70

उर्वरक के उत्पादन में कमी

1612. श्री अजमल खां :
श्री धी०ना० देव :
श्री मणिभाई जे० पटेल:
श्री गु०च० नायक:
श्री जे० मोहम्मद इमाम :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित एक सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार हाल ही में उर्वरक के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। सर्वेक्षण उर्वरकों की कुल खरीद में होने वाली गिरावट के सम्बन्ध में था।

(ख) खरीफ 1969 के लिए राज्यों द्वारा उर्वरकों की खपत के प्राथमिक अनुमानों से प्रकट होता है कि उर्वरकों की खपत में खरीफ 1968 की खपत की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परियुक्त रूप से उर्वरकों की खपत में समग्र वृद्धि तो हुई थी, किन्तु वृद्धि की यह दर योजना में कहीं कम थी।

प्रेस रिपोर्ट में इसका मुख्य कारण अपर्याप्त ऋण, वितरण प्रणाली की अनम्यता और प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रयत्नों की अपर्याप्तता बताया गया है।

प्रतिकारक उपाय शुरू किये गए हैं। हरियाणा आदि कुछ राज्यों ने तकावी ऋण देने की प्रणाली को पुनः प्रारम्भ किया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को विपणन और उर्वरकों के प्रयोग सहित कृषि को ऋण की अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उर्वरकों के विपणन में पूंजी लगाने की जोखिमों के सम्बन्ध में गारण्टी की एक योजना भी सरकार के विचाराधीन है। उर्वरकों के विक्रय को अधिकाधिक स्रोतों से प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारियों को लाइसेंस देने की प्रणाली को पंजीकृत करने की योजना से बदल दिया गया है जिससे कि निर्माताओं को अधिकाधिक विक्रय केन्द्र प्राप्त हो सके। एक उर्वरक संवर्द्धन परिषद् की स्थापना का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। यह निर्माताओं और सरकार का एक संयुक्त प्रयास होगा, जिसका कार्य प्रचार और श्रव्य और दृश्य साधनों आदि के माध्यम से प्रदर्शन कार्यक्रमों, मृदा परीक्षण सेवाओं, उर्वरकों के उपयोग के प्रसार को गतिमान करना होगा।

यह भी बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि तमिल नाडु और मैसूर जैसे उर्वरकों की अत्याधिक खपत वाले राज्यों में मानसून की प्रारम्भिक असफलता, आन्ध्र प्रदेश में बाढ़, जम्मू और काश्मीर में देर से हिमपात, पश्चिमी बंगाल में विलम्बित वर्षा आदि भी कुछ सीमा तक उर्वरकों की खपत में होने वाली शिथिल वृद्धि के कारण हैं।

विदेशों में रह रहे संबंधियों से ट्रैक्टरों का उपहार

1613. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री सारखंडे राय :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री चंद्रशेखर सिंह :
श्री इंद्रजीत गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि विदेशों में रह रहे सम्बन्धियों से ट्रैक्टर और अन्य सामान उपहार के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे). (क) और (ख). जी हां, उपहार के रूप में ट्रैक्टरों का आयात करने की एक नई प्रक्रिया बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार किया गया था परन्तु उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया। अक्तूबर, 1968 में योजना घोषित किये जाने से पहले भी इसी प्रकार के प्रस्तावों पर विचार किया गया था और अभी हाल ही में जनवरी, 1970 में हुई एक अन्तर्विभागीय बैठक में स्थिति का

पुनर्विलोकन किया गया था, योजना बिल्कुल सन्तोषजनक रूप में कार्य कर रही है और उसे हाल ही में 31 अक्तूबर 1970 तक बढ़ाया गया है।

रांची जिले में ईसाइयों को कृषि विकास के लिए स्वीकृत ऋण

1614. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला रांची में वर्ष 1969-70 में कृषि विकास के लिए अधिकतर ऋण ईसाइयों को दिये गए थे;

(ख) यदि हां, तो जिला रांची में वर्ष 1969-70 में कुल कितनी राशि के ऋण इस उद्देश्य के लिए दिये गए;

(ग) वर्ष 1969-70 में ऋण प्राप्त करने वाले लोगों के नाम तथा उनके पते क्या हैं;

(घ) वर्ष 1969-70 में कितने तथा कितनी राशि के ऋण ईसाइयों को दिये गए ; और

(ङ) वर्ष 1969-70 में कुल कितने आदिवासियों को तथा कितनी राशि के ऋण मिले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). बिहार सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Import of Mustard and Soyabean

1615. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether Government are importing mustard and Soyabean from abroad with a view to bring down the prices of oil; and

(*b*) if so, the quantity thereof and the countries from which these are being imported ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (*a*) and (*b*). Import of 25,000 tonnes of rapeseed from Canada and about 52,000 tonnes of Soyabean oil from the U.S.A. during 1970 has been arranged.

बिहार में सिंचाई कार्यों के लिए पम्पिंग सैट लगाना

1616. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रपति का शासन लागू होने के पश्चात् सरकार ने वहां पम्पिंग सैट लगा कर सिंचाई सुविधाओं का प्रसार करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) जुलाई से दिसम्बर, 1969 तक के छः महीनों की अवधि में बिहार के विभिन्न जिलों में कितने पम्पिंग सैट लगाये गए ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खुदाई के कुओं का छिद्रण करना और नलकूपों और पम्प सैटों की स्थापना करना उस सामान्य लघु सिंचाई कार्यक्रम की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल हैं, जिन्हें बिहार राज्य में कार्यरूप दिया जा रहा है।

(ख) कुओं के छिद्रण, गैर सरकारी नलकूपों और पम्प सेटों की स्थापना के लिए भूमि विकास बैंकों और कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य कृषि उद्योग निगम पम्प सैटों के वितरण के लिए किराया-खरीद की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रपति प्रशासन की अवधि में कृषि पुनर्वित्त निगम ने शाहाबाद जिले में 483 गैर-सरकारी नलकूपों की स्थापना के लिए 64.24 लाख रुपए की राशि की एक अतिरिक्त योजना स्वीकृत की है।

(ग) जुलाई से दिसम्बर 1969 तक की अवधि में कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से डीजल पम्प सैटों के जिलेवार वितरण और बिजली बोर्ड द्वारा जिन बिजली के पम्पों को बिजली प्रदान की गई उनका विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2715/70]**

नलकूपों की स्थापना

1617. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गांवों में शीघ्रातिशीघ्र बिजली लगाने तथा कृषि कार्य में किसानों की सहायता करने के लिए सरकारी स्तर पर नलकूप लगाने के लिए राज्य सरकारों को हिदायतें देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार निर्धन किसानों को नलकूप लगाने तथा उनकी सामाजिक दशा सुधारने के लिए ऋण देने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस योजना पर सम्भवत: कितना धन व्यय किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) 1965 में किये गए राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के आधार पर, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के कार्यक्रम शुरू करें ताकि कृषि के हितों को दृष्टिगत रखते हुए और अधिक पम्पसैटों के लिए बिजली प्रदान की जा सके तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 15-20 प्रतिशत ग्रामों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि लघु सिंचाई कार्यक्रम के स्टेट प्लान परिव्यय क्रमश: विकास कार्यों में प्रयोग किया जाना चाहिए। इन कार्यों में राजकीय नलकूप भी शामिल हैं। ये नलकूप चाहे राज्य सरकार द्वारा स्वयं या सहकारी संस्था/पंचायती राज निकाय द्वारा काम में लाये जा रहे हों। इससे उन कृषकों को लाभ पहुंचेगा जिनके साधन इतने अच्छे नहीं हैं कि वे स्वयं या संस्थानिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाली सुविधाओं की सहायता से सिंचाई कार्य शुरू कर सकें।

(ख) और (ग). भूमि विकास बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, कृषि पुनर्वित्त निगम, कृषि उद्योग निगम आदि संस्थानिक निकायों के माध्यम से कृषकों को नलकूप तथा खुदाई के कुएं आदि गैर-सरकारी कार्यों व पम्प सैट आदि के लिए ऋण विषयक सुविधाएं प्रदान करने हेतु अधिकाधिक व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार भी ऋण पत्र और शेयर कैपिटल के अंशदान के ढंग से वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं की सहायता कर रही है। कर्जा देने की नीतियों और सहकारी संस्थाओं की प्रक्रियाओं को निदेशित किया जा रहा है जिससे कि छोटे काश्तकार संस्थानिक ऋण सुविधाओं से अधिकाधिक लाभ उठा सकें। ऋण की व्यवस्था के लिए सम्पत्ति पर आधारित सिद्धान्त के रूढ़ि बल को अभिवृद्धि आय और ऋण लौटाने की क्षमता के आधार पर जिसको नया पूंजी निधान पैदा करेगा, कर्जा देने में बदला जा रहा है। जमानत के अभिप्राय के लिए भूमि के मूल्यांकन के ढंग भी उदार बनाये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त छोटे किसानों की सहायता करने के लिए, एक लघु किसान विकास अधिकरण की स्थापना देश में चुने हुए 45 जिलों में की जायगी जो छोटे किसानों की विकास समस्याओं को देखेगी और यह छोटे किसानों के लिए कृषि आदान सेवा आदि पर कुएं, जायंट कुएं और नलकूपों को सम्मिलित करने वाली मदों पर ऋण का समुचित प्रबन्ध करेगी।

(घ) प्रारूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देहात विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 363 करोड़ रुपए की व्यवस्था करता है। इसके साथ-साथ केन्द्रीय देहात विद्युत निगम से जो चुनींदे विकास क्षम देहात विद्युतीकरण योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए स्थापित किया गया है 150 करोड़ रुपए उपलब्ध होने की आशा है। इस धनराशि के अतिरिक्त पम्पसैटों को चलाने के लिए संस्थानिक क्षेत्र अधिकरणों द्वारा ऋण सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी ।

यह अनुमान है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राज्यों के नलकूपों के निर्माण में लगभग 60 करोड़ रुपए का योजना क्षेत्र पर परिव्यय होगा। इसके अतिरिक्त, पंचवर्षीय योजना की अवधि में 750 करोड़ रुपए तक की ऋण-निधियां निजी क्षेत्र लघु सिंचाई कार्य के लिए जिनमें कुएं खुदाई, नलकूप और पम्पसैट भी सम्मिलित हैं संस्थानिक अधिकरणों के द्वारा उपलब्ध कराये जाने की आशा है । इस संस्थानिक वित्तियोजन की बहुमात्रा नलकूपों पर व्यय की जाएगी।

Supply of Tractors by U.S.A.

1618. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the time by which the 10,000 tractors made by Ford and proposed to be supplied by U.S.A. to India would be made available to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Annasahib Shinde): There is no proposal for direct import of Food tractors from U.S.A. However, the Government of India have approved in principle a proposal of M/s. Escorts Limited to enter into collaboration with M/s. Ford Motors Company, Dearborn, Michigan U.S.A., for the manufacture of "Ford-3000" (46 H.P.) agricultural tractors for a capacity of 6000 numbers per annum. Manufacture of these tractors by M/s. Escorts Ltd. is yet to be started.

भूमिहीन लोगों को भूमि का आबंटन

1619. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कं० हाल्दर :
श्री अविचन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दिसम्बर में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बाद विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने और भूमिहीन किसानों को भूमि देनें के काम में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में क्या उत्तर दिये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे) : (क) तथा (ख). समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को लिखे गए अपने 16 दिसम्बर, 1969 के पत्र में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने नवम्बर 1969 में भूमि सुधार के सम्बन्ध में

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों की ओर और विशेषत: चकबन्दी के सीमा निर्धारण, सीमा सम्बन्धी विधान को लागू करने और भूमिहीन कृषि श्रमिकों में अधिशेष भूमि को वितरित करने के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित किया। उस पत्र में यह सुझाव दिया गया था कि ये कार्यक्रम लगभग दो वर्ष की अवधि में पूरे किये जायें। अनेक राज्यों ने सम्मेलन में की गई सिफारिशों का समर्थन किया है और वे भूमि सुधार के और उपायों पर विचार कर रहे हैं। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में बनाये गए भूमि सुधार सम्बन्धी मुख्य प्रगति निम्न प्रकार है:—

1. आन्ध्र प्रदेश में एजेंन्सी क्षेत्रों में मुत्तादारी और मालगुजारी पट्टेदारों के उन्मूलन के लिए और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों से स्वामित्व परिवर्तन को और नियमित करने हेतु नियम बनाए गए थे।

2. आसाम में धोखेबाजी को रोकने की दृष्टि से अधिकतम सीमा के संशोधन और छूट तथा अन्तरण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किये गए हैं। आसाम के अस्थायीरूप से बसे जिलों में रैयतों के समुदाय को स्वामियों के अधिकार प्राप्त करने योग्य बनाने और अधिकारों तथा उप-पट्टेदारों को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किये गए हैं।

3. गुजरात में एक वर्ष में पिछले भू-स्वामियों और उनके पट्टेदारों के बीच सम्बन्ध की पूर्ण समाप्ति पर धन लगाने के लिए भूमि विकास बैंक से बातचीत चल रही है। भूमि सुधार कार्यक्रम की क्रियान्वित के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। ऐसे कुछ मामलों को छोड़कर जो उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हैं सीमा निर्धारण विधान तथा अधिशेष भूमि के वितरण से सम्बन्धित अधिकांश कार्य को आगामी बुवाई मौसम के आने से पहले पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है। राज्य सरकार इस समय सीमा निर्धारण विधान में संशोधन करना नहीं चाहती।

4. जम्मू तथा कश्मीर में भूमि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है और आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार भूमि सुधार के और उपायों के लिए विधान बनाने पर विचार कर रही है।

5. केरल में पट्टेदारों और कुदीपिदाप्पुकरनों के संरक्षण की ओर अधिक सुदृढ़ बनाने, पट्टेदारों को राज्य के सीधे सम्पर्क में लाने के लिए व्यवस्थाओं को सरल बनाने, छूटों की अधिकतम सीमा और प्रतिबन्ध के स्तर को और कम करने के लिए केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 में संशोधन किया गया था। हाल ही में संशोधित केरल भूमि सुधार अधिनियम की विभिन्न अवस्थाओं को भी पहली जनवरी, 1970 से लागू कर दिया गया है।

6. महाराष्ट्र में ऐसी भूमि के विकास को सरल बनाने की दृष्टि से चीनी मिलों से लिए गए गन्ने के फार्मों के सम्बन्ध में स्थायी आधार पर भूमि के बार में निर्णय करने के लिए अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाओं में संशोधन किया गया।

7. मैसूर में पुनर्ग्रहण हेतु आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटाने और अधिशेष भूमि के निर्धारण के लिए एक आदेश लागू किया गया। अब उसके स्थान पर एक अधिनियम बन गया है जिसके अनुसार मुनसिफ न्याययालयों को भूमि न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। पट्टेदारों द्वारा स्वामित्व के अधिकार खेरीदने हेतु धन लगाने के लिए और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से अधिशेष भूमि के वितरण के लिए प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

8. राजस्थान में भली प्रकार प्रबन्धित फार्मों, चीनी कारखानों द्वारा चालित गन्ना फार्मों और उन कुछ विशिष्ट फार्मों को जिनको इस समय भूमि की अधिकतम सीमा से छूट मिली हुई है,

अधिकतम सीमा में लाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने अधिकतम सीमा की व्यवस्थाओं में संशोधन करने का निर्णय किया है।

9. पश्चिम बंगाल में बकाया प्रस्तावों को अन्तिमरूप देने और बरगादारों को मूल अधिकार देने के बारे में कानून बनाने और बरगादारों को बेदखली से बचाने के लिए कानून बनाये गए हैं। सरकार को छोटे किसानों, शिकमेदारों और कृषि कार्यकर्ताओं के गृहवासों के बन्दोबस्त के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए भी कानून बनाये गए हैं। अपवंचनों की जांच और अधिशेष भूमि को भूमिहीन कृषकों में वितरित करने के लिए विशेष अभियान प्रारम्भ किये गए हैं। परिवार के समस्त सदस्यों की समुच्य भूमि क्षेत्र की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने सम्बन्धी प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

10. मणिपुर में अधिकतम सीमा निर्धारित करने के उपबन्ध के पुनरीक्षण विषयक प्रस्ताव विचाराधीन है।

11. मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए दादरा और नगर हवैली भूमि सुधार विनियम के मसौदे में संशोधन किया जा रहा है।

12. दिल्ली भूमि चकबन्दी की अधिकतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी अधिनियम के उपबन्धों के पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय

1620. श्री मंगलायुमाडोम :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री स० कुन्दू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या प्रबन्ध किये गए हैं?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। विश्वविद्यालय को समाप्त करके उसके स्थान पर दो अलग विश्वविद्यालय स्थापित किये गए हैं जिन में से एक हरियाणा के लिए तथा दूसरा शेष क्षेत्र के लिए है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

Training facilities for Journalism in Madhya Pradesh

1621. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(*a*) whether there are any regular training Institutions in Madhya Pradesh for imparting training in Journalism;

(*b*) if so, the locations thereof;

(*c*) the amount of expenditure incurred on them annually;

(*d*) in case there are no such Institutions there whether Government propose to set up any such Institution; and

(*e*) if so, the location thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (*a*) to (*c*). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत की गई गोदी कर्मचारियों की मांगें

1622. श्री ए० श्रीधरन :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ ने अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया है;

(ख) यदि हां, तो गोदी कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री : (श्री डी० संजीवैया) (क) से (ग). इस फेडरेशन ने केन्द्रीय पत्तन और गोदी श्रमिक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय करवाने के लिए 15-2-70 के बाद हड़ताल करने की धमकी दी थी। इन पर 3 फरवरी 1970 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर हुए एक सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था और आशा है कि बोर्ड की सिफारिशों पर सरकारी आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे।

Installation of Telephones in M.P.s' Home Towns/Villages

1623. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(*a*) the number of Members of Parliament who have asked for the installation of telephones in a village in their constituency or in their home town;

(*b*) whether it is a fact that in the villages, where charges per call are more than those in the cities, the number of free calls allowed are lesser than those allowed in the cities; and

(*c*) if so, the reasons for discriminating against the M.P.s, residing in the villages ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (*a*) 516 applications have been received upto 20-2-70 from the Members of Parliament for provision of telephones in their constituency or home town under the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 1969.

(*b*) There is no distinction in the local call charges from telephones whether they are provided in towns or villages. The number of free calls allowed in both cases is the same.

(*c*) Does not arise.

Reclamation of Dacoit-Infested Land

1624. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the area of dacoit-infested land and ravines reclaimed during the last three years; and

(*b*) the extent to which the dacoit problem has been solved thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agricultural, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (*a*) Ravine land reclamation includes reclamation of light and medium ravines for agriculture and afforestation of deep ravines. The ravine area reclaimed in the four ravine infested States during the last 3 years (1966-67-68-69) is as follows :

Uttar Pradesh	88838 acres
Madhya Pradesh	9522 acres
Rajasthan	3650 acres
Gujarat	70024 acres

(*b*) Stabilisation of ravines for selective agriculture in order to improve the economic condition of the people of that area is only one of the many measures to combat the dacoity menace. It would be difficult to say to what extent this measure in isolation has been responsible for controlling the dacoity problem.

सहकारी समितियों के विरुद्ध कार्यवाही

1625. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली प्रशासन के सहकार विभाग की इस आशय की शिकायत की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली पुलिस सहकारी समितियों के द्वारा किये गए धन के गबन और अन्य अनियमितताओं की जांच करने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में लापरवाही बरती है;

(ख) क्या पुलिस महानिरीक्षक को भी अभ्यावेदन भेजा गया था, परन्तु उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एरिंग) :

(क) से (ग). सरकार का ध्यान इस ओर नहीं दिलाया गया है। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पुलिस के महानिरीक्षक को 26 मामले भेजे गए थे और उन्होंने पुलिस प्राधिकारियों को निदेश दिया है कि वे शीघ्रता से कार्यवाही करें।

युवकों की बेरोजगारी की समस्या

1626. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्रमश: अहमदाबाद और बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किये गए प्रस्तावों को दृष्टि में रखते हुए देश के युवकों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उन कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) और (ख). सरकार समस्या के प्रति जागरूक है और पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न विकास योजनाओं तथा निवेश, ऋण व लायसैंस जारी करने से सम्बन्धित नीतियों द्वारा ज्यादा से ज्यादा काम के अवसर जुटाने के लगातार प्रयत्न हो रहे हैं।

बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिए जिन अन्य कार्यवाहियों पर विचार हो रहा है उनमें (1) वृत्ति सम्बन्धी परामर्श और व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के क्षेत्र और स्वरूप का विस्तार ताकि काम चाहने वाले को उसकी व्यावसायिक योजना बनाने में सहायता दी जा सके (2) 'कम्प्लैक्स सर्विस सेन्टर' की स्थापना, ग्रामीण बाजारों की सुदृढ़ता, देहातों में बिजली की व्यवस्था और सहायक सड़कों की तैयारी (3) लघु उद्योग तथा सहायक उद्योगों का विकास और देहातों में निर्माण कार्य तथा 'ड्राय फार्मिंग' योजनायें सम्मिलित हैं।

आकाशवाणी से वार्ता के लिये संसद् सदस्यों का चुनाव

1627. श्री लोबो प्रभु: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्यों को आकाशवाणी से बोलने के लिए किस आधार पर आमन्त्रित किया जाता है और इसके लिए चयन कौन करता है;

(ख) क्या इसके लिए संसद में दलीय शक्ति स्थिति को ध्यान में रखा जाता है; और दलीय शक्ति की इस समय जो अवहेलना की जा रही है, सरकार उसकी पूर्ति किस प्रकार करना चाहती है;

(ग) क्या सदस्यों के संसदीय प्रेस और सार्वजनिक कार्यों को ध्यान में रखा जाता है; और सदस्यों को प्रत्येक सत्र से पूर्व अपने विषयों को आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित करने के लिए आमन्त्रित क्यों नहीं किया जाता; और

(घ) आकाशवाणी में शौकिया प्रतिभा को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है; क्या कलाकारों को स्वयं अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है; और क्या पिछले एक वर्ष में किसी पियानोवादक को पियानो वादन के लिए आमन्त्रित किया गया है?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारण करने के लिए संसद सदस्यों को, अन्य व्यक्तियों की तरह, विशिष्ट क्षेत्र में उनके विशेषज्ञ होने, विषय पर उनका गहन ज्ञान तथा आकाशवाणी के कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष प्रसारण के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर आमन्त्रित किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) संसदीय, प्रेस तथा सार्वजनिक कार्यों को भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि, प्रसारणों के लिए वार्ताकारों का चयन आकाशवाणी के कार्यक्रमों की आवश्यकताओं की उपयुक्तता के आधार पर ही किया जाता है। अतएव संसद सदस्यों को स्वयं अपनी सेवायें प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

(घ) इस बात का स्वागत किया जायगा कि शौकिया कलाकार स्वर परीक्षा के लिए स्वर परीक्षा समिति, जो कलाकारों की श्रेणी निश्चित करती है, को आवेदन करें। नवयुवक कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा उनको ढूंढने के लिए आकाशवाणी हर वर्ष रेडियो संगीत सम्मेलन के एक अंग के रूप में अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करती है। आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों द्वारा पिछले वर्ष के दौरान 35 शौकिया पियानो वादक बुक किये गए थे।

उर्वरकों का संचित भंडार

1628. श्री लोबो प्रभु: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अवितरित उर्वरक भंडार के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस समय स्थिति कैसी है;

(ख) सहकारी समितियों द्वारा कितने प्रतिशत उर्वरक वितरित किया जाता है; और

(ग) इस बात को देखते हुए कि 1000 टन उर्वरक वितरित करने के लिए 60 लाख रुपए के निवेश की आवश्यकता होती है: सरकार द्वारा, जिन क्षेत्रों में सहकारी समितियां कार्य नहीं करती, वहां गैरसरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं, और यदि हां, तो सरकार कब तक अपना निर्णय घोषित करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1-4-68, 1-4-69 तथा 1-10-69 को कुल अवितरित उर्वरक भंडार तथा 1-4-70 को ऐसे भंडार की अनुमानित मात्रा निम्नलिखित है:—

(पोषकों के लाख मीटरी टनों में आंकड़े)

	एन०	पी०	के०
1-4-68 को	5.10	2.94	1.59
1-4-69 को	6.91	2.60	2.02
1-10-69 को	5.86	2.93	1.19
1-4-70 को (अनुमानित)	6.41	1.87	1.10

(ख) राज्यों में उर्वरकों के वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों पर है और मुख्यत: इस का निर्वाह सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। अधिकांश राज्यों में सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण की प्रतिशतता 70 से अधिक है। उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों के द्वारा 50 प्रतिशत से कम वितरण किया जाता है। जुलाई, 1968 से जून, 1969 की अवधि में सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरित की गई उर्वरकों की प्रतिशतता 58 प्रतिशत थी।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि 1000 मीटरी टन उर्वरक के लिए 60 लाख रुपए की निवेश-पूंजी की आवश्यकता होगी। क्योंकि काफी उर्वरकों के किस्मों की कीमत 500 रुपए प्रति मीटरी टन से 1100 रुपए प्रति मीटरी टन तक होती है, इसलिए 1000 मीटरी टनों के लिए 5 लाख रुपए से 11 लाख रुपए तक निवेश-पूंजी आवश्यक होगी। गैर-सरकारी एजेंसियों को ऋण देने के सम्बन्ध में व्यापारिक बैंक, उर्वरकों के थोक तथा फुटकर आढ़तियों को ऋण देने में अधिकाधिक रुचि ले रहे हैं। उर्वरकों के विनिर्माता भी ऋण देने के लिए उचित गैर-सरकारी एजेंसियों के चुनने में व्यापारिक बैंकों की सहायता कर रहे हैं। कृषि वित्त निगम (जो कि वाणिज्यिक बैंकों का संयुक्त निकाय है) ने वाणिज्यिक बैंकों से उदार शर्तों की सिफारिश की है जिन पर कि गैर-सरकारी एजेंसियों को ऋण उपलब्ध हो सके। गैर-सरकारी आढ़तियों को ऋण देने में वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम की बंटाई की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार उर्वरक के विपणन के लिए ऋण देने में जोखिम की गारंटी के लिए एक एजेंसी को स्थापित करने का विचार कर रही है।

तमिल नाडु में प्रत्यावर्तित लोगों को बसाने के लिए केन्द्रीय सहायता

1629. श्री उमानाथ :
श्री राममूर्ति :
श्री के० रमानी :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा तथा लंका से 1.78 लाख स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों में से 1.13 लाख व्यक्ति तमिल नाडु में बस गए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने तमिल नाडु सरकार को इस काम के लिए कितनी सहायता दी है;

(ग) क्या सहायता की मात्रा को बढ़ाये जाने के लिए सरकार को तमिल नाडु सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) रंगून में भारत के राजदूतावास और पश्चिम बंगाल सरकार से बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों के बारे में तथा श्रीलंका में भारत के हाई कमीशन द्वारा श्री लंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के बारे में प्राप्त सूचना के अनुसार, बर्मा तथा श्री लंका से स्वदेश लौटे भारतीयों की कुल संख्या और तमिल नाडु में आए ऐसे लोगों की संख्या इस प्रकार है:—

	31-12-69 तक आनेवालों की कुल संख्या	तमिल नाडु में आने वालों की संख्या
बर्मा से	1,78,295	95,193
श्रीलंका से	13,243	12,163
योग:	1.91,538	1,07.356

(ख) बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों के लिए सहायक अनुदान — 85.02 लाख रुपए

ऋण — 298.66 लाख रुपए

श्री लंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के लिए सहायक अनुदान — 51.27 लाख रुपए

ऋण — 49.25 लाख रुपए

(ग) और (घ). उपरोक्त भाग (ख) में दी गई राशियों के अतिरिक्त, तमिल नाडु, सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं—

बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों के लिए

व्यापार के लिए ऋण देने की योजना की क्रियान्विति के लिए 26 लाख रुपए का ऋण मांगा गया है।

श्री लंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के लिए

31.73 लाख रुपए के प्रस्ताव, जिन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, प्राप्त हुए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—2716/70]

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य आवास योजना

1630. श्री सेझियान :

श्री कंवरलाल गुप्त :

श्री गडिलिंगन गौड :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नियोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए आवास की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार इस प्रयोजना के लिए कोई कानून बनायेगी; और

(ग) क्या इस विषय पर बड़े औद्योगिक समूहों की प्रतिक्रियाओं का पता लगा लिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया): (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार अभिकरण की स्थापना

1632. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री अदिचन :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समाचार अभिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अभिकरण की स्थापना और उसके कार्य-संचालन का निश्चित ब्योरा क्या है; और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि एक अभिकरण द्वारा भारत से बाहर भेजे गए समाचार के शब्दों का अनुपात इसके माध्यम से भारत में आने वाले समाचारों के शब्दों की तुलना में बहुत ही कम है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) तथा (ख). सरकार एक ऐसी शुद्ध भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय समाचार सेवा के विकास की आवश्यकता का अनुभव करती है जो दोनों ओर से अर्थात् भारत से तथा भारत में समाचार भेजे तथा इस बात पर विचार कर रही है कि ऐसी एजेन्सी अच्छे ढंग से कैसे स्थापित की जा सकती है। योजना का ब्यौरा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा गठित एक वर्किंग ग्रुप द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रत्येक समाचार एजेन्सी ने कितने समाचार शब्द भेजे और कितने प्राप्त किये, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस लिए ठीक ठीक यह कहना सम्भव नहीं है कि अलग अलग एजेन्सियां प्राप्त होने वाले शब्दों की तुलना में कम शब्द बाहर भेज रही हैं।

भारत सेवक समाज के संबंध में कपूर आयोग की रिपोर्ट

1633. **श्री सु० कु० तापडिया**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज के मामलों की जांच करने वाले कपूर आयोग ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एरिंग): (क) जी अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

Allocation of Tubewells to States of Ganga Basin Areas

1634. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether Government are aware that the land of the States of the Ganga basin, *i.e.*, Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, Bengal and Madhya Pradesh is very fertile but there is acute shortage of water; and

(*b*) if so, whether Government propose to allocate at least 200 crores of rupees to provide a net-work of tubewells in the said States so that all these States could meet the food requirements of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agricultural, Community Development Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (*a*) The land of the States in Ganga basin *i.e.* Bihar, U.P., Haryana, Bengal and Madhya Pradesh is generally fertile. Acute shortage of water is sometimes felt in certain areas due to failure/deficiency of rainfall.

(*b*) A large scale programme to provide a network of tubewells in these States is already in operation. About 1.34 lakh Tubewells were constructed in this tract during the period 1966-67 to 1968-69. It is expected that a total investment of about 200 crores including plan sector outlay and contribution from institutional sources like Land Development Banks, Central Cooperative Banks, Commercial Banks, Agricultural Refinance Corporation (excluding private investment of the cultivators) will be made on this programme during the Fourth Five Year Plan, in the five States.

भारत में अमरीकी दाल सुधार परियोजना की समाप्ति

1636: श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नम्बियार :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार की क्षेत्रीय दाल सुधार परियोजना को भारत से किसी अन्य देश में ले जाया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका सरकार इस परियोजना में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं उपलब्धियों का प्रयोग अपने उद्देश्यों के लिए कर रही है।

(ग) क्या सरकार अमरीका की इस क्षेत्रीय परियोजना को भारत की एक स्वाभाविक परियोजना के रूप में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अमरीका सरकार क्षेत्रीय दाल सुधार परियोजना की अपनी क्षेत्रीय एकक को बन्द कर रही है।

(ख) जो भारतीय वैज्ञानिक परियोजना के भारतीय पक्ष में काम कर रहे हैं वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय दाल विकास परियोजना में इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। परियोजना के अमरीकी पक्ष में नियुक्त कुछ भारतीयों की सेवाओं के उपयोग का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) भारत में पहले ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन अखिल भारतीय दाल सुधार परियोजना नामक एक राष्ट्रीय परियोजना है।

(घ) अखिल भारतीय दाल सुधार परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में एक मुख्य केन्द्र; जबलपुर और हैदराबाद में दो बड़े केन्द्रों और हिसार, वाराणसी, कोयम्बटूर, और बदनेपुर में चार उप-केन्द्रों सहित प्रारम्भ की गई थी, परियोजना को सुदृढ़ करने के लिए बड़े कन्द्रों को दो से बढ़ाकर चार और उप-केन्द्रों को चार से बढ़ाकर सात करने का प्रस्ताव है।

Amount given to Famine-Sticken States and Formation of State Drought Relief Committees

1637. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the steps taken to tackle the famine-situation during the last three years, the amount given in cash so far in this respect and the fund from which given and other type of assistance given in this respect;

(*b*) whether State Drought Relief Committees have been set up to control the famine conditions at the State-level; and

(*c*) if so, the total amount given in cash to the Uttar Pradesh Drought Relief Committee alongwith other assistance given to them and the fund from which this cash and assistance were given ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (*a*) The steps taken to meet the drought situation in various parts of the country during the last three years, including assistance given in this respect, have been indicated in the Statements on scarcity situation laid on the Table of the House from time to time in 1967, 1968 and 1969.

(*b*) The responsibility for organising relief in drought affected areas is that of State Governments. Where the drought situation requires the harnessing of the services of non-officials and the coordination of the various organisations working in the field, Drought Relief Committees have been set up in some of the States.

(*c*) The Government of Uttar Pradesh have stated that no cash assistance was given to U.P. Drought Relief Committee. But some staff and one jeep received from UNESCO were made available to the Committee.

The Government of India allotted to the Committee 200 tonnes of wheat at economic price for use in free kitchens. Reconditioned vehicles purchased from the Ministry of Defence (4 trucks and six jeeps with trailors), were also made available to the Committee on loan.

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के लिये राशि का नियतन

1638. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य निगम तथा कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राशि नियत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो नियत राशि कितनी है और चौथी योजना में उनके कार्यों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। कृषि पुनर्वित्त निगम से आशा की जाती है कि वह चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय की योजनाओं में सहायता करेगा। इसमें लघु सिंचाई, भू-विकास, यंत्रीकरण, संग्रह-व्यवस्था, बागवानी, बागानों आदि के लिए ऋण योजनाओं के लिए पुनर्वित्त व्यवस्था शामिल होगी। 70 करोड़ रुपयों की व्यवस्था और 200 करोड़ रुपयों की आवश्यकता के बीच जो अन्तर है, वह खुले बाजार में तथा भारत के रिज़र्व बैंक से ऋण द्वारा पूरा किये जाने की आशा है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्य निगम के लिए 255 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा संग्रह गोदामों के निर्माण के लिए भी 73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। निगम चौथी पंचवर्षीय योजना में 50 लाख टन खाद्यान्न के रक्षित भण्डार की व्यवस्था करेगा और 35 लाख टन की अतिरिक्त गोदाम क्षमता की व्यवस्था करेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की समूची क्षमता

1639. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में और विशेषकर बिहार में कुल कितनी सिंचाई क्षमता की व्यवस्था की जायेगी;

(ख) क्या राजस्थान, गंडक, पश्चिम कोसी तथा तुंगभद्रा नहर योजनायें चौथी योजना अवधि में पूरी हो जायेंगी; और

(ग) नलकूप लगाकर सिंचाई सुविधाओं की कितनी अतिरिक्त व्यवस्था करने का लक्ष्य है और अधिक गति से काम करने में क्या बाधाएं हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आशा है चौथी पंचवर्षीय योजना "1969-74" के मसौदे के अनुसार देश में बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं से 57·10 लाख हैक्टार और लघु सिंचाई योजना से 48 लाख हैक्टार अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी। बिहार राज्य के तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 11.31 लाख हैक्टार और 4.8 लाख हैक्टार हैं।

(ख) तुंगभद्रा एच०एल०सी० स्टेज—के विषय में पहले ही अच्छी प्रगति हो चुकी है और चौथी योजना के दौरान वस्तुतः कार्य पूरा हो जायगा। चौथी योजना के दौरान गंडक परियोजना, तुंगभद्रा एच०एल०सी० स्टेज 2 और राजस्थान नहर स्टेज 1 परियोजनाएं काफी हद तक मूल रूप में पूरी हो जायेंगी। चौथी योजना के दौरान नहरी रेखांकन के विषय में नेपाल सरकार की मंजूरी प्राप्त न होने से अभी तक उस परियोजना पर कार्य शुरू न हो सकने के कारण पश्चिमी कोसी नहर शायद पूरी न हो सके।

(ग) 1968-69 के अन्त में 2.87 लाख गैर-सरकारी नलकूपों और 15 हजार राजकीय नलकूपों की तुलना में चौथी योजना की अवधि में 4 लाख गैर-सरकारी नलकूप और 5000 सरकारी नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। इन कार्यों से 6.05 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। हाल ही में इस कार्यक्रम का काफी विस्तार किया गया है तथा चौथी योजना की अवधि में प्रस्तावित और गतिवृद्धि प्रशंसनीय है। वित्तीय तथा संगठनात्मक संसाधनों का नियंत्रण होने के कारण कार्यक्रम का इससे अधिक विस्तार करना सम्भव नहीं होगा।

Unirrigated Areas in the Country and Grants for their Development

1640. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) the total area of land available in India at present where irrigation facilities do not exist;

(*b*) whether Government have formulated a scheme to provide irrigation facilities in those areas in order to increase production;

(*c*) if so, the amount of grants likely to be provided to various States separately for the purpose during the Fourth Five Year Plan; and

(*d*) the area of cultivable unirrigated land available in each State at present ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (*a*) According to the Statistics available for the latest year that is 1966-67 irrigation facilities did not exist in 153.42 million hectares out of a *total* cultivable area of 180.90 million hectares.

(*b*) The Draft Fourth Five Year Plan proposed to bring an additional area of 4.26 million hectares from major and medium irrigation schemes and 480 million hectares from minor irrigation schemes during the Fourth Plan.

(*c*) The procedure of releasing Central assistance to State Governments for their plan schemes has been changed from 1969-70. Assistance will now be released to States in block loan and grant for the annual plan as a whole and it will not be related to any specific programme or scheme. The Draft Fourth Five Year Plan provided an outlay of Rs. 857 crores for major medium irrigation schemes and Rs. 475.7 crores for minor irrigation schemes.

(*d*) A statement showing statewise area of cultivable unirrigated land available in each State at the end of 1966-67 is given in the Annexure. [*Placed in Library. See. No. L.T. 2717 70*]

Delicensing of industries set up for manufacturing Vegetable Ghee, Sugar and Maida

1641. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state whether Government propose to look into the question of abolishing the condition of obtaining the licence for setting up the industries for manufacturing vegetable ghee and sugar and the industries for making *maida*, flour and *suji* out of wheat so that the industries based on agriculture could be developed smoothly ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : Government have recently examined the changes necessary in its policies relating to industrial development, in the light of the recommendations of the Administrative Reforms Commission, the Industrial Licensing Policy inquiry Committee and the Planning Commission have announced the industrial licensing policy. According to this policy, it would be necessary for entrepreneurs to obtain a licence for the setting up of Roller Flour Mills and vanaspati factories. So far as the setting up of new sugar factories is concerned, the cases will have to be considered keeping in view the investment involved in fixed assets. However, as the cost of a modern sugar plant of economic size exceeds Rs. 1 crores, it would ordinarily be necessary for the entrepreneurs in this case also to take a licence.

आकाशवाणी के हिन्दी कार्यक्रमों के स्तर में गिरावट

1642. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने पर उन्होंने दिल्ली में आकाशवाणी के प्रस्तुतकर्ताओं को बातचीत के लिए बुलाया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बातचीत के दौरान हिन्दी कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं ने आकाशवाणी दिल्ली के स्टेशन निदेशक के कार्यों की कड़ी आलोचना की थी और इसके फलस्वरूप उनके बीच बहुत विरोध है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके फलस्वरूप हिन्दी कार्यक्रमों का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है; और ..

(घ) यदि उक्त भाग (क) (ख) और (ग) के उत्तर 'हां' में हों तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। प्रोडयूसरों ने अपनी सेवा शर्तों में सुधार करने के बारे में विभिन्न सुझाव दिये थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में सहकारी क्षेत्र में मिश्रित खाद्य कारखाने की स्थापना

1643. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सहकारी क्षेत्र में एक मिश्रित खाद कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से इस परियोजना के लिए अग्रिम ऋण देने का अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो इस बारे में उस निगम की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह परियोजना सम्भवत: कब आरम्भ हो जाएगी तथा इस के लिए केन्द्र सरकार क्या सहायता देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से बिहार स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग यूनियन द्वारा केवल एक दानेदार उर्वरक यूनिट स्थापित करने की प्रार्थना प्राप्त हुई थी।

(ख) निगम ने परियोजना को अनुमोदित कर दिया है और 8.25 लाख रुपए की सहायता की पहली किस्त मंजूर कर दी है।

(ग) दानेदार उर्वरक यनिट के 1970 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है। केन्द्रीय सरकार इस यूनिट के लिए कोई सहायता नहीं दे रही है।

जम्मू तथा काश्मीर की खाद्य नीति में भेद भाव

1644. : श्री भयावन : **श्री सामिनाथन्**
श्री वी० रायणन् : **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री डंडपाणि : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गजेन्द्रगडकर आयोग ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार को उस की खाद्य नीति पर पुनर्विचार करने और कतिपय भेदभाव को समाप्त करने का निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की वर्तमान खाद्य नीति अभी भी जम्मू के प्रति भेदभाव पूर्ण है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि वह एक समान खाद्य नीति का अनुसरण करे ; और

(घ) क्या इस नीति के विरुद्ध जम्मू के लोगों ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस मामले में आयोग ने सिफारिशें की हैं । जांच-आयोग द्वारा इस प्रकार कोई भी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

(ख) आयोग द्वारा बतायी गयी अन्य अनियमितताओं को ठीक कर दिया गया है लेकिन राज्य सरकार श्रीनगर और जम्मू शहर में काफी समय से चल रहे राशन की मात्रा के अन्तर को अभी तक पूर्णत: समाप्त नहीं कर सकी है यद्यपि उन्होंने इसमें धीरे-धीरे कमी की है ।

(ग) जी नहीं । राज्य में खाद्यान्नों का वितरण करना राज्य सरकार का दायित्व है।

(घ) एक राजनतिक दल द्वारा एक आन्दोलन शुरू किया गया है। राज्य सरकार उन से संपर्क बनाये हुए है और यथा संभव उनकी शिकायत को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है।

गेंहूं का उत्पादन

1645. श्री मयावन :
श्री नारायणन् :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सामिनाथन् :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को आशा है कि खाद्य उत्पादन 10 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक होगा; और

(ख) चालू वर्ष में कुल कितना गेहूं पैदा हुआ है और क्या यह गत वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा अधिक है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 1969-70 के दौरान गेहूं समेत खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के निश्चित आंकड़े कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1970 के दौरान उपलब्ध होंगे। परन्तु मौसम तथा फसल परिस्थितियों से सम्बन्धित गुणात्मक रिपोर्टों के आधार पर 1969-70 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग 1000 लाख मीटरी टन होने की आशा है । गेहूं का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक होने की संभावना है।

छोटे समाचार-पत्रों को वित्तीय सहायता

1646. **श्री मयावन :**
श्री सामिनाथन् :
श्री नारायणन् :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :
श्री सेझियान :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटे समाचार-पत्रों को वित्तीय सहायता के लिए उस संशोधित योजना की स्वीकृति दे दी है जिसकी जांच उनके मन्त्रालय ने वित्त मन्त्रालय के परामर्श से कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस संशोधित योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख). देश के छोटे तथा मंझौले समाचारपत्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक समाचार वित्त निगम स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अनाज की वसूली

1647. **श्री मयावन :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नारायणन् :
श्री सामिनाथन् :
श्री दंडपाणि :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब ने 1970-71 में केन्द्र को 32 लाख मीट्रिक टन अनाज देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनाज की वसूली का लक्ष्य पिछले वर्ष के बराबर ही होगा या उससे अधिक होगा; और

(ग) क्या जनवरी, 1970 में भारी वर्षा होने के कारण खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) आशा है कि 1970-71 में पंजाब से गेहूं अधिप्राप्ति करने का लक्ष्य 1969-70 के लिए निर्धारित लक्ष्य से अपेक्षाकृत अधिक होगा। अभी 1970-71 के लिए खरीफ खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लक्ष्य पर विचार करना उपयुक्त नहीं है।

(ग) जी हां।

आकाशवाणी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये काम के अधिक घण्टे

1648. **श्री के० रमानी :**
श्री गणेश घोष :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान में निहित मूलभूत अधिकारों का यह भी अभिप्राय है कि काम के घण्टों के बारे में एक श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की तुलना में दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के साथ कोई 'भेद-भाव' नहीं होगा;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से उन्हें कोई समयोपरि भत्ता दिये बिना ही प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक समय तक काम लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आई०के० गुजराल): (क) से (ग). कर्मचारियों के काम के घंटों को निर्धारित करने में उनके मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की कोई बात नहीं। जब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निर्धारित घंटों से अधिक काम करना पड़ता है तो उन्हें सपयोपरि भत्ता दिया जाता है। सरकारी छुट्टी या उनकी अपनी छुट्टी के दिन, इसके बदले या तो उन्हें एवजी छुट्टी दी जाती है अथवा समयोपरि भत्ता दिया जाता है।

धनुषकोडी पत्तन में सीमा शुल्क विभाग के भवन के निर्माण के लिये तामिल नाडु को वित्तीय सहायता

1649. **श्री के० रमानी**
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री पी० रामामूर्ति :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास बोर्ड ने धनुषकोडी बन्दरगाह में सीमाशुल्क विभाग के भवन के निर्माण के लिए तामिल नाडु सरकार को पूरी वित्तीय सहायता देने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के अधिकारियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार

1650. श्री के० रमानी : श्री के० अनिरुद्धन :
श्री प० गोपालन : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलाकार संघ ने सूचना दी है कि आकाशवाणी के कुछ अधिकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं;

(ग) क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) कठोर भाषा।

(ग) तथा (घ). क्योंकि अधिकांश शिकायतें अस्पष्ट तथा सामान्य प्रकृति की थीं, अतः उनकी जांच नहीं की जा सकी। जब कोई विशिष्ट उदाहरण दिये गए, उन पर विचार किया गया और उचित कार्रवाई की गई।

कृषि पदार्थों की उपज बढ़ाने के लिये उपयुक्त पौधों और बीजों का चयन

1651. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि पदार्थों की उपज प्रति एकड़ बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण तरीका हमारी भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किस्म के पौधे/बीज चुनने का है;

(ख) क्या उक्त तरीके में सफलता सुनिश्चित करने के लिए विश्व भर में बीज आदि एकत्रित करना होता है;

(ग) क्या अभी तक अपने देश से बाहर से पौधे व बीज एकत्र करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और अफ्रीका तथा लातीनी अमरीका से जो भी हमें पौधे व बीज उपलब्ध होते हैं वे मुख्यतः अमरीकी और अफ्रीकी वैज्ञानिकों के प्रयत्नों से होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर पौधे व बीज एकत्र करने और प्रगति से सभा को अवगत कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह सत्य है कि अभी तक हमने देश से बाहर अफ्रीका, लातीनी अमरीका, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अन्य देशों में संग्रह अभियान दलों को भेज कर किसी संग्रह प्रयत्न का संगठन नहीं किया गया है फिर भी, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, मूंगफली, कपास, शाक भाजी आदि फलों के उन्नत किस्मों के प्रजनन के अनुसंधान में उपयोग के लिए जनन-द्रव्यों का बड़े पैमाने पर संग्रह किया गया है। इन्हें मुख्यतः पत्र व्यवहार व मैक्सिकों, अमरीका, रूस, अफ्रीका और अन्य देशों के वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों की प्रत्यक्ष सहायता से प्राप्त किया गया है।

(घ) बागान फसलों जैसे नारियल और आम और केले जैसे फलों की कुछ जातियों के जनन द्रव्यों के संग्रह के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल को दक्षिण-पूर्व-एशिया के देशों में भेजने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। आशा है कि यह दल आगामी वर्ष के लगभग संग्रह अभियान के लिए चला जायेगा।

कीड़ों तथा रोगजनक कीड़ों की वृद्धि को रोकना

1652. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जब पौधों के बढ़ने की हालत में सुधार होता है, तो कीड़ों और रोग-जनक कीड़ों की वृद्धि और फैलने की हालत भी बढ़ जाती है ;

(ख) क्या इस समस्या का समाधान ठीक समय पर बीमारियों और कीड़ों के फैलने की सूचना देने की व्यवस्था करने से किया जा सकता है;

(ग) क्या इसके लिये डा० एम० एस० स्वामीनाथन के अनुसार मौसम विदों, परिस्थिति विज्ञानियों, पौधा विकृतिविदों के बीच अब की अपेक्षा अधिक सहयोग की आवश्यकता है (**इक्नामिका टाइम्स**, दिनांक 31 जनवरी, 1970) ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त विषय में संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) कीड़ों तथा बीमारियों के हमलों का काफी पहले पता लगाना चाहिए जिससे कि कोई बड़ी हानि से पहले ही प्रतिरोधी उपाय किये जा सकें।

(ग) मौसम विज्ञान विभाग से मौसमी परिस्थितियों के विषय में प्राप्त होने वाली आधार सामग्री और कीटों तथा रोगों से उसके परस्पर सम्बन्ध से निगरानी सम्बन्धी पद्धति को विकसित करने तथा रोगों व कीटों के आक्रमण के सम्बन्ध में सामयिक चेतावनी देने में काफी सहायता मिलेगी।

(घ) इन समस्याओं के परीक्षण तथा सांकेतिक साधक उपायों के लिए इस मंत्रालय द्वारा स्थापित किये हुये अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार वनस्पति-रक्षा सगरोध तथा संचयन निदेशालय की देख-रेख तथा तकनीकी मार्ग-दर्शन के अधीन कुछ सघन कृषि जिला कार्यक्रम के जिलों में मार्गदर्शी आधार पर एक निगरानी सेवा शुरू की जा रही हैं।

चावल की उपज में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही

1653. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दो वर्षों में चावल की उपज में वृद्धि करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली के निदेशक द्वारा 31 जनवरी, 1970 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित एक लेख में व्यक्त विचारों के अनुसार इस लक्ष्य को एक करोड़ टन तक बढ़ाया जा सकता है;

(ग) क्या यह सच हैं कि गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति करने के बाद अब चावल की उपज को बढ़ाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये जिसके बारे में कुल सप्लाई स्थिति अब भी बहुत संतोषजनक नहीं हैं; और

(घ) क्या अगले दो वर्षों में चावल की उपज को एक करोड़ टन तक बढ़ाने के लिए उचित कार्यवाही करने का विचार हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) ये विचार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली के निदेशक के हैं। सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां। सरकार को पहले ही इस स्थिति का ज्ञान है और अन्य फसलों के साथ साथ चावल की उपज को सुधारने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) देश में चावल के उत्पादन को बढ़ने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे ये हैं: (1) चावल की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती। (2) बहुउद्देशीय फसल का बोया जाना (3) आदानों की काफी और सामयिक सप्लाई और बेहतर जल प्रबन्ध (4) सिफारिश किए गए उर्वरकों की मात्राओं का प्रयोग (5) उन किस्मों को, जो रोग तथा कीट निरोधी है, अधिक उत्पादनशील और उपभोक्ताओं को स्वीकार्य हैं, विकसित करने के लिए अनुसंधान को तीव्र करना।

अनाज का निर्यात

1654. श्री सीताराम केसरी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री य० अ० प्रासाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्य देशों को अनाज का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों को निर्यात किये जाने वाले विभिन्न किस्म के अनाज क्या-क्या हैं;

(ग) किन-किन देशों को इन अनाजों का निर्यात किया जायेगा; और

(घ) इसके फलस्वरूप कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी?

खाद्य; कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) केवल बढ़िया किस्म के बासमती चावल का निर्यात किया जा रहा हैं।

(ग) तथा (घ). इस समय यह उल्लेख करना सम्भव नहीं है कि किन-किन देशों को बढ़िया किस्म के बासमती चावल का निर्यात किया जायेगा और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की कमाई होगी।

असिंचित क्षेत्रों की उत्पादिता

1655. श्री सीताराम केसरी :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार असिंचित क्षेत्रों की उत्पादिता को बढ़ाने की योजनाओं पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में असिंचित भूमि का कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(घ) यदि हां, तो समूचे देश में कुल कितना क्षेत्र असिंचित हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ?

(ख) चौथी योजना के दौरान देश में 16 मार्गदर्शी परियोजनायें शुरु करने के लिए समाकलित शुष्क भूमि कृषि विकास हेतु एक केन्द्रीय प्रयोजिता योजना तैयार की जा रही है ।

(ग) अभी तक कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

मंत्रालय, अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम

1656. श्री सीताराम केसरी: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों में अनेक पदों के सम्बन्ध में सेवा नियम नहीं बनाये गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सेवा नियमों को अन्तिम रूप देने में बहुत समय लिया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार के अत्यधिक विलम्ब के कारण तदर्थ नियुक्तियां करने का अवसर मिल जाता है और इससे योग्य व्यक्तियों को नियुक्तियों के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है; और

(घ) इन कमजोरियों को दूर करने और तदर्थ नियुक्तियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इस मंत्रालय और इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के कुछ वर्गों तथा अन्य उक्त एवं नए पदों को छोड़ कर अधिकांश पदों के सम्बन्ध में भर्ती नियम पहले बने हुए हैं ।

(ख) चूंकि सेवा नियम गृह-मंत्रालय, अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाने आवश्यक हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में कुछ समय अवश्य लगता है ।

(ग) जहां आवश्यक होता है वहां तदर्थ नियुक्तियां गृह मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग और रोजगार दफ्तरों के परामर्श से की जाती हैं । यह प्रक्रिया योग्य व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्ति के अवसर से वंचित नहीं करती ।

(घ) जहां अभी तक भर्ती नियम नहीं बनाये गए हैं वहां उन्हें बनाने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

आकाशवाणी के पुनर्गठन सम्बन्धी अध्ययन दल के सदस्यों की शैक्षिक अर्हताएं

1657. श्री भगवान दास:
श्री सत्यनारायण सिंह:
श्री पी० एस्थोस:
श्री के० एम० अब्राहम:

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: कर्मचारी पुनर्गठन के सम्बन्ध में नियुक्त किये गए अध्ययन दल के, जिसने आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा शर्तों के बारे में हाल में अपना प्रतिवेदन दिया है, सदस्यों की शैक्षिक अर्हतायें क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): अध्ययन दल के सदस्य थे:—कुमारी एम० मसानी, श्री एस०एन० पंडित, उप-महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री के० एल० शर्मा, संयुक्त निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, श्री वी० कृष्णमूर्ति, कार्यक्रम

निदेशक, आकाशवाणी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव श्री जे० जे० करम (अब सेवा-निवृत्त हो गए हैं) अध्ययन दल के सभी सदस्य स्नातक हैं,—दो, अर्थात् श्री पंडित तथा श्री कृष्ण मूर्ति स्नातकोत्तर हैं। कुमारी मसानी भारतीय विश्वविद्यालय की स्नातक होने के अतिरिक्त लन्दन में विज्ञान में डिग्री भी रखती हैं।

पश्चिम बंगाल में चीनी मिट्टी तथा खानों के मजूरों की मजूरी की दर

1658. श्री भगवान दास:
श्री ज्योतिर्मय बसु:
श्री गणेश घोष:
श्री मुहम्मद इस्माइल:

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य में चीनी मिट्टी तथा खानों में नियुक्त होने वाले मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजूरी के दर का पता है।

(ख) यदि हां, तो इस दर को कब लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे लागू न करने के क्या कारण हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) से (ग). चीनी मिट्टी की खानों का व्यवसाय हाल ही में न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के क्षेत्राधिकार में लाया गया है और उसमें मजूरी दरों के निर्धारण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में लोअर डिवीजन क्लर्कों की संख्या

1659. श्री स० मो० बैनर्जी: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में काम कर रहे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के लोअर डिवीजन क्लर्कों तथा अपर डिवीजन क्लर्कों की वर्ग-वार कुल कितनी संख्या है;

(ख) उनमें से, वर्ग-वार कितने अस्थायी हैं तथा कितने स्थायी हैं और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी न बनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने और 80 प्रतिशत अस्थायी पदों को, जो पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से चल रहे हैं, स्थायी पदों पर परिवर्तित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे):

(क)	निम्न श्रेणी लिपिक	633	
	उच्च श्रेणी लिपिक	293	
(ख)		अस्थाई	स्थाई
	निम्न श्रेणी लिपिक	284	349
	उच्च श्रेणी लिपिक	107	186

अस्थाई कर्मचारियों को निम्न कारणों से स्थाई नहीं किया गया है :—

1. कुछ निम्न श्रेणी लिपिकों ने टाइपराइटिंग टैस्ट पास नहीं किया है, अत: वे स्थाई होने के पात्र नहीं हैं।

2. कुछ निम्न श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक लियन पदों पर कार्य कर रहे हैं।

(ग) समय-समय पर वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुसार अस्थाई पदों को स्थाई पदों में परिणित करने के लिए आवधिक पुनरीक्षण किये जाते हैं। अस्थाई पदों को स्थाई पदों में परिणित करने के लिए आगे और कदम भी उठाए गए हैं और इस मामले को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। बशर्ते कर्मचारी निरीक्षण एकक, जोकि इस समय इस विभाग के स्टाफ की आवश्यकताओं का निरीक्षण कर रहा है, इसकी सिफारिश करे।

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित होने वाली वार्ताओं में संसद सदस्यों को आमंत्रित किया जाना

1660. श्री रवि राय: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में कुछ संसद सदस्यों को आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से वार्ता प्रसारित करने के लिए आमंन्त्रित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी।

अधिक उपज वाली किस्म की फसल के अन्तर्गत क्षेत्र

1661. श्री ज्योतिर्मय बसु:
श्री कं० हाल्दर:
श्री स० चं० सामन्त:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1968-69 तक प्रत्येक राज्य में अधिक उपज वाली किस्म की फसल के अन्तर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्र थे;

(ख) वर्ष 1968-69 तक प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत किसानों तथा उनके परिवारों को इसका लाभ पहुंचा;

(ग) क्या यह सच है कि यह तथाकथित प्रगतिशील किसान जिन्हें अधिक उपज वाली किसम की फसलों का लाभ हुआ है, ग्रामीण समुदायों के धनी वर्ग के हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार की विकास सम्बन्धी गतिविधियों से ग्रामीण समुदायों के इस पहले से ही धनिक वर्ग को ही अधिक लाभ पहुंचा है, यदि हां, तो ग्रामीण वर्गों के इस धनिक अंग पर ही मुख्यत: निर्भर रह कर सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार कृषि क्रांति लाने का है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे): (क) विभिन्न राज्यों में अधिक उत्पादनशील किस्मों की फसल के कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2718/70]**

(ख) विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं। अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम की क्रियान्विति के मूल्यांकन के विभिन्न अध्ययनों से पता लगा है कि बड़े व छोटे दोनों ही किसानों ने उत्पादन के प्रयत्नों में भाग लिया है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने खरीफ 1968 और रबी 1968-69 के अधिक उत्पादन-शील किस्मों के कार्यक्रम के मूल्यांकन की अपनी रिपोर्टों में चुनींदा भाग लेने वालों का वितरण निम्न प्रकार किया है –

फसल	अध्ययन के लिये भागी-दारों की कुल संख्या		कृषि जोतों के परिमाप वर्गों के आधार पर भागीदारों की संख्या											
			2.5 एकड़ से कम		2.5 से 5 एकड़ तक		5 से 10 एकड़ तक		10 से 20 एकड़ तक		20 से 50 एकड़ तक		50 एकड़ और उससे ऊपर	
	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
धान्	602	350	158	118	161	88	147	88	79	39	44	14	13	3
मक्का	106	—	6	—	12	—	25	—	25	—	31	—	7	—
बाजरा	187	—	4	—	11	—	36	—	48	—	74	—	14	—
ज्वार	79	78	0	1	7	8	18	15	20	20	21	25	13	9
गेहूं	—	448	—	38	—	63	—	114	—	129	—	89	—	15

(घ) जी नहीं। नई कृषि पद्धति को अपनाने वाले सभी छोटे बड़े कृषक इससे प्राप्त होने वाले लाभों को समझते हैं। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि जहां तक हो सके अधिक से अधिक ग्रामीण जनता विकास प्रयासों में भाग लेकर उससे लाभ उठा सके।

डायमंड हार्बर, पश्चिम बंगाल में शाखा डाकघर

1662. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर और सदर-सब-डिवीजनों में कुल कितने शाखा डाकघर हैं,

(ख) इन दो सब-डिवीजनों में प्रत्येक शाखा डाकघर औसतन कितने मील के क्षेत्र फल में तथा औसतन कितनी आबादी पर हैं;

(ग) क्या उनकी राय में शाखा डाकघरों की यह संख्या पर्याप्त है और क्या इन दो सब डिवीजनों में डाक की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(घ) 24 परगना जिले में उपरोक्त दो सब-डिवीजनों में ऐसे शाखा डाकघरों के नाम क्या हैं जहां (एक) उपयुक्त फर्नीचर और पर्याप्त संख्या में पोस्टबाक्स नहीं हैं और (दो) जहां चपरासियों को वर्दी नहीं दी जाती और वर्षा अथवा ग्रीष्म की धूप से बचने के लिए वाटर प्रूफ अथवा छतियां नहीं दी जातीं; और

(ङ) उन शाखा डाकघरों के नाम क्या हैं हां (एक) चपरासियों को साइकिलें नहीं दी जाती, (दो) हरकार नहीं हैं (तीन) जो सरकारी इमारतों में नहीं हैं और (चार) जिनकी इमारतें भग्नावस्था में हैं और जिनकी तुरन्त मरम्मत करने की आवश्यकता है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लघु सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति के लिए राज्यों की सहायता

1663. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार तथा उसकी आयोजित प्रत्येक वित्तीय संस्था ने प्रत्येक राज्य को ऋण के रूप में अथवा अनुदान के रूप में कुल कितनी वित्तीय सहायता दी; और

(ख) गत तीन वर्षों में आज तक इस सहायता से राज्य-वार कितने क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) गत 3 वर्षों (1966-67 से 1968-69) के दौरान, लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता (ऋण अनुदान) के राज्यवार आंकड़े अनुबन्ध में दिये गए हैं। वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भूमि विकास बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दी गई ऋण की सहायता के राज्यवार आंकड़े भी अनुबंध में दिये गए हैं। वर्ष 1968-69 में इन संसाधनों, द्वारा विनियोजन के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1966-67 से 1968-69 के दौरान, विभिन्न लघु सिचाई योजनाओं के द्वारा राज्यवार लाभान्वित अतिरिक्त क्षेत्र अनुबंध में दिये गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2719/70]**

उर्वरक की प्रति हैक्टेयर औसतन खपत

1664. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक, वर्ष-वार, उर्वरक की प्रति हैक्टर भूमि में औसतन कितनी खपत हुई;

(ख) उपरोक्त अवधि में वर्ष-वार प्रत्येक राज्य में उर्वरक की प्रति हैक्टर भूमि में औसतन कितनी खपत हुई;

(ग) किसानों को सस्ती दरों पर अच्छे किस्म के उर्वरक उपलब्ध करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है, तो वह क्या है; और

(घ) वर्ष 1966-67, 1968-69, 1969-70 में आमतौर पर कृषि उपज और विशेष रूप से खाद्यान्नोत्पादन की वृद्धि में उर्वरकों का योगदान कितने प्रतिशत था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख). 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में किलोग्रामों तथा पोषक तत्वों में अखिल भारतीय तथा राज्यवार आधार पर उर्वरक की प्रति एकड़ औसत खपत के आंकड़े दर्शाने वाला

विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2720/70]**

(ख) किसानों को दो साधनों से उर्वरक दिये जाते हैं, (1) केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा किये गए आयात से और (2) देश में उत्पादन से।

उर्वरकों के आयात में अधिकतम संभव बचत की जाती है और होने वाली बचत के लाभ उन्हें दे दिये जाते हैं। गत एक वर्ष में आयातित अमोनिया (जो गरीब किसान का उर्वरक है) की कुछ किस्मों का मूल्य 60 रुपए प्रति टन कम कर दिया गया है। केन्द्रीय उर्वरक पूल से समूचे देश में गन्तव्य स्थानों के सभी निकटतम रेलवे स्टेशनों पर समान दरों पर उर्वरकों का वितरण किया जाता है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में किसानों को, जैसे अन्डमान तथा निकोबार अथवा जम्मू तथा काश्मीर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में, समान दरों पर उर्वरक मिल सकें। चार महत्वपूर्ण उर्वरकों का अधिकतम फुटकर मूल्य कानून के अन्तर्गत विनियमित किया गया है और अधिक मूल्य पर उनकी बिक्री एक दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र में निर्माता किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने में केन्द्रीय उर्वरक पूल की मूल्य प्रणाली अपनाते रहे हैं।

किसानों को शुद्ध उर्वरकों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में पर्याप्त उपबन्ध है। जिनके अन्तर्गत परीक्षण के लिए उर्वरकों के नमूने लेने तथा घटिया किस्म के उर्वरक बेचने वाले व्यापारियों पर अभियोग चलाने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्राप्त हैं। किस्म नियंत्रण उपाय लागू करने में राज्य सरकारों और निर्माताओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

(घ) कृषि उत्पादन में सामान्य रूप में और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि में विशेष रूप से उर्वरकों के योगदान की प्रतिशतता का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। अधिक उत्पादन उन्नत प्रणालियों और कृषि घटकों से मिलकर होता है तथा पूरक घटकों के होने से किसी एक की उत्पादिता बढ़ सकती है और पूरक घटक की कमी से कम हो सकती है। कृषि परीक्षणों से पता चलता है कि औसतन 1 टन 'नाइट्रोजन' से 10 टन खाद्यान्न, एक टन पी० 205 से छः टन और एक टन के 20 से 4 टन खाद्य फसलें पैदा होती हैं।

टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन शुल्क

1665. श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री पी० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1969 तक विभिन्न केन्द्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे ; और

(ख) इस विभाग को जब से उसमें टेलीफोन के लिए आवेदन पत्र का शुल्क 10 रुपए निर्धारित किया है अब तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 4,33,123

(ख) 15-2-1970 तक 13,38,180 रुपए।

महिला प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए कलाकार परिचायक (काम्पेयर) के रूप में विदेशी प्रशिक्षण

1666. श्री नम्बियार :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री पी० गोपालन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टेलीविज़न केन्द्र में प्रोडक्शन असिस्टेंट और काम्पेयर के कृत्यों के बीच क्या अन्तर है;

(ख) क्या यह सच है कि एक लेडी प्रोडक्शन असिस्टेंट को काम्पेयर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर और इस प्रयोजन के लिए उसे काम्पेयर के पद के लिए उपयुक्त न समझे जाने के क्या कारण हैं।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) प्रोडक्शन सहायक कार्यक्रमों के तैयार करने में प्रोड्यूसर की सहायता करता है, जबकि परिचायक (काम्पेयर) वह व्यक्ति है जो पर्दे (स्क्रीन) पर कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

साझेदारी आधार पर टेलीफोन देने की योजना

1667. श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री इ० के० नायनार :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन विभाग ने साझेदारी आधार पर टेलीफोन देने की एक योजना चालू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे अब तक कार्यरूप दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना की समुचित क्रियान्विति के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) 1 जनवरी, 1969 से साझेदारी के आधार पर टेलीफोन देने की योजना शुरू की गई थी। यह योजना केवल ऐसे क्षेत्रों के लिए थी जिनमें केवल युग्मों की कमी है और जहां नए कनेक्शन देने के लिए एक्सचेंज क्षमता अन्यथा उपलब्ध थी।

(ख) जी हां, यह उपस्कर के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

1969-70 की खरीफ सीजन में उर्वरक की खपत

1668. श्री क० प्र० सिंह देव: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1969-70 की खरीफ की फसल में उर्वरकों की खपत का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस सीजन में वस्तुत: कितनी खपत हुई;

(ख) उर्वरक की खपत में यदि कोई कमी हुई, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) 1969-70 की खरीफ की फसल में उर्वरकों की खपत के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार है:—

(आंकड़े लाख मीटरी टनों में)

	'एन' के रूप में नाइट्रोजन पूरक उर्वरक	P_2O_5 के रूप में फासफेट पूरक उर्वरक	K_2O के रूप में पोटासपूरक उर्वरक	कुल
1969-70 की खरीफ की फसल के विषय में खपत के लक्ष्य	9.62	3.83	1.70	15.15
1969-70 की खरीफ की खपत के प्रारम्भिक अनुमान	6.31	1.87	0.69	8.87

पुनश्च: यह भी बता दिया जाये कि यद्यपि खरीफ 1969-70 में उर्वरकों की खपत के प्रारम्भिक अनुमान उर्वरक के प्रयोग में गिरावट प्रकट करते हैं तथापि खरीफ 1968-69 में समस्त उर्वरकों की खपत 13 प्रतिशत बढ़ी।

(ख) खपत में गिरावट आने के कारण :

(1) तामिलनाडु, मैसूर आदि काफी उर्वरकों की खपत करने वाले राज्यों में मानसून की प्रारम्भिक विफलता, आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ों, जम्मू तथा काश्मीर में विलिम्बित हिमपात, पश्चिम बंगाल आदि में विलम्बित वर्षा जैसे प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियां।

(2) पर्याप्त ऋण का अभाव।

(3) वितरण पद्धति में कठिनाइयां।

(4) राज्यों में उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रयत्नों को बढ़ाने में अपर्याप्तता।

(ग) उपाय तथा साधन की मौजूदगी के स्थानों पर उर्वरक खपत को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग के साथ समय समय पर क्षेत्रीय सम्मेलन किये गए। हरियाणा जैसे कुछ राज्यों ने तकावी ऋण देने की पद्धति को पुन: प्रचलित किया है। विपणन तथा उर्वरकों के प्रयोग सहित कृषि को अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृत बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है। उर्वरक विपणन गतिविधियों पर धन लगाने में भय न होने का विश्वास दिलाने के लिए एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है। वितरण की पद्धति को व्यापक बनाने की दृष्टि से व्यापारियों को लाइसेंस देने की पद्धति को पंजीकरण की पद्धति में परिवर्तित कर दिया गया है। सरकार निर्माताओं और सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम के रूप में एक उर्वरक वृद्धि परिषद की स्थापना पर भी सक्रिया रूप से विचार कर रही है जिसका कार्य प्रदर्शन कार्य क्रमों व भूमि परीक्षण सेवाओं को गतिमान करना और प्रचार तथा श्रव्य एवं दृश्य साधनों के माध्यम से उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा।

चीनी उद्योग निगम की स्थापना

1669. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र निगम की भांति एक चीनी उद्योग निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) से (ग). जी नहीं। सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में उद्योग के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। समिति के विचारार्थ विषयों में कमजोर जिलों की समस्या सम्मिलित होगी।

इम्फाल में टेलीफोन विभाग का भर्ती केन्द्र खोलना

1670. श्री एम० मेघचन्द्र: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र के स्थानीय लोगों में से टेलीफोन आपरेटर लड़कियों को भर्ती करने के लिए इम्फाल में भर्ती केन्द्र खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में कब से काम शुरू हो जायेगा; और

(ग) इस काम में मणिपुर से अब तक कितनी लड़कियां भर्ती की गई हैं तथा उन्हें नियुक्त किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) तथा (ख). चूंकि टेलीफोन आपरेटरों की भर्ती की घोषणा रोजगार दफ्तरों और समाचार पत्रों में विज्ञापनों के जरिये की जाती है और इसकी व्यवस्था डाक-तार सर्कल केन्द्रीय आधार पर करते हैं, इसलिए इम्फाल में अलग भर्ती केन्द्र खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी तक कोई मणिपुर की लड़की टेलीफोन आपरेटर के पद पर आवश्यक अर्हता के अभाव में भर्ती नहीं की गई, किन्तु कुछ मणिपुरी लड़के टेलीफोन आपरेटर भर्ती किये गए हैं।

इम्फाल में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

1671. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इम्फाल में स्वचालित केन्द्र खोलने तथा सभी जिला तथा सब-डिवीजनल मुख्यालयों को इम्फाल से जोड़ने का काम आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब से चालू हो जायेंगे; और

(ग) उपरोक्त कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। सरकार की यह योजना है कि इम्फाल में एक स्वचल एक्सचेंज खोला जाए और इसका सभी जिलों और उप-मंडल मुख्यालयों से सम्पर्क स्थापित कर दिया जाए।

(ख) तथा (ग). (*i*) **स्वचालित एक्सचेंज** : इम्फाल की मौजूदा हस्तचालित एक्सचेंज को बदल कर वहां एक स्वचालित एक्सचेंज लगाई जानी है जिसकी प्रारम्भिक क्षमता 2,000 से 3,000 लाइनें होंगी। इसकी स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण, भवन-निर्माण और एक्सचेंज उपस्कर और केबलों की सप्लाई और इसे लगाने का काम किया जाना है।

प्रस्तावित एक्सचेंज के लिए भूमि का एक भाग राज्य सरकार से ले लिया गया है। चूंकि प्रस्तावित एक्सचेंज की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह जगह काफी नहीं है, विभाग इस भूमि के साथ के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहा है।

इस समय एक्सचेंज उपस्कर और केबलों की सप्लाई सीमित मात्रा में प्राप्त हो रही है। विभिन्न स्थानों पर सप्लाई देने की विभिन्न चरणों के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है।

वर्तमान परिस्थिति के अनुसार 5वीं योजना की अवधि में स्वचालित एक्सचेंज चालू होने की संभावना है।

(*ii*) **सभी जिला और उपमन्डल मुख्यालयों का इम्फाल से सम्पर्क जोड़ना**

विभाग की मौजूदा नीति यह है कि सभी जिला और उप-मण्डल मुख्यालयों पर टेलीफोन सुविधाएं दी जाएं। केवल जिला मुख्यालय (इम्फाल) में और 10 में से 7 उप-मण्डल मुख्यालयों में पहले से ही टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। बाकी तीन उप-मंडल मुख्यालयों में से उखरूल में टेलीफोन सुविधा दी जा रही है। चण्डेल और जिरिबाम में टेलीफोन सुविधा देने के प्रस्तावों की जांच की गई है और ऐसा पता चला है कि दुर्गम पहाड़ी रास्तों और यातायात की सुविधाओं की कमी के कारण फिलहाल इन स्थानों पर टेलीफोन सुविधा नहीं दी जा सकती।

मणिपुर में शरणार्थी परिवारों का पुनर्वास

1672. श्री एम० मेघचन्द्र: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में 214 शरणार्थी परिवारों को बसाने सम्बन्धी प्रश्न अब अन्तिम रूप से हल हो गया है तथा मणिपुर सरकार ने शरणार्थी परिवारों को भूमि दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया): (क) और (ख). मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 153 परिवारों को भूमि अलाट करने के आदेश जारी कर दिये हैं। शेष 61 परिवारों के मामले मणिपुर सरकार द्वारा सत्यापित किये जा रहे हैं।

मणिपुर में सिंचाई सुविधायें

1673. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मणिपुर में अब तक कितने एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में दोहरी फसल की पद्धति चलाई गई है; और

(ग) दोहरी फसल की पद्धति को प्रोत्साहन देने तथा सिंचाई साधन बढ़ाने के लिए मणिपुर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके लिये केन्द्र ने क्या सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मणिपुर में निवल सिंचित क्षेत्र 68 हजार हैक्टार हैं।

(ख) जी हां। 9 हजार हैक्टार क्षेत्र में एक से अधिक बार बुवाई की गई है।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रखी दी जायेगी।

ये आंकड़ 1963-64 के हैं, जोकि उपलब्ध दित्ते वाला अन्तिम वर्ष है।

मणिपुर में शिक्षित बेरोजगार

1674. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार मणिपुर में वर्ष 1967-68 तथा 1969 के अन्त तक, वर्ष वार शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या क्या थी तथा उनकी अर्हतायें क्या थीं ;

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान में उन्हें अर्हतावार रोजगार देने के बारे में प्रगति क्या रही; और

(ग) मणिपुर में बढ़ती हुई बेरोजगारी का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) और (ख). मणिपुर में नियोजन कार्यालयों द्वारा पंजीकृत नौकरी चाहने वाले वे जिन्हें रोजगार दिलाया गया की संख्या सम्बन्धी उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मणिपुर के नियोजन कार्यालय के चालू रजिस्टर में 1967-1969 के दौरान, प्रत्येक वर्ष के अन्त में दर्ज शिक्षित नौकरी चाहने वालों (मेट्रिकुलेटस व अधिक) की संख्या और प्रत्येक वर्ष में ऐसे जितने उम्मीदवारों को नौकरी दिलाई गई।

नौकरी चाहने वालों की श्रेणी	चालू रजिस्टर पर वर्ष के अन्त में संख्या			वर्ष के दौरान नियुक्ति सहायता पाने वालों की संख्या		
	1967	1968	1969	1967	1968	1969
1	2	3	4	5	6	7
1. मैट्रिकुलेटस व इससे अधिक परन्तु ग्रेजुएट से कम	2267	1993	1373	43	152	84
2. ग्रेजुएट (पोस्ट-ग्रेजुएट समेत)	476	285	283	40	14	75
योग:	2743	2278	1656	83	166	159

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा शिक्षितों समेत बेरोजगार लोगों के लिए, अधिकाधिक रोजगार अवसर उपलब्ध होने की संभावना है।

Frequent Fluctuation in price of Vanaspati Ghee

1675. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rates of other commodities in the country do not fluctuate so frequently as those of Vanaspati ghee;

(b) whether it is also a fact that whenever there is justification Government reduce the rates to bring about balance in the prices and then the rates are again increased under the pressure of the industrialists;

(c) if not, the reasons for the said frequent fluctuation in the prices and the reasons for which Government do not pursue their policy in this regard strongly; and

(d) how this increase in price affects the economic condition of general public ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c). Prices of vanaspati are largely governed by the prices of raw oils used in its manufacture and hence ordinarily fluctuate with the fluctuations in oil prices. Even so, efforts are being made to stabilise vanaspati prices over long periods.

(d) The effect of any increase or decrease in price of vanaspati is somewhat similar to that on account of fluctuations in the price of liquid edible oils or oil-based products.

Employment of Engineers in Fifth Five Year Plan and Amendment of Apprenticeship Act, 1967

1676. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government would not be able to provide employment to the unemployed engineers even in the Fifth Five Year Plan;

(b) whether it is also a fact that Government propose to amend the Apprentice Act, 1967 with a view to bring about improvement in the said situation; and

(c) if so, the reasons for which Government would not be able to provide employment even in Fifth Plan and the nature of changes likely to be brought about by the amendment in the Act ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya): (a) to (c). Employment potential including that for engineers would depend upon the rate of growth of the economy particularly the engineering intensive sectors. According to a recent study undertaken by the Institute of Applied Manpower Research an overall balance is expected to prevail between demand for and supply of engineers by 1978 on the assumption that the economy will grow at a rate of 5.5 per cent during the 4th Plan and at 6 per cent during the 5th Plan period.

One of the measures recommended for creating additional employment opportunities for engineers was that the Apprentices Act, 1961 should be modified to cover engineering graduates and diploma holders with a view to increasing their employability by given them practical training in industry. Details of the proposal are being finalised in consultation with the interests concerned.

Conditions of Famine affected areas of Rajasthan and Water Supply in that Area

1677. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Atam Dass :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the condition of the famine-stricken areas of Rajasthan has deteriorated further as compared to that of the last year ;

(b) whether any success has been achieved in respect of the measures adopted by Government for supplying water; and

(c) the details of the resources mobilised by Government to protect the human and animal life in the famine-stricken areas and the special measures being adopted by Government this year in respect of supplying water ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) During 1968-69 all the districts in Rajasthan were affected by drought. During 1969-70, 16 districts have been affected. However, the distress is greater in some parts particularly of Western Rajasthan as these areas have been affected by drought for several years in succession.

(b) Yes, Sir. Apart from the usual arrangements for supply of water by tankers, carts and camels, the State Government also made arrangements for augmenting the drinking water supply on a more permanent basis by deepening of wells, drilling of new wells and construction of reservoirs.

(c) The State Government organised a large number of relief works to provide employment to the affected population. At the peak period over 20 lakh persons were provided with employment. Gratuitous relief was also given in suitable cases and feeding programmes were arranged for children and expectant and nursing mothers. Migration of cattle to neighbouring States and to forest areas within the State was arranged and fodder was also made available to the cattle remaining in the drought affected areas. The Government of Rajasthan was given financial assistance of Rs. 14.51 crores for expenditure on drought relief operations during 1968-69. During 1969-70 so far, a sum of Rs. 28.50 crores has been released to the State Government.

During this year, the State Government have made arrangements for supply of drinking water to about 300 villages by truck-borne tankers in the districts of Jodhpur, Jaisalmer, Jalore and Pali and by both truck and rail-borne tankers in the districts of Bikaner and Barmer. 50 truck-borne tankers were fabricated by the State Government last year and are in service now. 100 more truck-borne tankers are being fabricated for use this year. Collectors have been authorised to requisition trucks for supply of water if deemed necessary. It has also been decided to allow appointment of contractors for transportation of water where necessary. Subsidy on drawing of water from wells has been sanctioned in about 500 villages. During the last year, 62 tubewells were drilled successfully out of which 46 have been commissioned. The Collectors have been authorised to run all the tubewells in famine affected areas to supply drinking water. Schemes for augmentation of water supply, estimated to cost about Rs. 2 crores, have been sanctioned in Sirohi, Pali, Ajmer, Udaipur, Dungarpur, Nagpur, Jodhpur, Jalore Barmer and Churu. Wells are also being deepened and desilted for augmenting water supply. Thus all possible steps have been taken by the State Government to meet the problem of drinking water supply.

There have been some rains recently in Bikaner, Nagaur, Ganganagar, Jodhpur, Barmer and part of Jaisalmer districts. This is also expected to ease the situation.

सुपर बाजार, नई दिल्ली को हुई हानि

1678. श्री ईश्वर रेड्डी: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर-बाजार, नई दिल्ली पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां तो, जब से वह खुला है तब से लेकर आज तक उसे वर्ष-भर कितनी हानि हुई है; और

(ग) सुपर बाजार के विभिन्न विभागों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी हां, इसे अपने कार्य के पहले तीन वर्षों में हानियां हुई हैं।

(ख) हानियां इस प्रकार हैं: 1966-67 में 7,08,778 रु०, 1967-68 में 22.70 लाख रु०; और 1968-69 में लगभग 10.36 लाख जिसके बारे में अभी लेखा परीक्षा होनी रहती है।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विभाग के बारे में अलग-अलग हिसाब नहीं रखा जाता है।

सुपर बाजार, नई दिल्ली के लेखे तथा प्रतिवेदन

1679. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या कृषि तथा खाद्य मन्त्री सुपर बाजार, नई दिल्ली के, जब से उसे खोला गया है तब से लेकर अब तक के लेखा-परीक्षित लेखे-जोखे तथा वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक, विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग): वर्ष 1966–67 और 1967-68 के परीक्षित लेखाओं की प्रतियां इसके द्वारा सभा-पटल पर रखी जाती हैं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2721/70]** वर्ष 1968-69 के लेखाओं की अभी लेखा परीक्षा नहीं की गई है। सुपर बाजार ने ऐसी वार्षिक रिपोर्टें तैयार नहीं की हैं

सुपर बाजार, नई दिल्ली की प्रबन्धक समिति

1680. श्री ईश्वर रैड्डी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार, नई दिल्ली की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) वे कब तक तथा किन शर्तों पर नियुक्त किये गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एरिंग): (क) और (ख). प्रबन्ध मण्डल के वर्तमान सदस्यों के नाम तथा उनके नामांकन की तारीख दर्शाने वाली एक सूची अनुबन्ध में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2732/70]** यह समिति 17 जुलाई, 1968 को तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित की गई थी। इस समिति के सदस्यों से आशा की जाती है कि वे प्रबन्ध समिति के कार्यों को निभाएं जैसा कि कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली, जो कि सुपर बाजार को चलाता है, की उप-विधियों में विहित है।

Scheme for Workers' participation in Share and Profit of Industries

1681. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the scheme to allow the workers to share the partnership and profit of the industry has found a place in public and private major industries;

(b) whether Government have advised some private industrialists to enforce the said Scheme; and

(c) if so, whether Government have known the reactions of some of them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). The bonus scheme incorporated in the Payment of Bonus Act, 1965 provides, in a significant measure, for workers sharing in the profits of industry; a scheme for voluntary Joint Management Councils in large industrial establishments has also been in operation since 1958. The former being already statutory and the latter purely voluntary, the question of further enforcement does not arise.

दिल्ली में आकाशवाणी के मिस्त्रियों को बिजली के झटके लगने से चोटें

1682. श्री वि० कु० मोडक :

श्री उमानाथ :

श्रीमती सुशीला गोपालन,

श्री मोहम्मद इस्माइल

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर 1969 में दिल्ली के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से बिजली का झटका लगने से कार्य कर रहे 5 मिस्त्रियों को चोटें आई थीं और उनमें से एक मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गया था;

(ख) क्या आकाशवाणी के प्रबन्धकों ने इस दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी जो विधि के अन्तर्गत अपेक्षित है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) सितम्बर, 1969 में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर खामपुर दिल्ली में एक छोटी सी दुर्घटना हुई जिसमें एक मैकेनिक को बिजली के शार्ट सर्कट हो जाने के कारण त्वचा पर मामूली सी चोट आई थी।

(ख) तथा (ग). दुर्घटना मामूली प्रकार की थी अतएव, इसे पुलिस के पास दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

बिहार में संग्रामपुर में डाकघर के लिए नई इमारत

1683. श्री मधु लिमये : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दक्षिण मुंगेर में संग्रामपुर स्थित डाकघर के लिए उस व्यापार केन्द्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नई इमारत बनाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) क्या वहां के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का उनका विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हां, आर्किटेक्ट को प्रारम्भिक नक्शा बनाने की हिदायत दी गई है।

(ख) तथा (ग). कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि डाकघर के परियात पर निर्भर करती है। पटना के पोस्टमास्टर जनरल ने इस बात की जांच करने के लिए कार्रवाई शुरू की है कि क्या इस डाकघर में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का औचित्य है।

बिहार में संग्रामपुर तथा आसरगंज में टेलीफोन केन्द्र

1684. श्री मधु लिमये : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दक्षिण मुंगेर में संग्रामपुर तथा आसरगंज में टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के बारे में एक संसद्सदस्य की ओर से सरकार को स्मरणपत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह काम अब देवघर डिवीजन को सौंप दिया गया है जिसके कारण इस कार्य में देरी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे शीघ्र करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह): (क) सरकार को बिहार में संग्रामपुर और आसरगंज में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करने के लिए एक संसद्सदस्य से स्मरणपत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) तथा (ग). संग्रामपुर और आसरगंज में 'टेलीफोन एक्सचेंज' लगाने का औचित्य नहीं है। फिर भी इन दो स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है। देवघर पटना तार डिवीजन के अन्तर्गत एक उप-डिवीजन का मुख्यालय है। चूंकि

संग्रामपुर और आसरगंज देवघर उप-डिवीजन के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं, इसलिए यह कार्य उक्त उप-डिवीजन करा रहा है। देवघर में कोई तार डिवीजन नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण सामान के उपलब्ध न होने के कारण कार्य को पूरा करने में विलम्ब हो रहा है। इस सामान की व्यवस्था कर के कार्य को शीघ्र हाथ में लेने के लिए प्रयत्न किया जा रहे हैं।

जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एन्ड लोकोमोटिव कम्पनी में हड़ताल

1685. श्री मधु लिमये:
श्री न० कु० सांधी:
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी में हड़ताल के मामले में समझौता कराने के लिए उनके मंत्रालय ने बीच बिचाव किया था;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि दिसम्बर, 1969 में पेश की गयी शर्तों के अतिरिक्त प्रबन्धकों ने किन्हीं नयी शर्तों को स्वीकार नहीं किया था; और

(घ) यदि, हां, तो उन मजदूरों का क्या होगा जिनके विरुद्ध लिखित आरोप लगाये गए हैं अथवा जिन पर अन्य प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) और (ख). राज्य सरकार के प्रयत्नों तथा केन्द्रीय राज्य श्रम मन्त्री द्वारा प्रसारित एक अपील के परिणामस्वरूप, जिसकी एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है, यह हड़ताल समाप्त हो गई। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 2723/70]**

(ग) जी, हां।

(घ) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

बिहार में भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

1686. श्री भोगेन्द्र झा: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में, भारत-नेपाल सीमा पर, शहलाट, बाबूराही तथा लोकाहा डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने सम्बन्धी प्रस्तावों को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए स्वीकार किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) तथा (ख): बाबू-बराही और लोकाहा में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्तावों की जांच करने पर अलभकर पाया गया है। मौजूदा नीति के अनुसार इन मामलों में घाटे की छूट नहीं दी जा सकती। फिर भी यदि इनमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी विभाग को होने वाले घाटे की पूर्ति करने के लिए तैयार हो तो इन सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था की जा सकती है।

शहरघाट में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मांगें

1687. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री पी० सी० अदिचन :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री देवेन सेन :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आन्दोलनकारी तरीका अपनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा किये गए किसी ऐसे निर्णय के बारे में सरकार को सूचित नहीं किया गया है।

(ख) अधिक पारिश्रमिक तथा और अच्छी सेवा शर्तें।

(ग) सरकार इन मांगों पर विचार कर रही है।

उद्योगों के लिए एक समान न्यूनतम मजूरी

1688. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में क्षेत्रीय उद्योगों के लिए प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में एक समान न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षेत्रीय आधार पर समान न्यूनतम मजूरी निर्धारित किये जाने के संबंध में न्यूनतम मजूरी अधिनियम 1948 में कोई व्यवस्था नहीं है। विभिन्न राज्यों में परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं और इस सम्बन्ध में अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्यवाही करने का कार्य राज्य सरकारों का है।

आकाशवाणी के मुख्य प्रस्तुतकर्त्ता को अतिरिक्त धन का भुगतान

1689. **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री प० गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी के उद्धरणों को पढ़ने के लिए मुख्य प्रस्तुतकर्त्ता को अतिरिक्त धन दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब उन्हें आकाशवाणी पर कौन पढ़ता है ; और क्या उसे कोई अतिरिक्त धन दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) श्री जय नारायण शर्मा आकाशवाणी, नई दिल्ली के हिन्दी अनाऊन्सर इस काम के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त धन नहीं दिया जा रहा है। स्टाफ आर्टिस्टों को अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त विनियमन का प्रश्न विचाराधीन है।

ब्रिटेन तथा अमेरिका को चीनी का निर्यात

1690. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन तथा अमरीका को चीनी का निर्यात करने के बारे में कोई व्यापार करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रमण्डल चीनी करार के अधीन ब्रिटेन को 25,400 मीटरी टन भारत के नेगोशिएटेड प्राइस कोटा का निर्यात बातचीत द्वारा तय मूल्य पर किया जायेगा। बातचीत द्वारा तय मूल्य लन्दन डेली प्राइस पर निर्भर करते हुए 45.00, पौंड प्रति बड़ा टन जमा 2.50 पौंड से शून्य प्रति बड़ा टन तक परिवर्तनशील तत्व है।

संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात यू० एस० शुगर एक्ट के अधीन भारत को आबंटित कोटे के अनुसार किया जायेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का मौजूदा कोटा 78,346 छोटे टन कच्चा मान है। लेकिन वर्ष के अन्त तक इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात का ठेका एक विशिष्ट अवधि के दौरान न्यूयार्क काफी तथा शुगर एक्सचेंज इन्श के कंट्रक्ट संख्या 10 की स्पाट कोटेशन से सम्बद्ध मूल्य निर्धारण आधार पर किया गया है। यह मूल्य, मूल्य निर्धारण अवधि की समाप्ति के बाद नवम्बर, 1970 में ज्ञात होगा।

केन्द्रीय मछलीपालन निगम के माध्यम से कलकत्ता में मछली की बिक्री

1691. श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मछलीपालन निगम द्वारा 31 दिसम्बर, 1969 तक कलकत्ता में कुल कितनी मछली बेची गई; और

(ख) गत वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम की स्थापना पर कितना व्यय हुआ तथा कितनी पूंजी लगाई गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) निगम ने अपनी व्यापारिक गतिविधियां प्रारम्भ करने के समय से (अर्थात् 3 दिसम्बर, 1965 से 31 दिसम्बर, 1969 तक) कलकत्ता में कुल 2974 मीटरी टन मछलियां बेची हैं।

(ख) 1968-69 की अवधि में स्थापना सम्बन्धी व्यय 10,21,970 रुपए था। 1968-69 की अवधि में कोई अतिरिक्त विनियोजन नहीं किया गया था। 31-3-69 को प्रदत्त पूंजी 55 लाख रुपए थी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी दूर करना

1692. श्री शिव चन्द्र झा :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार थे ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक रोजगार के कुल कितने अवसर बनाये जायेंगे;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में श्रमिकों की संख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी ;

(घ) चौथी योजना के अन्त में कुल कितने व्यक्तियों के बेरोजगार रहने की सम्भावना है, तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) से (ग): यथातथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) उपलब्ध पंचवर्षीय प्रलम्बनों के अनुसार 1966-71 में 15 से 59 तक की आयु वर्ग की श्रम शक्ति 218 लाख तक बढ़ जायेगी और 1971-76 में यह संख्या 276 लाख हो जायेगी।

(ङ) ऐसे इन्जीनियरों के लिए जो अपना निजी काम आरम्भ करना चाहते हैं, एक योजना तैयार की गई है। इसके अधीन उपयुक्त प्रशिक्षण देने और वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना के लिए उन्हें अग्रिम ऋण मंजूर करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टेट बैंक आफ इण्डिया व दूसरे राष्ट्रीकृत बैंकों ने तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देने की योजनाएं बनाई हैं।

संगीत की सहायता से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान केन्द्र

1693. श्री शिव चन्द्र झा: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र संगीत की सहायता से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए परीक्षण कर रहा है। जैसा कि जापान में किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा पौधों के बढ़ने में संगीत के प्रभाव को देखने के लिए अब तक कोई परीक्षण नहीं किये गए हैं। अगस्त, 1969 में हुई पिछली बैठक में, कृषि अनुसंधान परिषद् की स्थायी समिति ने स्वीकार किया है कि इस विषय पर देश के एक या दो केन्द्रों

में खेतों में नियोजित परीक्षणों के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। विभिन्न विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करके परियोजना तैयार की जा रही है और परिषद् द्वारा शीघ्र इस पर विचार किया जायेगा।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

धान की खेती के लिए भारतीय कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षण

1694. श्री शिव चन्द्र झा: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गए परीक्षणों को धान की खेती पर लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या विशिष्ट कारण हैं तथा इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो धान की खेती पर राज्यवार कितने भारतीय कृषि जिला कार्यक्रम परीक्षणों को लागू किया गया है तथा इनसे कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2724/70]**

Formation of Cooperative Societies of 'Dhobis' 'Rehriwalas'

1695. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4487 on the 18th December, 1969 regarding formation of Cooperative Societies of 'Rehriwalas' and state :

(a) whether proposals regarding the formation of separate Co-opeative Societies of Dhobis, Rehriwalas, Tongawalas and Rickshaw wallas have since been considered;

(b) if so, the complete details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) and (b) Yes Sir; the Delhi Administration have organised two cooperative societies for Tonga Drivers, two for Dhobis and one for Rehripullers. They propose to organise one more society for Rehripullers. These form part of the programme for the Fourth Five Year Plan for Delhi Administration.

(c) Does not arise.

Study made by Labour Bureau on Rural Labour

1696. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be ased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 719 on the 20th November, 69 regarding Report of the study made by Labour Bureau in regard to rural labour and ate :

(a) whether the statements (Hindi and English) of the data collected have since been epared; and

(b) if so, the details thereof; and if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) The reports are l under preparation.

(b) The work has been undertaken in twenty regions in all. The reports on six of these are in the process of being drafted; the drafts, on completion, will have to be cleared by a group of experts before release initially in English; arrangements to render the reports in Hindi will be made later. In respect of eight other regions, the tabulation of data is over; the writing of these reports is to be taken up after the first six reports are ready. In the remaining regions, the field work is still in progress.

Automatic Telephone Exchange at Gorakhpur

1698. Shri Molahu Prashad: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in accordance with the news published in the 'Aaj' dated the 11th January, 1970, the number of telephone subscribers in Gorakhpur has increased to about 1500;

(b) if so, whether it is also a fact that a Member of Parliament had also written a letter to this effect to the Union State Minister for Communications earlier;

(c) whether it is also a fact that Government policy is to provide an auto-Exchange when the number of Subscribers increases to 1000; and

(d) if so, the action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 1,350 telephone connections are at present working at Gorakhpur and 144 new connections are being provided shortly.

(b) No.

(c) The case of each station is examined on its merits depending upon the availability of land for construction of a suitable building and growth of demand.

(d) An automatic exchange is proposed to be opened at Gorakhpur and necessary action to acquire the land has already been initiated.

Self-Sufficiency in Foodgrains

1699. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that import of foodgrains is not likely to be stopped after 1971 inspite of the statement made by him earlier to this effect; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which India is expected to become self-sufficient in foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. It is expected that concessional imports of foodgrains will cease after 1971.

(b) Does not arise.

Demands of Delhi Milk Scheme Employees

1700. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Delhi Milk Scheme have been agitating for the fulfilment of their demands since long and now they have decided to go on strike since their demands have not been fulfilled;

(b) if so, the details of their demands and the reaction of Government thereto; and

(c) the action taken by Government for improvement of their service conditions ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Delhi Milk Scheme Employees' Union have been making demands from time to time. In January, 1970, they issued a circular containing several demands and simultaneously gave a strike notice on 18.1.1970 to the effect that if the same were not met within 25 days, the workers would resort to direct action. The D.M.S. authorities entered into conciliation proceedings with the Union on 5.2.70 and the strike notice was withdrawn as a result.

(b) and (c) : The major demands related to the early confirmation of the clerical staff, conversion of temporary posts into permanent ones, grant of increments, free legal aid to drivers, free accommodation at chilling centres, supply of jerseys to Transport Mates, continuance of the Scheme as a Govt. organisation and not converting it into a Corporation, etc., etc. In the conciliatory proceedings referred to in (a) above, most of the points raised by the Union were settled through discussion. The Government is doing their best to fulfil the demands of the Union as far as practicable and no really major demand is now outstanding. More than 300 temporary posts have since been converted into permanent ones and eligible individuals are being confirmed against the same. L.D.Cs. and Cash Clerks, recruited before the introduction of the recruitment rules for the posts, are now being confirmed without their going through the Typing Test. Recruitment rules for almost all the posts have been or are being revised, with a view to providing adequate avenues of promotion to the staff. Even if the D.M.S. is converted into a Corporation, the privileges available to the employees as Government servants, would be adequately safeguarded. The D.M.S. authorities as well as the Government are always alive and sympathetic to the genuine needs of the employees and efforts are continued to be made to improve the service conditions of the employees as far as practicable.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षु

1701. डा० रानेन सेन: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से गत तीन वर्षों में कितने प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए हैं; और

(ख) उनमें से कितने प्रशिक्षुओं को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तथा बड़े उपक्रमों में प्रशिक्षण के लिए रखा गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया):

(क)

वर्ष	उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1967	63,093
1968	56,740
1969	50,917

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आकाशवाणी से जातिवाद का प्रचार

1702. श्री प० गोपालन:
श्री के० एम० अब्राहम:
श्रीमती सुशीला गोपालन:
श्री पी० राममूर्ति:

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के प्रसारणों में गांधी जी की जाति विशेषकर उप-जाति को महत्त्व देना आकाशवाणी की नीति है;

(ख) गांधी शताब्दी समारोहों के दौरान हिन्दी के कितने रूपकों में गांधी जी उप-जाति के विवरणों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) क्या महात्मा गांधी जी उप-जाति का ऐसे समय उल्लेख करना जातिवाद का प्रचार करने का संकेत नहीं करता जब जनगणना रिपोर्ट में भी जाति का उल्लेख करना बन्द कर दिया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) जी, नहीं ?

(ख) एक।

(ग) जी, नहीं।

Export of Grapes

1703. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in South India the season for crop of grapes is March-April and in North India it is May-June and in these months there is no grape-crop in foreign countries; and

(b) if so, the efforts being made to export grapes to foreign countries ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The season for grapes in South India is February to April and in North India it is May to June but grape crop is also available in some foreign countries during these seasons.

(b) Efforts have been made to exploit foreign markets for early Indian grapes (February-April). Market Studies have shown that wholesale prices of grapes in foreign markets are on the lower side than prevailing locally. Hence the export of grapes is found to be un-economical. However, feasibility of export of grapes to Arabian Gulf and Mauritius is under study.

Ripening of Mango through Hot water Treatment

1704. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a technique of ripening the mango through hot water treatment has been found and this fruit does not rot as a result thereof but on the other hand its colour, smell and pulp are improved; and

(b) if so, the details thereof and the reasons for which the said technique is not being propagated amongst the farmers, brokers and the dealers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The technique of dipping mango fruits in hot water has been found to be effective in reducing microbial spoilage and helps in accelerated ripening in several varieties like Alphonso, Pairi, Neelum and Dusehri. It also increases the storage life of mangoes under low temperature conditions. This treatment, however, has not been reported to improve the colour, smell or pulp.

(b) Some experiments have been conducted on this aspect at Central Food Technological Research Institute, Mysore as well as at Horticultural Research Institute, Saharanpur. Dipping the fruits in hot water bath at 52°C ±1 °C for 5 minutes has been found to be effective as post harvest treatment. This treatment is recommended only for storage of mangoes in cold stores on a commercial scale and not for ordinary marketing. It is, therefore, not taken up by farmers, brokers and dealers.

Technique for Extraction of Pulses

1705. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some technique for extracting pulses has been developed in the country as a result of which 10 per cent more pulses from the same grains could be extracted in less time and at low cost; and

(b) if so, the action being taken by Government in regard to setting up mills for preparing pulses all over the country on the basis of the said technique ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) : The Central Food Technological Research Institute is working on a process to improve milling of pulses to reduce losses during milling. The position of application on a large scale will arise only after the work on the process is completed and evaluation made.

अनाज के व्यापार में बिचौलियों की सेवायें प्राप्त न करना

1706. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अभिकरण अनाज का समाहार करते समय बिचौलियों की सेवा प्राप्त नहीं करते;

(ख) क्या बिचौलियों की सेवाएं प्राप्त न करने के कारण अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार की यह नीति है कि बिचौलियों की संख्या कम की जाए और यथासंभव उत्पादकों से सीधे ही खाद्यान्न खरीदे जाएं। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की एजेंसियां जहां संभव है वहां सीधे उत्पादकों से और जहां कहीं आवश्यक है वहां एजेंटों के माध्यम से अधिप्राप्ति कर रही हैं। एजेंसियों का चुनाव करते समय उन सहकारी संस्थाओं को तरजीह दी जाती है जो जहां कहीं भी इस कार्य को करने की स्थिति में होती हैं।

(ख) अधिप्राप्ति करने वाली एजेंसियों को पहले ही पर्याप्त ऋण सुलभ किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Grant to Nehru Agriculture University of Madhya Pradesh

1709. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Nehru Agricultural University of Madhya Pradesh has been facing difficulties due to the non-payment of adequate grants to it by the Central; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Import of Wheat from Canada and other Countries

1710. Shri G.C.Dixit : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government agree with the statement made by the Canadian High Commissioner in India at Ratlam (M.P.) on the 1st February, 1970, in reply to a question that at present Canada is supplying wheat worth $4 crores to India as gift and now India does not require more wheat; and

(b) if so, the names of the countries from where India is receiving wheat supplies and the quantity thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Government of Canada have indicated their agreement to give an aid of $ 40 million *i.e.* $4 crores, to India in the coming financial year for purchase of wheat from that country. No formal agreement has so far been concluded in this respect. However, till such time as the country becomes self-sufficient in production of foodgrains, some imports of foodgrains are necessary. But with the increase in food production the imports are gradually being reduced. According to the present assessment the concessional imports are expected to be stopped after 1970-71.

(b) At present arrangements are in hand for import in 1970 of about 2.8 million tonnes of wheat from U.S.A. under PL-480 and about one lakh tonnes of wheat from that country on commercial basis. About 35,000 metric tons of wheat given by France as food aid is also expected to arrive in 1970. A remaining quantity of about 46.8 thousand metric tons of wheat against 64,000 metric tons given as aid by the Federal Republic of Germany in 1969 would arrive in 1970. About 50 thousand metric tons of wheat are being imported from Australia on commercial basis and about 6.8 thousand tonnes of wheat (being the remainder out of a gift of 70,000 metric tons of wheat by Australia) has been received from that country in January 1970. Wheat (or some other grain—excepting rice) worth $ 2.88 million, given by the U.K. as aid, is also expected to be imported, principally from Argentina, in 1970. Any further import of wheat in 1970 would depend on the arrangements that may be made in the future.

Increase in Price of Edible Oils

1711. Shri Shri Gopal Saboo : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of edible oils have substantially increased in the country during the last three months;

(b) whether it is also a fact that edible oils are not always readily available at several places in the country as a result of which the general public have been experiencing great difficulty; and

(c) the steps Government propose to take in regard to make available edible oils at reasonable prices in all parts of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes Sir, there has been an increase in the prices of edible oils.

(b) No reports regarding non-availability of edible oils have been received by the Government.

(c) With a view to ensure continued availability of edible oils at reasonable prices in all parts of the country, steps have been taken to discourage hoarding of stocks of oilseeds and oils through restrictions on bank advances and to augment indigenous supplies through imports. The possibility of creating buffer stocks of edible oils is also being explored.

विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यानों की सप्लाई

1712. श्री विश्वनाथ पाण्डेय: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कमी के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्य की सप्लाई के लिए केन्द्र से क्या क्या मांगे की गई हैं; और

(ग) केन्द्र द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में खाद्य का आबंटन किया गया है तथा वास्तव में कितनी कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फिलहाल केवल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और मैसूर के भागों में, जहां खाद्यान्नों की उचित मात्रा में सप्लाई जारी रखी जा रही है, कमी की स्थिति का अनुभव किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि सुगम है । तथापि, जहां कहीं आवश्यक है, उचित मूल्य की दुकानें कार्य कर रही हैं।

(ख) तथा (ग) : प्रत्येक राज्य द्वारा खाद्यान्नों की मांगी गई मात्रा, उन्हें केन्द्रीय पूल से आवंटित की गई मात्रा तथा उन आवंटनों के प्रति वास्तव में सप्लाई की गई/भेजी गई मात्रा को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2725/70]**

देहाती क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन

1714. श्री प्रेम चन्द्र वर्मा : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि देहाती क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं नहीं के बराबर हैं तथा सरकार की नीति इस सुविधा के विस्तार को सीमित करने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देहाती क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए अपने वर्तमान नीति में छूट देने पर विचार करेगी और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी भी है कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीणों को सार्वजनिक टेलीफोन तक पहुंचने के लिए 15 से 20 मील तक चलना पड़ता है और क्या सरकार देहाती क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए एक ऐसी योजना बनाने पर विचार करेगी जिससे सार्वजनिक टेलीफोन तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को 5 किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े और यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अविकसित क्षेत्रों में, जिनमें देहाती क्षेत्र भी शामिल हैं, सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति पर पनर्विचार करके इसे अगस्त, 1968 में उदार बनाया गया था।

(ग) जी हां।

डाक-तार एक वाणिज्यिक विभाग है, इसलिए इस ढंग से सार्वजनिक, टेलीफोन घर खोलने की किसी योजना पर विचार नहीं कर रहा जिससे ग्रामीणों को इसके लिए पांच किलोमीटर से अधिक की दूरी पर न जाना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लाइनों के निर्माण पर अधिक लागत आने और उनसे बहुत कम राजस्व की प्राप्ति के कारण गांवों से पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर इनकी व्यवस्था कर सकना संभव नहीं है। मौजूदा संशोधित नीति के अनुसार प्रशासनिक महत्त्व के सभी स्थानों, 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों, निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज से 40 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित दूरस्थ स्थानों और पर्यटन तथा यात्रा स्थलों पर लम्बी दूर के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था की जानी है। ऐसे स्थानों की संख्या का पता लगाने के लिए आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक है और जो निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज से 13 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित हैं, लेकिन जहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। विभाग के वित्तीय साधनों के अनुरूप सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को आगे और उदार बनाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

आसाम से चावल उठाने में भारतीय खाद्य निगम की सफलता तथा उसका प्रभाव

1715. श्री विश्वनारायण शास्त्री: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम आसाम से 51,000 मीटरी टन चावल की नियत मात्रा को उठाने में विफल रहा है तथा इसके कारण वसूली कार्यक्रम को भारी धक्का लगा है तथा आसाम में कटाई के मौसम में तथा उसके बाद धान के मूल्य में गिरावट आ गई है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम के एजेन्ट के रूप में काम करने वाले बिचौलियों ने धान बहुत सस्ते दामों पर खरीदा था तथा उसे निर्धारित मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम को बेच कर उसने 15 से 25 रुपए प्रति क्विंटल का मुनाफा कमाया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य में सेलीकरण तथा मिलिंग सम्बन्धी सीमित सुविधाएं सुलभ होने के कारण 1968-69 के सीजन में असम सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल में चावल देने की गति धीमी थी। यह अनाज धान के रूप में उपलब्ध था और संचलन से पहले उसको कूटना पड़ा था। जनवरी, 1970 के मध्य से 1969-70 सीजन के लिए अधिप्राप्ति कार्य में सुधार हुआ है और भारतीय खाद्य निगम 72,000 मीटरी टन धान अधिप्राप्त कर चुका है।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

चंडीगढ़ आन्दोलन के कारण पंजाब तथा हरियाणा में हुई हानि

1716. श्री रा० कृ० बिड़ला: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ के मामले के संदर्भ में 26 जनवरी से फरवरी, 1970 के प्रथम सप्ताह तक पंजाब तथा हरियाणा में अनेक डाकघरों, टेलीफोन केन्द्रों तथा तारघरों पर हमले किये गए थे और उन्हें नष्ट कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कुल कितनी हानि हुई।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में डाकघरों, तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों पर हमले किये गए थे, जिनमें अधिकांश मामलों में मामूली क्षति हुई है। हरियाणा में केवल दो स्थानों—सोनीपत और जींद में अधिक क्षति हुई है।

(ख) इसमें डाक-तार विभाग को अब तक कुल 1,25,395 रुपए की हानि हुई आंकी गई है।

शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिये योजना

1717. रा० कृ० बिड़ला: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जनवरी से 24 जनवरी, 1970 तक दिल्ली में हुई एक अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भूमि संरक्षण के मामले के अतिरिक्त सभी शुष्क क्षेत्रों के लिए कोई समान विकास उपाय अथवा कई उपाय करना सम्भव नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक शुष्क जिले की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं और यहां तक कि एक शुष्क जिले में भी विभिन्नतायें मिलती हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मन्त्रालय विचार गोष्ठी में किये गए निष्कर्षों के प्रकाश में प्रत्येक राज्य ऐसे प्रत्येक शुष्क जिले के सम्बन्ध में राज्य सरकार से परामर्श लेकर एक विस्तृत योजना बनाने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) क्या राज्य सरकारों को इस मामले में संघ सरकार को विस्तृत जानकारी देने के बारे में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गए हैं; क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में शुष्क जिलों को उच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 22 से 24 जनवरी, 1970 तक दिल्ली में हुई अखिल भारतीय विचार गोष्ठी में शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि सम्बन्धी अनेक कार्यकलापों पर विचार किया गया था। चयनात्मक आधार पर शुष्क भूमियों का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि जोतने की क्रियाओं, सूखे की परिस्थितियों को सह सकने वाली किस्मों के प्रयोग, उर्वरकों और पौध संरक्षण उपायों के वैज्ञानिक प्रयोग जैसी कृषि उत्पादन की प्रणालियों के साथ साथ मृदा और आर्द्रता संरक्षण पर आधारित टैक्नोलोजी पैकेजों को विशिष्ट रूप से अपनाना उपयुक्त समझा गया, किन्तु, पैकज टैक्नोलोजी में भी मृदा, जलवायु और अन्य तथ्यों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में अन्तर होगा।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). चतुर्थ योजना के दौरान कार्यान्वित करने की दृष्टि से शुष्क भूमि के समकलित कृषि विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाई जा रही है। क्षेत्रों का चयन राज्य सरकारों के परामर्श से किया जायेगा और शीघ्र ही उन्हें इस योजना के ब्यौरे तैयार करने के लिए कहा जायेगा।

Applications pending with D.M.S. for issue of Milk :

1718. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of such persons who are registered with the Delhi Milk Scheme but could not be provided Delhi Milk Scheme so far;

(b) the time by which arrangements will be made to supply milk to these persons ;

(c) the total quantity of milk being distributed by Delhi Milk Scheme at present in Delhi and the details of any scheme proposed for increasing the quantity of milk supply during the next year; and

(d) whether Government would also slash down the price of milk in view of the prevailing reduce rate of milk ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) About 36,000 applications were pending with Delhi Milk Scheme as on first of February 1970, for issue of new milk tokens.

(b) It may take about 4 to 6 months to complete the arrangements for issue of milk to the applicants who are at present on the waiting list.

(c) Delhi Milk Scheme is issuing about 2,60,000 litres of milk per day at present. The existing milk handling capacity of the Central dairy of the Delhi Milk Scheme is being expanded to 3,00,000 liters per day in the first stage and 4,35,000 litres per day in the second stage. Both the stages are expected to be completed during the next financial year.

(d) No proposal for reduction of price of milk is under consideration at present.

कालीकट जिले में डाक तथा तार कर्मचारियों को पुन: नौकरी में लेना

1719. श्री ई० के० नायनार: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद कालीकट जिले में कितने डाक-तार कर्मचारियों को सताया गया था तथा कितनों को निलम्बित किया गया था; और

(ख) क्या सरकार कालीकट जिले (केरल राज्य) से बर्खास्त तथा निलम्बित किये गए डाक-तार कर्मचारियों के मामले पर पुनर्विचार करेगी तथा सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए उनकी सजा को रद्द करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) किसी भी कर्मचारी को सताया नहीं गया था।

कालीकट जिले में सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में 91 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था और 57 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया था।

(ख) 91 कर्मचारियों में से 83 की मुअतली पहले ही मंसूख कर दी गई है। इसी तरह जिन 57 कर्मचारियों की सेवाएं बर्खास्त की गई थी, उनमें से 48 को सेवा पर वापिस लेने के आदेश दिए जा चुके हैं। तथापि गृह मंत्रालय के अभी हाल के आदेशों को दृष्टि में रखते हुए शेष कर्मचारियों को भी सेवा पर वापिस लिया जा रहा है।

Non-Broadcast by A.I.R. of Functions, held on Swami Shraddhanand's Martyrdom Day.

1720. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the programmes in respect of the big procession and a public meeting held on the auspices of the function organised on Swami Shraddhanand martyrdom day were not broadcast by All India Radio;

(b) whether it is also a fact that the information in regard to the said programmes was received by the Station Director of All India Radio much earlier than the usual time;

(c) if so, the reasons for which All India Radio ignored the aforesaid programmes ; and

(d) the action taken against the defaulting officer in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Delhi Station of AIR had made every preparation for adequate coverage of the public meeting but this could not be done due to failure of the technical equipment, meant for recording the proceedings, at the last moment.

(d) The officers concerned have been cautioned to be careful in future and to ensure that stand by equipments are always kept ready for such a contingency.

Working of the Indian Council of Agricultural Research

1721. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the present working of the Indian Council of Agricultural Research;

(b) if so, whether Government propose to appoint a Committee like the one appointed by them in respect of C.S.I.R. to look into the working of the said Council and give suggestions for its future development; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture and in the Department of Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) : The working of the Indian Council of Agricultural Research has been subjected to studies by different Expert Teams periodically. The last study of a very comprehensive nature was made by the Agricultural Research Review Team in the year 1963. The Council is being reorganised keeping in view; among others, the recommendations made by this Team.

चीनी का रक्षित भंडार

1722. श्री न० कु० सांघी: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीनी की उपलब्धता तथा कीमत में उतार-चढ़ाव को नियंत्रण में रखने के लिए चीनी का रक्षित भंण्डार बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): जी, हां। चीनी का बफर स्टाक बनाने सम्बन्धी एक सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

डाकघरों का घाटे में चलना

1723. श्री वि० नरसिन्हाराव:
श्रीमती इला पालचौधरी:

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने डाकघर घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) इन डाकघरों में कितनी वार्षिक हानि होती है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अलाभप्रद डाकघरों को बन्द करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) चूंकि स्थायी डाकघरों के लिए वार्षिक वित्तीय समीक्षा की कोई प्रणाली नहीं है अतः घाटे में काम करने वाले स्थायी डाकघरों की संख्या बताना सम्भव नहीं है। प्रायोगिक डाकघरों के नाम से कहे जाने वाले अस्थायी डाकघरों की वित्तीय स्थिति की वार्षिक समीक्षा की जाती है। घाटे में काम करने वाले ऐसे प्रायोगिक डाकघरों की संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है जिसे कि लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित कारणों से सभी डाकघरों के चलाने में होने वाले घाटे की रकम नहीं बताई जा सकती। तथापि 1968-69 के दौरान प्रायोगिक डाकघरों के चलाने पर 97,12,611.70 रुपए का घाटा हुआ।

(ग) खोले गए प्रायोगिक डाकघरों को उनके कार्य में 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की कतिपय स्वीकृत सीमाओं का घाटा होने पर भी उन्हें 10 वर्ष की अवधि तक चलने दिया जाता है।

यदि वार्षिक समीक्षा के दौरान उनके काम में स्वीकृत सीमा से अधिक घाटा पाया जाये तो जब तक कि किन्हीं दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों द्वारा स्वीकृत सीमाओं से बढ़े हुए अतिरिक्त घाटे की पूर्ति न कर दी जाये, उन डाकघरों को बन्द कर दिया जाता है। प्रायोगिक डाकघरों के काम में 240 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की कतिपय स्वीकृत सीमाओं के भीतर घाटा होने पर भी उन्हें स्थायी बना दिया जाता है किन्तु यह निकटतम डाकघर से दूरी पर निर्भर करता है। यदि 10 वर्षों की प्रायोगिक अवधि के अन्त में स्थायी बनाये जाने के समय उनके काम में इन स्वीकृत सीमाओं से अधिक घाटा पाया जाये तो जब तक कि किन्हीं दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों द्वारा स्वीकृत सीमाओं से बढ़े हुए अतिरिक्त घाटे की पूर्ति न कर दी जाये तो उन डाकघरों को बन्द कर दिया जाता है। चूंकि डाकघरों द्वारा देश की मूल संचार आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इस सर्वसाधारण उपयोगिता सेवा पर सरकार का एकाधिकार है अतः डाकघरों के चलाने में कतिपय सीमा तक होने वाले घाटे को सरकार बर्दाश्त करती है। घाटे में काम करने वाले स्थायी डाकघरों के बन्द किये जाने का प्रश्न तभी उठता है जबकि आवश्यकता अनुसार डाकघर का दर्जा घटा कर अथवा उसके कार्यकलापों को सीमित करके उस पर होने वाले खर्चे को कम करना सम्भव न हो सके।

सूखे क्षेत्रों में वर्षा का जल एकत्रित करने के लिये मिट्टी क्षेत्र चुनने तथा मेंड बनाने सम्बन्धी मार्गदर्शी निदेश

1724. श्री वि० नरसिन्हाराव: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-प्रबन्ध तथा विकास के लिए फोर्ड फाउण्डेशन के कार्यक्रम सलाहकार डा० डी०ए० विलियम्ज ने अपनी हाल की भारत यात्रा में यह बताया है कि उपयुक्त मिट्टी-क्षेत्र चुनकर तथा मेंड बनाकर सूखे क्षेत्रों में वर्षा के जल को मिट्टी में तथा भूमिगत जल में संग्रह किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में निश्चित मार्गदर्शी निदेश देने का प्रयत्न करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां।

विदेशों के साथ सीधे टेलीफोन व्यवस्था

1725. श्री सु०कु० तापड़िया: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों के साथ टेलीफोन की सीधी व्यवस्था से होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को अपनाने की स्थिति में है ; और

(ख) वे देश कौन-कौन से हैं जिनके साथ हम ऐसा कर सकते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बारानी खेती पर विचार गोष्ठी

1726. श्री क० मि० मधुकर:
श्री हेम राज:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बारानी खेती पर एक विचार गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में किये गए विचार विनिमय के आधार पर सरकार द्वारा क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले गए ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) लिये गए सामान्य निष्कर्षों वाला एक नोट संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2726/70]**

अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड की मांग

1727. श्री क० मि० मधुकर: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ श्रेणी—III की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें संचार विभाग के डाक तथा रेलवे मेल सर्विस अनुभागों में कार्य कर रहे अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए डाक मजूरी बोर्ड अथवा आयोग गठित करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी नहीं। फिर भी, डाक कर्मचारियों की राष्ट्रीय यूनिय श्रेणी–III और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की राष्ट्रीय यूनियन ने अभ्यावेदन दिया है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के मामले को प्रस्तावित तृतीय वेतन आयोग के विचार-क्षेत्र में शामिल किया जाए।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

Schemes for Community Development during Fourth Five Year Plan

1729. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount proposed to be spent on the community development during the Fourth Five-Year Plan;

(b) whether any special scheme has been formulated for community development during the Fourth Five-Year Plan;

(c) if so, the outlines thereof;

(d) whether there is any specific proposal to improve the lot of the backward class people during the Fourth Plan; and

(e) if so, the manner in which the problems of Advasis, Harijans, Industrial Labourers, unemployed persons and landless people would be solved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture and in the Department of Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) During the Fourth Plan period outlays for Community Development Programme are in the State Plan Sector and Central assistance for the programme have not been earmarked. The actual amounts to be provided by the State Governments for the Community Development Programme will depend upon the priority which the State Governments give to the Community Development Programme. According to information available so far, the State Plans provide Rs. 84.00 crores for programme of Community Development in the Fourth Plan. These outlays are being discussed by the Planning Commission with the State Governments and revised amounts will be reflected in the final Fourth Plan. In Union Territories the available information shows that an outlay of Rs. 5.13 crores would be spent. In addition, to the State Plan Schemes, an outlay of Rs. 17.35 crores is proposed to be spent on Central and Centrally sponsored schemes of the Department of Community Development.

(b) The following new schemes have been formulated for implementation in the Fourth Plan :

(i) Pilot Research Projects in Growth Centres;

(ii) Composite Programme for women and pre-school children;

(iii) Scheme for Community Land Settlement;

(iv) Production of films on Community Development and Panchayati Raj;

(v) Encouragement of economic activities by grant of incentive awards to Yuvak Mandals;

(vi) Sammelans; and

(vii) Photographic competition.

(c) The outlines of the above schemes are given in Annexure 'A'. [*Placed in Library. Sec. No. LI* 2727/70]

(d) and (e) Information is being collected and would be laid on the Table of the House.

Exchange of Agricultural Experts between India and Malaysia

1730. Shri Jageshwar Yadav :
Shri R.R. Singh Deo :
Shri Y.A. Prasad :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether India and Malaysia are likely to exchange Agricultural Experts and, if so, the manner in which these countries are likely to be benefited thereby;

(b) whether Malaysian youths are receiving education in India and, if so, the number thereof and whether Indian youths are also receiving education in Malaysia and, if so, the number of such youths; and

(c) the nature of special education that Indian Officials would receive in Malaysia on the basis of said exchange system and also the nautre of education that would be imparted to Malaysians in India ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture and in the Department of Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes; for mutually beneficial exchange of experience in agriculture, forestry, etc.

(b) and (c) 36 Malaysian students are studying in India in different fields of agriculture. Proposals are under consideration to send selected officials to Malaysia for studying more about cultivation in rubber, oil-plam, etc., and timber, grading, logging, etc. in forestry.

Solution of Food problem during Fourth Five-Year Plan Period

1731. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount to be incurred during the Fourth Five-Year Plan to solve the food problem of the country ;

(b) whether it is a fact that Government have formulated some special scheme to solve country's major problem of food during the Fourth Plan, if so, the details thereof;

(c) whether it would now be possible for India to start exporting foodgrains to other countries in the near future as has been said by him, if so, the basis thereof; and

(d) whether it is a fact that there are some foodgrains which grow only in India and no where else, if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture and in the Department of Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The attached Statement shows the allocations envisaged in the Draft Fourth Five Year Plan, 1969-74, for various sub-heads of the Agricultural Sector and allied Sectors, which would help to increase foodgrains production in the country. Final allocations for these Sectors under the Fourth Five Year Plan are under consideration of the Planning Commission.

Statement

Allocations proposed in the Fourth Five Year Plan for the Agriculture and Allied Sectors :

	(*Rupees in crores*)
Agricultural Production	528.80
Minor Irrigation	475.70
Soil Conservation	151.10
Area Development	29.50
Central support to financial institutions (Agricultural Sector)	263.00
Cooperation	151.40
Community Development & Panchayati Raj	115.80
Major Irrigation	857.00

(b) For securing substantial increases in foodgrains production at a rapid rate, a New Strategy for Agricultural Development has been undertaken since 1966-67 and efforts under this Strategy are being further intensified under the Fourth Five Year Plan. The main elements of the 'New Strategy' include increased coverage under high yielding varieties programme, multiple cropping, development of minor irrigation for intensive cultivation, organised provision of inputs like fertilisers, improved seeds and pesticides, timely and liberal credit facilities including institutional finance, farmers' education and training and intensification of research and extension.

(c) As the production of foodgrains increases to the targetted level of 129 million tonnes by the end of the Fourth Five Year Plan, surpluses of some grains will emerge and would be available for export. Actual exports would, however, depend upon our competitiveness in world markets. The assessment of surpluses is based on an analysis of the requirements of foodgrains for various uses. India has already exported a small quantity of Basmati rice during 1969.

(d) There are some millets like *Kodan* (*Panicum scrobiculatum*), and pulses like *Moth* (*Phaseolus aconitifolius*), and *kulthi* (*Dolichos biflorus*) which are grown only in India.

चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन

1732. श्री अदिचन: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी के चालू मौसम में सम्भावित उत्पादन के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो यह गत वर्ष देश में हुई रबी की वास्तविक फसल की तुलना में कैसी है; और

(ख) नवीनतम परिणामों के प्रकाश में चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) अधिकतर क्षेत्रों में रबी की फसल अभी तक खेतों में ही है और बहुत कुछ रबी-मौसम के शेष भाग में मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। अत: रबी फसल के आकार के बारे में कोई निश्चित बात कहनी ठीक नहीं है। तथापि फसलों की स्थिति के बारे में अभी तक प्राप्त गुणात्मक रिपोर्टों के आधार पर यह आशा की जाती है कि पूर्व वर्षों की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान रबी फसलों का उत्पादन अधिक होगा।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1973-74) के अन्त तक प्राप्य कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 1290 लाख मीटरी टन रखा गया है।

Employment of Released Emergency Commissioned Officers through Employment Exchanges

1733. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri S.K. Tapuriah :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of released Emergency Commissioned Officers, who had been provided with employment by Government through employment exchanges during the year 1969;

(b) the number of such officers, who had got their names registered in the employment exchanges for employment during the above period;

(c) whether Government have formulated any scheme for providing employment to such remaining officers; and

(d) if not, the action Government propose to take in future in order to provide employment to a large number of such officers ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b) The information is being collected.

(c) and (d) Facilities and concessions, indicated in reply to part (c) of Lok Sabha Unstarred Question No. 7463 on 24th April, 1969, continue to be available to them. 2343 Emergency Commissioned Officers have so far been placed in employment by the Special Cell set up in the Directorate General of Resettlement (Ministry of Defence).

Government Advertisement to Newspapers

1734. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1650 on the 27th November, 1969 and state:

(a) the number of newspapers published in Hindi, English and Urdu out of the 45 newspapers having circulation of more than 30,000 but not getting advertisements from Government;

(b) the number of newspapers published in Hindi, English and Urdu out of 1,441 newspapers getting advertisements from Government; and

(c) the reasons for not giving advertisements to the 45 newspapers having circulation of more than 30,000 ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) :

(a)	English	15
	Hindi	9
	Urdu	—
(b)	English	308
	Hindi	431
	Urdu	185

(c) The newspapers concerned are not being used either for non-submission of the requisite particulars to the Directorate of Advertising and Visual Publicity or for non-fulfilment of the criteria laid down for the use of papers for Government advertisements. Advertisements are withheld from newspapers and periodicals indulging in virulent and presistent propaganda inciting communal passions or preaching violence of offending socially accepted conventions of public decency and morals, thus undermining the national interests.

Loss to Super Bazar New Delhi, during 1968-69

1735. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the value of the goods purchased by Super Bazar, New Delhi as also its sale proceeds during the financial year 1968-69; and

(b) the details regarding the loss sustained or profit made by the Super Bazar in Delhi during the aforesaid year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering). (a) The value of goods purchased at (cost price) during 1968-69 (July, 1968 to June, 1969) was Rs. 3.38 crores. The total sales for the same period including concessionnaire departments were of the value of Rs. 4.41 crores.

(b) The loss for the cooperative year 1968-69 is approximately Rs. 10.36 lakhs, subject to audit.

आसाम पोस्टल सर्किल को पपर टैग्स की सप्लाई

1736. श्री धीरेश्वर कलिता: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में डाक व तार सर्किल के डाक अधिकारी ने डाक थैलों के प्रयोग के लिए "पेपर टैग्स" की सप्लाई हेतु, क्रियादेश हाल ही में आसाम से बाहर दिया है और यदि हां, तो यह क्रयादेश कितने मूल्य का है ;

(ख) क्या किसी प्रेस अथवा आसाम के व्यापारी ने इसके लिए आवेदन पत्र दिया था; और

(ग) क्या विज्ञापन द्वारा लोगों से भाव मांग गए थे, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। असम के पोस्ट मास्टर जनरल ने अपनी आपातकालीन मांग की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल के पोस्ट मास्टर जनरल से 15 लाख टैग-लेबल मुहैया करके सप्लाई करने का निवेदन किया है क्योंकि स्थानीय तौर पर वे गोहाटी व शिलांग में उपलब्ध नहीं थे। इस सप्लाई आदेश की अनुमानित कीमत लगभग 6,000 रुपए है। अभी तक कोई खरीद नहीं की गई है।

(ख) मांग आदेश के जारी किए जाने के बाद एक स्थानीय व्यापारी (निर्माणकार्य ठेकेदार) ने टैग-लेबलों को मुहैया करके सप्लाई करने के लिए 'सेवाएं' अर्पित की थीं। आमंत्रित किए गए टेंडरों में एक हजार टेग-लेबलों के लिए (कागज खर्च के अलावा) दरें 16 रुपये से लेकर 21 रुपये तक दी गई थीं जब कि मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग द्वारा मंजूर की गई दर 1 रुपया 10 पैसे थी।

(ग) स्थानीय मुद्रण के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार कम से कम छः ख्याति प्राप्त फर्मों से कोटेशन मंगाये जाते हैं तथा अदायगी की जाने वाली दरें मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग की त्रैवार्षिक डाक-तार संविदा दरों से ऊपर नहीं होनी चाहिए।

भूमिहीन मजदूरों तथा अनुसूचित जातियों में फालतू भूमि का वितरण

1737. श्री जी० वाई० कृष्णन: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन मजदूरों तथा अनुसूचित जातियों में कुल कितने एकड़ फालतू भूमि वितरित की जायेगी; और

(ख) प्रत्येक राज्य में भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जातियों तथा पात्र काश्तकारों की संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के राज्य सूची-सूची-II की मद संख्या 18 के अन्तर्गत 'भूमि' राज्य का विषय है। भूमि का आवंटन तथा वितरण सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) 1961 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों के कृषि श्रमिकों की संख्या 10,453,364 थी। अनुसूचित जातियों के भूमिहीन श्रमिकों तथा सुपात्र काश्तकारों के राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का इंजीनियरी उद्योग संबंधी सिफारिशों को बिहार सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना

1738. श्री रामावतार शास्त्री: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर सरकारी निर्णयों की घोषणा होनी अभी बाकी है। फिर भी सितम्बर, 1969 में पटना में हुई त्रिपक्षीय बैठक में स्वीकृत निर्णयों के अनुसार बिहार सरकार ने मजूरी संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की थी। जमशेदपुर के कुछ इंजीनियरी कारखानों में हुई हड़ताल तथा त्रिपक्षीय समिति के सदस्यों के स्वयं हट जाने के कारण इस समिति का कार्य रुक गया। बाद में कुछ इंजीनियरी कारखानों में समझौते हो गए। बिहार सरकार से कारखाना

अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुए शेष इंजीनियरी कम्पनियों में मजूरी-दरों के संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए पिछली जनवरी में एक अन्य त्रिपक्षीय समिति का गठन किया। यह समिति अपना काम कर रही है।

'माडर्न ब्रेड' की कीमत

1739. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं की कीमतों में वृद्धि के कारण कुछ समय पहले दिल्ली में माडर्न ब्रेड की कीमत बढ़ा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार माडर्न ब्रेड की कीमत को पहली मूल कीमत पर लाने की मांग पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग): क्योंकि डबल रोटी की कुल लागत में कच्चे माल की लागत होती है इसलिए कच्चे माल की लागत में जो वृद्धि होती है उससे डबल रोटी के मूल्य में भी वृद्धि होती है।

Population affected due to Famine in the Country

1740. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that famine conditions are prevailing in several States due to failure of rains this year;

(b) if so, the names of those States and the population which is famine-affected in each State; and

(c) the action taken or proposed to be taken to provide them relief ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). Scarcity conditions due to the failure of rains during 1969 have so far been reported in the following States :—

S.No.	*State*	*Population reported to be affected (in lakhs)*
1.	Gujarat	46.53
2.	Madhya Pradesh	20.24
3.	Mysore	13.14
4.	Rajasthan	70.69

(c) It is the responsibility of State Governments to undertake relief operations in connection with natural calamities in their areas. The State Governments concerned have started relief operations like provision of employment on relief works, grant of gratuitous relief to the old and infirm, arrangements for supply of drinking water etc.

Central financial assistance is provided to the State Governments according to a prescribed pattern. The financial assistance released to the four States during 1969-70 (including reimbursement of expenditure incurred in the previous year) for drought relief operations is as follows :—

	(Rs. in crores)
Gujarat	10.50
Madhya Pradesh	0.50
Mysore	1.62
Rajasthan	28.50

Allotment of foodgrains to cover the deficits of States is also made keeping in view the needs of the States and the availability of foodgrains in the Central pool.

डाक-तार कालोनी, किदवईपुर, पटना में दुकान तथा स्कूल की इमारत की व्यवस्था

1741. श्री रामावतार शास्त्री: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार कालोनी, किदवईपुर, पटना में स्कूल की इमारत और दुकानों की कोई राशि नियत की गई है;

(ख) यदि हां, तो स्कूल की इमारत और दुकानें वहां कब बनाई जाएंगी;

(ग) क्या डाक-तार विभाग का विचार डाक-तार कालोनी में सीधा अपने अधीकरण में स्कूल चलाने का है ।

(घ) देश में तथा विशेषरूप से डाक-तार कालोनी, किदवईपुर, पटना में एक तार विभाग द्वारा ऐसे स्कूल चलाये जाने की वास्तविक योजना क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं कि पटना में केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे उच्चतर माध्यमिक स्कूल से डाक-तार कालोनी किदवईपुर पटना के निकट स्कूल स्थापित करने के लिए अनुरोध नहीं किया जा सकता जबकि यह स्थान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए एक केन्द्रीय स्थान है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) तथा (ख): डाक-तार कालोनी, किदवईपुर, पटना में स्कूल की इमारत और दुकानों के लिए फिलहाल ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

(ग) जी नहीं।

(घ) डाक-तार विभाग द्वारा देश में या डाक-तार कालोनियों में स्कूल चलाए जाने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में दूध की सप्लाई में वृद्धि

1742. श्री म०ला० सोंधी :

श्री सु०कु० तापड़िया :

श्री स०चं० सामन्त :

श्री रामसिंह अयरवाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दूध की सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई गई है;

(ख) दुग्ध पदार्थ उत्पादन क्षमता, दूध की प्राप्ति, सहकारी दूध सप्लाई संगठनों, दुग्ध पदार्थों की तैयार करने की क्षमता, किस्म नियंत्रण वितरण, घरों में दूध की सप्लाई तथा पूर्ण कालिक दूध डिपुओं द्वारा दूध के वितरण के बारे में प्रस्तावित विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है और इसके लिए धन किस प्रकार जुटाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां। दिल्ली दुग्ध योजना के माध्यम से दिल्ली में दूध की आपूर्ति बढ़ाने के लिए योजनायें बनायी गई हैं।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना की दूध सम्भालने की क्षमता में वृद्धि करने और उसके देहाती दुग्ध एकत्रण क्षेत्रों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को तैयार किया गया है:--

(1) वर्तमान दुग्ध संयत्र के विस्तार के प्रथम चरण में 2,55,000 लिटर प्रति दिन की क्षमता को बढ़ाकर 3,00,000 लिटर प्रति दिन तक करना, इसके शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है।

(2) वर्तमान दुग्ध संयत्र के विस्तार के द्वितीय चरण में आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त तक 3,00,000 लिटर प्रति दिन की क्षमता बढ़ाकर 4,35,000 लिटर प्रति दिन तक होने की आशा है।

(3) विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से दुग्ध विपणन और डेरी विकास की नई परियोजना के अन्तर्गत प्रति दिन की क्षमता को 7,00,000 लिटर प्रति दिन तक बढ़ाने के लिए दिल्ली में एक द्वितीय डेरी और सम्बन्धित कार्यों का निर्माण जिसे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूर्ण कर लिए जाने की आशा है।

(4) दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध एकत्रण क्षेत्रों, अर्थात् उत्तर प्रदेश के मेरठ, हरियाणा के गुड़गांव और करनाल और राजस्थान के बिकानेर जिलों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए चार सघन पशु विकास की परियोजनायें।

इन परियोजनाओं में पशु विकास के साथ साथ डेरी विस्तार और सहकारी समितियों के विकास का बृहत् कार्यक्रम सम्मिलित है।

(5) पशु विकास कार्यक्रम, जिसमें हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में डेरी विस्तार और सहकारी समितियों का विकास सम्मिलित है। (निर्माणाधीन)

(6) विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से दूध के विपणन और डेरी विकास की नई परियोजना के अधीन दिल्ली दुग्ध योजना की दूध सम्भालने की क्षमता और प्रजनन के वैज्ञानिक कार्यक्रम, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु खाद्य भण्डार, आपूर्ति और सुधरी व्यवस्था द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि का बृहत् कार्यक्रम।

दिल्ली दुग्ध योजना का गृह वितरण अथवा पूर्ण कालिक दुग्ध डिपुओं द्वारा दूध वितरित करने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ग) सम्बन्धित जानकारी निम्न प्रकार है:--

मद	अनुमानित लागत (रुपये)	प्रदत्त वित्त का स्रोत
(1) मौजूदा दुग्ध संयत्र के विस्तार का प्रथम चरण	41.19 लाख	दिल्ली दुग्ध योजना के विस्तार के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किए गए 2.25 करोड़ रुपए प्रावधान से।
(2) मौजदा दुग्ध संयत्र के विस्तार का द्वितीय चरण	1.18 करोड़	,, ,,

(3) दिल्ली में द्वितीय डेरी तथा सम्बन्धित कार्यों का निर्माण	8.35 करोड़	अंशत: चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 2.25 करोड़ रुपए के प्रावधान और अंशत: दुग्ध विपणन और डेरी विकास की नई परियोजना के अधीन विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त पण्यों के विक्रय से निर्मित निधि की सहायता से ।
(4) चार सघन पशु विकास परि- योजनाएं	220.37 लाख	इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किए गए 220.37 लाख रुपए के प्रावधान की सहायता से ।
(5) रोहतक में डेरी विकास परियोजना	73.92 लाख	विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा परियोजना 348 के अधीन दी गई पण्यों के विक्रय से बनी निधि से ।
(6) दिल्ली दुग्ध-योजना के दुग्ध एकत्रण क्षेत्र में दुग्ध विपणन और डेरी विकास की नई परियोजना के अधीन पशु विकास कार्यक्रम	14.16 करोड़ रु०(अनुमानित)	दुग्ध विपणन और डेरी विकास की नई परियोजना के अधीन विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाले पण्यों के विक्रय से बनी निधि से ।

बारानी खेती क्षेत्रों में लघु किसान विकास अभिकरणों की स्थापना

1744. श्री हेम राज: क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** 18 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 667 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन जिलों में "लघु किसान विकास अभिकरण" स्थापित किए गए हैं, तथा वे जिले किन-किन राज्यों में हैं;

(ख) क्या वे केवल सिंचाई वाले क्षत्रों मे ही स्थापित किये गए हैं अथवा बारानी क्षेत्रों में भी; और

(ग) यदि वे बारानी क्षेत्रों में अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं तो क्या सरकार का विचार ऐसा करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), पुरनिया (बिहार), तथा छिन्दवारा (मध्य प्रदेश) । इस उद्देश्य के लिए अन्य राज्य सरकारें जिलों को चुन रही हैं ।

(ख) तथा (ग). लघु किसान विकास अभिकरणों के लिए जिलों के चुनाव का एक सिद्धान्त यह है कि उस क्षेत्र में सतही सिंचाई या भूगर्भ जल की क्षमता हो । उद्देश्य यह है कि छोटे किसानों को अपने आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए सिंचाई के सम्भाव्य साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाएं ।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार की एक अन्य योजना के अन्तर्गत उप-सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों को सहायता देने के लिए बारानी खेती के क्षेत्रों में भी परि-योजनाएं शुरू की जा सकती हैं ।

पी०एल० 480 के अन्तर्गत किए जाने वाले आयात को बन्द करना

1745. श्री हेम राज: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०एल० 480 के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात को बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निश्चित निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक किया जायेगा और इसका आयात कब तक जारी रहेगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): जब तक देश खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक पी०एल० 480 के अधीन कुछ आयात करना आवश्यक है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से आयात की मात्रा में शनैः शनैः कमी की जा रही है। मौजूदा मूल्यांकन के अनुसार यह आशा की जाती है कि 1970-71 के बाद रियायती आयात बन्द कर दिया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ते तथा पर्वतीय भत्ते का दिया जाना

1746. श्री हेम राज : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा प्रतिकर भत्ते तथा पर्वतीय भत्ते के भुगतान हेतु हिमाचल प्रदेश में पूरे हिमाचल तथा कांगड़ा जिले को एक क्षेत्र माना जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन हेतु कुछ स्थानों को ही स्वीकार करती है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अपने कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले प्रतिकर तथा पर्वतीय भत्ते के समान भत्ता देने का है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, क्योंकि भत्ते किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई पर आधारित हैं।

(ग) **चम्बा जिला :**

चम्बा तहसील, भटियाट उप तहसील, चौरा तहसील, बरमौर इलाका।

मंडी जिला

चचिओट तहसील, क्सोंग तहसील, जोगिन्दर नगर तहसील, मंडीसदर तहसील, सुन्दर नगर तहसील, सरकाघाट तहसील।

माहासू जिला

रामपुर तहसील (सरहान, पंदराबीस और अठाराबीस परगनों के अलावा), रौहरू तहसील (दोदरा, कवार के अलावा), जुब्बल तहसील, चोपाल तहसील, कोटगढ़ और कोटखाई इलाके, कुमारसेन उप तहसील, ठियोग तहसील, सोलन तहसील, अरकी तहसील, सूनी उप तहसील।

बिलासपुर जिला—पूरा जिला

सिरमूर जिला—पूरा जिला

कांगड़ा जिला— पूरा जिला

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Selection of Persons belonging to Political Parties for AIR Broadcasts

1747. Shri O.P. Tyagi : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number and the names of persons, belonging to the various political parties, invited by Government during 1969 for broadcasting their views on the All India Radio on the various problems facing the country and other relevant matters;

(b) whether the said persons were invited through the parties to which they belonged or they were invited directly by A.I.R. authorities;

(c) in case they were invited directly by A.I.R. authorities, the basis on which their selection was made; and

(d) the method by which it is ascertained that a particular person can speak with authority on a particular subject ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujaral) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Normally persons are invited for broadcast by A.I.R. directly and not through the Parties to which they belong. If however, any persons were invited through the Parties, the House will be informed after collecting information from the All India Radio stations.

(c) and (d) The primary considerations which guide All India Radio in selection of talkers are :—

(1) The standing of a particular individual in his or her respective sphere of activity;
(2) The nature of the subject to be dealt with; and
(3) The suitability of such persons from the point of view of the special requirements of the broadcasting medium.

केन्द्रीय सूचना सेवा में ग्रेड चार के रिक्त पद

1748. श्री राम सिंह अयरवाल : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड चार के बहुत से रिक्त पदों को नहीं भरा गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन स्थायी पदों के रिक्त होते हुए भी, उन 69 अधिकारियों को जिन्हें वर्ष 1965 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था, अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और उन्हें इन स्थायी रिक्त पदों पर कब तक स्थायी घोषित कर दिया जायेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड चार में इस समय 73 स्थायी रिक्तियां हैं। इनमें से 22 रिक्तियां सशस्त्र सेना के रिलीज्ड एमरजेन्सी कमिशन्ड/शार्ट सर्विस कमिशन्ड अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) तथा (ग). इस सेवा के ग्रेड चार की अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अक्टूबर, 1965 में संघ लोक सेवा आयोग ने 68 उम्मीदवार स्वीकृत किये थे। डाक्टरी परीक्षा, चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जांच आदि से सम्बन्धित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उम्मीदवारों ने दिसम्बर, 1965

तथा जून, 1967 के बीच विभिन्न तारीखों को केन्द्रीय सूचना सेवा में प्रवेश किया और उन्हें 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रखा गया जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। इस समय 68 उम्मीदवारों में से 62 उम्मीदवार नौकरी में हैं।

अधिकारियों को उपलब्ध रिक्तियों में स्थायी करने की कार्रवाई की जा रही है।

मध्यम आकार के ट्रैक्टरों की कमी

1749. श्री राम सिंह अयरवाल: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यम आकार के ट्रैक्टरों की, जिनकी बड़ी मांग है, देश में बहुत कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन ट्रैक्टरों को, जिनकी सप्लाई कम है, चोर बाजार में बेचा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इन ट्रैक्टरों के चोर बाजार में बिकने को रोकने तथा इन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग): ट्रैक्टरों की सम्भावित चोर बाजारी को समाप्त करने की दृष्टि से भारत सरकार, राज्याधिकृत कृषि-उद्योग निगमों के माध्यम से आयातित ट्रैक्टरों की एक बड़ी संख्या को उपलब्ध कर रही है और देशी उत्पादन को तेज और सघन कर रही है। सप्लाई स्थिति को सरल करने की दृष्टि से प्रदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों से उपहार के रूप में ट्रैक्टरों की आयात की भी आज्ञा दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, ट्रैक्टरों की बिक्री और वितरण पर एक नियंत्रण आदेश की घोषणा सरकार के विचाराधीन है। देशी उत्पादन और आयात के द्वारा उपलब्धि को सरल बनाने के लिए अधोलिखित तरीके अपनाये गए हैं :–

(i) 1968-69 की आवश्यकताओं के लिए 15,500 ट्रैक्टरों के आयात की आज्ञा दी गई थी उन में से लगभग 14,000 ट्रैक्टर या तो प्राप्त कर लिए हैं या समुद्रीय मार्ग में हैं। इसकी तुलना में 1969-70 के लिए आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों की संख्या 35,000 है। 1968-69 के दौरान, देशी उत्पादन का लक्ष्य 20,000 ट्रैक्टर नियुक्त किया गया था। लेकिन वास्तविक उत्पादन 15,466 ट्रैक्टर था। यह आशा है कि 1969-70 में देशी उत्पादन की संख्या 20,000 से बढ़ जायेगी और 1970-71 के दौरान यह बढ़कर 30,000 तक हो जायेगी।

(ii) ट्रैक्टर उद्योग को अग्रता प्राप्त उद्योग के रूप में उद्घोषित कर दिया गया है और सरकार ट्रैक्टर निर्माताओं के निर्धारित निर्माण कार्यक्रम के लिए उपकरण और कच्चे माल की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रही है। इन निर्माताओं को अतिरिक्त कैपिटल माल को जो उनकी लाइसेंस क्षमता को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है आगे और आयात लाइसेंस देकर सहायता दी है। निम्न अश्वशक्ति के क्षेत्र में उनके उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए, वर्तमान ट्रैक्टर निर्माताओं के प्रोत्साहन हेतु तथा अन्य इच्छुक फर्मों को ट्रैक्टरों का निर्माण करने को आकर्षित करने के लिए 7 फरवरी, 1968 से कृषिचक्र ट्रैक्टर उद्योग को इण्डस्ट्रीज (डी०और आर०) एक्ट 1951 के लाइसेंसिंग प्रोविजन्स से मुक्त कर दिया है। ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए आठ नई योजनाओं को सिद्धान्त रूप में अब तक स्वीकार कर लिया गया है और तीन योजनाएं विभिन्न विचाराधीन अवस्थाओं में है। पांच अन्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनके मामलों में ब्यौरेवार योजनायें अभी आनी हैं।

(iii) प्रारम्भ में प्रतिवर्ष 12,000 ट्रैक्टरों की क्षमता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक 20 अश्वशक्ति के छोटे ट्रैक्टर के निर्माण को शुरू करने का प्रस्ताव है।

महत्त्वपूर्ण नगरों के लिए टैलीफोन सलाहकार समिति का गठन

1750. **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री मंगलाथुमाडम :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गठित सलाहकार समिति की तरह भारत के अन्य महत्त्वपूर्ण नगरों के लिए भी समिति बनाने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी समिति की शर्तें क्या होंगी और उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, मामूली रद्दोबदल करके दिल्ली जैसी सलाहकार समितियां कलकत्ता तथा बम्बई में भी बनाई गई हैं। थोड़े सदस्यों वाली इस किस्म की समितियां 65 अन्य स्थानों पर कार्य कर रही हैं।

(ख) इन समितियों का गठन 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है जिनसे निम्नवर्ती कार्यों के किये जाने की आशा की जाती है:--

(1) टेलीफोन इस्तेमाल करने वाले सर्वसाधारण व्यक्तियों तथा डाक-तार विभाग का आपस में निकट सम्पर्क स्थापित करना।

(2) सर्वसाधारण को यह विश्वास दिलाना कि उनकी शिकायतों को उचित तरीके से निरुपित करके उन पर ध्यान दिया जा रहा है।

(3) स्थानीय तथा ट्रंक सेवा में बेहतरी लाने के लिए विभाग को परामर्श देना।

(4) टेलीफोन सेवा में सुधार के लिए विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का प्रचार करना।

(5) मौजूदा स्थिति पर काबू पाने के विचार से सर्वसाधारण से सहयोग देने तथा धैर्य रखने की प्रेरणा देकर विभाग की सहायता करना।

(6) आवेदक के कार्यकलापों के गुणों व महत्त्व की तुलनात्मक जांच करके तथा सरकारी नीतियों की अनुरुपता को ध्यान में रखकर न्याय एवं बराबरी के दर्जे के आधार पर नए कनेक्शनों की व्यवस्था करने में विभाग की सहायता करना।

भारतीय डेरी निगम का गठन

1751. **श्री मंगलाथुमाडम:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय डेरी निगम बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस निगम को क्या अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे; और

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी निगम बोर्ड को भी उस निगम से सम्बद्ध किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय डेरी निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 13 फरवरी, 1970 को की गई है।

(ख) यह निगम बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चारों महानगरों में दुग्ध प्रक्रिया सुविधाओं को प्रतिदिन दस लाख लिटर से प्रतिदिन 27.5 लाख लिटर तक विस्तृत करने के लिए और दस राज्यों तथा दिल्ली के संघ क्षेत्र में स्थित इन शहरों के ग्रामीण दुग्धशालाओं वाले क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 95.40 करोड़ रुपए तक की राशि के कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देने हेतु बनाया गया है।

(ग) भारतीय डेरी निगम के संघ का ज्ञापन निगम को अपने समस्त तकनीकी तथा वैज्ञानिक पहलुओं के विषय में राष्ट्रीय डेरी विकास मण्डल से परामर्श लेने का अधिकार देता है।

Demands of All India State Governments Employees Federation

1752. Shri Deven Sen : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India State Government Employees Federation has said at Bombay that in case Government did not pay any heed to their eight-point charter of demands, all the employees of the State Governments would observe 10th March as their demand day;

(b) if so, the details of the said eight-point charter of demands and the time by which Government propose to accede to them; and

(c) if Government are not able to accede to their demands soon, the reasons therefor?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c) The matter falls in the State sphere.

रेडियो लाइसेंसों के नवीकरण के लिए कार्यवाही

1753. श्री न० रा० देवघरे : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लगभग कितने व्यक्तियो ने पिछले तीन वर्षों, दो वर्षों और एक वर्ष से अपने रेडियो लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराया है;

(ख) इन लाइसेंसों के नवीकरण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) रेडियो लाइसेंसों का नवीकरण न कराये जाने के कारण सरकार को प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) (1) 1,60,537 (2) 2,90,446 (3) 7,69,899

(ख) डाक-तार विभाग में एक कर-अपवंचनरोधी संगठन बनाया गया है जो कि लाइसेंसों के नवीकरण पर निगरानी रखता है और लाइसेंस अपवंचन के मामले खोज निकालते हैं। समय समय पर, आम माफी की घोषणा भी की जाती है ताकि जनता को लाइसेंसों का नवीकरण करने का फायदा दिया जा सके।

(ग) चूंकि विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों का लाइसेंस शुल्क अलग-अलग होता है और अक्सर लाइसेंसों का नवीकरण अधिकार की अदायगी करके किया जाता है इसलिए ठीक ठीक यह अनुमान लगाना आसान नहीं है कि नवीकरण न कराने पर सरकार को प्रतिवर्ष कितना घाटा होता है।

राज्यों में खेतिहर, औद्योगिक तथा हाथकरघा श्रमिकों की मजूरी

1754. श्री न०रा० देवघरे : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में एक खेतिहर श्रमिक, एक औद्योगिक श्रमिक तथा एक हाथ करघा बुनकर को औसतन कितनी दैनिक मजूरी मिलती है;

(ख) देश में किस वर्ग के श्रमिक को सब से अधिक तथा किस को सब से कम मजूरी मिलती है; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों और विशेषरूप से हथकरघा बुनकरों की दशा को सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या): (क) विभिन्न राज्यों और रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त मजूरी-दरों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित इंडियन लेबर जर्नल, इंडियन लेबर स्टेटिस्टिक्स, इत्यादि सरकारी प्रकाशनों तथा विभिन्न राज्यों के श्रम विभागों द्वारा प्रकाशित इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों में समय-समय पर प्रकाशित होती है। इस सम्बन्ध में ध्यान विशेषकर श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन लेबर स्टेटिस्टिक्स 1969 के भाग IV की तालिकाओं की ओर आकर्षित किया जाता है, जिनमें अंतिम उपलब्ध सूचना दी गई है।

(ख) रोजगार के कुछ क्षेत्रों में मजूरी-दरें न्यायाधिकरणों के पंचाटों, समझौतों न्यूनतम मजूरी विधान या मजूरी बोर्डों की सिफारिशों के अनुसार नियमित होती है। मजूरी-दरें भिन्न-भिन्न उद्योगों, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और एक ही क्षेत्र में स्थित एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों में भिन्न-भिन्न हैं। यह सामान्य वक्तव्य देना सम्भव नहीं है कि किस वर्ग के श्रमिकों को सब से अधिक तथा किस को सबसे कम मजूरी मिलती है।

(ग) न्यूनतम मजूरी विधान के अन्तर्गत सांविधिक मजूरी-दरें निश्चित की जा सकती हैं। इस प्रयोजन के लिए हथकरघा बुनकरों समेत अधिकांश कर्मचारी राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं और राज्य सरकारें, जहां आवश्यक समझें, मजूरी-दरें निश्चित, पुनरीक्षित और संशोधित कर सकती हैं।

1969 के दौरान आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवाओं से हुई आय

1755. श्री न० रा० देवघरे : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र की वाणिज्यिक सेवाओं से 1969 में कितनी आय हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में विज्ञापन प्राप्त करने के लिए विज्ञापन की वर्तमान दरों में कमी करने का है;

(ग) क्या नागपुर तथा अन्य स्थानों में भी ऐसी वाणिज्यिक सेवा चालू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) यह सेवा 1 अप्रैल, 1969 से शुरू हुई थी तथा वर्ष 1969 के दौरान उससे प्राप्त कुल राजस्व 38,57,308 रुपए था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ). वाणिज्यिक सेवा का निम्नलिखित केन्द्रों में विस्तार करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं:—

1 जालंधर—चण्डीगढ़

2. अहमदाबाद-राजकोट

3. कानपुर-लखनऊ-इलाहाबाद

4. हैदराबाद-विजयवाड़ा

5. बंगलौर-धारवाड़

नागपुर में वाणिज्यिक सेवा पहले ही है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में अनधिवासी बस्तियों को नियमित करने की योजना

1756. **श्रीमती इला पालचौधरी:** क्या **श्रम तथा पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में लगभग 750 अनधिवासी बस्तियों को नियमित करने के बारे में एक योजना केन्द्रीय सरकार को पेश की है;

(ख) यदि हां, तो उस की वित्तीय पेचीदगियों सहित उस योजना का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या): (क) प्रत्यक्षत: निर्देश पश्चिम बंगाल की उन अनधिवास बिस्तियों के निर्यात करने के विषय में है जो कि 31-12-1950 के बाद बनी थीं । सामन्यत: यह प्रश्न कुछ समय पूर्व राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों की चर्चा में उठाया गया था और इस पर भारत सरकार का मत तब स्पष्ट कर दिया गया था । तथापि, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का कुछ और ब्यौरा भेजने का विचार था ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का दण्डकारण्य के कोंडा गांव क्षेत्र में बसाया जाना

1757. **श्रीमती इला पालचौधरी:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी परिवारों को जिन्हें दण्डकारण्य के कोंडा गांव क्षेत्र में बसाया गया है अभी तक खेती के लिए भूमि तथा रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध किये गए हैं; और

(घ) उन से उपरोक्त शरणार्थियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों को लाभ होगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या): (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव समय में सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

Research in the duration of effectiveness of Pesticides and their ill-effects on Lives

1758. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the number of days for which the pesticides, insecticides and weed-killers, when they are used universally, particularly by way of aerial spray, have ill-effects on crops, animals living on grass, birds and fish, and the details of research being conducted to render their impact ineffective on the health of man, tamed and useful wild-lives, useful insects, pests, fish, bee, silk-worms, etc. ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : The number of days the pesticide residues remain on plant surface or in soil depends upon several factors such as the type of the pesticides, the weather conditions and the type of vegetation treated.

All the pesticides used in plant protection are poisonous. Some of them, *viz.*, Endrin, Parathion and DDT, are relatively more poisonous than others, like BHC and Malathion. Insecticides made up of chlorinated hydrocarbons (*e.g.* DDT, BHC, Endrin etc.) have longer residues ranging from a few days to several weeks, while those of the phosphatic group (*e.g.* Parathion, Malathion etc.) remain active for 3—15 days. Their use for controlling pests are recommended after careful experimentation on the effective dosages. Based on the results, the spray schedules are worked out after ensuring that the residues at harvest time do not exceed the permissible limits.

Pesticides when applied to the crops by air or ground at the recommended doses produce no harmful effects on plants. Fodders, when sprayed, are not recommended for feeding to cattle up to such length of time until the residues have either decomposed or reduced to permissible limits. At present there are no factual data on the toxic effects of pesticides on wild life and birds under Indian conditions. With regard to fish, the persistent insecticides like Endrin are likely to be more harmful if steps are not taken to prevent contamination of ponds, tanks and rivers etc.

In order to avoid the health hazards due to the use of pesticides, researches are being continued on the persistence of residues of important insecticides, such as BHC, a Parathion Malathion, Aldrin, Endrin and others, on several crops. In these investigations, the crops are treated with the dosages of the insecticide recommended for the control of particular pest and thereafter samples of treated fruits, seeds and other plant parts are collected and the amount of residues left on the same are determined. The studies have revealed that the residues left are less than the permissible limits.

मंगलौर में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण

1759. श्री लोबो प्रभु: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री 20 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 795 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में लीवेल नामक स्थान पर दो वर्ष से भी अधिक समय पहले अर्जित की गई भूमि पर डाक-घर कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या भूमि और उस पर लगी पूंजी को व्यर्थ पड़े रहने देने के लिए सम्बंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है जबकि डाक कर्मचारियों को क्वार्टरों की अत्यधिक आवश्यकता है;

(ग) अर्जित की गई भूमि में पड़ी इमारत में चोरी तथा अन्य रूप से हुई क्षति के कारण कितनी हानि हुई है और यदि सामान की निर्माण परियोजना हेतु आवश्यकता नहीं थी तो उसको न बेचे जाने के क्या कारण हैं और ;

(घ) क्वार्टरों के कब तक बन कर तैयार होने की सम्भावना है और कितने प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर मिल जाएंगे?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस कालोनी के नक्शे तैयार कर लिए गए हैं और प्राक्कलन तैयार करने के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है।

(ख) भूमि का अधिग्रहण दीर्घकालीन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है, लेकिन कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का वास्तविक निर्माण कार्य साधन उपलब्ध होने और विभिन्न

स्थानों के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। इसलिए सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चोरी तथा क्षति के कारण सम्पत्ति को कोई हानि नहीं हुई है। पुरानी इमारत को गिराने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) प्रथम चरण में 37 क्वार्टर चौथी योजना की अवधि के दौरान कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हो जायेंगे और ये 5 प्रतिशत कर्मचारियों को मिल सकेंगे।

बीजों का वितरण

1760. श्री लोबो प्रभु: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 5 फरवरी, 1970 के 'इकानामिक टाइम्स' में छपे इस आशय के समाचार के सम्बन्ध में, जिसमें सरकारी अभिकरणों द्वारा बीजों के वितरण के बारे में लोक लेखा समिति द्वारा, तीव्र आलोचना की गई है, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि अनाज का भण्डार लाइसेंस लेने पर ही किया जा सकता है क्या किस्में सुधारने वाले बीजों का भण्डार करने के लिए यह शर्त नहीं होगी कि उनको उसी मूल्य पर अर्थात् सामान्य बीजों के मूल्य पर ही बेचा जायेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी अभिकरणों को किस्म सुधारने वाले बीजों का भण्डार रखने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम का विचार बीजों के वितरण हेतु देश में किसी उपकरण का निर्माण करने का है और यदि हां, तो आयातित उपकरण की तुलना में इस उपरकण की क्या लागत होगी और यदि नहीं, तो विकासशील उद्योग का व्यय कृषि पर क्यों डाला जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) बीज अधिनियम 1966 के अनुसार बीजों के विक्रय के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। किस्म सुधारने वाले बीजों के उत्पादन और परिसंस्करण पर अधिक खर्च आता है। अत: इसके मूल्य की तुलना साधारण अनाज के मूल्य से नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बीज व्यापारियों को बीजों के भण्डार और उनके विक्रय मूल्य निश्चित करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

(ख) गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र के बीज उत्पादक व्यापारियों की नियुक्ति कर रहे हैं और इस प्रकार अच्छे बीजों के विक्रय के लिए कई नए स्रोतों को खोल रहे हैं। वस्तुत: बीज वितरण के कार्यों से राज्य सरकारों के शनै: शनै: पीछे हटने के कारण बीजों के व्यापार में अन्य एजेंसियों के पदार्पण को भी बढ़ावा मिल सकता हैं।

(ग) बीज वितरण का कोई विशिष्ट उपकरण नहीं है। फिर भी 5 फरवरी, 1970 के 'इकानाभिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार से, जिसके आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है, ऐसा प्रतीत होता हैं कि वह संदर्भ बीज परिसंस्करण के लिए उपकरण के उत्पादन के सम्बन्ध में हैं। बीज परि-

संस्करण उपकरण की कुछ मदों की आयातित लागत और देशीय लागत के सम्बन्ध में जानकारी निम्न प्रकार हैं:—

मशीन का नाम	आयातित लागत (पोत पर्यन्त नि:शुल्क)	देशीय लागत (लगभग)
1. सीड ड्रायर्स (मीडियम कैप)	रु० 21,700	रु० 14,000
2. शैलर विद मोटर	9,000	2,000
3. ट्रीटर	4,500	1,800
4. बैग क्लोजर	3,000	1,300
5. म्वाइसचर टेस्टर	3,000	2,300
6. क्लीनर		
(क) अधिक क्षमता	27,000	18,000–26,000
(ख) मध्यम क्षमता	16,700	12,000
(ग) न्यून क्षमता	5,000	2,000
7. वी० बी० एलिवेटर, 2 टन क्षमता	2,500	1,800

राष्ट्रीय बीज व्यापार निगम बीज परिसंस्करण उपकरण का निर्माण प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहा हैं। परिसंस्करण उपकरणों के सम्बन्ध में निगम विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से देशीय उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा हैं। इस उद्देश्य से निगम में एक "उद्योग सेवा केन्द्र" स्थापित किया गया है जो कि परिसंस्करण उपकरण के विभिन्न एककों के देशीय निर्माण में आयातित उपकरणों के प्रोटोटाइपों की आपूर्ति, नए प्रकार के उपकरणों के डिजाइन बनाना व उनके द्वारा निर्मित उपकरणों के परीक्षण आदि द्वारा सहायता करेगा। निगम के उद्योग सेवा केन्द्रों को उपर्युक्त कार्यों के निस्पादन में मन्त्रालय के मशीनरी प्रभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सहायता दी जायेगी।

राशन वाले क्षेत्रों में कर्मचारियों तथा राशन व्यवस्था पर व्यय

1761. श्री स० चं० सामन्त: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन नगरों तथा कस्बों में राशन व्यवस्था तथा नियंत्रण अनिवार्य है उनमें कर्मचारियों तथा राशन व्यवस्था पर सरकार आय के अपने पृथक साधनों से व्यय करती है अथवा क्या राशन में मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि कर यह बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है; और

(ख) इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) सांविधिक राशन व्यवस्था इस समय केवल वृहत्तर बम्बई, कलकत्ता का औद्योगिक क्षेत्र और आसनसोल-दुर्गापुर कम्पलेक्स में लागू है। स्टाफ तथा राशन व्यवस्था तन्त्र का व्यय वृहत्तर बम्बई के मामले में उपभोक्ताओं पर डाला जाता है। कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र और आसनसोल-दुर्गापुर कम्पलेक्स के लिए इस खर्च को अंशत: राज्य सरकार के सामान्य राजस्व से पूरा किया जाता है और अंशत: उपभोक्ताओं पर डाला जाता है।

(ख) इस खाते में मूल्य मे वद्धि 2 प्रतिशत से 3.3 प्रतिशत तक होती है जोकि राशन व्यवस्था प्रणाली द्वारा दिए जाने वाले खाद्यान्नो के प्रकार तथा किस्म पर निर्भर करती है।

Nationalisation of Film Industry

1762. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal in regard to the nationalisation of the film industry; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Supply of Foodgrains to Tamil Nadu and U.P. received under Indo-Care agreement and Indo-U.S. Agreement

1763. Shri Bansh Narain Singh :

Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains supplied annually so far to Tamil Nadu and Uttar Pradesh separately out of the foodgrains imported under Indo-Care Agreement, 1950 and Indo-US. Agreement, 1951;

(b) the per-capita quantity thereof in both States;

(c) whether it is proposed to make such free-supplies to these States on the basis of population; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) & (b). As no period in respect of which this information is required has been mentioned in the Question, the information is being collected for the last three years and will be laid on the Table of the House when received.

(c) No Sir.

(d) The supplies received under the aforesaid Agreements are not allotted by the Government of India. In the case of supplies received under the Indo-CARE Agreement, allocation is made by CARE as per programme finalised by them with the State Governments and in the case of supplies received under the Indo-US Agreement, distribution is made by the approved Relief Agencies for relief purposes as per their own assessment and for the projects aided by them.

Replacement of Film Artistes on Vividh Bharati Programmes

1764. Shri Bansh Narain Singh :

Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4999 on the 18th December, 1968 and state :

(a) the reasons for which the programmes are presented by film artistes for Jawans in the Vividh Bharati programmes; and

(b) whether Government propose to present the said programmes through the AIR artistes instead of Film artistes and spend the money thus saved on the welfare of the families of the Jawans ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) The programmes are presented by the Film Artistes to make them more attractive and popular among Jawans who have less opportunities for seeing film.

(b) No Sir.

Posts and Telegraphs facilities in Uttar Pradesh and Haryana

1765. Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the steps taken by Government in respect of opening more post offices, providing telephone lines, setting up public telephones in Uttar Pradesh, particularly in Eastern and hill districts as well as in Haryana with a view to remove the shortage of means of communications there and to enable the residents of the said backward States to take benefit therefrom like the advanced States ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :

The information regarding Uttar Pradesh is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

Postal :

The number of post offices in Haryana as on 1-4-1961 and as on 1-3-1970 are furnished below district-wise:—

	Name of District	*Number of post offices that existed on* 1-4-61	*as on* 1-3-70	*Increase in number*
1.	Ambala	271	620	349
2.	Gurgaon	207	268	61
3.	Hissar	309	444	135
4.	Jind	District was not in existence.	110	—
5.	Karnal	264	347	83
6.	Mohindergarh	125	164	39
7.	Rohtak	243	402	159

This will indicate that there has been a very appreciable increase in the number of post offices during the last 8-years. A post office in Haryana now serves, on an average, an area of 18.63 sq. Kms. and a population of 3,227 as against all-India average of 29.34 sq. Kms. and 4,270 respectively.

Telecommunications :

The number of long distance public call offices working in Haryana is 69 and the number of telegraph offices working is 207. It is proposed to open 60 more long distance public call offices and 70 Telegraph offices in Haryana during the Fourth Five Year Plan. There are also 75 Telephone exchanges working in Haryana with a capacity of 13,975 lines and it is proposed to add about 6,000 more lines during the Fourth Five Year Plan period. It may, therefore, be seen that sufficient attention is being paid for providing telephone lines and setting up public telephones in Haryana State.

Telephone Exchange in U.P. and Tamil Nadu

1766. Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the number of Post Offices and Telephone Exchanges functioning in Uttar Pradesh and Tamil Nadu separately and the number of Post Offices out of them where there is a provision of opening savings Bank account ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Depart-

ment of Communications (Shri Sher Singh) : Number of Post Offices functioning in Uttar Pradesh and Tamil Nadu as on 1.2.70.

Uttar Pradesh	12,691
Tamil Nadu	9,605

Number of Telephone Exchanges functioning in Uttar Pradesh and Tamil Nadu as on 1.1.70

Uttar Pradesh	325
Tamil Nadu	333

Number of Post Offices in Uttar Pradesh and Tamil Nadu where there is a provision of opening Savings Bank Account as on 1.1.1970.

Uttar Pradesh	9,978
Tamil Nadu	9,297

Misleading Press Trust of India News

1767. Shri Ram Swarup Vidyarathi :

Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Information and Broadcasitng and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Press Trust of India had given wrong information in advance regarding the death of Shri Annadurai and All India Radio had also broadcast the said wrong information;

(b) if so, whether Government propose to take suitable action against the gazetted officer responsible for the said wrong act;

(c) whether he is aware of the fact that Press Trust of India had given wrong information about declaring the unsuccessful candidates in English only of U.P. Intermediate Examination as successful on the 5th July, 1967 and an assurance was given in the Parliament that such incidents will not recur; and

(d) if so, whether Government propose to look into these matters and take remedies ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) Yes Sir.

(b) No Sir. The mistake was corrected by the news agency and a revised version was broadcast by AIR.

(c) The information was given by UNI and not PTI. Presumably the reference is to reply given to Lok Sabha Starred Question No. 497 on 14-8-1968; the replies did not constitute an assurance to the Parliament.

(d) The attention of the News Agency was drawn to the wrong news item filed by it.

चलचित्र कलाकारों द्वारा प्रस्तुत विविध भारती के कार्यक्रम

1768. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलचित्र कलाकार आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रमों में जवानों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं;

(ख) यदि हां तो इस कार्यक्रम का आरम्भ किस तारीख से किया गया था ;

(ग) उन चलचित्र कलाकारों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं ;

(घ) प्रत्येक कलाकार को पारिश्रमिक के रूप में कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ चोटी के चलचित्र कलाकारों ने उक्त कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन्होंने उक्त कार्यक्रमों को प्रस्तुत न करने के क्या कारण बताये है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) अक्टूबर, 1965 ।

(ग) तथा (घ) एक *विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या LT—2728/70]**

(ङ) जी, हां ।

(च) श्री पंकज मलिक अपने कार्यक्रम में विज्ञापनों द्वारा बाधा नहीं चाहते थे ।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा पास की गई फिल्में

1769. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने 1968, 1969 और फरवरी, 1970 तक किन-किन फिल्मों को पास किया;

(ख) उक्त अवधि में जिन फिल्मों को प्रमाण-पत्र दिये गए उनके निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने कुछ फिल्मों को प्रमाण-पत्र देने के बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध न्यायलयों में मुकदमें दायर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो उन फिल्मों और उन निर्माताओं के नाम क्या हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने मुकदमे दायर किये हैं और न्यायालयों ने इस बारे में क्या निर्णय दिया है; और

(ङ) बोर्ड ने उक्त अवधि में किन-किन फिल्मों को केवल 'वयस्कों' के लिए प्रमाण-पत्र दिये और बोर्ड द्वारा 'ए' प्रमाण-पत्र देने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

*अंग्रेजी उत्तर के साथ देखें ।

Land to Unemployed Agricultural Graduates

1770. Shri Nihal Singh :Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of unemployed Agricultural Graduates in the country State-wise; and

(b) whether the State Governments have allotted land to such graduates for agricultural purposes and if so the acreage of land allotted to each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). A statement is annexed. [*Placed in Library. Sec. No. LT—2729/70*]

बेरोजगारी के बारे में योजना आयोग की समिति

1771. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री राम किशन गुप्त :

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है और उनमें शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष इन आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की तुलना में कितने नये रोजगार अवसर मिलने की सम्भावना है;

(घ) बेरोजगारी के अनुमानों के बारे में योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1968 में स्थापित विशेषज्ञ समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ङ) रोजगार की व्यवस्था करने के लिये क्या सक्रिय कार्यवाही की जा रही है और सरकार बेरोजगारी की समस्या को कब तक हल कर देगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी०संजीवैया) : (क) और (ख). यथातथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके विषय में उपलब्ध जानकारी केवल देश में नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नियुक्ति सहायता चाहने वालों से सम्बन्धित है। जानकारी संलग्न है।

विवरण

वर्ष	वर्ष के अन्त में चालू रजिस्टर पर संख्या	
	योग	खाने दो में सम्मिलित शिक्षित नौकरी चाहने वालों (मैट्रिकुलेट व अधिक) की संख्या
1	2	3
1967	27,40,435	10,87,371
1968	30,11,642	13,09,340
1969	34,23,885	15,26,250

(ग) पंचवर्षीय प्रलम्बनों के अनुसार 1966-71 में 15 से 59 तक की आयु वर्ग की श्रम शक्ति 218 लाख तक बढ़ जाएगी और 1971-76 में यह संख्या 276 लाख हो जाएगी। रोजगार अवसरों की संभावित वृद्धि के कोई संख्यात्मक आंकड़े तैयार नहीं किए गए हैं।

(घ) समिति की अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित, कृषि, उद्योग, परिवहन व संचार, सिंचाई और बिजली, सामाजिक सेवाओं इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यक्रम लागू करके और निवेश, ऋण तथा लाइसेंस जारी करने के क्षेत्र में विभिन्न नीतियों को अपना कर अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं। समस्या की महत्ता और रोजगार अवसरों में तेजी से वृद्धि (अथवा पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए) के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधनों की कमी के कारण रोजगार अवसर जुटाने की प्रक्रिया होने की संभावना है। इसे विकास के दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य के एक अंग के रूप में रहना होगा।

प्रैस सलाहकार परिषद्

1772. श्री अब्दुल गनी दार: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए अधिनियम के अन्तर्गत प्रेस सलाहकार परिषद् किस तारीख को स्थापित की गई थी;

(ख) परिषद के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और उन बैठकों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का तात्पर्य सम्भवतया फौजदारी तथा चुनाव कानून संशोधन अधिनियम, 1969 की धारा 6 के अन्तर्गत गठित प्रेस परामर्शदात्री समिति से है। यह मामला गृह मन्त्रालय के विचाराधीन है। तथापि, यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य प्रेस परिषद, अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत गठित भारतीय प्रेस परिषद् से है तो सूचना एक *विवरण में दे दी गई है जिसको सदन की मेज पर रख दिया गया है।

देश भर में टैलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन आवेदन

1773. श्री अब्दुल गनी दार: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1970 तक सारे देश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कुल कितने आवेदन विचाराधीन थे; और

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से आवेदन दो वर्ष से भी अधिक समय से विचाराधीन हैं और यदि हां, तो ऐसे आवेदनों की संख्या कितनी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 4,45,249

(ख) जी हां, 2,94,542.

आकाशवाणी से हिन्दुस्तानी तथा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं का कम प्रयोग किया जाना

1774. श्री अब्दुल गनी दार: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी साधारणतया सरल हिन्दी (हिन्दुस्तानी) का प्रयोग

*अंग्रेजी उत्तर के साथ देखें ।

नहीं कर रही है और वह अन्य सब राष्ट्रीय भाषाओं का प्रयोग भी धीरे धीरे कम करता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Land Allotted to Refugees in Nainital and Kalagarh Areas of U.P.

1775. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the area of land allotted so far to the refugees in the areas of district Nainital and in Kalagarh of District Muzzaffarpur of Uttar Pradesh and other facilities given to them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : 4,747 refugees both from East and West Pakistan have been allotted 39,008 acres of land in Nainital District.

Kalagarh is in Bijnor District and no refugees from East Pakistan have been settled in Kalagarh proper.

These refugees were provided with the following facilities :—

(*i*) Agricultural loan for purchase of buttocks, seeds and agricultural implements;

(*ii*) Tractorisation and harrowing of land;

(*iii*) Construction of roads;

(*iv*) Allotment of houses;

(*v*) Drinking water, educational and medical facilities; and

(*vi*) Irrigation facilities.

राजस्थान में अधिक उपज वाली फसलों के अन्तर्गत भूमि

1776. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में राजस्थान में भूमि पर अधिक उपज वाली फसलें बोने की योजनायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) तथा (ख). अधिक उत्पादनशील किस्मों का कार्यक्रम स्टेट प्लान स्कीम है। आगामी तीन वर्षों में राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाने की योजना बनाई है :

(क्षेत्र लाख एकड़ों में)

फसल	1970-71	1971-72	1972-73
धान	0.50	0.60	0.80
मैक्सिकन गेहूं	8.00	10.00	12.50
संकर बाजरा	6.00	9.00	11.00
संकर ज्वार	0.30	0.50	0.80
संकर मक्का	1.00	1.50	3.00
योग:	15.80	21.60	28.10

अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष में तीन या चार फसलें उगाने सम्बन्धी कार्यक्रम

1777. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि 250 लाख एकड़ भूमि को "वर्ष में तीन या चार फसल उगाने सम्बन्धी कार्यक्रम" के अन्तर्गत लाया जाए तो देश में अनाज का वार्षिक उत्पादन बढ़ कर 1000 लाख मीटरी टन हो सकता है;

(ख) क्या इस परियोजना से न केवल अनाज की समस्या हल होगी बल्कि देश के लगभग 150 से 200 लाख अतिरिक्त कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त योजना को व्यवहार में लाने की सम्भावना पर विचार किया है और यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या विचार है और यदि नहीं, तो ऐसे अनुकूल अवसर प्रदान करने वाली योजना को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी, हां।

(ख) जी हां। यदि पशुधन भी फसल संरक्षण के साथ घनिष्ट रूप से सम्बद्ध हो तो परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में 150-200 लाख अतिरिक्त कृषि श्रमिकों को रोजगार दिलाने में सहायक होंगी।

(ग) सरकार ने वर्ष 1967-68 से बहुद्देश्यीय फसल कार्यक्रम शुरु कर दिए हैं। चौथी पंचवीय योजना के दौरान लगभग 225 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

राजस्थान में आलू की खेती

1778. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के कुछ भाग आलू की खेती के लिए उपयुक्त हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अधिक उपज वाली फसलों सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में आलू की खेती करने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां। राजस्थान के कोटा, अलवर, उदयपुर तथा जयपुर जिले आलू की खेती के लिए उपयुक्त हैं। आलू श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा जिलों में भी उगाए जा सकते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में आलू की खेती के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। परन्तु केन्द्रीय सरकार राज्य में आलू विकास के लिए केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था और राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सम्बन्धित क्रमशः अधिक उत्पादनशील किस्मों के आलुओं के न्यूनकलियस और आधार बीजों के संभरण की व्यवस्था करती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया गेहूंत्ल किस्म के गेहूं की सप्लाई

1779. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सदर्न फलोर मिल्स एसोसिएशन ने भारतीय खाद्य निगम से गेहूं को घटिया किस्म का होने के कारण उठाने से इंकार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह दूसरा मौका है जब कि एसोसिएशन ने इसी आधार पर भारतीय खाद्य निगम से गेहूं उठाने से इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पूरी जांच की गई है कि घटिया किस्म का माल क्यों सप्लाई किया गया और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). किसी भी फलोर मिल्स एसोसिएशन को गेहूं आंवटित नहीं की जाती है। इसलिए दक्षिणी फलोर मिल्स एसोसिएशन द्वारा गेहूं उठाने के लिए इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं है। दक्षिणी राज्यों में किसी भी रोलर फलोर मिल्स ने भारतीय खाद्य निगम को घटिया किस्म का गेहूं होने के कारण गेहूं उठाने से इनकार नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गांवों में डाकघरों के भवनों पर होने वाले खर्च का डाक तथा तार विभाग और पंचायतों द्वारा मिलकर वहन किया जाना

1780. **श्री के० अनिरुद्धन**: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने राज्य सरकारों को यह लिखा है कि गांवों में नए डाकघर खोलने के लिए, भवनों पर होने वाले व्यय में हिस्सा बटाने के लिए पंचायतों को शक्तियां दी जाएं;

(ख) इस सुझाव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वर्ष 1970-71 में गांवों में अतिरिक्त कितने डाकघर खोले जाएंगे?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी नहीं।

फिर भी, राज्य मंत्री, संचार ने राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों और मुख्य आयुक्तों को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए लिखा है कि वे देहाती क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जितना खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है, उससे ऊपर की लागत का खर्च करने के लिए पंचायतों को अधिकार दे दें। भवन निर्माण के खर्च में अंशदान देने के लिए उन्हें कोई सुझाव नहीं भेजा गया।

(ख) राज्य मंत्री, संचार के सुझाव पर राज्य सरकारों के उत्तर निम्नलिखित हैं:--

महाराष्ट्र:--महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही इस सुझाव पर अमल किया है और महाराष्ट्र राज्य की पंचायतों को डाकघर खोलने में अतिरिक्त खर्च उठाने का अधिकार दे दिया है। जहां गावों की पंचायतें, पर्याप्त कारणों के अधिकार पर, अतिरिक्त खर्च बर्दाश्त न कर सकें, वहां जिला परिषदें

को ऐसा खर्च करने का अधिकार दे दिया गया है। इसके लिए महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 में संशोधन कर दिया गया है।

पांडिचरी:--उप-राज्पाल ने सूचित किया है कि इस केन्द्र शासित प्रदेश में अभी तक ग्राम पचायतें नहीं बनी हैं और फ्रांसीसी समय की बनी हुई नगर पालिका का प्रशासन ही चल रहा है। इस केन्द्र शासित प्रदेश में डाकघर खोलने के लिए नगर पालिकाएं अतिरिक्त खर्च कर सकती हैं।

नागालैण्ड:--मुख्य मन्त्री ने यह सूचित किया है कि वहां पंचायत प्रणाली नहीं है। डाकघर खोलने पर यदि कोई अतिरिक्त खर्च होता है तो उसकी अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

लक्कादीव:--यहां के प्रशासक ने यह सूचित किया है कि इस प्रदेश में और डाकघर खोलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

मध्य प्रदेश:--मुख्य मंत्री ने इस सिद्धान्त से सहमत होते हुए सूचित किया है कि मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिए डाकघर खोलने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का भार वहन करना व्यवहार्य नहीं होगा। उन्होंने यह मांग की है कि पिछड़ा हुआ इलाका होने के कारण नए डाकघर खोलने के लिए कुछ खास कदम उठाए जाएं।

मैसूर, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उत्तर-प्रदेश, गुजरात, असम, केरल, पंजाब, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली	इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों ने इस सुझाव पर विचार करने का विश्वास दिलाया है। इन के अन्तिम उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।
आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कामी उड़ीसा, तमिल नाडू और बिहार;	इन राज्यों से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) 1970-71 वर्ष के दौरान देहाती क्षेत्रों में अतिरिक्त खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या अभी निश्चित नहीं की गई है।

कृषि सहकारी फारम

1782. श्री एस० आर० दामानी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1969 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में कितने कृषि सहकारी फारम काम कर रहे थे;

(ख) प्रत्येक फारम के सदस्यों की अनुपाति संख्या कितनी कितनी है और प्रत्येक को एकड़ों में अनुमानित भूमि कितनी है;

(ग) उन में से कितने फारमों का गठन एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा बहुसंख्यक अंशधारियों के रूप में किया जाता है और कितनों का गठन विभिन्न छोटे भूमिधारियों द्वारा किया जाता है; और

(घ) क्या किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एरिंग): (क) और (ख). 1969 के अन्त तक की जानकारी उपलब्ध नहीं है। 30 जून, 1968 तक की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या L.T.2730/70]**

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) जैसा कि 4 दिसम्बर, 1969 को दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2686 के उत्तर में बताया गया है, कुछ राज्यों में कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से कुछेक चुनी हुई समितियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किये गए थे। इसके अलावा, किसी भी केन्द्रीय अभिकरण द्वारा कोई अन्य मूल्यांकन नहीं किया गया था।

चौथी पंचवर्षीय योजना में अल्पावधि कृषि ऋण

1783. श्री एस० आर० दामानी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में अनुमानत: कितना कितना अल्पावधि कृषि ऋण दिया जायेगा तथा उसका राज्य-वार और मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या ऋण-निर्देशन के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो केन्द्र, राज्य, जिला तथा गांव के स्तर पर कार्य की देख-रेख का भार किन्हें सौंपा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में अल्पावधि कृषि ऋणों की आवश्यकताओं के राज्य-वार और मद-वार विशिष्ट अनुमान नहीं लगाये गए हैं । फिर भी, ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने बताया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष सन् 1973-74 तक अल्पावधि कृषि ऋण की आवश्यकताएं 2000 करोड़ रुपए तक बढ़ जायेंगी। यह कृषि श्रमिकों के वेतनों की कच्ची परिगणना सहित उत्पादन के लिए जिन आदानों के उपयोग की संभावना रहती है उनके मूल्यों पर आधारित है।

(ख) मांग की पूर्ति के लिए सहकारी ऋण तन्त्र को सुदृढ़ करना, अन्तर को समाप्त करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहन देना, छोटे कृषकों की सहायता के लिए बिशेष एजेंसियों की स्थापना करना आदि सभी उपायों को अपनाया गया है। इस प्रकार उठाए गए कदमों के फलस्वरूप, आशा है कि सहकारी समितियां 1973-74 तक अल्पावधि ऋण देने की 450.00 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की वर्तमान क्षमता के स्थान पर 700 करोड़ रुपए की क्षमता प्राप्त कर लेगीं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 400 करोड़ रुपए तक का प्रत्यक्ष वित्त प्रदान किये जाए की सम्भावना है। इसमें अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण सम्मिलित हैं।

(ग) ऋण निर्देशन प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है। फिर भी, 45 मार्गदर्शी जिलों में लघु कृषक विकास एजेन्सियों की स्थापना से छोटे कृषकों को बढ़े हुए ऋणों का, प्रवाह और योजना के कार्य क्षेत्र में उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो जायेगा। कृषि और सहकारिता से सम्बन्धित सरकार के विभिन्न विभाग, विभिन्न स्तरों पर कृषि ऋण के प्रवाह और पर्यवेक्षण के प्रभारी भी हैं। अधिकांश राज्यों में राज्य स्तर पर संस्थात्मक एजेंन्सियों और सरकारी अधिकारियों की समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं। बिहार जैसे कुछ राज्यों में ऋण आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और विभिन्न स्रोतों से उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये जिला स्तर पर समन्वय समितियों की स्थापना की गई है। अन्य राज्य भी ऐसी ही समितियां स्थापित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं।

Acreage of Land holding as Basis for allotment of Tractors to *Ex*-Servicemen

1784. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land holding which is treated as the basis for allotment of light and heavy Russian tractors to the *ex*-servicemen by Government; and

(b) the number of tractors fixed for 1970-71 for *ex*-servicemen ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Allotment of imported tractors including Russian tractors to *ex*-servicemen is made on the basis of the priority lists maintained by the Director General of Resettlement, Ministry of Defence. Allotment orders are issued by the Director General of Resettlement to the State Agro-Industries Corporations concerned for releasing tractors to them on necessary payment. The requirement of the minimum quantum of land, as approved by the Ministry of Defence for-the allotment of an imported tractor is 5 acres for a 'Light' tractors and 10 acres for a 'Heavy' tractor. Ownership of land has to be certified by the Block Development Officer/District Agricultural Officer concerned in the name of the applicant either singly or jointly. The Defence Personnel have also the option to register their requirements with the concerned State Agro-Industries Corporation for the supply of imported tractors out of the general quota. They are entitled to allotment either from the Defence quota or the general quota. In such cases allotment is made by the State Agro-Industries Corporations concerned on the basis of 'first come first served' and in accordance with the rules framed by them.

(b) 3,500.

Bungling in General Post Office of Uttar Kashi

1785. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news published in *Hindustan* dated the 14th February, 1970 regarding the bungling in the General Post Office of Uttar Kashi; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) Yes. A Press report in 'Hindustan' of 14th February, 1970 regarding defective postal and telecommunication arrangements at Uttar Kashi has come to the notice of the Department.

(b) Enquiries are being made and a statement on the result of enquiries and the action taken will be laid on the table of the Lok Sabha.

Winding up of Co-operative Societies in India

1786. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 30 per cent of the 1,72,000 cooperative societies in the country are running at loss;

(b) if so, whether Government propose to wind up the cooperative societies in all the States; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) There were 1,71,804 primary agricultural credit societies in the country as on 30th June, 1968, of these, 39,112 societies accounting for about 23% of the total number, incurred losses.

(b) and (c). A programme of reorganisation of primary credit societies is under implementation with a view to having only viable primary credit societies at the village level for providing efficient service to their members. This programme envisages that, through a process of amalgamation of two or more small units and liquidation of weeker units the total number of primary credit societies would be brought down to 1,20,000 in the next few years.

राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा औद्योगिक सम्बन्धों में 'अनुशासन संहिता', का अध्ययन

1787. श्री हिम्मतसिंहका: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग या उसके किसी कार्यकारी दलों द्वारा या किसी अन्य प्रकार से औधोगिक सम्बन्धों में 'अनुशासन-संहिता की क्रियान्विति की दिशा में प्राप्त सफलता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो ऐसे अध्ययन का ब्यौरा और उस के निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) यदि 'अनुशासन-संहिता' इस बीच प्रभावहीन हो गई है तो उसके पूर्णरूपेण असफल होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कोई अन्य ऐसी उपयुक्त अनुशासन संहिता बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है, जिससे औद्योगिक सम्बन्धों में तनाव समाप्त किया जा सके, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी०संजीवैय्या): (क) से (ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अनुशासन संहिता के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरम्भ में यह कुछ सीमा तक सफलतापूर्वक कार्य करता रहा परन्तु बाद में यह बेकार सी हो गई। आयोग ने विभिन्न विधार्या उपायों की सिफारिशें की है जिनमें अन्य सुझावों के अलावा संहिता के कृत्यों में सम्मिलित करने के लिए कर्मचारी संघों को मान्यता देने, शिकायतें सुनने की व्यवस्था तथा अनुचित श्रम प्रणालियों के बारे में संविहित उपबन्ध भी शामिल हैं। आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न सम्बन्धित हितों के परामर्श से सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। तथापि एक अन्य स्वैच्छिक अनुशासन संहिता बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उद्योगों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें तथा कर्मचारियों का प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेना

1788. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन उद्योगों के नाम, संख्या और उनकी प्रतिशतता क्या है जिनमें अभी भी संयुक्त प्रबन्ध परिषदें कार्य कर रही हैं और उन स्थानों के नाम क्या है जहां वे प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही हैं; और

(ख) यदि यह संस्था निष्प्रभावी हो गई है तो किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि किसी वैकल्पिक व्यवस्था का विचार किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) जिन उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदें कार्य कर रही हैं, उनकी सूची सभा की मेज पर रख दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या LT—2731/70]**

(ख) यह कहना सही नहीं होगा कि संयुक्त प्रबन्ध परिषदें निष्प्रभावी संस्थाएं हैं। फिर भी, उनमें सुधार करने सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में इस मामले का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

बेरोजगार कृषि इंजीनियरी स्नातक

1789. श्री अदिचन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष कितने कृषि इंजीनियरी स्नातकों की आवश्यकता होती है और प्रति वर्ष ऐसे कितने स्नातक विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होकर निकलते हैं; और

(ख) क्या ऐसे इंजीनियरों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का आयोजन करने से पूर्व देश में इनकी संभावित आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया था; और योजनाबद्ध कृषि क्रांति के बावजूद कृषि-इंजीनियरी स्नातकों की भारी संख्या में बेरोजगारी के क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) कृषि स्नातकों की अनुमानित वार्षिक मांग 122 है, और 263 उत्तीर्ण होते हैं।

(ख) कृषि इंजीनियरी शुरु करने वाले महाविद्यालयों ने देश की सम्भाव्य आवश्यकताओं के बारे में कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया था। हाल ही में कृषि विभाग के मानवशक्ति सम्बन्धी अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजना के दौरान 610 स्नातकों की आवश्यकता होगी और 700 स्नातक फालतू होंगे। यह रिपोर्ट पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता का पता नहीं लगा सका। परन्तु भारत सरकार स्थिति का जायजा ले रही है और 1967 से उसने किसी कृषि इंजीनियरी महाविद्यालय के प्रारम्भ करने की आज्ञा नहीं दी है। चूंकि आगामी वर्षों में कृषि तकनालोजी के साथ-साथ कृषि उद्योगों के शीघ्र विकास की सम्भावना है, अतः बचे हुए इंजीनियरों को भी काम मिल जायेगा।

वन-संसाधनों में वृद्धि करने की योजना

1790. श्री अदिचन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की 3.65 करोड़ रुपए की एक योजना 1967-68 में तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यदि प्रगति बिल्कुल नहीं हुई या बहुत कम हुई है तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) वर्ष 1967-68 की अवधि में ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई थी। फिर भी "शीघ्र उगने वाली किस्मों का वनरोपण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में शुरू की गई थी सन् 1967-68 में जारी रखा गया।

(ख) तथा (ग). विशेषरूप से लुगदी तथा कागज उद्योग के लिए वनों की कच्ची सामग्री की उत्पादन सम्भाव्यता को बढ़ाने के लिए सन् 1961-62 की अवधि में उपरोक्त योजना तैयार की गई थी। तीसरी योजना के दौरान योजना के लिए 2.81 करोड़ रुपए की कुल व्यवस्था की गई थी और वास्तव में 3.80 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तीसरी योजना के पश्चात् की अवधि अर्थात् 1966-67 से 1968-69 तक की अवधि मे यह योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में

जारी रखी गई थी वर्ष 1967-68 के दौरान बजट में 3.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी और उस वर्ष 3.03 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई थी। सन् 1968-69 तक 245.5 हजार हैक्टार भूमि के क्षेत्र में राज्यों के वन विभाग द्वारा शीघ्र उगने वाली किस्मों के पोदारोपण को बढ़ाया गया है।

1969-70 से योजना राजकीय क्षेत्र को सौंप दी गई है।

भूमि-सुधारों की शीघ्र कार्यान्विति और मैसूर के राजस्व मंत्री का वक्तव्य

1791. श्री लोबो प्रभु: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन्हें पता है कि मैसूर मन्त्रि-परिषद् के राजस्व मंत्री ने 23 जनवरी, 1970 को कहा था कि भूमि सुधारों को छ: वर्ष से कम समय में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता; यदि हां, तो प्रधान मन्त्री के एक वर्ष में इसे कार्यान्वित करने के वचन से यह वक्तव्य कैसे मेल खाता है;

(ख) क्या योजना आयोग ने यह विचार किया है कि यदि धारा 8 और 44 को निकाल दिया जाता है, तो भूमि स्वामियों का प्रतिरोध कम हो जाएगा और इसकी कार्यान्विति शीघ्र हो सकेगी;

(ग) सरकार को स्वामित्व मिलने से मुजारों को क्या लाभ होगा और जो दायित्व इस समय सरकार को प्राप्त हैं क्या वे भूमि-स्वामियों पर नहीं डाले जा सकते;

(घ) क्या सरकार ने लगान को वसूल करने की भारी प्रशासनिक समस्या पर विचार किया है जिसका बहुत अधिक भाग अर्थात् पिछले चार वर्ष से लगान देने से मुजारों ने इंकार कर दिया है; और

(ङ) यदि मुजारे मालिकों को लगान नहीं देते तो सरकार उन्हें लगान देने से तब तक के लिए मुक्त रखेगी जब तक कि धारा 8 के अन्तर्गत कार्यवाही पूरी की जाती यदि मैसूर सरकार धारा 8 और 44 को निकालने के लिए सहमत नहीं होती?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) बताया गया है कि मैसूर के राजस्व मन्त्री ने मैसूर भूमि सुधार अधिनियम, 1961 के अनुसार भूमि स्वामियों को कितने वर्षों में मुआवज़ा देना चाहिए, इस सन्दर्भ में बोलते हुए कहा था कि मुआवज़े की राशि 5 या 6 वर्षों के दौरान दी जानी चाहिए और एक वर्ष में अदा करना आवश्यक नहीं है।

(ख) से (ङ): इस समय योजना आयोग चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए भूमि सुधार विषयक अध्याय को अन्तिम रूप देने में व्यस्त हैं। क्रमबद्ध पंच वर्षीय योजनाओं में की गई सिफारिशें सामान्य रूप से प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय मांग को दृष्टिगत रखते हुए अपनाई तथा स्वीकार की जानी हैं। मैसूर भूमि सुधार अधिनियम के प्रस्तावों और संशोधनों पर विचार करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: मैसूर राज्य का है।

Strikes in Private, State and Public Sector Industries in West Bengal under United Front Government

1792. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) the number of labour strikes which took place in the Private, State and Public Sector Indutries since the formation of United Front Government in West Bengal after the mid-term elections; and

(*b*) the number of man-days lost during this period ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). Inforamtion is being collected and will be placed on the Table of the House.

इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन से असिस्टेंट तथा महिला टेलीफोन आपरेटर की सेवा-मुक्ति

1793. श्री राम सिंह अयरवाल: क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन में काम कर रहे एक सीनियर असिसटेंट तथा एक महिला टेलीफोन आपरेटर को सेवामुक्त कर दिया गया था जबकि उनकी सेवामुक्ति का कोई उचित कारण नहीं था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त दोनों कार्मचारियों ने सेवामुक्ति के विरोध में अभ्यावेदन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के प्रति किये गए इस अन्याय के निराकरण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई०कु० गुजराल): (क) जी, नहीं। उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया था। भारतीय जन संम्पर्क सस्थान में सीनियर एसिसटेंट का कोई पद नहीं था। तथापि, वहां प्रशासनिक सहायक का एक पद था। प्रशासनिक सहायक तथा टेलीफोन आपरेटर की सेवाएं उन शर्तों के अनुसार समाप्त कर दी गई थी जिनके अनुसार उन्हें संस्थान में नियुक्त किया गया था।

(ख) प्रशासनिक सहायक ने अपील प्राधिकारी अर्थात् संस्थान की स्थायी समिति को अपील की थी, जिसने सेवा समाप्त करने के निर्णय को ठीक बताया था। तथापि, टेलीफोन आपरटर ने स्थायी समिति को कोई अपील प्रस्तुत नहीं की।

(ग) क्योंकि सेवाएं नियुक्ति की शर्तों के अनुसार समाप्त की गई थीं, अत: व्यक्तियों के तंग किये जाने का काई प्रश्न नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा की वन विकास योजना

1794. श्री किरित बिक्रम देव वर्मन: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा सरकार ने कुछ वन-विकास योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और उनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च होगी; और

(ग) 1969-70 में इन योजनाओं पर कितना काम हुआ है और उन पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) और (ग): त्रिपुरा सरकार ने 106 लाख रुपए की लागत की 18 वन स्कीमें चतुर्थ पंचवर्षीय याजना में सम्मिलित की हैं। वर्ष 1969-70 की अवधि में इन स्कीमों पर व्यय करने के लिए 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। स्कीमें क्रमश: प्रगति की ओर अग्रसर हैं और चालू वित्तीय वर्ष में उन पर लगभग 13 लाख रुपए व्यय होने की संभावना है। इन स्कीमों के नामों, चतथ 'चवर्षीय योजना मे उनमें से प्रत्येक के लिए प्रस्तावित तथा 1969-70 के लिए अनुमोदित परिव्यय और वर्ष के दौरान उन पर होने वाले संभावित व्यय को स्पष्ट करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिय गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या LT—2732/70]**

उपरोक्त के अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष में "वन संसाधन सर्वेक्षण" की एक और योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए वर्ष 1969-70 के दौरान 10,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है।

त्रिपुरा के वन विभाग के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में जांच

1795. श्री किरित विक्रम देव वर्मन: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार के वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने त्रिपुरा सरकार द्वारा बिना कारण उस आयोग के भंग किये जाने के विरोध में भूख हड़ताल की थी, जो उन कर्मचारियों की शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग ने किन परिस्थितियों में काम करना बन्द किया; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतें क्या थीं और उक्त भूख हड़ताल के बारे में त्रिपुरा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) त्रिपुरा सरकार द्वारा कोई जांच आयोग नियुक्त नहीं किया गया था। अत: इसके भंग किये जाने के विरुद्ध में किसी संरक्षण का प्रश्न ही नहीं होता।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारी संघ ने कुछ अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति के आदेश, स्थानापन्न पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का परावर्तन करने, प्रोन्नति के मामलों में अधिक्रमण और वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम आदि के अंतर्गत दंड के विरुद्ध अभिवेदन भेजा था। नवम्बर, 1969 के अंत में एक 'इन्टरनल फेक्ट फाइन्डिंग कमेटी' की स्थापना की गई थी। प्रशासक उचित रूप से जांच करने के बाद अपनी ओर से या अभ्यावदन प्राप्त होने पर सेवा समाप्ति के आदेशों का पुनरीक्षण कर सकता है। ऐसा पुनरीक्षण विचाराधीन है। स्थानापन्न पदों से परावर्तन, प्रोन्नति के मामलों में अधिक्रमण तथा दंड से सम्बन्धित अपीलों पर इनके लिये बने हुये नियमों के अन्तर्गत ही विचार किया जायेगा। कर्मचारियों ने वनपाल के कार्यालय के सामने हड़ताल की थी। प्रतिनिधि का प्रधिकारियों से अपनी बातों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् भूख हड़ताल तोड़ दी गई। राज्य के वन विभाग के सेवा-मुक्त तथा अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों को स्पष्ट करते हुये मुख्य मंत्री ने एक प्रेस-पत्रक भी जारी किया था।

Setting up of Agro-Industries in Villages

1796. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state whether Government propose to set up agro-industries in each village in order to arrest unemployment ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : No Sir. It is neither envisaged nor practical to set up agro-industries in each village in order to arrest unemployment.

Aid to Farmers of Insect-Infested Wheat Group in Eastern U.P.

1797. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the wheat crop in the Eastern Districts of Ballia and Deoria in Uttar Pradesh has become insect infected;

(b) if so, the insecticidal measures being adopted by Government; and

(c) whether Government propose to look into the question of granting aid to the farmers in case the farmers suffer heavily in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. According to the reports received from the State Government, a fungal disease (*Alternaria blight*) locally called *Jhulsa* has affected the wheat crop in about 6,500 acres in Deoria and 5,000 acres in Balia.

(b) Control measures have already been organised by the State Department of Agriculture under the Uttar Pradesh Agricultural Disease and Pest Act, 1954, to check this disease. The entire plant protection machinery of the State Government is engaged in this task. Suitable plant protection chemicals (fungicides) like Zineb, Dithane M-45 and Ziram, are being used for controlling this disease.

(c) Yes, Sir. The Government of Uttar Pradesh have already ordered grant of relief to the cultivators by way of charging them only 50% of the cost of fungicide required for two sprayings in the affected areas.

Area under Cultivation of Beet-Roots

1798. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to start the cultivation of beet-roots on large scale from October this year;

(b) the places where beet-roots are proposed to be cultivated and the quantity thereof proposed to be produced, area-wise; and

(c) the financial assistance proposed to be provided for this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes Sir.

(b) It is proposed to start cultivation of sugarbeet on a large scale in Ganganagar sugar factory area in Rajasthan during 1970-71, where about 14,000 tonnes of beet roots are expected to be produced. During the remaining period of the 4th Plan, beet cultivation will also be started in the States of the Punjab, Haryana and Uttar Pradesh.

(c) A provision of Rs. 4.35 lakh has been made under the Centrally Sponsored Scheme to provide technical know-how for the development of sugarbeet in the requisite factory areas.

Publication of Hindi Dailies in Non-Hindi States

1799. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Hindi dailies are published in each State of India;

(b) if not, the names of such States from where Hindi dailies are not published;

(c) whether, Government have any proposal to provide assistance for publishing Hindi dailies by such of the States as are not publishing such dailies at present; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) (*i*) Assam (*ii*) Gujarat (*iii*) Jammu & Kashmir (*iv*) Kerala (*v*) Mysore (*vi*) Orissa (*vii*) Tamil Nadu (*viii*) Nagaland (*ix*) Union Territories of (a) Andaman and Nicobar Islands (b) Goa, Daman and Diu (c) Himachal Pradesh (d) Manipur (e) Pondicherry (f) Tripura.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

वैगन निर्माण उद्योग में छंटनी

1800. श्री राम सिंह अयरवाल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ योजना के उपबन्धों में रेलवे वैगनों के आर्डरों में कमी करने के परिणामस्वरूप वैगन निर्माण उद्योग से बहुत अधिक संख्या में श्रमिकों की छंटनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैय्या): (क) और (ख). वैगन निर्माण उद्योग को दिया गया कोई भी आर्डर आवश्यकता में कमी हो जाने के कारण अभी तक रद्द नहीं किया गया। अतः इस कारण श्रमिकों की छंटनी होने अथवा उनके लिये वैकल्पिक रोज़गार ढूंढने का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 4078 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 4078

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): मैं कोयला खानों में आदर्श स्थायी आदेशों के बारे श्री जी०मो० विस्वास के अतारांकित प्रश्न संख्या 4078 के श्रम तथा पुनर्वास मंत्री द्वारा 14 मार्च, 1968 को दिये गये उत्तर की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसमें यह बताया गया था कि "कोयला खान उद्योग सम्बन्धी आदर्श स्थायी आदेश सितम्बर 1966 में परिचालित किये गये थे। 30 नवम्बर, 1967 तक 749 कोयला खानों में से केवल 276 कोयला खानों में अपने स्थायी आदेश आदर्श स्थायी आदेशों के अनुसार बना दिये थे और शेष 473 खानों ने ऐसा नहीं किया था।" इस उत्तर के संदर्भ में श्री ईश्वर रेड्डी ने 19 दिसम्बर, 1968 को आगे प्रश्न किया था जिसमें इन दोनों श्रेणियों की कोयला खानों के नामों के बारे में सूचना मांगी गई थी। जब यह जानकारी एकत्र की गई, यह कहा गया था कि पहले दी गई जानकारी में कुछ त्रुटियां थीं। तब से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर पहले दिये गये उत्तर को इस रूप में पढ़ा जाये :

> "कोयला खान उद्योग सम्बन्धी आदर्श स्थायी आदेश सरकार ने अगस्त 1965 में परिचालित किये थे। 30 जून, 1969 को 749 कोयला खानें थीं जिनमें से 677 कोयला खानों को, जिनमें से प्रत्येक में एक सौ या इससे अधिक श्रमिक काम कर रहे थे, स्थायी आदेश बनाने के लिये कहा गया था। इन 677 कोयला खानों में से 30 ने कोई स्थायी आदेश नहीं बनाए हैं, 113 ने अपने स्थायी आदेश आदर्श स्थायी आदेशों के अनुसार बना दिये हैं और शेष 534 कोयला खानों ने अभी ऐसा नहीं किया है।"

तारांकित प्रश्न तथा ध्यानाकर्षण के बारे में प्रश्न
RE: STARRED QUESTIONS AND CALLING ATTENTION (QUERY)

श्री गुरचरण सिंह (फिरोजपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न है ?

श्री गुरचरण सिंह : मुझे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यहां ऐसा प्रश्न उठाने का यह तरीका नहीं है । आप मेरे कक्ष में मुझ से मिल सकते हैं । मैं आप को स्थिति स्पष्ट कर दूंगा ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : श्रीमान, मैंने कलकत्ता के छविगृहों पर हमलों के बारे में ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी । हम राज्यों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं चाहते। परन्तु 'प्रेम पुजारी' नाम की फिल्म तो अखिल भारतीय स्तर की फिल्म है । इसीलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव मेरे पास आया था परन्तु मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस का सम्बन्ध कानून तथा व्यवस्था से है जो राज्यों का मामला है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, we were informed yesterday that our calling Attention on discrimination in Food policy of J & K Government had been accepted. But afterwards we told that Home Minister is not agreeable for this. Who is to decide in this regard ?

Mr. Speaker : I will look into it. You could raise in some different form, so that I might have justification in admitting it. Shri Nath Pai has raised constitutional aspect of it.

6 मार्च 1970 की बैठक को रद्द करना
CANCELLATION OF SITTING ON 6TH MARCH, 1970.

Mr. Speaker : Some hon. Members met me this morning and they said that it was the Shivratri nextday and it should be a holiday. Last time on the occasion of Id I had agreed. I was criticised for that by Shri Babu Rao Patel. That is why I want the House to consider it.

कुछ माननीय सदस्य : कल सभा की बैठक नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : कल को सभा की बैठक नहीं होगी । गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 20 तारीख को ले लिया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सड़क परिवहन उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन संबंधी संकल्प

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री संजीवैया) : मैं सड़क परिवहन उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन सम्बन्धी दिनांक 2 फरवरी, 1970 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-14(6)/69 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 2705/70]**

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2706/70]

कर्मचारी भविष्य निधि (छटा संशोधन) योजना, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर): मैं श्री भागवत झा आजाद की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (छटा संशोधन) योजना, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 12 में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2707/70]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12-क की उपधारा (1) के अन्तगत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2747 की एक प्रति, जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1969 (अंग्रेजी संस्करण) और दिनांक 24 जनवरी, 1970 (हिन्दी संस्करण) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में संशोधित किया गया था । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2708/70]**

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (एक्स-मिल) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1969 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1103 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2558 मे प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) खाद्यान्न (मांड़ी के निर्माण में प्रयोग का निषेध) संशोधन आदेश, 1969 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2608 में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) जी० एस० आर० 2669 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) मध्य प्रदेश चावल समाहार (लेवी) संशोधन आदेश, 1970, जो दिनांक 24 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 157 में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1970, जो दिनांक 23 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 217 में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) जी० एस० आर० 218, जो दिनांक 4 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश चावल और धान (लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1965 विखंडित किया गया है ।

(आठ) खाद्यान्न लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध (बीजों को छूट) आदेश, 1970, जो दिनांक 12 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 233 में प्रकाशित हुआ था ।

(नौ) जी० एस० आर० 266, जो दिनांक 22 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(3) उपर्युक्त मद 5 (दो) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2709/70]**

21 नवम्बर, 1969 को नई सतग्राम कोयला खान पश्चिमी बंगाल में हुई दुर्घटना की जांच का प्रतिवेदन श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं 21 नवम्बर, 1969 को नई सतग्राम कोयला खान, पश्चिमी बंगाल, में हुई घातक दुर्घटना की जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2710/70]**

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा 24 फरवरी, 1970 को पास किये गये स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1970 से राज्य सभा अपनी 3 मार्च, 1970 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

लोक-लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

सतासीवां तथा तिरानवेवां प्रतिवेदन

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I present the following reports of Public Accounts Committee :—

(1) Eighty-seventh Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Forty-third Report on Appropriation Accounts (Civil) 1966-67 and Audit Report (Civil), 1968 relating to the Department of Food.

(2) Ninety-third Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Fifty-eighth Report on Para 39 of Audit Report (Civil), 1968 relating to Central State Farm, Suratgarh (Department of Agriculture).

रेलवे बजट-सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे बजट पर आगे चर्चा करेंगे। श्री पुनाचा अपना भाषण जारी करें।

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं रेलवे अभिसमय समिति का उल्लेख कर रहा था....

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : रेलवे बजट पर चर्चा करने से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह चाहता था कि वह अपना वक्तव्य कल दें। चूंकि कल की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है अतः उन्हें अभी वक्तव्य देने की अनुमति दी जाती है।

श्री जी० भा० कृपालानी : प्रधान मंत्री ने जो उत्तर दिया था उसके सम्बन्ध में मैंने दो बातों का उल्लेख किया था। एक तो उन्होंने जो फ्रांसीसी महिलाओं की पत्रिका को इंटरव्यू दिया। प्रधान ने जो कुछ कहा है उसका उल्लेख करने के लिये क्या मैं अपनी धर्म पत्नी की सहायता ले सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कर सकते हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा): प्रधान मंत्री ने कहा था कि यदि हम महात्मा गांधी का अनुकरण करने का निर्णय करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम गांवों में रहें और बैलगाड़ियों में यात्रा करें और आधुनिक जीवन की प्रगति से इंकार कर दें ? यदि हम यह बात स्वीकार करते हैं तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमें उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम गाड़ियों, हवाई जहाजों और दैनिक कार्य में प्रयोग होने वाले उपकरणों को चाहते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि हमें उक्त सामग्री को खरीदना होगा या उसका निर्माण करना होगा।

श्री जी० भा० कृपालानी : उक्त इंटरव्यू का प्रकाशन गत वर्ष 6 अक्तूबर को हुआ था। प्रधान मन्त्री ने उसके बारे में अवश्य पढ़ा होगा लेकिन उन्होंने उसका खण्डन नहीं किया। प्रधान मन्त्री उक्त पत्रिका को अपने विचारों से सूचित करें और यह बताएं कि गांधी जी के आर्थिक विचारों के बारे में उन्होंने क्या कहा था। मेरे पास उक्त पत्रिका की एक प्रति है। इसमें उनके वक्तव्य का शाब्दिक अनुवाद है हम यह जानना चाहेंगे कि उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया था।

उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है जिसने गांधी जी की कड़ी आलोचना की है।

प्रधान मन्त्री ने उल्लेख किया है कि कलात्मक कार्य के लिए लोगों को पुरस्कार दिया गया था। क्या कोई कलाकार गांधी जी के बारे में इस प्रकार लिख कर ही अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। यदि किसी कलाकार ने स्वतन्त्रता से पूर्व मौलाना आजाद, बल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र बाबू, या जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होता और ब्रिटिश सरकार ने उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया होता तो उन्हें कैसा अनुभव होता ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): मैंने यह नहीं कहा कि यह अनुवाद गलत है। मैंने तो यह कहा था कि श्री पीलू मोदी ने 'रीएक्शनरी' और "मैड कैप" शब्दों का प्रयोग किया था लेकिन ये शब्द पत्रिका में प्रयोग नहीं किये गए हैं। इन्टरव्यू लेने वाले ने

बहुत सी बातों को मिला दिया है। उक्त महिला ने इस पत्रिका में यह भी उल्लेख किया है कि गांधी जी जब भी दिल्ली आते थे, हमारे मकान, आनन्द भवन में ठहरते थे। यह बात बिल्कुल गलत है। मेरे विचार से मैंने यह कहा था कि कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था गांवों पर आधारित है। हमारे देश के कुछ लोग बड़े उद्योगों की स्थापना का विरोध करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा गांधी जी के बारे में नहीं कहा। मैंने कहा था कि गांवों और किसानों की स्थिति में सुधार किये बिना देश उन्नति नहीं कर सकता। कृषि में सुधार बहुत सीमा तक उद्योगों में सुधार पर निर्भर है क्योंकि आधुनिक कृषि को बहुत से उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है।

विदेशी और भारतीय समाचार-पत्रों में बहुत से गलत वक्तव्य प्रकाशित होते हैं लेकिन उन सबका खण्डन करना सम्भव नहीं। लेकिन मुझे उन्हें अपना स्पष्टीकरण लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री जी० भा० कृपालानी : वे विदेशों में गांधी जी के बारे में झूठा प्रचार करते हैं (अन्तर्बाधाएं)

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुझे विश्वास है कि गांधी जी के बारे में सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं और इस प्रकार की टिप्पणियों से विदेशों में उनकी प्रतिष्ठा नहीं घटती। पुरस्कार के बारे में मैं अपने विचार स्पष्ट कर चुकी हूं (अन्तर्बाधाएं) इस विषय पर हम आगे चर्चा कर सकते हैं लेकिन हमें फिर अन्य बातों की ओर भी ध्यान देना होगा जैसे कि क्या जनसंघ और विशेषकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा व्यक्त किये गए विचार उन्मुक्त टिप्पणियों से अधिक गम्भीर नहीं हैं। (**अन्तर्बाधाएं**)

रेलवे बजट--सामान्य चर्चा

श्री वे० मु० पुनाचा (मंगलोर): मैंने अपने कल के भाषण में अभिसमय समिति के गठन के बारे में कहा था जो कि समूचे रेलवे की वित्तीय स्थिति की जांच करती है। मैं इस सम्बन्ध में 28 नवम्बर, 1968 की कार्यवाही का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें स्पष्टतः यह कहा गया था कि यह अभिसमय समिति भविष्य के विकास के लिए रेलवे के संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी।

अभिसमय समिति को इस मामले की जांच करके अपनी सिफारिशें पेश करने को कहा गया था जैसा कि पिछली अभिसमय समिति ने अपनी सिफारिशें 1965 में दी थी। इसी के आधार पर संसद ने कतिपय निष्कर्ष निकाले थे, इन निष्कर्षों के आधार पर योजना का कार्यक्रम बनाया गया था। परन्तु वर्ष 1965 से वर्ष 1968 तक कोई योजना कार्यक्रम नहीं बनाया गया। इसके स्थान पर वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1969 को आरम्भ होनी थी और इस समिति का गठन 1968 में किया गया था ताकि यह अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सके। मेरा आक्षेप यह है कि रेलवे मंत्रालय ने सभा के समक्ष चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यक्रम रखा है वह मेरे विचार में रेलवे के विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। रेलवे बोर्ड ने जो मसौदा तैयार किया है उसके अनुसार सामान तथा यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था करना है। दूसरा, यातायात की कार्यक्षमता तथा लागत को कम करने के लिए उपकरणों आदि का आधुनिकीकरण करना है। तीसरा छोटी लाईनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कार्य को तेज करना है ताकि शीघ्र आर्थिक विकास हो सके। इस कार्य के लिए 1700 करोड़ रुपए रखे गए थे। 1700 करोड़ रुपए का अधिकतम उपयोग करने के लिए एक अभिसमय समिति का गठन किया गया था। संसद ने समिति का गठन किया था परन्तु उस समिति ने अब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं। अतएव रेलवे मंत्री महोदय का अपने वक्तव्य में योजना कार्यक्रम का उल्लेख नितान्त असंगत और व्यर्थ है। ऐसा करना संसद के विश्वास तथा विशेषाधिकार को भंग करना है क्योंकि अभिसमय समिति की सिफारिशों के मिलने के बाद ही योजना

कार्यक्रम का उल्लेख होना चाहिए, रेलवे की चौथी योजना में 1,525 रुपए रखे गए हैं। इस धन में रेलवे का योगदान 940 करोड़ रुपए होगा, शेष के बारे में यह नहीं बताया है कि इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा। मेरा कहना यह है कि यह कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।

अनुबन्ध दो में विभिन्न योजना कार्यक्रम के आंकड़े दिए हुए हैं। रेलवे लाइनों को बदलने के कार्य के लिए 70 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की हुई है, मैं सभा से कहूंगा कि वे रेलवे मानचित्र को देखें। इससे पता चलेगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में समूची छोटी लाइनें हैं, बड़ी लाइनें केवल बम्बई-दिल्ली-कलकत्ता मद्रास में हैं, रेलवे व्यवस्था इतनी सीमित है कि प्राकृतिक संसाधन बहुल क्षेत्र वाले क्षेत्र इससे अछूते हैं अतएव वर्तमान माल यातायात के स्तर को 2,100 लाख मीट्रिक टन से 2,650 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का ध्येय पूरा नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस ध्येय को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा क्योंकि समूची व्यवस्था बड़ी ही सीमित बनाई गई है। उद्योगों के क्षेत्र में रेलवे का बड़ा हाथ रहता है, यदि हमारे देश में कतिपय क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है तो इसका कारण यह नहीं है कि उपक्रमियों की कमी है अथवा राज्य सरकारें इसमें रुचि नहीं दिखा रही हैं परन्तु वास्तव में रेलवे ने इसके लिए व्यवस्था नहीं की है। वे इसके लिए व्यवस्था नहीं करना चाहते। यह मेरी शिकायत है।

जहां तक सड़कों का संबन्ध है, मेरा यह कहना है कि सड़क इंजीनियरों में परिदृश्य योजना का अच्छा ज्ञान है, यदि हम वर्ष 1947 के नागपुर योजना को देखें तो इसमें पायेंगे कि इसने कतिपय निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार समूचे महत्वपूर्ण केन्द्रों को बड़े महत्वपूर्ण बन्दरगाह को अन्य बन्दरगाहों से, सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में सड़क द्वारा मिलाने की व्यवस्था की है, आज हम देखते हैं कि इस परिदृश्य कार्यक्रम को हमने प्राय: पूरा कर लिया है, मुझे बैंकाक में हुए नेशनल हाईवे कान्फ्रेंस में यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि भारत में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है।

परन्तु जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, दुर्भाग्यवश रेलवे इंजीनियरों और रेलवे बोर्ड ने इस योजना की चिन्ता नहीं की है।

मैं प्रत्येक आक्षेप का उत्तर देने को तैयार हूं, मेरे पास समय कम है, उनका काम तो बीच में बोल कर मुझे अपनी बात नहीं कहने देना है।

मैं कह रहा था कि चौथी योजना का कार्यक्रम अभिसमय समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही बनाना चाहिए था। हमने इसके लिए एक नोट तैयार किया था जो कि मंत्रालय और योजना आयोग के पास है, अब मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि कार्यक्रम बनाते समय इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, नोट में कहा गया था कि बड़ी लाइन पर संचालन की लागत लगभग 3.02 पैसे आता है जबकि छोटी लाइन पर यह 4.90 पैसे आता है। यह तथ्य इसको सुनिश्चित करता है परन्तु छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना वक्तव्य मध्यान्ह भोजन के पश्चात् जारी रख सकते हैं :

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बज कर 6 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Six Minutes Past Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चे० मु० पुनाचा अपना वक्तव्य जारी रखें।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The teachers of Haryana are going to protest for their demands from 10th March. I urge the Education Minister through you to write to the Chief Minister for sympathetic consideration on their demands.

उपाध्यक्ष महोदय: यह सभा की कार्यवाही में नहीं है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं रेलवे के कार्य को सुधारने के बारे में कह रहा था ।

यदि आप रेलवे के मानचित्र पर दृष्टि डालेंगे तो यह पायेंगे कि रेलवे के कार्य की व्यवस्था ऐसी है कि कार्य के वर्तमान ढांचे से कभी भी सुधार नहीं हो सकता है ।

उदाहरण के लिए हम परिचालन अनुपात को लें, मन्त्री महोदय के मत के अनुसार यह परिचालन अनुपात लगभग 79 प्रतिशत है। यदि आप परिचालन अनुपात और चालू लाइन के कार्य को लें तो ये अनुपात न्यूनतम 65 प्रतिशत तक आ जायेगा । जब तक हम उन आंकड़ों तक नहीं पहुंचते हैं तो इस में लाभ नहीं होगा मैं इसके आंकड़े दूंगा ।

मध्य रेलवे	79	प्रतिशत
पूर्व रेलवे	76	,,
उत्तर रेलवे	81	,,
पूर्वोत्तर रेलवे	99	,,
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	127	,,
दक्षिणी रेलवे	95	,,
दक्षिण-मध्य रेलवे	81	,,
दक्षिण-पूर्वी रेलवे	62	,,

इसके साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा । पूर्वोत्तर रेलवे को वर्ष 1964 से हानि हो रही है, यह हानि वर्ष 1964 से अब तक क्रमश: 5 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़ और 6 करोड़ रुपए रही है । इसी प्रकार पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे को हानि वर्ष 1964 से आगे क्रमश: 8 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़ और 14 करोड़ रुपए रही है । इन हानियों को देखने से पता चलता है कि आप कितना भी यात्री किराया तथा माल भाड़ा बढ़ाएं, देश में किसी भी तरह से रेलवे व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता, यह तभी हो सकता है जब रेलवे लाइनों में सुधार लाया जायेगा । यही रेलवे की कार्यक्षमता में सबसे बड़ी रुकावट है इसी बात को देखते हुए अभिसमय समिति का गठन किया गया था जो इन सब बातों पर विचार करके सभा को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती । मैं रेलवे बोर्ड द्वारा 30 मई 1968 को तैयार किए गए टिप्पण के बारे में कहूंगा । इसमें कहा गया था कि छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य हाथ में लिया जाएगा तथा इसके लिए 10 या 15 वर्ष का कार्यक्रम बनाया गया तथा इस कार्य के लिए 175 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था । इस पर विचार किया गया था एक कार्यक्रम बनाया गया । इसको अभिसमय समिति में तथा इसके बाद संसद तथा योजना-आयोग में रखा जाना था । परन्तु ऐसा नहीं किया गया है । अब हमें बताया गया है कि इस कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपए व्यय किये जायेंगे और समूचे योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । यदि इस गति से कार्य किया गया तो समूची योजना में हम 600 किलोमीटर लाइनों को भी बड़ी लाइनों में नहीं बदल सकेंगे ।

मैं रेलवे मंत्री को केवल यही सुझाव देना चाहता हूं कि 3000 किलोमीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का तुरन्त कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और इसके लिए 175 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की जानी चाहिए । समूची योजना में कुल मिलाकर 1700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

यह अनुचित बात है कि रेलवे देश के सभी नागरिकों, व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। मीटरगेज रेलवे लाइनों मे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता।

देश में बड़े बड़े उद्योग बड़ी लाइनों के साथ साथ ही स्थापित हुए हैं। अन्य क्षेत्रों की जहां रेलवे की बड़ी लाइनें नहीं जाती हैं उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं। अतः इस प्रकार उनकी उपेक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में आसाम, उत्तर बिहार, तथा केरल आदि राज्यों के उदाहरण दिये जा सकते हैं। इन राज्यों में उद्योग स्थापित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल तथा खनिज पदार्थ मिलते हैं। परन्तु उनकी सर्वथा उपेक्षा की गई है क्योंकि रेलवे द्वारा उन क्षेत्रों में लाइनें बिछाने के लिए उचित ढंग से आयोजन नहीं किया गया। रेलवे मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रेलवे ने जो योजना बनाई है उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। जहां तक आयोजित कार्यक्रमों की क्रियान्विति का सम्बंध है मेरे विचार में श्री नन्दा मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का यथासम्भव प्रयत्न करेंगे।

इस समय रेलवे में लगभग 1000 रेलवे डीजल इंजन चल रहे हैं और बिजली से चलने वाले लगभग 500 अथवा इससे अधिक इंजन हमारे पास हैं। इनपर लगभग 400 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। क्या हमें इससे पूरा लाभ हो रहा है? मेरा कहना है कि हमने रेलवे में नए इंजनों तथा उपकरणों पर जो पूंजी लगाई है हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। इन इंजनों तथा उपकरणों का उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक डीजल इंजन के लिए लगभग 40,000 रुपए की विदेशी मुद्रा की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है। अतः मेरा निवेदन यह है कि जबतक इन आस्तियों का पूरा उपयोग नहीं किया जाता तब तक हमें इनसे लाभ नहीं होगा और हमें प्रतिवर्ष किरायों आदि में वृद्धि करनी होगी परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकती। अतः रेलवे सम्बन्धी योजना बनाते समय हमें नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। रेलवे के विस्तार के बारे में हमें नए ढंग से विचार करना होगा। मैं एक अथवा दो और बातें कहना चाहता हूं।

मैं रेलवे के कार्यकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने दल के पूरे समय का उपयोग कर चुके हैं। इस लिए अब उन्हें अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

श्री चे०मु० पुनाचा: मन्त्री महोदय ने मूल्यह्रास आरक्षित निधि, पेंशन निधि और लाभांश का उल्लेख किया है। लाभांश की दर अत्यधिक है। अभिसमय समिति को इस पर विचार करना चाहिए। मेरे विचार में लाभांश की दर $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत के लगभग होनी चाहिए। अन्यथा इस आय का उपयोग अन्य कार्यों के लिए होगा और रेलवे के विकास कार्यों में बाधा पड़ेगी। पेंशन निधि और मूल्यह्रास आरक्षित निधि के सम्बन्ध में भी अभिसमय समिति को ब्यौरेवार विचार करना चाहिए। इसके बाद मन्त्री महोदय ने महानगर योजना का उल्लेख किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि भू-परिवहन को बढ़ाने से स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, बम्बई और कलकत्ता में यह समस्या बढ़ेगी। इसलिए भूमिगत व्यवस्था से ही यह समस्या हल हो सकती है। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उपनगरीय यातायात के किरायों में की गई वृद्धि वापिस लेली गई है परन्तु इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। वस्तुतः हमें उपनगरीय यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि करनी चाहिए जिसके लिए $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिभार की व्यवस्था करनी होगी और इसके अतिरिक्त $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत राज्य सरकार तथा $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत रेलवे सरकार को देना होगा। इस 25 प्रतिशत राशि का संचालन वह प्राधिकार करेगा जिसमें राज्य सरकार, नगर निगम और रेलवे के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

इस निधि से 6-7 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे । इस राशि में से ऋण अथवा डिबेंचर दिये जा सकते हैं और इसका स्थायी समाधान मिल सकता है । कलकत्ता और बम्बई नगरों की उपनगरीय यातायात समस्या की ओर यदि पर्याप्त ध्यान न दिया गया तो वह और भी अधिक जटिल हो जाएगी ।

Shri D.N. Tiwary (Gopalganj) : The suggestions made by Shri Poonacha are very important. He has always been thinking to bring improvements in the working of Railways but I am sorry to point out that Railway Board has been standing in the way of implementing his suggestions. Railway Board does not bother about the complaints made by the public or Members of the Parliament. It is always expected of a Minister to consider our suggestions and then send a reply to us. I am sorry to point out that neither Shri Poonacha nor Dr. Ram Subhag Singh had done so. Last time I had suggested that some improvements should be made to make the officials of the Railway Board responsible to this House or atleast to Railway working. At present Railway Board does not examine the suggestions made by public or Members. The Railway Board should be asked to atleast examine these suggestions.

The State should get the return of the money invested by them and at the same time users should get necessary facilities. In case the capital invested in Railways is utilised properly, proper return will follow. The pilferages and other types of losses should be checked. Railway can save Rs. 50-60 crores in this way and there will be no need of increasing the fares and rates of freight.

It has been observed that hon'ble Minister has withdrawn the proposals of increasing the fares and rates of freight taking into account the reactions of the Members. I think there was no harm if the fares for suburban passengers was increased because they are quite low. There should be no discrimination between the fares charged from monthly pass holders and the suburban passengers.

The problems of Railway staff should be dealt with impartially. There should be uniformity in issuing and implementing various circulars. In case transfers are to be affected then the employees should be transferred in the same Zone. Such facilities can be given to the employees without any increase in expenditure. Sometime a Minister or some other officer gets annoyed with some person and he is transferred to some distant place. Last year D.T.S. system was replaced by D.S. system in Sonepur. The hon'ble Minister may kindly look into the reasons of transfer in their cases. We had demanded that there should be D.S. system in Sonepur as well as in Samastipur because there is only one D.S. system in a distance of 1800 miles. I do not know as to why a position of Bihar has been included in U.P. and Assam ?

In reply to a question it has been stated that two hundred persons have become surplus. What is the use of such economy if so many persons become unemployed. Again there is no office accommodation available in Samastipur and new buildings have to be constructed . There should have been D.S. system at Sonepur as well as Samastipur in the interest of economy as well as operation. At present control system remains out of order and we cannot get any information about the late running of trains.

We have to take into account interests of all the three partners *viz.* State, users and employees. I would suggest that Railway Board should be reorganised in the interest of efficient working of Railways. They should be made answerable to for all purposes. Efficient workers should be suitably rewarded. They should be given incentives. But Government should also look into the reasons of losses. Railway Enginneering Planning system should be improved.

There should be coordination and not competition between Railways and Roadways in respect of transport. We are aware of the fact that movement of goods by roadways is quicker than Railways because Railways consume more time and therefore people go for roadways. There is no fear of pilferage in roadways and moreover goods reached at fixed point quite in time. Railway should improve keeping in view all these factors.

It is also suggested that more halt stations should be provided because in the absence of halt stations people pull the chain and in this process persons travelling without ticket also escape. At the same time it causes late running of trains. Unless Government provide necessary facilities, chain pulling cannot be stopped. There should be some arrangement for light at flag-stations because trains do not stop there in the absence of light.

An order has been issued in our area that there will be no booking from one ghat to another, but it causes losses to Railways. I hope the hon'ble Minister would find out the ways to increase finances of Railways.

श्री लोबो प्रभु (उदीची): मैं समझता हूं कि सभा इस बात पर एक मत है कि मुद्रा-स्फीति की वर्तमान परिस्थितियों में किराए अथवा भाड़े में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए और मंत्री महोदय को भी इस बात को समझना चाहिए कि मुद्रा-स्फीति जनता की सब से बड़ी शत्रु है। इस से बड़े-बड़े धनी व्यक्तियों के धन और सम्पत्ति में वृद्धि होती है तथा अधिकांश लोगों की जिन की आय निश्चित है तथा जिन्हें मंहगाई भत्ता नहीं मिलता है, स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। मुद्रा-स्फीति सरकार के दस सूत्रीय कार्यक्रम अथवा किसी भी कार्यक्रम की सबसे बड़ी शत्रु है। स्थिति यह है कि रेलवे बजट तथा सामान्य बजट पेश किये जाने के बाद मूल्य सूचकांक में 3 अंक की वृद्धि हो गई है। आप इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि इसका गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मैं आप का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि मुद्रा-स्फीति से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं वर्ष 1966 से मुद्रा स्फीति आरम्भ हुई है और तब से अब तक रेलवे में 11,000 पद कम कर दिए गए हैं। सरकार के आंकड़ों से यह बात सिद्ध होती है कि रोजगार के लिए अधिक धन की मांग किए जाने के पश्चात् भी 11,000 श्रमिकों की कमी की गई। इससे यह स्पष्ट है कि मुद्रा-स्फीति से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और इससे न तो जनता को लाभ होता है और न ही सरकार को ही कोई लाभ होता है।

मैं अब संक्षेप में यह बताऊंगा कि आप के विभिन्न प्रस्तावों से किस प्रकार मुद्रा-स्फीति को बढ़ावा मिलेगा। किराए अथवा भाड़े के युक्तियुक्तकरण किया गया है। वास्तव में यह किराए अथवा भाड़े का युक्तीकरण नहीं है अपितु उसमें वृद्धि करना है। युक्तीकरण के नाम में किराए में वृद्धि की गई है।

वर्ष 1957 में श्री ए० रामास्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में एक भाड़ा ढांचा समिति नियुक्त की गई थी और उस समिति ने लगभग दो वर्ष के अध्ययन के बाद भाड़ा दरों के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थी, परन्तु उन सिफारिशों की अवहेलना कर दी गई है। रसायनिक खाद, चीनी, कपड़ा, मिट्टी तेल तथा लोहे और इस्पात के भाड़े में जो वृद्धि की गई है, उस से बहुत अधिक मूल्य वृद्धि होगी तथा मुद्रा-स्फीति को बढ़ावा मिलेगा।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी पीठासीन हुई]

[SHRIMATI SUSHILA ROHATGI *in the Chair*]

मुद्रा-स्फीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा और पूंजी नियोजन को धक्का लगेगा। अतः मेरा प्रथम अनुरोध यह है कि किराए अथवा भाड़े में वृद्धि न की जाए। क्योंकि यह मुद्रा-स्फीति का समय है तथा ऐसे समय में किराए अथवा भाड़े में वृद्धि करना अहितकर होगा।

माननीय मन्त्री ने कहा है कि खाद्य वस्तुओं तथा दूध के भाड़े में कमी की गई है। परन्तु खाद्य वस्तु का अर्थ केवल अनाज तथा दूध ही तो नहीं है। बहुत सी अन्य खाद्य वस्तुएं हैं। जिनके भाड़े में बहुत अधिक वृद्धि की गई है। फलों पर 50 किलोमीटर के फासले के लिए भाड़े में 70 प्रतिशत वृद्धि की गई है तथा सब्जियों पर भाड़े में 66 प्रतिशत वृद्ध की गई है। इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी

तथा लोग इन वस्तुओं का उपभोग कैसे कर सकेंगे। इसके विपरीत लोग इन का कम उपयोग करेंगे तथा उत्पादन भी कम करेंगे और इस से रेलवे यातायात में भी कमी आयेगी। अतः यदि आप खाद्य पदार्थों पर छूट देना चाहते हैं, तो केवल अनाज तथा दूध पर ही नहीं अपितु सब प्रकार के खाद्य पदार्थों पर छूट दी जानी चाहिए।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है कोयले 2000 किलोमीटर से अधिक फासले के लिए भाड़े की दर 58.69 प्रतिशत से बढ़ा कर 62.02 प्रतिशत की गई है। इसका दक्षिण के उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ेगा और वे उत्तर के उद्योगों से प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। ऐसा करना दक्षिण के उद्योगों के साथ भेदभाव करना है। यह राष्ट्रीय एकता की भावना अथवा आर्थिक एकता की भावना के विरुद्ध है। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी तथा असंतोष फैलेगा। दक्षिण के उद्योगों को भी उसी दर पर कोयला उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिस दर पर उत्तर के उद्योगों को उपलब्ध है।

जहां तक छोटे पार्सलों का सम्बन्ध है जिन्हें जन साधारण द्वारा भेजा जाता है उनके भाड़े की दरों में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। क्या ऐसा किया जाना उचित है?

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित श्रेणी के किराये में जो वृद्धि की गई है, इसका प्रभाव धनी वर्ग पर नहीं, अपितु स्वयं सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों में 80 प्रतिशत यात्री ऐसे होते हैं,जो सरकारी खर्च पर यात्रा करते हैं। अतः ये लोग जो किराया देते हैं, उसे अधिक कर लगा कर वसूल किया जाता है। वस्तुतः प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित श्रेणी के किराये में वृद्धि करने से तो सरकारी कर्मचारियों तथा संसद सदस्यों को लाभ हुआ है, क्योंकि इससे उन्हें अधिक दैनिक भत्ता मिलेगा, क्योंकि उनका दैनिक भत्ता किराए से सम्बन्धित होता है।

श्री चे०मु० पुनाचा ने योजना के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं उनका ध्यान उनके भाषण की ओर ही दिलाना चाहता हूं। माल डिब्बों, सवारी डिब्बों तथा चल स्टाक के लिए 660 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि इस पंचवर्षीय योजना में इनकी संख्या में 25 प्रतिशत वृद्धि होगी। एक डिब्बा अथवा माल डिब्बा 30 से 50 वर्ष तक काम में लाया जाता है इसलिए 5/30 अथवा $\frac{1}{6}$ वृद्धि ही पर्याप्त थी, 25 प्रतिशत वृद्धि की क्या आवश्यकता है। क्या आप ये डिब्बे तथा माल डिब्बे बनाना चाहते हैं? जब यह दबाव डाला गया था तथा अधिक माल डिब्बों की मांग की गई थी तो सरकार ने उत्तर दिया था कि पर्याप्त मात्रा में माल डिब्बे उपलब्ध हैं और वे अप्रयुक्त पड़े हैं। अतः माल डिब्बों की संख्या में 25 प्रतिशत वृद्धि क्यों की जा रही है?

जहां तक यात्री डिब्बों का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहता हूं कि कुल 24000 यात्री डिब्बों में से 900 डिब्बों को अधिकारियों के लिए सैलूनों के रूप में आरक्षित कर रखा है। इन 900 सैलूनों को यात्री डिब्बों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आज के अधिकारी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। उन्हें वह पता नहीं है कि गाड़ियां समय पर चलती हैं अथवा नहीं। उन्हें यह पता नहीं है कि गाड़ियों में कितनी गंदगी होती है। अतः यदि सैलून व्यवस्था को समाप्त किया जाता है और उन्हें जनसाधारण की तरह से यात्रा करनी पड़ती है, तो रेलवे में बहुत सुधार हो जायेगा।

जहां तक विभिन्न निधियों जैसी कि आरक्षित निधि, विकास निधि, आदि का सम्बन्ध है, यद्यपि श्री पुनाचा ने इस सम्बन्ध में सविस्तार प्रकाश डाला है, तथापि मैं उन से सहमत नहीं हूं। मैं उनसे लाभांश की दर के बारे में सहमत नहीं हूं। यह दर ब्याज की दर से सम्बन्धित होनी चाहिए। ब्याज की दर 5 प्रतिशत है। इसलिए इसकी दर भी 5 प्रतिशत होनी चाहिए।

महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से पता चलता है कि रेलवे में प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत होती है। महा लेखा परीक्षक ने इस बात का उल्लेख किया है कि 1967-1969 वर्षों में कुल खर्च नियत राशि से लगभग 50 करोड़ रुपए कम खर्च हुआ है। माननीय मन्त्री ने स्वयं अपने भाषण में स्वीकार किया है कि रेलवे के कार्यों पर नियत राशि से लगभग 30 करोड़ रुपए कम खर्च हुआ है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आय-व्ययक में आवश्यकता से कहीं अधिक धन का उपबन्ध किया जाता है।

जहां तक बकाया राशि का सम्बन्ध है महालेखा परीक्षक ने इस बात का उल्लेख किया है कि रेलवे की 30 करोड़ रुपए की राशि बकाया है स्टेशन मास्टरों द्वारा इस राशि को वसूल नहीं किया गया है। 30 करोड़ रुपए की इस बकाया राशि में से 6 करोड़ रुपए की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया है। 80 लाख रुपए की राशि दस वर्षों से बकाया है क्या इससे रेलवे बोर्ड की कार्य कुशलता सिद्ध होती है ?

महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से यह भी ज्ञात होता है कि गाड़ियों की देरी से चलने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इससे रेलवे को भारी हानि हो रही है और जनता को भी पर्याप्त कठिनाई हो रही है। जब रेलवे की कार्यकुशलता घटती जा रही है, तो अधिक भाड़ा लेने का क्या औचित्य है ?

जहां तक सम्पत्ति को हुए घाटे का सम्बन्ध है रेलवे द्वारा प्रतिकर के रूप में लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और वास्तविक हानि कहीं अधिक होगी। बिना टिकट यात्रा करने के कारण रेलवे को अनुमानत: 25 करोड़ रुपए की हानि हुई है। रेलवे प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। रेलवे सम्पत्ति के चारों ओर तारों आदि की बाढ़ लगाई जानी चाहिए तथा रेलवे स्टेशनों पर भी जंगले आदि का उचित प्रबन्ध होना चाहिए, ताकि लोग अबाध रूप से प्लेट फार्मों तथा रेल गाड़ियों में न जा सकें। प्लेटफार्मों पर लोग प्राय: बिना प्लेट फार्म टिकट के ही चले जाते हैं। और टिकट कलक्टर इस बात को देखते ही नहीं हैं कि अमुक व्यक्ति के पास प्लेटफार्म टिकट है अथवा नहीं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि प्लेटफार्म पर आने वाले व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए बाहर जाने का केवल एक ही मार्ग होना चाहिए। बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में 66 प्रतिशत कम हो गई है। सत्यता यह है कि आपने जुर्माना इतना अधिक रखा है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री रेलवे के कर्मचारियों से मिल जाते हैं।

रेलवे के अधिकारियों के पी०टी०ओज़ की संख्या 6 से घटा कर 3 कर दी जानी चाहिए। और अन्तिम बात यह कि किराए और माल भाड़े में वृद्धि करके समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। रेलवे बोर्ड को बदला जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ती ही जाती है और इसके साथ खर्च भी बढ़ता जाता है। यह एक लज्जा की बात है।

जब तक रेलवे 100 करोड़ रु० की बचत नहीं करता जैसा कि महा लेखा परीक्षक ने बताया है और जब 30 या 40 करोड़ रु० की अन्य मदों में, जिनका मैंने उल्लेख किया, बचत नहीं की जाती, रेलवे को किराए और माल भाड़े में वृद्धि करने का कोई अधिकार नहीं है।

Shri Amrit Nahata (Barhmer) : Mr. Speaker, Sir, I would like to congratulate Shri Nanda, the new Railway Minister for his honouring the sentiments of the different political parties and for setting up a new example before the country. Now I want to give the attention of the hon. Minister on the deplorable lot of the pay clerks who have bitter to remained neglected. There

number is 1100 and they have to disburse the salaries of all the categories of employees at their place of duty. They have to handle cash of crores of rupees every month. Their work is most exacting and more often than not they are compelled to handle cash beyond the prescribed limits. This should not happen. Their number should be increased. Their duties and responsibilities are virtually the same as those of cashiers in other departments. What are they paid for this ordeal ? Only a pittance of Rs. 110 to 170. Their designation should be changed to "Cashier". The pay scales of cashiers in Railways should be brought at par with those in other Ministries and departments.

There is no security arrangement for them. They were looted and murdered several times. Recently one pay-clerk and two police guards accompanying him were murdered and the murderers escaped with the cash. Moreover, no compensation was paid so far to the relatives of the pay-clerk, who was murdered. The Railway authorities say that there is no provision for compensation in such cases. Previously special coaches equipped with the security arrangement were provided for pay-clerks but now such coaches are being removed in the name of economy. On the other hand the number of saloons is being increased for big railway officers. The point I want to emphasize, is that there should be special coaches for pay-clerks, because they carry money with them. Moreover, there should be a fixed procedure to be followed by pay-clerks all over India. At present the pay clerks face a number of difficulties while distributing pay to Station Masters. P.W. Is. and Gangmen at various stations.

I hope that our Railway Minister will pay attention to this neglected category and will try to remove their difficulties.

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : Mr. Chairman, it appears from what the Railway Minister said yesterday that he was not in a position to be fully responsible for the railway budget which was prepared by Government officials. I want to say that the Ministry of Railways is running the biggest industry in public sector in our country and that ministry should have not been left without the Minister for 5 or 6 months. I also want to point out that the Railway Department had been a source of additional revenue to our General Budget till one or two year back. But, unfortunately, the situation has changed now. The reasons, on account of which the railway budget has ceased to be the surplus budget, are bad and faulty planning and mal-administration.

Shri Nanda has himself admitted that we suffer a loss of about 45 crores of rupees every year in our passenger traffic. But this year this loss has been subsidized to the extent of about 25.50 crore rupees by making increase in freight charges on goods like sugar, steel, cement and Kerosene. But will it not effect the economy of the country in the same way in which the increase in fares. In his opinion the increase in fares will badly effect the economy of the country but the increase in freight charges will not. Shri Nanda has also pleaded his inability to give Rs. 44.96 crore for plan from railway revenues. He said that only Rs. 31.96 crores would be given for that purpose. I would like to know how far it will affect the development programme in railways. Keeping this thing in view I want to suggest that efforts should be made to make increase railways' resources. The Administrative Reforms Commission has also made recommendations in this respect. They have also suggested that railways should be run on commercial lines.

On the one hand the Railway Minister says that we want to compete with the road transport, but on the other hand, freight charges have been increased. I do not understand the logic as to how railway goods traffic can compete with road transport in the existing circumstances. Moreover it is a fact that the road transport is winning in the competition with the railway goods traffic. Last year the hope was expressed that the railways would get 9 million tons of goods traffic, but they got only 5 million tons. In this context I would like to know the measures Railway Department is going to take to attract more goods traffic and ensure more efficiency. In order to attract more goods traffic, I think, you should give all such facilities to the public as are available in road transport. Secondly, you should withdraw the extra burden imposed on goods traffic this year.

One of the major defects in planning of Railway Department is that railway lines are being laid in uneconomic sectors. It is being done under political pressure. For example, there is Udaipur-Himmatnagar line in Rajasthan and one such line is being laid in Bihar. Secondly, over-expense has been done in cretain cases on the basis of wrong figures. Thus your plans are unbalanced. Have you ever considered seriously about the defects from which your plans suffer ?

According to the existing rules a new railway line is examined after 6 and 11 years to see whether it is an economic line or not. I want to suggest that this period should be 3 and 5 years respectively. I also want to suggest that all those workshops, in which about 25,000 people work on functional basis, should be reorganized. In respect of categorywise organisations I want to say that all such organisations should be given recognition and then they should form a federation. Thus they will be in a position to put their grievances before the Railway Board and Government. As regards the problems of Commercial Clerks, I want to say that sympathetic consideration should be given to the demands made by them.

श्री पी० एम० महत्ता (भावनगर) श्रीमान् सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय: गणपूर्ति की घंटी बजाई जाए..... अब सभा में गणपूर्ति है । श्री नीतिराज सिंह चौधरी ।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary (Hoshangabad) : Mr. Deputy-Speaker, my opinion about the Railway Board is that it is just like a prison and a Minister , who happens to be the Railway Minister, acts like the prisoner. He acts in accordance with the wishes of the officials of the Railway Board. Shri Nanda also has been made to present the Railway Budget which was exclusively prepared by the Railway Board. I congratulate him that he tried to get out of the said prison by withdrawing the increase in the fares for third class passengers.

In Railways there are some categories of class III employees like Station Masters, Assistant Station Masters, Pay-Clerks, Goods Clerks and Commercial Staff, in respect of which equivalent qualifications are fixed for recruitment. But their pay-scales are different, I think that their initial pay scales should be equal because the minimum qualifications fixed for recruitment to all those posts are equal.

It has been admitted by the Railway Ministry that they have to suffer a loss of 25 crore rupees on account of ticketless travel. I want to know the measures being taken by Government to check it. One of the reasons of ticketless travel is that trains often stop at inner or outer signals due to lack of space at stations or their arrival before time.

I want to say that the Railway Board has badly failed in the work of supervision, Railway authorities do not properly supervise the jobs they are entrusted with. The expenditure being incurred on supervision in railways can be reduced to a great extent. Now I want to say something about Madhya Pradesh. This State has been demanding for more trains, but no increase has been made in the number of trains for Madhya Pradesh. Another demand was that one passanger train should run between Jabalpur and Bhusawal. I also want to suggest that time-table should be prepared in such a way as to make it feasible for trains to reach on those stations in day-time, where uptil now they used to reach at night. Dieselisation of 7-Down and 8 Up trains should also be done.

The Railways appointed a committee which was entrusted the work of making study about uneconomic branch lines. The said committee recommended in its report that these lines should not be closed down—and they should be converted into broad gauge. I would like to ask the action taken by Government in respect of these recommendations.

Surveys for new railway lines are being conducted all over India, but Madhya Pradesh is such an unfortunate State where no such survey is being conducted. There is not even a single line in areas spread over lakhs of miles. This area will remain undeveloped if no railway line is constructed there. A difficulty which is often faced by the passengers in Madhya Pradesh

is that there are stations having distance of 9 to 10 miles between them. So more stations should be constructed there. Bhusawal Division is a very big division. I want to suggest that this Division should be reorganised and a new Division should be opened at Bhopal, the capital of Madhya Pradesh.

There are no facilities for the passengers in Madhya Pradesh. The over-bridges are uncovered and also there is no facility of drinking water and sheds at the stations.

We have requested the hon. Minister to attach direct wagons with the mail and Express trains till direct trains are provided from Jabbalpur *via* Allahabad, Itarsi, Delhi. Jabbalpur is a big Military Centre and many people from there have to come Delhi. Therefore, it is very essential that direct wagons should be attached on all the routes. I hope the hon. Minister would look into these demands and provide necessary facilities. Thanks.

श्री मरासोली मारन (मद्रास दक्षिण): ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे बोर्ड के उन्हीं विशेषज्ञों और सिविल अधिकारियों ने यह बजट तैयार किया है जिससे भारी मुद्रा-स्फीति होती है। इसमें सामान्य व्यक्ति के लिए कोई लाभ की बात नहीं रखी जाती है। मन्त्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि यह बजट उन्होंने स्वयं तैयार नहीं किया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इतने अनुभवी व्यक्ति के लिए जो कि दो बार कार्यकारी प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं और मंत्री मण्डल में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी रह चुके हैं, इस सभा में आकर अपने बजट को पेश करने के लिए और अधिक समय मांग सकते थे। यह खेद का विषय है कि उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे निकृष्ट बजट के प्रस्तुतकर्ता के रूप में हमारे सामने आए हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अन्ततः बचा ही लिया। कदाचित पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट प्रस्तावों को एक छोटा-सा अन्य बजट पेश करके संशोधित किया गया है। यह निश्चय ही विपक्षी तथा सामान्य जनता की विजय का प्रतीक है, मैं एक बार फिर प्रश्न करता हूं कि उन्होंने अपने बजट प्रस्तावों को पेश करने से पूर्व विपक्ष से विचार-विमर्ष क्यों नहीं किया। मेरा सुझाव है कि वह विपक्ष को भी विश्वास में रखने की एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करें।

कुछ रियायतें देने के लिए हम मन्त्री महोदय को धन्यवाद करते हैं। सामान्य जनता पर सीधा शुल्क तो घटा दिया गया है परोक्ष शुल्कों से तो फिर भी बोझ बना रहेगा। नमक, चीनी, मिट्टी का तेल, आदि पर परिवहन दर बढ़ाने में उन चीजों के निर्माता इनके मूल्य बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि श्री लोबो प्रभु ने कहा, यह सबसे बड़ा दक्षिण विरोधी बजट है क्योंकि पहली अप्रैल से कोयला खानों से दूर स्थित औद्योगिक केन्द्र सर्वाधिक हानि की स्थिति में होंगे। हमारी मांग रही है कि समूचे देश में सीमेंट की तरह कोयले के भी समान मूल्य होने चाहिएं। परन्तु आप तो दक्षिण भारत में इतनी मांग होते हुए भी कोयले के मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं। इससे दक्षिण के उद्योगपतियों को धक्का पहुंचेगा।

सामान्य दृष्टि से वर्ष 1970-71 में रेलवे की आय 1022 करोड़ रुपए है तथा सामान्य कार्य पर 700 करोड़ रुपए के खर्च हैं। इस प्रकार आप रेलवे में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुप से 300 करोड़ रुपए की पूंजी लगा रहे हैं। इस पूंजी के लगाने से कम से कम 8 या 9 प्रतिशत का लाभ तो होगा ही।

सारी दुनिया में रेलवे को सरकारी सहायता प्राप्त होती है परन्तु यहां रेलवे सरकार को ही लाभ दे रही है। तथा इस प्रकार सामान्य जनता का शोषण हो रहा है तथा मुद्रा-स्फीती के माध्यम के रूप में रेलवे कार्य कर रहा है।

मैं श्री पुनाचा के इस विचार से सहमत हूं कि हमें लाभांश की दरों पर पुनर्विचार करना चाहिए। वर्ष 1970-71 में कर्मचारियों की पेन्शन के लिए 7.89 करोड़ रुपए की आवश्यकता है परन्तु आप

इसके लिए उसका 12 गुना धन क्यों रख रहे हैं ? इसके अतिरिक्त अभिसमय समिति ब्याज देना पूंजी पर प्रतिशतता को भी घटा सकती है। इस सम्बन्ध में एक या आधा प्रतिशत कम करने से रेलवे को 15 से 30 करोड़ रुपए का लाभ हो सकता था। पुरानी अभिसमय समिति द्वारा सिफारिश की गई वित्त-व्यवस्था अवास्तविक तथा अलाभप्रद सिद्ध हुई। वर्ष 1968 में गठित अभिसमय समिति के कार्य को तेजी से कराने में सरकार असफल रही है। इसका कारण शायद आजकल चल रही राजनैतिक गतिविधियां ही हैं। इस प्रकार के विलम्बों से परियोजनाओं को भारी धक्का पहुंचता है। और इस प्रकार के विलम्ब करने में रेलवे मंत्रालय सब से आगे है। यदि इस समिति का कार्य समय पर पूरा हो जाता तो इस बजट का स्वरूप ही दूसरा होता।

साथ ही रेलवे में अकुशलता को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। मुझे विशेषज्ञों ने बताया है कि यदि कार्य कुशलता में 5 से 10 प्रतिशत का भी सुधार हो जाए तो इसमें 50 से 100 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। परन्तु रेलवे लागत खर्च को कम करने के बारे में कभी विचार नहीं करता और जब वित्तीय मुश्किल आती है तो तुरन्त ही माल-भाड़े तथा रेल किराए में वृद्धि कर दी जाती है।

साथ ही यह भी कहा गया है कि क्योंकि चौथी योजना के दौरान उन्हें अतिरिक्त साधन जुटाने हैं इसलिए एक ही वर्ष में वे इतनी अधिक वृद्धि नहीं करना चाहते। उक्त आशय भी बड़ी ही सावधानी से शब्दबद्ध किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में सामान्य जनता पर फिर मुसीबत आने वाली है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलवे द्वारा परिवहन दरों में इतनी वृद्धि की जा रही है जिससे उद्योग तथा कृषि आदि में सभी क्षेत्रों की लागत पर बहुत प्रभाव पड़ता है। रेलवे विभाग धीरे धीरे प्रति-वर्ष किरायों में वृद्धि करना चाहता है। यह कार्यवाही धीमे विष की तरह प्रभाव डाल रही है। प्रति वर्ष ही किरायों में वृद्धि की जा रही है और न जाने यह गाड़ी कब और कहां जाकर रुकेगी। इस वृद्धि के प्रभाव का युक्तिसंगत ढंग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है। जनता की आवाज की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले वर्ष 10 करोड़ रुपए के माल यातायात की कमी हुई परन्तु इसका कारण नहीं बताया गया है। अन्य देशों में वित्तीय अन्तर को किराया बढ़ाकर पूरा नहीं किया जाता। वहां कोई वृद्धि करने से पूर्व उस वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। जनता, उपभोक्ताओं तथा जनसाधारण के हितों का ध्यान रखने तथा इस विभाग में व्याप्त नौकरशाही पर नियंत्रण रखने के लिए कोई संविधिक प्राधिकरण अथवा रेलवे किराया आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। वर्तमान रेल-भाड़ा ट्रिब्यूनल कार्यवाही के बाद ही विश्लेषण करता है। तथा इस प्रकार यह कोई लाभप्रद कार्य नहीं करता।

हमारा संविधान तैयार किए जाने से पहले वर्ष 1948 तक माल-भाड़ों तथा किरायों में स्थिरता थी क्योंकि उन दिनों रेलवे विभाग के लिए एक स्थायी वित्त समिति तथा एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् होती थी। इस परिषद् में कुछ मनोनीत अधिकारी तथा छः गैर सरकारी अधिकारी सदस्यों के रूप में होते थे। यह परिषद् सामान्य नीति सम्बन्धी मामलों पर विचार करती थी। जबकि वित्त समिति वार्षिक बजट, नए निर्माण नए पदों, चल स्टाक कार्यक्रमों, टूट-फूट निति लेखा पर होने वाले खर्च तथा पूंजी-कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तावों के बारे में सभी मामलों पर विचार करती थी। केवल एक सलाहकार का दर्जा होने पर भी यह परिषद और यह समिति बकाया राशियों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखती थी। विशेष रूप से यह स्थायी वित्त समिति तो किरायों और दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में लोगों के हितों का बड़ा ध्यान रखती थी। सभा में पेश करने से पूर्व रेलवे विभाग खर्च के सभी प्रस्तावों को इस समिति के

मामने पेश करता था और उसमें वृद्धि करने से पूर्व उस पर दो बार विचार किया जाता था। परन्तु संविधान बनने के बाद 1952 में ये परिषद् और समिति समाप्त कर दी गई। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय एक स्थायी किराया आयोग गठित करें या फिर उस वित्त समिति को पुनः नियुक्त करें। इस व्यवस्था के समाप्त होने से सब कुछ रेलवे बोर्ड की दया पर ही रह गया है।

श्री नन्दा ने यह वक्तव्य दिया है कि रेलवे विभाग के कर्मचारी सब से अच्छी कार्यकुशलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वस्तुतः स्थिति इसके विपरीत है, और इसका एकमात्र कारण यह है कि यह विभाग बहुत ही विशाल रूप धारण किए हुए है। यहां प्रबन्ध का केन्द्रीयकरण हो गया है। क्षेत्रों को समुचित अधिकार और शक्तियां नहीं दी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने में बड़ा विलम्ब होता है। काफी समय पूर्व एक वर्थ समिति ने स्थानीय जिम्मेवारियां देने की सिफारिश की थी। परन्तु यहां तो काश्मीर से कन्याकुमारी तक दिल्ली से ही सब कुछ नियंत्रित होता है। अतः इस विशाल विभाग को कई क्षेत्रीय एककों में बांट दिया जाना चाहिए। तथा प्रत्येक खण्ड को समुचित अधिकार और शक्तियां दी जानी चाहिए। इस प्रतियोगिता की भावना के साथ अत्यन्त लाभप्रद कार्य हो सकेगा। नौकरशाही का नियंत्रण हटेगा तथा कार्य करने में व्यक्तिगत रूचि बढ़ेगी। किसी भी रेलवे जोन को देखिए। प्रत्यक स्वयं में बहुत ही बड़ी इकाई है परन्तु इन सबका नियंत्रण एक स्थान से होता है। प्रत्येक को अलग अलग समुचित अधिकार दिये जाने चाहिए।

प्रति वर्ष हम संसद सदस्य रेलवे बोर्ड में कारगर सुधार करने के लिए चिल्लाते हैं; क्षेत्रीय रेलवे बोर्डों के गठन की हमारी मांग इसलिए है कि आधुनिक तकनीकी कार्य कुशलता, लागतलाभ विश्लेषण तथा प्रबन्ध कुशलता के बारे में रेलवे बोर्ड कतई अनभिज्ञ है। यह सर्वोच्च पदों पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें तीन चार वर्ष बाद ही सेवानिवृत्त हो जाना होता है। किसी को भी वरिष्ठता प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक कार्य करने का प्रोत्साहन नहीं मिलता। हमें यह वरिष्ठता की प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए जैसा की हमारी सेनाओं में है।

श्री टाटा की अध्यक्षता में एयर इंडिया तथा श्री मोहन कुमार मंगलम् की अध्यक्षता में इंडियन एयरलाईनस बड़ा अच्छा कार्य कर रहे है। यदि आप भी क्षेत्री निगमों का गठन कर दें तो उनमें अच्छी कार्यकुशलता वाले व्यक्ति लाए जा सकते हैं जिन्हें व्यवसायिक समझ-बूझ तथा सामाजिक दृष्टिकोण से मामलों के समझने में दक्षता प्राप्त हो। अतः श्री नन्दा अपने विभाग में इस सम्बन्ध में समुचित सुधार करें।

एक बार श्री नन्दा ने कहा था कि वह देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। वह एक कठिनतम महान कार्य था। और यह एक छोटा सा ही काम है।

मैं चाहता हूं कि मद्रास में एक महानगरीय परिवहन संस्था गठित की जानी चाहिए। बम्बई और कलकत्ता की भांति रेलवे मंत्रालय ने मद्रास की ओर कभी समुचित ध्यान नहीं दिया और वहां के लोगों का बिश्वास है कि वहां आज भी रेल सम्बन्धी सुविधाएं वैसी ही हैं जैसी अंग्रेजों के शासन के समय थीं। मंत्री महोदय मद्रास के लोगों की अनेक शिकायतों पर ध्यान दें तथा वहां की असुविधाओं को दूर करने के लिए बजट में काफी धन राशि रखें।

रेलवे की पूंजी लगाने की योजना में दक्षिण भारत—विशेषकर तमिलनाडु में रेलवे प्रबन्ध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहां के लिए केवल 2 या तीन करोड़ रुपया ही रखा गया है। पिछले 5 से 10 वर्षों से हम वहां नैवेली, मद्रास, सलेम तथा ट्यूटिकोर्न के समीप नए उद्योग समूह स्थापित करने की योजनाएं बना रहे हैं।

रेलवे व्यवस्था में सुधार करने के लिए अभी से योजना बनाने की आवश्यकता है। तमिलनाडु तथा दक्षिण की आवश्यकताओं के बारे में हमारा रेलवे मंत्रालय योजना आयोग और आगामी योजना के अनुकूल नहीं है।

रेलवे बोर्ड ने अनेक परिपत्र भेजे हैं जिनमें कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के निदेश दिए गए हैं अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इन परिपत्रों का उद्देश्य राष्ट्रपति आदेश, 1960 को क्रियान्वित करना है परन्तु इन परिपत्रों को जारी करने वाले अधिकारियों ने राष्ट्रपति के आदेश के पैराग्राफ 5(ए) की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, जिसमें कहा गया है कि निश्चित तिथि तक नियत स्तर तक नहीं पहुंच पाने के कारण इस योजना के अन्तर्गत कोई दंड नहीं देना चाहिए। 1968 में पुराने राजभाषा अधिनियम में संशोधन करके पुराने अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर एक नई धारा 3 उपधारा (4) जोड़ दी गई जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अंग्रेजी में कुशल व्यक्ति को इस आधार पर हानिकर स्थिति में रखा जा सकता है कि उसे दोनों भाषाओं में कुशलता प्राप्त नहीं है। इस आधार पर रेलवे बोर्ड और गृह मंत्रालय की कार्यवाही गैर-कानूनी है। इस सम्बन्ध में मैंने मद्रास उच्च न्यायालय में एक लेख याचिका दायर की है जिसकी अनुमति देने की अवस्था पर न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि प्रार्थी का यह मंतव्य कि कुछ परिपत्र राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 की धारा 3147 के विरुद्ध है, काफी ठीक मालूम देती है। इस पर इस महीने सुनवाई होगी। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन आदेशों को वापस ले लें।

श्री नन्दा ने यह नहीं बताया कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का उनका विचार है। इंटैगरल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर में श्रमिकों में असन्तोष की एक घटना में रेलवे सुरक्षा दल ने एक श्रमिक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहां पर डकैती अथवा चोरी नहीं की जा रही है, ऐसी स्थिति में उन्हें स्थानीय पुलिस को बुलाना चाहिए। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे रेलवे सुरक्षा दल को निदेश दें कि वे अपने श्रमिकों को अपनी तरह मानव समझें।

Shri Awadesh Chandra Singh (Farrukhabad) : Mr. Deputy Speaker, apart from being a vital source of revenue. Indian Railways are the only media of transport available to the weaker and poor section of the country, whose percentage is 90-95 of the total population.

We thank the hon. Minister for introducing new trains last year such as Rajdhani Express, Taj Express, Pashchim Express but all these have benefitted the rich class only who can afford to spend more money. Therefore, I would suggest introduction of more ordinary and express trains containing third class compartments so as to reduce overcrowding in trains and benefit the 90-95 per cent of the people belonging to the middle and lower groups, who are the main source of revenue to the Railways.

I feel that with a little more caution and vigilance we can reduce the deficit in the railwa budget as also provide more safety, facilities and amenities to the travelling public. The number of ticketless travellers has gone down considerably after the Government decision to levy a minimum penalty of Rs. 10 on people found travelling without ticket. If it is implemented strictly by the employees the position should improve and the revenue should also go up.

The railways have also been affected by the current wave of lawlessness in the country. The railway administration has to pay crores of rupees towards compensation claims for theft and pilferage on railways.

The passengers have to face a lot of difficulty and hardship while travelling by trains these days due to over crowding and absence of adequate facilities. Today people do not want to despatch their goods through Railway because there is no proper arrangement for the safety of goods in transit on the Railways. Positive steps should be taken to relieve congestion as also to provide adequate transport facilities.

Like other departments, corruption is rampant in this organisation too. The passengers have to face difficulty in getting tickets due to inadequate number of Booking Offices at big Stations and Junctions. Steps should, therefore, be taken to open more Booking Offices at such stations according to their requirements based on the increase in the number of passengers.

Irregularities are committed in giving promotions to the employees on the Railways. Their promotions are made on a moral considerations and not on merits. There are cases where deserving candidates have been deprived of their legitimate dues. It should be ensured that promotions are made on merit-cum-fitness basis.

The Government should pay adequate attention to the suggestions of M.Ps whether they are made in their letters addressed to them or their Departments or through consultative Committees. We have a complaint that these suggestions do not receive proper attention they deserve from the authorities concerned.

The office of the Deputy Traffic Superintendent at Farrukhabad should not be shifted therefrom, as proposed by the Department because the area is rich in potatoes, mangoes and water melons and the presence of a high official is necessary therefor proper and timely arrangement of wagons for the transport of these perishable commodities.

Steps should be taken to introduce an additional express train from Farrukhabad to Lucknow and *vice-versa* during the day also to meet the demand of the area. The railway yard at Farrukhabad which was constructed hundred years ago to meet the then needs of this station requires additions and extension to meet the demand of the increased traffic there. Steps to do the needful should be taken.

There is also the need to increase the number of trains on the Farrukhabad Shikohabad Branch Line. In the end, I would suggest the construction of a new line from Shahjahanpur to Gwalior.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): किराये और भाड़ों में की गई वृद्धि का मैं विरोध करता हूं केवल तीसरे दर्जे के किराये में की गई वृद्धि ही वापस ली गई है, बाकी सब वैसी ही हैं। भाड़ों में 26 करोड़ रुपए की वृद्धि से कीमतें बढ़ेंगी जिससे सारे देश की अर्थ व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा।

रेलवे में इस वर्ष जो वृद्धियां की गई हैं, उनका अनुमान मैंने गत वर्ष लगा लिया था और जिसका संकेत मैंने गत वर्ष रेलवे बजट पर बोलते समय अपने भाषण में दिया था।

रेलवे द्वारा गत वर्ष तथा इस वर्ष की कमाई में लगभग 50 करोड़ रु० का अन्तर है। प्रतिवर्ष किराये भाड़ा तथा दरें बढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा वैसे भी रेलवे की आय प्रति वर्ष उत्तरोतर बढ़ रही है। इसलिए रेलवे मन्त्री ने बाद के अपने भाषण में जो यह बात कही कि "स्थिति ऐसी है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं" वह बिल्कुल गलत है। उन्हें विशेषज्ञों द्वारा गुमराह किया गया है और सही स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है।

रेलवे मंत्रालय ने हमें रेलवे के बारे में एक पुस्तिका दी है जिसके अनुसार कुल लगाई गई पूंजी 827 करोड़ रुपए था जो 19 वर्ष बाद आज अर्थात् वर्ष 1968-69 में 3101 रुपए हो गया है। उसमें 275 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन जहां तक रेलवे के कार्य का सम्बन्ध है, उसमें इतनी प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 1950-51 में ट्रेन किलोमीटर्स 16.34 करोड़ थे और आज 24.15 करोड़ हैं। केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। माल के मामले में तथा मिश्रित ट्रेन किलोमीटर्स का अनुपात वर्ष 1950-51 में 11.15 करोड़ था और आज 20.11 करोड़ है---90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल लगाई गई पूंजी में जहां 275 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहां कार्य के मामलों में वृद्धि केवल 50 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत हुई है। इसलिए स्पष्ट है कि इस धन का रेलवे में उसके विकास

और सुधार के लिए सदुपयोग नहीं है और उसे लूटा गया है, बर्बाद किया गया है और उसकी चोरी की गई है।

जहां रेलवे कर्मचारियों की संख्या का सम्बन्ध है, वर्ष 1950-51 में 9 लाख 14 हजार थी और आज 13 लाख 57 हजार है, केवल 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। रेलवे का कुल अर्जन वर्ष 1950-51 में 263.3 करोड़ रुपए था और 1968-69 में 899 करोड़ था, इस प्रकार उसमें 250 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं। जो किराए तथा भाड़ों में वार्षिक वृद्धि के कारण हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेलवे की आय तथा व्यय में जितनी अधिक वृद्धि हुई है, उस अनुपात से उसके कार्य में सुधार नहीं हुआ है, उस पर भी सरकार यह चाहती है कि इस देश की गरीब जनता को नोच लिया जाए।

जहां तक चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे योजना का सम्बन्ध है, उसके लिए 1525 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और 180 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की जो रेलवे का डीजलीकरण करने के लिए चाहिए। मैं नहीं समझता कि रेलवे का डीजलीकरण करना जरूरी है क्योंकि उनका निर्माण आयातित सामग्री से किया जाता है जिसके लिए विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। इसके अलावा, उनके लिए डीजल तेल की जरुरत पड़ती है जो आयातित कच्चे तेल पर आधारित होता है। और हम 80 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से मंगा रहे हैं। इस प्रकार हमें प्रत्येक डीजल इंजन के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़तो है। ऐसी स्थिति में हम कोयला आधारित अपने रेल इंजनों का प्रयोग क्यों न करें जबकि चितरन्जन रेल इंजन कारखाना इतने अच्छे इंजन तैयार कर रहा है। जब तक रेलवे मंत्रालय अपना समूचा रवैया नहीं बदलता, देश में रेलवे व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता और हर वर्ष उसे इसी प्रकार किराये तथा भाड़ा दरें बढ़ानी पड़ेंगी।

जहां तक योजना के लिए सामान्य राजस्व जुटाने का सम्बन्ध है, रेलवे इस समय 5½ प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत लाभांश दे रही हैं। भूतपूर्व रेलवे मंत्री श्री पुनाचा ने उसे घटा कर 4.5 प्रतिशत करने को कहा है लेकिन उसे और भी कम किया जा सकता हैं। यदि रेलवे योजना के हेतु धन प्राप्त करने के लिए करारोपण का सहारा लेती है, तो वह गलत है। भारत में अप्रत्यक्ष कर भार विश्व में सबसे अधिक है, सरकार योजना के लिए धन प्राप्त करने के लिए रेलवे का प्रयोग अप्रत्यक्षकरारोपण के हेतु कर रही हैं जो सरासर गलत है और ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता।

वास्तव में देखा जाए, तो रेलवे मंत्री भी असहाय स्थिति में हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड न तो कोई निगम है और न कोई मंत्रालय, सभी मंत्रालयों में मन्त्री आदेश जारी करता है और विभाग उनकी क्रियान्वित करता है लेकिन यहां बोर्ड आदेश जारी करता है और उसे मन्त्री को पूछे बिना भी आदेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं और क्षेत्रीय महाप्रबन्धक उन आदेशों के अनुसार काम करते हैं न कि मंत्री जी की इच्छा के अनुसार। यहां संसद में वह साल में एक बार किसी न किसी तरह अपनी मांगें पास करवा लेते हैं। रेलवे बोर्ड के पास आदेश जारी करने की कार्यपालिका-शक्तियां नहीं होनी चाहिएं। रेलवे मंत्री के नाम से आदेश जारी होने चाहिए। रेलवे बोर्ड केवल एक सलाहकार बोर्ड होना चाहिए। इस प्रयोगार्थ रेलवे अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके लिए हम अपना पूरा समर्थन देंगे।

अब मैं रेल यात्रियों की ओर आता हूं। एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के यात्रियों को टिकट खरीदने के बाद डिब्बों में प्रवेश नहीं मिलता। वातानुकूलित श्रेणी का किराया विमान के किराये से भी अधिक है। अतः वातानुकूलित श्रेणी समाप्त कर दी जानी चाहिए। ऐसा करने से कम से कम तीसरी श्रेणी के यात्रियों को तो अधिक जगह मिल सकेगी। अधिकारियों के सैलूनों को हटा कर रेलवे की नौकर शाही को समाप्त किया जाना चाहिये। इन सैलूनों को तीसरी श्रेणी के डिब्बों में बदल दिया जाना चाहिए।

जहां तक रेलवे कर्मचारियों का सम्बन्ध है कृपा करके बचत के नाम में उनकी संख्या कम मत कीजिए और उनके काम के घंटे मत बढ़ाइए। काम का माप दण्ड होना चाहिए—8 घंटे प्रति दिन और एक सप्ताह में 48 घंटे। रेलवे कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न पर भी सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। रेल कर्मचारियों की प्रशंसा में मंत्री महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा है जब कि अधिकारियों की बड़ी प्रशंसा की गई है।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : I would like to congratulate the new Railway Minister, Shri Nanda who has rightly withdrawn the proposal for increasing the IIIrd class fares. He has thus proved that he is not only a Railway Minister but also a true representative of the people, labourers and agriculturists whose aspirations and wishes have been fulfilled in accordance with our declared policy.

The Railway Board has become outmoded and it should be converted into an Advisory Board, so that the Railway Minister should be able to represent the aspirations of the people more truly. The Members of the Railway Board possess a bureaucratic mentality and they have nothing to do with the aspirations and wishes of the people. So long as the Railway Administration is not run efficiently, the people and the Railway employees will not be benefited in any way. Instead of running this undertaking on commercial lines, the interests of the people should be given priority over all other things. These should be a net work of railway lines in the Adivasi and backward areas, of Madhya Pradesh border areas of Rajasthan, Naga Land and Tripura without going into their economic aspect.

To avoid discontent against the regional imbalances in connection with the disproportionate expansion of Railways. It has become necessary to lay railway lines in those states where there are not enough railway lines.

Expansion of Railwaylines could not be undertaken in Rajasthan due to the fact that it was divided into twenty-two princely States. Apart from this Shri Lal Bahadur Shastri, Shri Jagjiwan Ram and Dr. Ram Subhag Singh, the ex-railway Ministers, declared during their respective periods of Ministership that Chittor-Kota Railwayline would be constructed. But it is regrettable to say that the bureaucrates of the Railway Ministry declared that that was uneconomic line and the file connected with the proposed railway line was shelved by them. I request that the hon. Minister should meet the demand of the people of Rajasthan and the steps should be taken to construct the said Railway line.

The South-West region of Rajasthan is going to be more prosperous in respect of universal wealth and industries. The Chambal Project has increased the irrigation facilities in that region. If the said railway lines is constructed the State of Rajasthan would be connected with a port and thus a great deal of assistance would be added to the development of the industries of this State. It was assured by Dr. Ram Subhag Singh and Shri Poonacha that the survey of this line would be undertaken again by the Government but I am sorry to observe that no provision has been made in this budget for the said purpose.

Secondly, the speed of 'Chetak Express' train can be compared with that of a bullock-carts and hence it is express only by its names. It takes 22 hours to reach Udaipur from Delhi, a distance of 430 miles only. This train should also be extended to Delhi Junction with a view to facilitate the people coming from Calcutta and other such places because Udaipur and Jaipur are an attracting places for tourists.

Ajmer, Kota, Bekaner, Jodhpur and Udaipur are big cities and yet they are not provided with Broad gauge line. Rajasthan is a backward and border State. Providing transport facilities in that State will not only ensure the security of the country but it will help in increasing the utility of the natural resources for the people of the country. But I am constrained to say that the officials of the Railway Board are not prepared to understand the feelings of the people. In spite of repeated requests they are still keeping this important work in shelves.

In connection with the inconvenience experienced by the passengers of 'Rajdhani Express' I would like to suggest that the chair car system in the said train should be converted into the sleeping-berth system with a view to avoid the inconvenience experienced by the passengers, especially, children and women because of whole night journey in a chair car. I hope our socialist Minister Shri Nanda should also discontinue the class-system being maintained in this train. I suggest that there should be only two classes, Luxury Class and Economy Class, in this train. Those who think themselves superiors may travel in the Luxury class and the rest of the people may travel in the economy class. Besides, if the provisions of sleeping-berth are made in the economy class, the people will be prepared to pay Rs. 150 instead of Rs. 118 for the increased facilities. All the third class chairs should be removed and in place of 73 seats in each compartment there should be only 44 sleepings berths. If my suggestions are accepted by the Government, I think, there would be no loss to them and at the same time the passengers would enjoy a comfortable journey.

I also request that Bari Sadrai should be connected with Neemus *via* Chhoti Sadari to facilitate the people of that region. No railway line has been constructed in the hill areas of Pratapgarh, Dungarpur so far. I request that Pratapgarh Dungarpur should be connected with Ratlam and Dinapur should be connected with Kohima. The people of Tripura and Agartala will feel much relieved if a new railway line is constructed connecting these two places. A broad gauge line connecting Patna with Barauni should also be laid as soon as possible.

It has been observed that only the interests of the people of big cities are watched. Trains, connecting big cities, Calcutta-Madras, Delhi-Bombay, etc., move very fast. But no heed is paid to the interests of the ordinary people who live in villages and small towns. Trains moving towards the urban and sub-urban areas are being ignored and no development is being done in this regard. I would like to remind Shri Nanda that unless the interests of the common man are watched no body can get their co-operation.

Railways are run under the Public Sector and it is quite strange that why this industry is not earning a considerable profit and why the employees of the railways have to face several difficulties. I would like to suggest that the white elephants of the Railway Board should be done away with and a new machinery inspired with the national feelings should be evolved which would be able to conduct the Railways and watch the interests of the people.

So far as the increase in fare is concerned I want to request the hon. Minister that ultimately it affects the common people. Therefore, railway fares should be reduced.

Mention should also be made on the large scale theft being perpetuated in Railways It has never been learnt that a big gang of decoits has been cought red handed by the Railways and yet so many cases of thefts and large scale pilferage take place in Railways. I request that a high level committee should be appointed to go into the matter with a view to avoid a loss of crores of rupees to the passengers, traders and ultimately to the Railways.

Apart from this, it is quite necessary to make our Railways efficient so that it would be able to compete with the road transport. Government should be sympathetic towards the low level employees of the Railways and they should be given more facilities with the view that they are the real conductors of the Railways. The interest of the officials are watched here but the interests of the important employees are ignored. It is not praiseworthy.

I would like to conclude with these words that there is no use of making reference of languages as has been done by my friend belonging to Tamil Nadu. In this context I will only add that if some one from Tamil Nadu is provided a job in Jaipur or in Allahabad he will have to learn Hindi in order to develop his relations with the people of that place. Tamil Nadu is India and India is Tamil Nadu. No body can disintegrate the various parts of the country.

Shri B.P. Mandal (Madhepura) : Sir, I invite the attention of the hon. Minister towards the Kosi region. It is a matter of great concern that although the work of flood control on the Kosi river has been completed yet the connected railway lines have not been started as yet. It

has been learnt that there is a proposal of shifting the Manasi Railway Station at a place two miles away from it in the North because the Engineering Department has declared that the present railway was likely to be effected by the erosion by the Ganges. But I think there is no danger to this station in the near future. A representation was also made by the people of my constituency in this regard and they requested the hon. Minister that it should be re-examined whether there was any immediate danger to the said station or not. Actually, in the southern side of the railway line there exists a national highway. But no plan has been prepared to shift this national high way in spite of the fact that the Ganges flows in the southern side of this high way. Thus, I feel there is some black-mailing in this case and I think an opportunity to oblige certain contractors is being created. I would like to remined the hon. Minister that once he himself declared that he would eradicate the corruption from the country within a period of two years. Now there is a great deal of corruption in the Railway Department and he should abide by his promise. I have repeatedly raised this issue of Manasi Station. I request the hon. Minister that he should find out whether there is any immediate danger to this station or not and whether the amount proposed to be spent on this shifting is not more than that actually required to be incurred.

Sir, I am in favour of bringing socialism in the country. But at the same time, I would like to emphasise that if we are really interested in bringing socialism in our country we will have to follow a real socialistic path. It is a matter of shame for us that we have developed an air conditioned class even after the English have quit India. Every body knows that we are unable to provide square meals for so many people of our country and yet we talk of air-conditioned compartments of the Railways. I do not have figures at present but I am sure that most of the earnings of the Railways come from the pockets of passengers travelling in the third class. Yet they are deplorably ignored. They are provided none of the facilities. They are harded in the compartments like the cattles. As I have already said there is no need to maintain the air conditioned class in trains. The Government should introduce a system of having only two classes, that is, luxury class and economy class.

It may be pointed out that Pillani is an important place where five thousand students are studying but there is no railway line and consequently they have to face great hardship during the holidays when they have to come home. In view of it, the Government should keep in mind Pillani while making any provision of railway lines in Rajasthan.

There is great demand for an overbridge over Mithai Railway Station on the Mansa-Katihar line, because this line passes through said village and many accidents occur there while crossing this railway line. Government should consider this demand sympathetically.

Shri Vidya Dhar Bajpai (Amethi) : I congratulate the hon'ble Minister especially because he has dropped the idea of increasing third class fare and cost of platform ticket in view of the sentiments expressed in this House. "The Hindustan Times" has attributed political pressure for this measure. It further explains as to why the fares of 1st and 2nd class have not been reduced. The hon'ble Minister should follow the path of socialism. The Railway Board should work under the guidance of hon'ble Minister and not dictate their terms. Government can easily meet this deficit by curbing pilferage or by terminating the services of higher officials. We have to bring radical changes if we want to follow the path of socialism. Special attention should be paid to provide necessary facilities to passengers who travel by third class. The number of bogies as well as trains should be increased.

It is suggested that Railways should also permit advertisement through the posters etc. to be fixed on the coaches and make it a good source of income. Government can earn crores of rupees by accepting advertisements.

I want to point out that babies and children have to face great difficulty because the platforms at Sultanpur Station are very low. In view of this level of the platforms should be raised. I also want to know as to why no Mail or Express trains passes through Sultanpur ?

Fast express trains have been introduced only recently from Sultanpur to Jhansi and Sultanpur to Howrah. I want to suggest that there should be a Divisional Railway Office of Northern Railway at Sultanpur. It will enable the top officials to realise the difficulties experienced by villagers. It is also suggested that Saloon system should be abolished.

There is no overbridge at Amethi and Gauriganj Stations which is so necessary to enable the passengers to cross the railway lines safely. In view of this the aforesaid bridges should be constructed there.

Shri Shiv Charan Lal (Ferozabad) : I hope the hon'ble Minister will take suitable steps to eradicate corruption among the officials of Northern Railway in Allahabad. The officials of Railways ignore the letters written by Members of Parliament. In this connection I can charge General Manager of Allahabad directly. I can show the replies received from him which will serve as evidence to his behaviour.

I want to suggest that Government should introduce a train from Agra Cantt. to Etawah *via* Wah for which I have been requesting for the last three years. It will remove the difficulties experienced by the people of the aforesaid areas and also benefit the Government. While going to Wah there is a village *viz.* Bateshwar where a big religious fair is held. In case this place is connected by rail it will facilitate the businessmen who come there for cattle business.

I want to draw the attention of the hon'ble Minister five or six scheduled caste employees working in Toondla N.R. College are being put to great hardship because their services are terminated in the month of May and they are taken back in the month of July. I had written a letter to the principal and I have been told they are temporary. I have again written a letter to him to declare them permanent and the matter is still under consideration.

The Government should take necessary safety measures to safeguard the passengers travelling by third class since the incidences of looting the trains are on the high side.

I hope the hon'ble Minister will take steps to connect Agra Cantt. with Etawah, Kuberpur with Varhan and Varhan with Etah Kasganj by introducing new trains and keep in view other suggestions made by me.

Shri Baswant (Bhiwandi) : I want to congratulate the Railway Minister for upholding the principles of socialism and agreeing to reduce the fares to be charged from the passengers travelling by third class.

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

कार्य मन्त्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

45वां प्रतिवेदन

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया): मैं कार्यमंत्रणा समिति का 45वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वी नदियों के बारे में भारत-पाकिस्तान वार्ता के बारे में वक्तव्य
STATEMENT REGARDING INDO-PAK TALKS ON EASTERN RIVERS

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव): मैं फरक्का बांध तथा अन्य पूर्वी नदियों के बारे में विचार करने के लिए इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर पर हुई बात-चीत का विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 9 मार्च, 1970/18 फाल्गुन, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday the 9th March, 1970/Phalguna 18, 1891 (Saka).

MGIPNLK—4/Lok Sabha/70— 5-8-70—340 Copies.